अष्टम माला, खंड 4, अंक 29

मंगलवार, 23 अप्रैल, 1985
3 वैशाख, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 54
Date 18/2/86

(खंड 4 में अंक 21 से 30 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 4, दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 29, मंगलवार, 23 अप्रैल, 1985/3 वैशाख, 1907 (शक)

विषय		पृष्ठ
फिनलैंड की विदेश कार्य समिति के शिष्टमंडल का स्वागत		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	... ...	1—23
*तारांकित प्रश्न संख्या : 547, 548, 550, 552, 553 और 559 से 561		
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	... ...	24—171
तारांकित प्रश्न संख्या : 549, 551, 554, 556 से 558 और 562 से 566		
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3996 से 4038, 4040 से 4044, 4046 से 4094, 4096 से 4107 4109, 4111 से 4114 और 4116 से 4145		
सभा-पटल पर रखे गये पत्र :	... ...	172—177
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण :	... ...	178—199
बिहार के साहिबगंज जिले में पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के परिणामस्वरूप अनेक आदिवासियों की मृत्यु हो जाने तथा अन्य व्यक्तियों को चोट लगने के समाचार		
श्री हरीश रावत	... ...	178

* किसी नाम पर अंकित† चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

	पृष्ठ
श्री एस० बी० चव्हाण	179
श्री जैनुल बशर	185
श्री सी० माधव रेड्डी	191
श्री धर्मपाल सिंह मलिक	193
श्री पीयष तिरकी	195
कार्यमंत्रणा समिति :	200
छठा प्रतिवेदन	
नियम 377 के अधीन मामले :	200
(एक) गोपालपुर से खेरियन रोड रेलवे स्टेशन के निकट उड़ीसा की सीमा तक एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की आवश्यकता. जो मध्यप्रदेश जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 से रायपुर पर मिले	
श्री जगन्नाथ पटनायक	200
(दो) सरयू नदी पर एक रेल पुल का निर्माण करने और मानकपुर-इलाहाबाद रेल लाइन को मुख्य लाइन में बदलने की मांग	
श्री निर्मल खत्री	201
(तीन) प्रस्तावित मथुरा-अलवर रेल लाइन का निर्माण तुरन्त तथा अलवर शहर से शुरू करने की आवश्यकता	
श्री राम सिंह यादव	201
(चार) कुछ प्रतीक्षारत स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए विचाराधीन पड़े आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता	
प्रो० नारायण चन्द पराशर	202

(पांच) पारादीप पर बिना और विलंब किये मत्स्य पत्तन स्थापित करने की आवश्यकता

श्रीमती जयन्ती पटनायक 202

(छः) जग ज्योति बसवेश्वर के जन्म दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने तथा उनकी मूर्ति संसद भवन के सामने लगाने की आवश्यकता

श्री जी० एस० बसवराजून 203

(सात) कोयम्बटूर को हर रोज इस्पात सामग्री लाने ले जाने के लिए ज्यादा माल डिब्बे आबंटित किये जाने की आवश्यकता

श्री एन० सुन्दरराजन 204

(आठ) कर्नाटक के हसन जिले के शान्ति ग्राम मन्दिरों का प्रबंध पुरातत्व विभाग को सौंपने का निदेश देने की आवश्यकता

डा० वी० वेंकटेश 204

(नौ) गोरखपुर जिले में किसानों को डीजल की पर्याप्त आपूर्ति की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री महावीर प्रसाद 204

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86 ... ... 205—258

संचार मंत्रालय

डा० जी० विजय रामा राव 206
प्रो० नारायण चन्द पराशर 209
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही 215
श्री पी० सेलवेन्द्रन 219
श्री पी० आर० एस० वेंकटेसन 221
श्री नारायण चौबे 223
श्री राम सिंह यादव 227
श्रीमती डी० के० भन्डारी 230
श्री मूल चन्द डागा 232
श्री सुरेश कुरूप 234

श्री गिरधारी लाल व्यास 237
श्री डी० एन० रेड्डी 239
श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा 241
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर 243
श्री आर० एस० खिरहर 245
श्री राम निवास मिर्धा 246

अहमदाबाद के दंगों के संबंध में वक्तव्य 259—267

अनुदानों की मांगें (सामान्य)—1985-86—जारी 268—279
रक्षा मंत्रालय (चर्चा असमाप्त)

श्री अजय मुशरान 270
श्री शान्ताराम नायक 277

लोक सभा

मंगलवार, 23 अप्रैल, 1985/3 बैशाख, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

फिनलैंड की संसद की विदेश कार्य समिति के शिष्ट मंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है।

अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से माननीय श्री पार स्टेनबैक संसद सदस्य, फिनलैंड की संसद की विदेश कार्य समिति के उपसभापति तथा उनके शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्यों का जो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

वे कल सायंकाल यहां पहुंचे। इस समय वे 'विशेष कक्ष' में बैठे हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनकी यात्रा शुभ तथा लाभप्रद हो। उनके माध्यम से हम फिनलड की संसद फिनलैंड सरकार तथा वहां के मैत्रीपूर्ण लोगों का अभिवादन करते हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय, कृपया·········

अध्यक्ष महोदय : महोदय, क्या हुआ ?

प्रो० मधु दंडवते : नियम 388 के अन्तर्गत मैंने प्रश्नकाल को स्थगित किए जाने का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं पूर्वोदाहरण दे सकता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर आप कल आ जाते तो अपने आप ही सस्पेंड हुआ था।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : मैं उद्धृत करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं; ऐसे कुछ पूर्वोदाहरण हैं। लेकिन हम बाद में······करने जा रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : पहले जब असम में सामूहिक हत्या की गई थी, तब आपने मुझे चर्चा करने की अनुमति दी थी।

अध्यक्ष महोदय : यह जनसंहार नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : पहले आपने प्रश्न काल समाप्त कर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा की अनुमति दी थी (**व्यवधान**) अहमदाबाद में स्थिति गंभीर है और सेना ने······अपने हाथ में ले लिया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० साहिब, इधर देखिए। आज की कार्य सूची में गृह मंत्री महोदय का वक्तव्य शामिल है।

प्रो० मधु दंडवते : आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कि उनका वक्तव्य शामिल नहीं है।

एक माननीय सदस्य : हम चर्चा करना चाहते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कल यह संकेत दिया गया था कि वक्तव्य दिया जायेगा। वक्तव्य नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य दिया जाएगा। मैंने उन्हें वक्तव्य देने के लिए कहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह बहुत गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य दिए जाने के बाद हम इस पर विचार करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको स्थगन प्रस्ताव या अन्य किसी ऐसे ही प्रस्ताव के अन्तर्गत विशेष चर्चा की अनुमति देनी चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : कल मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि वह वक्तव्य देंगे। कार्य सूची में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। मैंने इसे बड़े ध्यानपूर्वक देखा है। इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : वह आज ही वक्तव्य देने जा रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : किस समय ?

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य आज ही दिया जाएगा। चिंता न करें। वक्तव्य आज ही दिया जाएगा।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने उन्हें वक्तव्य देने के लिए कहा है। हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे।

प्रो०मधु दंडवते : पुलिस आयुक्त ने सभा के नेता को चर्चा के लिए विधान सभा में बुलाया और सिपाही ने उनकी कार जला दी। गुजरात में यह सब हो रहा है। महिलाओं की बेइज्जती हो रही है;……आग लगी ही रही है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे। जो भी है हम इस पर चर्चा करेंगे। वक्तव्य दिए जाने के बाद हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आरक्षण के संबंध में कहना चाहता हूं; मैं आरक्षण कराने के लिए वचनबद्ध हूं। लेकिन हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती। मैं पुलिस हिंसा की बात कर रहा हूं। वे पुलिस की वर्दी में अपराधी हैं…… **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया मजाक उड़ाने का प्रयत्न नहीं कीजिए **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कल अध्यक्ष पीठ से आपने जो टिप्पणियां दी हम उनकी सराहना करते हैं कि आवश्यक है कि हम सब हिंसक तरीकों से घृणा करें। हम जानना चाहते हैं कि उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद भी कि पुलिस के अत्याचारों की जांच की जाए; पुलिस को…… की अनुमति कैसे दी गई। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य दिए जाने के बाद हम इसे देखेंगे। श्री कमोदीलाल जाटव।

प्रो० मधु दंडवते : कम से कम 12 बजे आप सदन में एक स्थगन प्रस्ताव पेश किए जाने पर विचार कीजिए…… **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमने स्थगन प्रस्तावों के नोटिस दिए हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई वचन नहीं देता। मैं वक्तव्य सुनूंगा और फिर निर्णय लूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : फिर भी यह स्थगन प्रस्ताव का मामला है…… **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री कमोदीलाल जाटव। क्या वह उपस्थित हैं ?

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, त्रिपुरा की भी यही स्थिति थी। तथा हमने इस पर चर्चा की मांग की थी। त्रिपुरा में रक्षा कर्मियों की हत्या की गई थी। इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी गई

की। अब वे प्रश्न काल में व्यवधान डालने का प्रयत्न कर रहे हैं······(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमान तिवारी, आपने स्वयं 21 फरवरी 1983 को चर्चा की थी; यह रिकार्ड में है······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब बैठ जाइए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इसका निर्णय मुझे स्वयं करना है। मुझे इन सब मामलों पर ध्यान देना है। उन्होंने जो कुछ कहा वह मेरे विचाराधीन है। गृह मंत्री महोदय जो कुछ कहेंगे मैं उस पर विचार करूंगा और सब कुछ नियमानुसार किया जाएगा। चिंता मत कीजिए।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपका विनिर्णय स्वीकार करता हूं। लेकिन आप रिकार्ड ठीक रखिए। माननीय सदस्य को यह जानने दीजिए कि कई बार नियम 388 के अन्तर्गत दी गई सूचना स्वीकार की गई थी तथा प्रश्नकाल स्थगित किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : वह रिकार्ड में है। यह अध्यक्ष महोदय के निर्णयानुसार ही है कि नियम 388 के अन्तर्गत भी नोटिस की अनुमति दी जाती है। मैं यहां कोई चर्चा करना नहीं चाहता।

प्रो० के० के० तिवारी : मुझे एक निवेदन करना है।

अध्यक्ष महोदय : कोई निवेदन नहीं किया जाएगा।

प्रो० के० के० तिवारी : यह एक बहुत खतरनाक पूर्वोदाहरण है······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खतरनाक पूर्वोदाहरण क्या है? मुझे जो उचित लगता है उसी के अनुसार चलना है। मुझे परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना है। मैं जो निर्णय लेता हूं, वह परिस्थिति को देख कर ही लेता हूं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे त्रिपुरा की जानकारी है, पश्चिमी बंगाल की जानकारी है; मैं सब कुछ जानता हूं······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी जी, क्या आप नहीं चाहते कि सदन आगे कार्यवाही आरंभ करे? मुझे यह सब पसंद नहीं।

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। यह मेरी इच्छा पर है कि मैं इसकी अनुमति दूं अथवा नहीं दूं। पहले भी मैंने कई बार ऐसा किया है। कई बार ऐसे अवसर आए हैं जब मैंने इसकी अनुमति नहीं दी। यह सीधी-सी बात है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो० के० के० तिवारी, मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए। मैं किसी से भी सलाह नहीं लेता हूं। मैं अपनी सलाह से चलता हूं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)*

जिला मुरैना (मध्य प्रदेश) में सीमेंट और अन्य उद्योगों की स्थापना करना

[हिन्दी]

*547. **श्री कम्मोदी लाल जाटव** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में 300 किलोमीटर के क्षेत्रफल में केवल बामोर में ही एक उद्योग हैं और इस जिले में कोई बड़ा या मध्यम उद्योग नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र का उद्योगीकरण करने हेतु इसका सर्वेक्षण करने का है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में भारी मात्रा में चूना पत्थर के भण्डारों और श्रम की सुगम उपलब्धता को देखते हुए, इस पिछड़े क्षेत्र का विकास करने और रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुरैना जिले में सीमेंट उद्योग स्थापित करने का है ?

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बामौर में बड़े और मझोले औद्योगिक एकक अगले पृष्ठ पर दिए गए हैं :—

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(1) कन्सालिडेटेड स्टील एण्ड एलॉयज लिमिटेड।

(2) मेटल कास्ट प्रोडक्ट्स आफ इंडिया (प्रा०) लिमिटेड।

(3) एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनी।

(4) एयरोफ्लि पेपर्स लिमिटेड।

(5) ग्वालियर पेपर प्रोडक्ट्स।

(6) अमर फोर्जिग्स प्राइवेट लिमिटेड।

(7) मुरैना मण्डल सहकारी शक्कर कारखाना।

(8) एम० पी० ऐल्यूलोज (प्रा०) लिमिटेड।

(9) स्टार्लिंग माल्ड एण्ड फूड प्राइवेट लिमिटेड।

उपर्युक्त बड़े/मझौले एककों के अलावा 39 लघु औद्योगिक एकक भी हैं, जो एल्युमिनियम तथा स्टेनलेस स्टील के बर्तन, पेन्ट और वार्निश, ट्रान्सफार्मरों, आक्सीजन गैस, शीत भण्डारों (कोल्ड स्टोरेज) और बर्फ, दली हुई वस्तुओं, मार्बल स्टोन और चिप्स, छपाई का कागज, प्लास्टिक और चमड़े के जूतों, साबुन, पी० वी० सी० केबलों, बिजली के खम्भों, जौ के सत इस्पात पिंडों फिल्टर पेपर, कत्था आटो-स्प्रिंग, ग्वारगम, डबलरोटी, गढ़ी हुई वस्तुएं रेडियो और ट्रांजिस्टरों, नाइलोन के रस्सों, आर० सी० सी० पाइपों, होजरी के वस्त्रों, बाल्टियों, तसलों और सश्लिष्ट कपड़े आदि का उत्पादन कर रहे हैं। किसी विशेष क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करने का प्रमुख उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का होता हैं और जहां कहीं आवश्यक होता है इसका सर्वेक्षण करती है। केन्द्रीय सरकार पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण कार्यक्रम के लिए राजसहायता और रियायती वित्त आदि देकर उनके प्रयासों को पूरा करने में सहायता करती है।

इस समय मुरैना जिले में सरकारी क्षेत्र में सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री कम्मोदी लाल जाटव अपना अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे।

[हिन्दी]

श्री कम्मोदीलाल जाटव : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न में मुरैना जिले में उद्योगों की स्थापना के विषय में जानकारी चाही थी क्योंकि मेरी समझ में मुरैना जिला हिन्दुस्तान में एक पिछड़ा जिला है और पूरा सदन जानता है कि वहां पिछड़ा जिला होने के कारण कई तरह की समस्याएं हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपके ख्याल में हैं या वाकई हैं।

श्री कम्मोदीलाल जाटव : इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मुरैना के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए क्या बगावा, सेहरा या गौहारा में से किसी एक स्थान पर सीमेंट की फैक्टरी लगाई जाएगी।

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोम्मद खां): माननीय सदस्य ने मुरैना जिले में सीमेंट की नई यूनिट लगाने के बारे में कहा है लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वहां पहले से ही 64 हजार टन कैपेसिटी का एक सीमेंट प्लांट चल रहा है और वहां इतने इस्टैब्लिश्ड लाइम स्टोन के डिपौजिट्स नहीं हैं कि एक से ज्यादा सीमेंट के प्लांट लगाए जा सकें। उनसे केवल 8.8 मिलियन टन के दो सीमेंट प्लांट ही चलाए जा सकते हैं। वैसे मुरैना जिला पिछड़े हुए जिलों को "सी" कैटेगरी में आता है और इस वक्त वहां पर 9 बड़े और मध्यम दर्जे के उद्योग चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त अनेकों छोटे लघु उद्योग भी वहां पर कार्य कर रहे हैं।

श्री कम्मोदीलाल जाटव : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने जैसे कहा कि मुरैना जिले में छोटे-बड़े सभी तरह के उद्योग चल रहे हैं लेकिन वह गुना और शिवपुरी की तरह पिछड़ा हुआ जिला अभी तक घोषित नहीं किया गया है। क्या मन्त्री महोदय मुरैना को जल्दी ही पिछड़ा क्षेत्र घोषित करेंगी ताकि वहां अधिक केन्द्रीय आर्थिक सहायता मिल सके।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैंने पहले ही निवेदन किया कि मुरैना जिला पिछड़े जिलों की "सी" कैटेगरी में आता है और "सी" कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले जिलों को जो केन्द्रीय सरकार की ओर से लाभ मिलने चाहिए, वे लाभ मुरैना जिले को भी मिल रहे हैं। वहां पर पहले से ही 9 बड़े और मध्यम दर्जे के उद्योग चल रहे हैं, एक सीमेंट प्लांट भी चल रहा है परन्तु औद्योगिक विकास का कार्य मूलतः राज्य सरकार का होता है फिर भी केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है और वह सहायता हम इस मामले में भी कर रहे हैं।

हेरिन्जर ब्राइट्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट पुणे द्वारा विकसित विषहीन जड़ी-बूटी से बनी कीटनाशी दवा

[अनुवाद]

*548. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हेरिन्जर ब्राइट्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पुणे ने विषहीन जड़ी-बूटियों से बनी एक कीटनाशक दवा विकसित की है, जो भोपाल दुर्घटना की तरह की दुर्घटनाओं की रोकथाम कर सकती है;

(ख) क्या यह सच है कि यह कीटनाशी दवा विश्व में अपनी तरह की पहली दवा है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई अनुसंधान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) मै० हेरिंगर ब्राइट्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पून ने एक गैर जहरीले रसायन के विकास करने का दावा किया है, मै० हेरिंगर ब्राइट्स रिसर्च इन्सटीट्यूट द्वारा कीटनाशक विशेषताओं को अभी प्रकाशित/प्रमाणित आंकड़ों द्वारा सिद्ध किया जाना है।

(ख) जी, नहीं। विभिन्न प्रकार के कीटों के लिए प्रभावशाली अन्य कीटनाशक भी हैं। जैसे निकोटाइन सल्फेट, पाइरेथ्राइन, वानस्पासिक मूल के रोटेनोन, रिअनिया, और स्ट्राइक्नीनडीन।

(ग) इस उत्पाद के संबंध में सरकार द्वारा कोई अनुसंधान नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है तथा जैसा मन्त्री महोदय ने यहां कहा और इस कम्पनी के रिसर्च डायरेक्टर का जो कुछ कहना है, उनमें आपस में तफावत है क्योंकि कम्पनी के रिसर्च डायरेक्टर का कहना है कि सेरम इंस्टीट्यूट में रिसर्च कर लिया गया है, टैस्ट कर लिया गया है और उन्होंने इसे पास भी कर दिया है, इसके अलावा सैन्ट्रल गवर्नमेंट लैबोरेट्रीज में भी इसे टैस्ट कर लिया गया है···

उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने परमीशन दे दी, परन्तु सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक परमीशन नहीं दी। सबसे सीरियस चार्ज कंपनी के डायरेक्टर ने जो लगाया है; वह मैं पढ़कर सुनाता हूं —

[अनुवाद]

"उनका दावा था कि उनके द्वारा किए गए अनुसंधान के प्रति सरकारी अधिकारी उदासीन रुख दिखाते रहे हैं क्योंकि उनकी दिलचस्पी उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बचाने में हैं जो देश में ऐसे हानिकारक कीटनाशक भेजते रहे हैं। जिन पर अधिकांश विकसित देशों द्वारा प्रतिबन्ध लगाया हुआ है।"

[हिन्दी]

इतना चार्ज सरकार के ऊपर लगाया गया है। जब हमारे यहां की कम्पनी इतना बड़ा रिसर्च कर देती है, उसके बाद कहां तक यह सही है कि आप उनको एन्करेज नहीं करते ? उन्होंने परमीशन मांग रखी है, वह आप नहीं देते हैं। वह कहते हैं कि लैबोरेटरी टैस्ट सैन्ट्रल गवर्नमेंट की लैबोरेटरी में हो गया। जो वह कहते है और जो मन्त्री महोदय कहते हैं, उसमें फर्क क्या है ? सही स्थिति क्या है यह मन्त्री महोदय बताने की कृपा करें ?

[अनुवाद]

श्री वीरेन्द्र पाटिल : वह जब कोई कीटनाशक या अन्य पदार्थ तैयार करते हैं और उसका उत्पादन करना चाहते हैं, तो कीटनाशक अधिनियम के अन्तर्गत, उन्हें भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ती है। उन्होंने भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से उस कीटनाशक को अनुसूची में शामिल किए जाने के लिए अनुमति मांगी थी। अधिनियम के अन्तर्गत गठित बोर्ड ने कृषि मंत्रालय से सिफारिश की है कि इस कीटनाशक को अनुसूची में शामिल किया जाए। इसे पजीकृत करने में अथवा अनुसूची में शामिल करने से पूर्व सरकार इस पार्टी से इसे तैयार करने का सूत्र तथा अन्य बातों की जानकारी प्राप्त करना चाहती है और वह पार्टी जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए विलंब हो रहा है। पार्टी द्वारा अपनाए गए रुख के कारण ही विलंब हो रहा है। इसे पंजीकृत करने अथवा अनुसूची मे शामिल करने के लिए जो भी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, यदि पार्टी वह जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है तो कृषि मंत्रालय कीटनाशक बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार इस पर विचार करने के लिए तैयार है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : कई चीजों में ट्रेड सीक्रेट रहता है। कम्पनी अगर कोई चीज बनाती है तो उसमें कई चीजें ऐसी होती हैं, जो दूसरे कंपीटीटर्स को मालूम नहीं होनी चाहिए। आप का कायदा यह है कि ए टू जैड वह क्या बनाती हैं, यह बताया जाए। अगर कंपनी का प्रोडक्ट आपके टेस्ट में सैटिस्फैक्ट्री उतरता है तो उसको बनाने की परमीशन देने में क्या तकलीफ है ? मेरा कहना है कि अगर कोई हर्डल हो तो सरकार इस पर पुनः विचार करे। विदेशों की कम्पनीज को अपने यहां बुलवा लेते हैं, उनसे इम्पोर्ट कर लेते हैं, उनके लिए कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं है, परन्तु अपने यहां की कम्पनी अगर कोई रिसर्च करती है तो उसे अपनी ए टू जैड जानकारी सरकार को पहले देनी होती है। रिसर्च करने वाले को डर लगा रहता है कि आपके मंत्रालय से वह जानकारी दूसरे लोगों को पास कर दी जाती है। क्या इस बारे में सरकार विचार करेगी ?

[अनुवाद]

श्री वीरेन्द्र पाटिल : कीटनाशक अधिनियम के अन्तर्गत, कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी ही पड़ती है अधिनियम में इसकी प्रक्रिया तथा नियम दिए गए हैं। तदनुसार, जिस आविष्कारक ने इस कीटनाशक का पता लगाया है उसे इस कीटनाशक को पंजीकृत कराने के लिए वह जानकारी सरकार को देनी पड़ती है। माननीय सदस्य समझते हैं कि वह इसे व्यापार रहस्य होने का दावा कर सकते हैं और जानकारी नहीं दे सकते और उसके द्वारा जानकारी न दिए जाने के बावजूद उसके द्वारा तैयार कीटनाशक पंजीकृत किया जाना चाहिए। हम किसी के मामले में कोई छूट नहीं दे सकते क्योंकि जो भी व्यक्ति चाहता है कि उसके द्वारा तैयार कीटनाशक पंजीकृत किया जाए तो उसे अधिनियम में उल्लिखित औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। तदनुसार निर्माता या आविष्कारक, यदि अपनी खोज का पंजीकरण कराना चाहता है तो उसे अधिनियम के नियमों-विनियमों का पालन करना होगा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, सरकारी डिपार्टमेंटस में कोई भी फाइल ऐसी नहीं रह सकती जिसके सम्बन्ध में अन्य लोगों को जानकारी न हो पाए, क्योंकि बहुत सारी बातों की जानकारी आपके डिपार्टमेंट से निकलकर विदेशों में भी चली जाती है। अगर कोई ट्रेड सीक्रेट कम्पनी की तरफ से दिया जाए और उसकी जानकारी दूसरी कम्पनियों को हो जाए तो जिन्होंने रिसर्च किया है, वह उसके फायदे से महरूम हो जाती है। क्या सरकार ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि जिस कंपनी ने कोई रिसर्च किया है, उसकी परमीशन दे दी जाए ताकि वह अपने सीक्रेट पर काबू रख सके।

श्री बीरेन्द्र पाटिल : रजिस्ट्रेशन और शिड्यूल में दर्ज करने की जिम्मेदारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की है। इसे वह मिनिस्ट्री देखती है। मैंने कहा है कि इसैक्टी साइड ऐक्ट में कोई प्रोसीजर ले-डाउन किया गया है, उसके तहत उस प्रोसीजर को कम्पलीट करके कोई भी अपने इन्सैक्टीसाइड ड्रग को या इन्वेंशन को रजिस्टर करा सकता है।

अगर कोई ट्रेड सीक्रेट है तो और कानून के जरिए से ट्रेड सीक्रेट को पेटंट ऐक्ट के जरिए सेफ-गार्ड करना चाहिए और उनको देखना चाहिए, लेकिन इनसेक्टीसाइड ऐक्ट के तहत अगर कोई इनसैक्टीसाइड को रजिस्टर कराना चाहता है तो ऐक्ट में जो प्रोसीजर है, उसको पूरा करना होगा। अगर एक में एग्जम्पशन देंगे तो हरेक एग्जम्पशन चाहेगा। अब तक जितने भी इनसैक्टीसाइड रजिस्टर हुए हैं, वह पूरी फॉरमैलिटी कम्पलीट करके रजिस्टर कराए हैं। इनको भी चाहिए कि फॉरमैलिटी कम्पलीट करके रजिस्टर करें।

आयुध कारखाना बोर्ड के मुख्यालय का कलकत्ता से स्थानान्तरण

[अनुवाद]

*550. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखाना बोर्ड का कलकत्ता स्थित मुख्यालय, देश में नई आयुद्ध परियोजनाओं की देख रेख/निगरानी करता है;

(ख) क्या इस मुख्यालय के कार्य-कलापों/कक्षों को धीरे धीरे पश्चिमी बंगाल से बाहर कानपुर, हैदराबाद, आवडी आदि स्थानों पर स्थानान्तरित किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो ऐसा कदम उठाने के क्या कारण हैं जबकि अन्य क्षेत्रों के बारे में ऐसा नहीं किया गया है; और

(घ) क्या राज्याध्यक्ष समिति ने इस क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण का विरोध किया था ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आयुद्ध निर्माणी अपर महानिदेशक के रैंक का एक अधिकारी 1969 से कानपुर में काम कर रहा है और वह आयुद्ध उपस्कर समूह की निर्माणियों की देख-रेख करता है। इसी रैंक का एक अफसर 1984 से आवड़ी में काम करता है। और वह आवड़ी और मेडक (हैदराबाद के नजदीक) स्थित मुख्यतः नई परियोजनाओं की देख-रेख करता है ये दोनों अधिकारी कलकत्ता स्थित आयुद्ध निर्माणी महानिदेशक के सर्वेक्षण एवं नियन्त्रण में कार्य करते हैं।

(घ) जी, नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से केवल उसी बात की पुष्टि होती है जो मैं इस प्रश्न के द्वारा उनसे स्पष्ट कराना चाहता हूं। इस समय विद्यमान 36 आयुध कारखाने, जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं, पूरे देश के विभिन्न भागों में स्थापित हैं। लेकिन हमेशा ऐसा होता रहा है कि इन कारखानों का निरीक्षण और देख-रेख आयुध कारखानों के केन्द्रीय कार्यालय जो कलकत्ता में महानिदेशक का काम करता रहा है। जिसे अब आयुध कारखाना बोर्ड कहा जाता है। यह मुख्य कार्यालय है। यह देश में प्रत्येक परियोजना, प्रत्येक आयुध परियोजना की देख-रेख और निगरानी के लिए जिम्मेदार है।

अब मैं यह जानना चाहता हूं कि अब यह परंपरा समाप्त क्यों की जा रही है। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि आयुध कारखाना अपर महानिदेशक का पद बनाया गया है और इस रैंक का एक अधिकारी कानपुर तथा आवडी में काम कर रहा है। क्या यह उसी कार्यालय का एक अंश है जो इतने वर्षों से कलकत्ता में स्थित रहा है ? मेरा प्रश्न यह है कि अतिरिक्त आयुध कारखाना अपर महानिदेशक के पद बनाए जाएं और उन्हें विद्यमान दो स्थानों पर नियुक्त किया जाए और तदन्तर अन्य स्थानों पर ऐसा किया जाए—तो इसका अर्थ क्या यह नहीं है कि अंग्रेजों के समय से कलकत्ता स्थित केन्द्रीय मुख्यालय बड़े तरीके से वहां से हटाया जा रहा है और धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है तथा मैं नहीं जानता कि अंततः क्या होगा।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जी नहीं, महोदय। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हमारा यह उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। इसे सक्षमता चलाने के लिए, विशेषकर जब कोई कारखाना कार्य आरंभ करता है, तो यह आवश्यक है कि किसी हद तक इसका विकेन्द्रीकरण किया जाए यद्यपि इसका समूचा नियंत्रण तथा इसकी देखरेख कलकत्ता स्थित कार्यालय ही करता रहेगा। हम उन्हें यह आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि कलकत्ता संस्थान के अधिकार अथवा उत्तरदायित्व समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। वह बनी रहेगी। लेकिन माननीय सदस्य इस बात का समर्थन करेंगे कि जब देश के सुदूर कोनों में ये आयुध कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं तो कलकत्ता से इनका संचालन करना संभव नहीं है। अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात का समर्थन करें कि आयुध निर्माणी अपर महानिदेशक का यह कार्यालय, जिसे आवडी में स्थापित किया गया है—आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है—प्रदत्त अधिकारों का पालन करते हुए अपने निर्णयों की रिपोर्ट समय-समय पर कलकत्ता कार्यालय को देता रहेगा और ऐसी स्थिति में हम इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि कुछ अधिकारों का प्रत्यायोजन बहुत आवश्यक है। अन्यथा दिन ब-दिन इन कारखानों को

चलाना संभव नहीं होगा। उसका यह अर्थ नहीं कि कलकत्ता स्थित मुख्य कार्यालय के अधिकारों अथवा उसके दायित्वों में कुछ कमी आई है। वह पहले ही की भांति रहेगी। जहां तक कानपुर का संबंध है मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि राज्याध्यक्ष समिति के बनने तथा समिति की सिफारिशें प्राप्त होने से पूर्व ही यह संस्थान वहां बनाया गया था। वास्तव में समिति ने कहा कि कानपुर स्थित कारखाने को कलकत्ता स्थित कारखाने के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया जाना चाहिए तथा इसे सीधे रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। हमने उनकी यह बात अभी तक स्वीकार नहीं की है एक मुद्दा उन्होंने यह बताया है कि यह जरूरी नहीं कि कानपुर स्थित कारखाने में भी निर्माण कार्य अनिवार्यत: अन्य कारखानों जैसा ही हो। अत: वहां स्थिति कुछ भिन्न है। आप इसे अन्य कारखानों से अलग रख सकते थे। हमने अभी तक वह सिफारिश स्वीकार नहीं की है। किंतु हो सकता है कुछ अर्से बाद हम इसे स्वीकार कर लें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मुझे संदेह है कि मंत्री महोदय मामलों में भ्रांति पैदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि कारखाने अलग-अलग जगह पर स्थापित किए गये हैं और उनका उत्पादन कार्य संचालन कलकत्ता से ही करना कठिन है। यह स्पष्ट है कि प्रबंधकों को वहीं से संचालन करना होता है। यह मुख्य कार्यालय है जिसपर परियोजनाओं की निगरानी और देख-रेख की विशिष्ट जिम्मेवारी हैं। उन पर कारखाने चलाने की जिम्मेदारी नहीं है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि इतने वर्षों तक इन कारखानों को उनके ही प्रबंधक चला रहे थे और कलकत्ता स्थित आयुध निर्माणी महानिदेशक द्वारा केवल उनकी निगरानी और देख-रेख ही की जा रही है। कभी भी यह शिकायत नहीं मिली कि उस वजह से वे कार्यकुशलता से नहीं चल रहे हैं।

महोदय, हम अधिक आशंकित हैं क्योंकि हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल स्थित आयुध कारखानों, जो वर्षों से इसी कार्यालय के अधीन हैं; में एक भी व्यक्ति की भर्ती नहीं की गई है, वहां लोगों की सेवा निवृति के बाद, अथवा नौकरी छोड़ने के बाद या मृत्यु होने के बाद हुए रिक्त पदों की पूर्ति नहीं की जा रही है। वहां नई भर्ती नहीं की जा रही है। मशीनों का आधुनिकीकरण नहीं किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का विचार धीरे-धीरे पूरा संस्थान— सभी कारखानों को तथा आयुध निर्माणी महानिदेशक का कार्यालय विघटित करने का है। अत: मैं उनसे विशेष रूप से यह जानना चाहता हूं कि आवड़ी तथा कानपुर में आयुध निर्माणी महानिदेशक के कार्यालयों की स्थापना के बाद, जिसका अभिप्राय है कि कलकत्ता स्थित कारखाने का एक भाग यहां स्थानांतरित कर दिया गया है, अब उनका क्या विचार है ? क्या उनका विचार इस प्रक्रिया को जारी रखने का है ? फिर कलकत्ता कार्यालय में क्या रह जाएगा ?

श्री पी० बी० नरसिंह राव : मैं संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि कुछ-न-कुछ गुंजाइश रखनी ही पड़ती है। जब कोई योजना आरम्भ की जाती है तो स्वाभाविक है उस योजना का समूचा कार्य, विदेशों से सहयोग प्राप्त करना आदि, और यदि आवश्यक हो तो प्राथमिक कदम एक ही स्थान से उठाने होते हैं और स्वाभाविक है कि वह स्थान कलकत्ता ही है। लेकिन वास्तव में जब कोई कारखाना फील्ड स्तर पर शुरू होता है, तो कई निर्णय स्थानीय प्रबंधक के स्तर से ऊंचे अधिकारी को लेने पड़ते हैं और हर मामले में उन निर्णयों का जिक्र कलकत्ता स्थित कार्यालय को नहीं किया जा सकता। उससे

वहां कारखाने का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। अतः कुछ हद तक विकेन्द्रीकरण किया गया है और उससे समूचे संस्थान के नियंत्रण में कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। नियंत्रण करना एक बात है और निगरानी करना दूसरी बात है। ये दोनों भिन्न परिकल्पनायें हैं। अतः जब कोई कारखाना शुरू किया जाता है तो स्थानीय स्तर पर उसकी निगरानी करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए इसे आवश्यकतानुसार किया जा रहा है। मैं सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि अधिकार समाप्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह संभव है कि कुछ मामलों में, प्रारंभिक योजना समाप्त होने पर जिन व्यक्तियों को अतिरिक्त समझा जाएगा और कलकत्ता में भी यदि कोई कक्ष हुआ और उस सैल में अतिरिक्त कर्मचारी है तो उन्हें पूरे देश में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। अतः यदि उन इकाइयों को अच्छी तरह चलाने के उद्देश्य से कुछ व्यक्तियों का स्थानांतरण कर दिया जाये तो इसका अभिप्राय यह नहीं कि कलकत्ता कार्यालय के अधिकारों या उसके कार्यकलापों में कटौती की गई है। जैसा मैंने कहा यह पहले ही की भांति चलता रहेगा।

श्री अजय मुशरान : महोदय करीब 200 वर्ष पूर्व आयुध निर्माणी महानिदेशक के कार्यालय की स्थापना कलकत्ता में इस उद्देश्य से की गई थी क्योंकि अधिकांश आयुध गतिविधियां कलकत्ता के आसपास अथवा इसके 150 मील के क्षेत्र में होती थीं। पिछले वर्षों से कई आयुध कारखाने मध्य भारत में स्थापित किए गये हैं। न केवल कानपुर में बल्कि जबलपुर में भी, जहां विभिन्न आयुध कारखानों में 80,000 श्रमिक काम कर रहे हैं, रक्षा आवश्यकताओं के विभिन्न शस्त्र बनाए जा रहे हैं। कारखानों की प्रबंधकीय, प्रशासनिक और संगठनात्मक कार्यक्षमता के अतिरिक्त यह भी बहुत आवश्यक है कि वह व्यक्ति जो सक्षम वित्तीय अधिकारी का कार्यभार सम्भालता अर्थात महानिदेशक है, कर्मचारियों तथा श्रमिकों से अलग किसी दूर स्थान पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए अन्यथा इससे अत्याधिक असुविधा और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अपितु उसे बीच स्थान पर नियुक्त किया जाना चाहिए। क्या रक्षा मंत्री इस सुझाव पर विचार करेंगे कि महानिदेशक का कार्यालय जो कलकत्ता में है वहां के बजाय किसी और अधिक केन्द्रीय स्थल पर हो तथा आयुध निर्माणी अपर महानिदेशक का कार्यालय कलकत्ता में बनाया जा सकता है?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से भोपाल उपयुक्त स्थान है, यह मध्य प्रदेश में है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैंने संतुलित तरीके से समस्या का समाधान करने का प्रयत्न किया है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें केन्द्रीय स्तर पर करने, उसकी देख-रेख किए जाने तथा नियंत्रण किए जाने की आवश्यकता है। बहुत से कार्य ऐसे हैं जिन्हें फील्ड स्तर पर करना होता है और कुछ ऐसे होते है जिन्हें प्रबंध स्तर से ऊंचे स्तर पर करना होता है। अतः स्थिति के यह सब अनुसार किया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कुछ लचीलापन बनाए रखने की आवश्यकता है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आयुध कारखानों के कई भागों में विकेन्द्रीकरण को देखते हुए क्या बंगाल स्थित इशापुर तोप और बम कारखाने तथा काशीपुर आयुध कारखाने की क्षमता इस सीमा तक बढ़ाई जाएगी कि कलकत्ता स्थित कार्यालय दोनों बातों का ध्यान रख सके जैसा कि उन्होंने पहले किया है? क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र की

इकाइयों में 80% से 90% तक रक्षा उपकरण बनाए जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आयुध निर्माणी महानिदेशक इस संबंध में दिल्ली कार्यालय से आदेश लेगा अथवा स्वयं सीधे उनकी देख-रेख करेगा ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इसके लिए पृथक नोटिस दिए जाने की आवश्यकता है। मैं उसका सीधे उत्तर नहीं दे पाऊंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मन्त्री महोदय की रिपोर्ट टुकड़ों में पेश की जा रही है—मैंने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इसकी जांच भी की है। यह कलकत्ता स्थित आयुध निर्माणी महानिदेशक की भांति नहीं होनी चाहिए। उसे उपयुक्त रूप से एक साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह संभवतः भविष्य के लिए संकेत है।

आवश्यक औषधियों की सूची

*552. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बाजारों में विभिन्न ब्राण्ड नामों से मिलने वाली औषधियों सामान्यतः लगभग 400 बल्क औषधियों के प्रतिवर्तन (परम्यूटेशन) और सम्मिश्रण (कम्बीनेशन) ही होते हैं;

(ख) क्या इनका उपयोग अक्सर औषधियों के मूल्यों को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार औषधियों के प्रजातीय नाम रखने पर जोर देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रकाशनों में प्रयुक्त किया जाता है; और

(घ) क्या सरकार का विचार आवश्यक औषधियों की एक सूची तैयार करने का है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) लगभग 500 बल्क औषधों पर आधारित फार्मूलेशनों का विपणन हमारे देश में विभिन्न खुराक किस्मों, शक्तियों और मिश्रणों में किया जाता है।

(ख) ज्यादातर दवाइयों के मूल्य, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के प्रावधानों के अधीन कानूनी रूप से नियंत्रित है। औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश का कार्यान्वयन यह सुनिश्चित करता है कि मूल्य, उपभोक्ता और उद्योग दोनों के लिए उचित है।

(ग) औषध और प्रसाधन नियमों के अनुसार एकल घटक सम्पकों पर ब्रांड नामों के साथ-

साथ जातिगत नामों, यदि कोई हो, के अधीन लेबल लगाना पहले से ही अपेक्षित हैं।

(घ) राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद ने प्राथमिकता वाले 95 औषधों की एक सूची तैयार की थी। बहुसंख्यक जनता द्वारा बहुत सामान्य बीमारियों के लिए अपेक्षित और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित दवाइयां इस सूची में शामिल है। सरकार, अग्रता औषधों की सूची के प्रश्न सहित औषध नीति की पुनरीक्षा पर आगामी कार्यवाही से संबंधित मामले से अवगत हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मन्त्री महोदय ने वास्तव में अपने उत्तर से मेरे प्रश्न को सीमित कर दिया है। मेरा प्रश्न था कि क्या भारतीय बाजारों में विभिन्न ब्राण्ड नामों से मिलने वाली औषधियां सामान्यत: लगभग 400 बल्क औषधियों के प्रतिवर्तन (परम्यूटेशन) और सम्मिश्रण ही होते हैं और औषध कम्पनियां इनका उपयोग औषधियों के मूल्यों को बढ़ाने के उद्देश्य से करती हैं। उनका उत्तर इस प्रकार है। उन्होंने कहा है कि लगभग 500 बल्क औषधियां हैं। बहुत अच्छी बात हैं। मूल्य बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में उन्होंने उत्तर में कहा है कि ज्यादातर दवाइयों के मूल्य, औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1979 के प्रावधानों के अधीन कानूनी रूप से नियंत्रित हैं। कृपया अगला वाक्य देखिए। औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश का कार्यान्वियन यह सुनिश्चित करता है कि मूल्य, उपभोक्ता और उद्योग दोनों के लिए उचित हैं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या इस बात पर आप विचार करते हैं कि मूल्य उपभोक्ता के लिए उचित हों। उद्योगों की बात भिन्न है। क्या मूल्य उपभोक्ताओं के लिए उचित है? क्या सदन उससे सहमत है? मैं प्रश्न पर आ रही हूं। मुझे एक उदाहरण देना है। पैरासिटामोल बल्क औषध है। जो इंटरफेन लिमिटेड द्वारा निर्मित 'क्रोसीन' पारासिटामोल से थोड़ी ही भिन्न है।

प्रो० मधु दंडवते : आप किस जानवर का जिक्र कर रही हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्रोसीन के बारे में सब जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कभी क्रोसीन नहीं ली। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आप आयुर्वेदिक दवाइयां लेते हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : अब प्रश्न यह है कि क्या बल्क औषधियों के फारमूलेशन प्रक्रिया में बहुत कम भिन्नता है जितनी की पारासिटामोल और क्रोसीन में है, और इसी से मूल्यों में 25% या अधिक वृद्धि होती है।

अध्यक्ष महोदय : आप तो पूरी डाक्टर बन गई हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं इस संस्था में अर्ध-चिकित्सक तथा एक जन सम्पर्क अधिकारी हूं। अब, महोदय उन्होंने औषध नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत मूल्यों का जिक्र किया है। प्रश्न यह है कि 40,000 फार्मूलेशन हैं, उनमें करीब 500 बल्क औषध हैं जिनमें बहुत कम भिन्नता से उत्पादन किया जाता है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या यह सच नहीं है कि इतनी कम भिन्नता होने पर भी इन दवाइयों के मूल्य इतने अधिक बढ़ जाते हैं यदि मूल्य अधिक है तो मैं मन्त्री महोदय से जानना

चाहती हूं कि क्या उससे वास्तव में यह आदेश सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता को उचित मूल्य पर औषधी मिले।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं इस तरह की स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यह सच है कि लगभग 500 बल्क औषध हैं। इन बल्क औषधों में से 2000 से अधिक औषधियों के फार्मूलेशन हैं। लेकिन सभी औषधियां पर नियंत्रण नहीं है। 75% औषधियों पर मूल्य नियंत्रण किया गया है क्योंकि सरकार की नीति यह है कि केवल आवश्यक औषधियां और जीवन रक्षण औषधियां ही मूल्य नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत आनी चाहिए। इन सब औषधियों के लिए, मूल्य निर्धारण, मूल्यों में संशोधन निर्माताओं की से नहीं किया जाता है।

उन्हें मन्त्रालय तथा औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो के पास जाना पड़ता है तथा आवश्यक आंकड़े उन्हें देने पड़ते हैं और उनकी सिफारिशों पर मंत्रालय निर्णय लेता है। जहां तक मूल्य नियंत्रण औषधियों का संबंध है, हमारी अनुमति के बिना कोई भी निर्माता स्वतः मूल्य नहीं बढ़ा सकता क्योंकि मूल्य नियन्त्रण आदेश उन पर लागू होता है ! अगर माननीय सदस्य का सुझाव उन औषधियों के बारे में है जो मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत नहीं आती तो मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि उन पर मूल्य नियन्त्रण आदेश लागू नहीं होता है। जहां तक मूल्य नियंत्रण औषधियों का संबंध है, हर बार मूल्य बढ़ाते समय अथवा मूल्यों की पुनरीक्षा करते समय कुछ औषधियों के मूल्य बढ़ाये जाते हैं तथा कुछ औषधियों के मूल्य घटाये भी जाते हैं। अगर आप अन्य वस्तुओं के थोक मूल्य सूचांक की औषधियों के थोक मूल्य सूचांक से तुलना करें तो आप देखेंगे कि औषधियों का मूल्य सूचांक अन्य वस्तुओं के मूल्य सूचांक से बहुत कम है ! अतः यह कहना ठीक नहीं है कि औषधियों के मूल्य बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे प्रश्न का यह ठीक जवाब नहीं है ! हम इस मुद्दे पर बाद में चर्चा कर सकते हैं। अब मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है : क्या सरकार का विचार आवश्यक औषधियों की एक सूची तैयार करने का है। जैसा कि आपको मालूम है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों को आवश्यक औषधियां की एक सूची तैयार करने का सुझाव दिया है। यहां तक कि बंगला देश तथा श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी — वहां अब जैसी भी परिस्थितियां हैं - एक सूची तैयार करने के लिए कहा गया है ! अब, इस प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय ने कहा है कि राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद ने प्राथमिकता वाली 95 औषधों की एक सूची तैयार की थी, मैं यह जानना चाहती हूं कि अनिवार्य जीवन-रक्षक औषधियों के बजाय इस सूची में प्राथमिकता वाली औषधियों के नए नाम क्यों सम्मिलित किए गए हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या अनिवार्य औषधियों की सूची तुरन्त तैयार की जाएगी और मैं यह भी जानना चाहती हूं कि इसे हाथी समिति की बहुत पुरानी सिफारिश के बावजूद अभी तक क्यों तैयार नहीं किया गया है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, मैं माननीया सदस्या को विस्तार से समझाना चाहूंगा कि जहां तक प्राथमिकता वाली औषधियों का सम्बन्ध है, सभी आवश्यक औषधियां तथा जीवन-रक्षक औषधियां प्राथमिकता वाली औषधियों के अन्तर्गत आ सकती है। मैं नहीं जानता कि माननीया सदस्या 'प्राथमिकता' शब्द के प्रयोग पर क्यों एतराज कर रही हैं। कल ही मैंने सदन को बिल्कुल स्पष्ट किया था

कि सारी औषध नीति की समीक्षा की जा रही है। पूर्ववर्ती तत्कालीन मन्त्री महोदय ने एक विकास परिषद की नियुक्ति की थी तथा विकास परिषद ने आगे कार्यकारी ग्रुपों की नियुक्ति की थी। उन्होंने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं। इस प्रतिवेदन का अध्ययन एक स्टयरिंग समिति ने किया था और अंत में यह राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद के पास भेजी गई थी। उन्होंने भी एक प्रतिवेदन तैयार किया है और सरकार को इस पर अन्तिम निर्णय लेना है। आशा है सरकार इस पर बहुत ही शीघ्र निर्णय लेगी।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, औषधियां जीवन देती हैं और जीवन लेती भी हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या उनको इस बात की जानकारी है कि जीवन के लिए आवश्यक दवाइयां जो गोली के रूप में बाजार में बिकती हैं, उनमें नाम नहीं लिखे रहते हैं। एक ही जगह पर विटेमिन सी है और उसी जगह पर एनासिन भी है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूं कि इस तरह से जो दवाइयों पर नाम नहीं लिखे रहते हैं, तो ड्रग कन्ट्रोल ऐक्ट के तहत क्या सरकार ऐसी दवाइयां बनाने की इजाजत देती है।

अध्यक्ष महोदय : जब नाम नहीं लिखा रहता है, तो पता कैसे लगता है कि वह कौन-सी दवाई है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : हर दवा का नाम लिखा जाना जरूरी है। या तो जेनरिक नाम लिखा जाता है या ब्राण्ड नाम लिखा जाता है और कभी-कभी जेनरिक और ब्रांड नाम दोनों लिखे जाते हैं। और माननीय सदस्या कोई ऐसी दवा का नाम बताएं, तो हम पता कर सकते हैं। वैसे बाजार में बहुत सी स्पूरियस ड्रग्स भी निकलती हैं।

अध्यक्ष महोदय : गोली पर नाम लिखे जाने की तो बात तो क्या आप नहीं कर रही हैं। दवाइयों के पैकेट पर तो नाम लिखा होता है।

श्रीमती कृष्णा साही : मैं गोली पर नाम लिखे जाने की बात कह रही हूं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : गोली पर कैसे नाम लिखा जा सकता है क्योंकि कभी-कभी गोलियां बहुत छोटी भी हो सकती हैं और उन पर नाम लिखा जाना मुश्किल हो जाता है लेकिन हर दवा पर जेनरिक नेम या ब्रांड नेम लिखा जाना बहुत जरूरी है। अगर स्पूरियस ड्रग्स मार्केट में आती हैं, तो ड्रग कन्ट्रोलर इसको देखता है। हैल्थ मिनिस्ट्री के अन्डर जो ड्रग कन्ट्रोलर है, वह इस बारे में चैकिंग करता है।

[अनुवाद]

श्री डी० एन० रेड्डी : क्या मन्त्री महोदय अनिवार्य औषधियों की सूची तुरन्त तैयार करने पर विचार करेंगे? बाजार में बहुत-सी गैर-अनिवार्य औषधियां हैं। क्या माननीय मन्त्री को जानकारी है कि ये लाभ पहुंचाने के बजाए हानि अधिक पहुंचा रही हैं और जनता का औषध कम्पनियों द्वारा

शोषण किया जा रहा है ? क्या वह इस पर विचार करेंगे तथा तुरन्त कदम उठाएंगे ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने पहले ही बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हमारा संबंध केवल अनिवार्य तथा जीवन-रक्षक औषधियों से है। अगर कोई औषध निर्माता अपने लाइसेंस के अन्तर्गत गैर-अनिवार्य औषधियों का निर्माण करता है तो हम उसे उन गैर अनिवार्य औषधियों का निर्माण करने से कैसे रोक सकते हैं। हमारा संबंध केवल अनिवार्य तथा जीवन-रक्षक औषधियों से है।

विधि पत्रिकाओं के प्रकाशन में विलंब

[हिन्दी]

*553. **श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजभाषा विधाई विभाग के अधीन विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित विधि पत्रिकाएं दो-दो वर्ष पश्चात् प्रकाशित होती हैं;

(ख) इन विधि पत्रिकाओं के प्रकाशन पर कितना वार्षिक व्यय होता है; और

(ग) यदि उनके प्रकाशन में इतना विलम्ब किया जाता है, तो इन प्रकाशनों की उपयोगिता क्या है ?

[अनुवाद]

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ग) यह बात सच है कि विधाई विभाग के विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा पत्रिकाओं के प्रकाशन में विलम्ब हो रहा है और यह कि ऐसे विलंब से इन प्रकाशनों की उपयोगिता पर प्रभाव पड़ता है। संपूर्ण स्थिति की समीक्षा की गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए एक नई स्कीम बनाई गई है पत्रिकाओं में, जहां तक सम्भव हो सके, नए मामले छापे जाएं। ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे मुद्रण के लिए भेजे गए अंकों को शीघ्र प्रकाशित करके और बकाया मामलों को अलग से प्रकाशित करके शेष रहे कार्य को पृथक् रूप से निपटाया जा सके। साथ ही पत्रिकाओं के नए अंकों में नए निर्णय सम्मिलित किए जाएंगे। उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका उक्त स्कीम के अधीन मार्च 1985 में निकाले गए अंक में 15 दिसम्बर, 1984 से 14 जनवरी, 1985 की अवधि के दौरान विनिश्चित मामले सम्मिलित किए गए हैं और उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों के प्रकाशन के इस क्रम को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

(ख) पत्रिकाओं के मुद्रण पर उपगत व्यय लगभग 4.64 लाख रुपए था। इसमें प्रशासनिक व्यय सम्मिलित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी : क्या मन्त्री महोदय, यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिस अधिकारी के

अन्तर्गत यह कार्य होता है उसे न कानून की जानकारी है और न भाषा की और शायद इसीलिए न तो सक्षम अनुवाद आते हैं और न प्रकाशन समय से होते हैं जबकि सरकार की यह इच्छा रहती है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजिज जो रूलिंग वगैरह: देते हैं उनका उद्धरण हिन्दी के माध्यम से, हिन्दी के अधिकृत पाठ के माध्यम से हिन्दी के क्षेत्र में काम करने वाले दे सकें ? इसी उद्देश्य से इन पत्रिकाओं का प्रकाशन आरम्भ किया गया था लेकिन इनके प्रकाशन में लगातार देरी हो जाने के कारण न तो उनसे कोटेशन दिया जा सकता है और न हिन्दी के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग हो पाता है क्योंकि पूरी सुविधा नहीं मिल पाती है। इसलिए सरकार का पैसा भी चला जाता है। इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय बताएं कि क्या ऐसे अधिकारी द्वारा यह काम हो रहा है ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : श्रीमन् यह बिल्कुल सही नहीं है कि वहां कोई ऐसा अधिकारी काम कर रहा हो जिसको न कानून का ज्ञान हो और न भाषा का ज्ञान हो। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि मैंने इस सम्बन्ध में दो मीटिंग इस विभाग के लोगों के साथ की थीं। एक मीटिंग 12-3-85 को की थी जिसमें स्वयं लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य मौजूद थे। जिन आफिसरों के साथ मैं मिला था उन सबको मैंने बड़ा काबिल अफसर पाया था। उनको कानून और भाषा दोनों का पर्याप्त ज्ञान था। मैंने उसके बाद जो कार्यवाही की उसके फलस्वरूप मुझे यह जानकारी देते हुए हर्ष है कि जहां 1982 में तीन महीने, 1983 में तीन महीने, की पत्रिका पीछे थी वहां 1984 मे 7 महीने की पत्रिका पीछे थी। उसके बाद पिछले मार्च में जो पत्रिका निकली है उसमें जनवरी तक के जजमेंट आ गए हैं। माननीय सदस्य को यह जानकर खुशी होनी चाहिए कि इसमें अब काफी सुधार हो रहा है। इसमें जो गड़बड़ थी वह दो कारणों से थी, एक तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इंग्लिश में होते थे उनका हिंदी में अनुवाद कराना पड़ता था। दूसरे यह भी कारण था कि गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में यह पत्रिका छपती थी। जब वहां नम्बर आता था तभी यह छपती थी। अब हमें गवर्नमेंट प्रिन्टिंग प्रेस ने इस बात की इजाजत दे दी है कि इसको प्राइवेट सेक्टर में प्रिन्ट कराकर निकालें। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो करेक्शंस की गई हैं इनसे हमारा बेकलोग दूर हो जाएगा और इसका प्रकाशन भी बढ़ जाएगा।

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी : मन्त्री महोदय, यह भी बताने की कृपा करें कि इसके सम्पादन की क्या व्यवस्था है ? मेरा ख्याल है कि अगर इसके सम्पादन की व्यवस्था ठीक ढंग से न हो तो इसकी भाषा का स्वरूप बिगड़ जाता है। इन पत्रिकाओं का अनुवाद जिन लोगों से कराया जाता है, अनुवाद करने वाले तो अनुवाद कर देते हैं लेकिन जब तक इसका सम्पादन ठीक ढंग से न हो तब तक भाषा में एकरूपता नहीं आती। क्या मन्त्री महोदय इस तरफ भी ध्यान देंगे ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : श्रीमन् हमने अनुवाद की बात ही खत्म कर दी है। हमने आदेश दिया है कि सीधे ही हिन्दी में ड्राफ्टिंग हो।

श्री जगदीश अवस्थी : यह जो मन्त्री महोदय ने सीधे हिन्दी में ड्राफ्टिंग की व्यवस्था की बात कही है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह उच्च न्यायालयों के लिए भी की गई है ? यदि हां तो किस-किस उच्च न्यायालय में यह व्यवस्था की गई है ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : यह हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में आदेश दिये हैं। हाई कोर्ट के जजमेंट तमाम हिन्दुस्तान से आने में देर हो जाती है। हमें पहले इसका प्रबंध करना पड़ेगा कि वहां से जजमेंट फौरन आएं। फिर उनका ट्रांसलेशन हो। यह सब करना तब तक मुश्किल होगा जब तक कि वहां पर इस किस्म का स्टाफ न हो। जब तक हमारे पास पूरा स्टाफ नहीं होगा तब तक इस किस्म का इंतजाम करना मुश्किल होगा और इस बारे में कुछ कहना भी मुश्किल होगा।

धार जिले (मध्य प्रदेश) के प्रीथमपुर में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

*559. श्री बाल कवि बैरागी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेजी से विकसित हो रहे मध्य प्रदेश के औद्योगिक नगर प्रीथमपुर (जिला धार) में टेलीफोन एक्सचेंज कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ख) क्या प्रस्तावित एक्सचेंज का मुख्य एक्सचेंज इंदौर में होगा ?

[अनुवाद]

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) प्रीथमपुर में 45-45 लाइनों के दो छोटे आटोमैटिक एक्सचेंज पहले से ही कार्य कर रहे हैं।

(ख) प्रीथमपुर में सैक्टर एक और दो के दोनों एक्सचेंज इस समय महू ट्रंक एक्सचेंज से जुड़े हैं।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय संचार मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आपने जो सारी व्यवस्था महू एक्सचेंज से कर दी है, इस कारण से प्रीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लोगों को असुविधा हो रही है। वहां पर नए-नए कारखाने लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस असुविधा की वजह से उस पिछड़े हुए क्षेत्र में नए उद्योगपति आने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनको टेलीफोन की सुविधा नहीं मिल रही है। केवल इस एक सुविधा के न होने के कारण पूरे प्रीथमपुर क्षेत्र में कोई उद्योगपति जाने के लिए तैयार नहीं है। क्या इस क्षेत्र को इन्दौर एक्सचेंज से जोड़ने की कृपा करेंगे। अभी जो व्यवस्था महू से कर रखी है, वह व्यवस्था इंदौर एक्सचेंज से कब तक कर दी जाएगी। अभी तक वह व्यवस्था वाया महू होकर इन्दौर से की गई है। उस पिछड़े क्षेत्र के लोगों की कठिनाई दूर हो सके और उद्योगपति इन्दौर एक्सचेंज के माध्यम से अपना सारा काम कर सकें, ऐसी व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी।

श्री रामनिवास मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, पहला एक्सचेंज सेक्टर-एक में 31 मार्च 1984 को प्रारम्भ हुआ और दूसरा एक्सचेंज सेक्टर-दो में 31 मार्च 1985 को प्रारम्भ हुआ। अब इसी साल

200 लाइन का एक और एक्सचेंज शुरू करने की योजना है, जिसको महू के बजाए इन्दौर से जोड़ा जाएगा, जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है।

श्री बालकवि बैरागी : इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन जो दो एक्सचेंज अपने वाया महू से कर रखे हैं, उनको भी इन्दौर से जोड़ दें तो उस इलाके का विकास ज्यादा तेजी से और जल्दी होगा, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा।

श्री रामनिवास मिर्धा : श्रीमन्, सारे एक्सचेंज इन्दौर से जोड़ दिए जाएंगे।

श्री बालकवि बैरागी : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती ऊषा वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि जो एक्सचेंज बने हुए हैं और उनके बोर्ड सही काम नहीं कर रहे हैं, क्या उनको बदलने का कोई कार्य-क्रम है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो चलता रहता है।

श्रीमती ऊषा वर्मा : मैंने लखीमपुर खीरी के लिए कई बार लिखकर दिया है, वहां पर एक्स-चेंज ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, उसको तत्काल ठीक करवाने के लिए मन्त्री महोदय क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : करवा देंगे।

[अनुवाद]

श्री चिरंजीलाल शर्मा : क्या मन्त्री महोदय हमें यह बताएंगे कि पूरी तरह से तैयार एक्सचेंजों को चालू किया जाएगा अथवा नहीं ? उदाहरण के तौर पर, मैं पंचकुला एक्सचेंज का उदाहरण देता हूं जो पूर्ण रूप से तैयार है।

अध्यक्ष महोदय : इसका संबंध इस प्रश्न से नहीं है।

सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को खाना पकाने की गैस की एजेंसियों तथा पेट्रोल पम्पों का आबंटन

*560. **श्री आर० एम० भोये**
श्री जगन्नाथ पटनायक } : क्या पैट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाना पकाने की गैस की एजेंसियों तथा पेट्रोल पम्पों का आबंटन किन-किन विभिन्न वर्गों के लोगों को किया जाता है;

(ख) क्या सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को भी इस आबंटन का लाभ दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में कितने सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को पेट्रोल पम्प आबंटित किए गए ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) वर्तमान में तेल कम्पनियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिपों का 70 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों, बेरोजगार स्नातकों, शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों तथा स्वतंत्रता सैनानियों को तथा शेष 30 प्रतिशत अन्यों को आवंटित किया जा रहा है।

(ख) डीलरों की नियुक्ति के विद्यमान मार्गदर्शी निर्देशों में सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए विशेष रूप से आरक्षण नहीं किया गया है। मार्गदर्शी निर्देशों के अधीन पात्र व्यक्तियों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है।

(ग) चूंकि सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए, अलग से आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, इसलिए इन्हें दी गई डीलरशिपों के सम्बन्ध में तेल कम्पनियों द्वारा आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

श्री जगन्नाथ पटनायक : महोदय, उत्तर के अन्तिम भाग में यह बताया गया है कि शेष 30 प्रतिशत डीलरशिप का अन्य लोगों को आबंटित की जा रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पूर्व-सैनिकों को भी इस वर्ग में सम्मिलित किया गया है। खिलाड़ियों के भाग्य को मद्दे नजर रखते हुए क्या सरकार सेवा-निवृत्त खिलाड़ियों के लिए भी आरक्षण करने पर विचार करेगी ?

श्री नवल किशोर शर्मा : माननीय सदस्य ने भूत पूर्व-सैनिकों के बारे में पूछा है ? अवश्य ही शारीरिक रूप से अपंग भूतपूर्व-सैनिकों को सम्मिलित किया गया है। अगर वे शारीरिक रूप से अपंग नहीं हैं तो उनके मामले पर योग्यता के आधार पर किया जाता है।

जहां तक खिलाड़ियों के मामले पर विचार करने का प्रश्न है, मेरे विचार में यह एक कार्यवाही योग्य सुझाव है। हालांकि सामान्य वर्ग केवल 30 प्रतिशत ही है; और पहले ही से 70 प्रतिशत तक आरक्षण है। इसलिए कुल आरक्षण को देखते हुए इस प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती फूलरेणु गुहा। अगला प्रश्न !

श्री राजेश पाइलट : मैं उस प्रश्न पर एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उस प्रश्न पर विचार हो चुका है।

श्री राजेश पाइलट : यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है; मैंने हाथ खड़ा किया हुआ था, आपने देखा नहीं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है; मैं आपकी बात से सहमत हूं।

मिदनापुर, पश्चिम बंगाल तेल में ड्रिलिंग कार्य में व्यक्तियों को रोजगार देना

*561. **श्रीमती फूलरेणु गुहा :** क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले में नंदीग्राम में तेल के लिए ड्रिलिंग कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो वहां किस प्रकार के व्यक्तियों को रोजगार दिया जा रहा है; और

(ग) क्या जिन व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहीत की गई है उनको नौकरियों में प्राथमिका मिल रही है ?

पेट्रोलिम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रीमती फूलरेणु गुहा : हमें यह समझ नहीं आता कि प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर "नहीं" क्यों दिया गया है क्योंकि ड्रिलिंग वहां पर की जा रही है। हमें समाचार पत्रों तथा अधिकारियों से भी खबरें मिल रही हैं कि कितनी ड्रिलिंग हो चुकी है । उत्तर नकारात्मक क्यों है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्हें समाचार पत्रों से खबर प्राप्त नहीं हुई है यद्यपि आपको मिली है ।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : आप ठीक कहते हैं । ड्रिलिंग का काम चल रहा है ।

श्रीमती फूलरेणु गुहा : ड्रिलिंग चल रही है । मिदनापुर के सभी मेरे मित्र मेरी इस बात से सहमत होंगे ।

प्रो० मधु दंडवते : यह भूमिगत ड्रिलिंग है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या भूमि के ऊपर भी ड्रिलिंग हो सकती है ?

श्री नवल किशोर शर्मा : ऐसा लगता है कि मिदनापुर जनपद में हो रही ड्रिलिंग के संबंध में कुछ भ्रम हो गया है। प्रश्न विशेषतौर पर नन्दीग्राम से संबंधित था। अतः जहां तक नन्दीग्राम का संबंध है, वहां पर कोई ड्रिलिंग नहीं हो रही है और इसीलिए उत्तर 'नहीं' में है । वास्तव में, मिदनापुर जनपद में कुछ स्थानों पर ड्रिलिंग हो रही है । अतः यह भ्रम का कारण हो सकता है ।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : नन्दीग्राम मेरे चुनाव क्षेत्र में है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहां पर ड्रिलिंग हो रही है ।

श्रीमती फूलरेणु गुहा : हां, वहां पर ड्रिलिंग की जा रही है ।

श्री नारायण चौबे : वास्तव में, नन्दीग्राम में ड्रिलिंग हो रही है और मंत्री महोदय कहते हैं कि ड्रिलिंग मिदनापुर जनपद के कुछ स्थानों में हो रही है।

एक माननीय सदस्य : यह रिकार्ड में नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : यह ड्रिलिंग कम से कम पेपर पर नहीं हो रही है। क्या आपको कुछ कहना है ?

श्री नवल किशोर शर्मा : मुझे कुछ नहीं कहना है। जो कुछ मुझे कहना था, मैंने सदन के समक्ष कह दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अगर मंत्री महोदय अपने उत्तर पर अटल है तो मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री नारायण चौबे : तब हमें विशेषाधिकार का प्रस्ताव सदन में लाना होगा।

श्रीमती फूलरेणु गुहा : क्या मंत्री महोदय हमें बतायेंगे कि कौन से अन्य स्थान हैं जहां पर ड्रिलिंग हो रही है ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें। सुनने दीजिए।

श्री नवल किशोर शर्मा : अन्य स्थानों पर जहां खोज संबंधी ड्रिलिंग हो रही है उनकी जानकारी की लिए मुझे पूर्व सूचना दें। **(व्यवधान)** प्रश्न केवल नन्दीग्राम के बारे में था और इसलिए जो जानकारी मेरे पास है वह केवल नन्दीग्राम से संबंधित है। अगर उन्हें और जानकारी चाहिए तो मुझे पूर्व सूचना की जरूरत है। मैं अवश्य ही जानकारी दूंगा तथा माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई जानकारी दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जसवन्त सिंह आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट

[अनुवाद]

* 549. **श्री डी० के० नायकर** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों के अनुरोध पर, उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठें स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए, न्यायमूर्ति जसवन्त सिंह आयोग नियुक्त किया है। यदि हां, तो इसकी रिपोर्ट कब तक मिलने की संभावना है; और

(ख) क्या सरकार ने आयोग से कोई अन्तरिम रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

विधि और न्याय मंत्री (श्री अशोक सेन) : (क) जी हां। आयोग से 30 अप्रैल, 1985 को या उसके पूर्व रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

(ख) जी नहीं।

रेफ्रीजरेशन उद्योग में मन्दी

*551. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेफ्रीजरेशन उद्योग को मंदी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस उद्योग को राहत देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

हल्के वाणिज्यिक वाहनों और कम ईंधन खर्च करने वाली यात्री कारों के लिए नये लाइसेंस

*554. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में हल्के वाणिज्यिक वाहनों और कम ईंधन खर्च करने वाली यात्री कारों के लिए कितने नए लाइसेंस दिए गए;

(ख) उनके नाम तथा अन्य तत्संगत ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी कम्पनियों ने तकनीकी जानकारी के लिए विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग किया है; और

(घ) मार्च, 1985 तक कितनी कम्पनियों ने उत्पादन शुरू कर दिया था ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) तथा (ख) छठी योजना अवधि में हल्की वाणिज्यिक गाड़ियों और यात्री कारों का निर्माण करनेके लिए अगले पृष्ठ पर लिखित कम्पनियों को लाइसेंस दिए गए थे :—

कम्पनी का नाम	वस्तु	वार्षिक क्षमता
1. मारुति उद्योग लिमिटेड	यात्री कारें और हल्की उपयोगिता गाड़ियां	1, 40,000
2. डी०सी०एम० टोयोटा लि०	हल्की वाणिज्यिक गाड़ियां	15,000
3. आल्विन निस्सान लि०	—वही—	10,000
4. आइशए मोटर लि०	—वही—	12,000
5. स्वराज माज़्दा लि०	— वही—	10,000
6. सिपानी आटोमोबाइल्स लि० (पंजीकृत)	यात्री कारें	3,000

(ग) जी, हां।

(घ) सिपानी आटोमोबाइल्स, मारुति उद्योग लि० तथा आल्विन निस्सान लि० एककों ने मार्च, 1985 में उत्पादन शुरू किया था।

कच्चे पैट्रोलियम के भण्डार

*556. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में इस बात का उल्लेख है कि हमारे देश में कच्चे पैट्रोलियम के मौजूदा भण्डारों से केवल 1996 तक ही तेल मिल पायेगा;

(ख) यदि हां, तो छठी योजना के प्रकाशन के बाद से कितने अतिरिक्त भण्डारों का पता चला है; और

(ग) अभी तक पता लगाये गये कच्चे पैट्रोलियम के भण्डारों से कब तक तेल मिलता रहेगा ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 144 मि०मी० टन।

(ग) उत्पादन की वर्तमान दर पर ये भंडार लगभग सतरह वर्ष तक चलेंगे। तथापि, इस बीच, और अधिक भंडारों के पता लगने की आशा है।

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को टेलीफोन सुविधाएं

*557. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मांग करने पर टेलीफोन सुविधायें उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

तामलुक और कोलाघाट में पश्चिमी बंगाल में दूरसंचार प्रणाली में सुधार

*558. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले में तामलुक सब-डिवीजन के तामलुक और कोलाघाट में वर्तमान दूरसंचार प्रणाली को सुधारने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) तामलुक के एक्सचेंज को सातवीं योजना के अन्त तक स्वचल बनाए जाने का प्रस्ताव है। कोलाघाट एक्सचेंज को स्वचल बनाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) तामलुक में 300 लाइनों का स्वचल एम० ए० एक्स०-II एक्सचेज खोलने की योजना है जिसके लिए स्थानीय प्रशासन में भूमि प्राप्त की जा रही है। इस एक्सचेंज के सातवीं योजना के अन्त तक चालू हो जाने की संभावना है।

(ग) इसका कारण देश में स्वचल उपस्कर की कमी होना है। स्वचलीकरण के लिए जिला मुख्यालयों और अन्य बड़े मैनुअल एक्सचेंजों को प्राथमिकता दी जा रही है। सातवीं योजना के दौरान स्वचलीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोलाघाट शामिल नहीं किया गया है।

बालासोर और भद्रक में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

*562. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बालासोर और भद्रक में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों का निर्माण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) ये स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज कब से काम करना शुरू कर देंगे;

(घ) इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन एक्सचेंजों की क्षमता क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) भद्रक का आटोमैटिक एक्सचेंज 29-3-85 को चालू हो गया था। बालासोर के आटोमैटिक एक्सचेंज का संस्थापन कार्य चल रहा है तथा इस कार्य के 1985-86 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(घ) आटोमैटिक स्विचन उपस्कर की कम सप्लाई के कारण बालासोर के एक्सचेंज का कार्य पूरा नहीं किया जा सका।

(ङ) भद्रक एक्सचेंज की क्षमता 500 लाइनों की है। बालासोर एक्सचेंज पूरा हो जाने पर उसकी क्षमता 900 लाइनों की होगी। ये दोनों एक्सचेंज एम० ए० एक्स-II किस्म के हैं।

गुजरात में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची

[हिन्दी]

*563. श्री नरसिंह मकवाना : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अहमदाबाद, बड़ौदा, अंकलेश्वर, सूरत, वापी, सुरेन्द्रनगर, जामनगर, राजकोट, पोरबन्दर और भावनगर में कितने लोग टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) पूरी प्रतीक्षा-सूची में दर्ज लोगों को कब तक कनेक्शन दे दिये जायेंगे और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) गुजरात में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं और यह मांग कब तक पूरी हो जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा-सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या इस प्रकार है :

क्रम सं०	शहर	31-3-1985 को प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	अहमदाबाद	27173
2.	बड़ौदा	12836
3.	अंकलेश्वर	550
4.	सूरत	19329
5.	वापी	716
6.	सुरेन्द्रनगर	460

1	2	3
7.	जामनगर	599
8.	राजकोट	7353
9.	पोरबन्दर	182
10.	भावनगर	2097

(ख) जहां कहीं संभव होगा, मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करके तथा नए एक्सचेंज खोलकर सातवीं योजना के दौरान वर्तमान प्रतीक्षा-सूची को उत्तरोत्तर समाप्त किये जाने की संभावना है बशर्ते कि उपकरण, केबल और अन्य सामग्री उपलब्ध हो जाए।

(ग) गुजरात में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए 23 आवेदन अनिर्णित पड़े हैं जिसके 1985-86 के दौरान उत्तरोत्तर पूरा किए जाने की संभावना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हो जाएं।

रुग्ण डिस्टिलरियों का अधिग्रहण

[अनुवाद]

*564. श्री वाई० एस० महाजन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी डिस्टिलरियों का अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जो मौजूदा प्रबंधकों के कदाचारों के कारण मुनाफे में नहीं चल रही है; और

(ख) क्या सरकार इनके आधारभूत कच्चे माल अर्थात् शीरा की कमी के कारण नई डिस्टिलरियों की स्थापना के संबंध में अपनी लाइसेंस देने की नीति की पुनरीक्षा कर रही है?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) जी नहीं। वर्तमान नीति के अनुसार, पेय अल्कोहल के लिए अतिरिक्त क्षमता के सृजन पर पहले ही प्रतिबन्ध है। तथापि, औद्योगिक अल्कोहल के उत्पादन संबंधी प्रस्तावों पर गुण दोष के आधार पर विचार किया जाता है, जिनमें शीरे की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाता है।

"स्त्री धन" पर विधान

*565. श्री एन० डेनिस : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने हाल ही के एक निर्णय में यह अधिकथित

किया है कि दहेज वधू की सम्पत्ति है क्योंकि इसे हिन्दू विधि में "स्त्री धन" के रूप में मान्यता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त निर्णय को प्रभावी करने के लिए सरकार का विचार उपयुक्त विधान अधिनियमित करने का है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) हाल ही में (12-3-1985 को) उच्चतम न्यायालय ने प्रतिभारानी बनाम सूरज कुमार और एक अन्य वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि विवाह के समय या उसके आसपास वधू को, यदि वह हिन्दू है (जैसा कि वर्तमान मामले में है), दिए गये उपहार वस्तुएं या अन्य सम्पत्ति उसकी आत्यांकित सम्पत्ति और उसका "स्त्री धन" होगी और यदि किसी विवाहित महिला की स्त्री धन-सम्पत्ति उसके पति या उसके सास श्वसुर की अभिरक्षा में रखी जाती है तो वे उसके न्यासी समझे जाएंगे और ऐसी महिला द्वारा मांग की जाने पर वह संपत्ति उन्हें लौटानी होगी। न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि जहां पति या उसका कोई नातेदार ऐसी सम्पत्ति का दुर्विनियोग करता है या उसे उसको सौंपने से इंकार करता है और उसे अपने उपयोग में लाता है तो इसके लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 405/408 के अधीन (न्यास अपराधिक की भंग) शिकायत की जा सकती है।

(ख) उच्चतम न्यायालय का पूर्वोक्त निर्णय विद्यमान विधि के निर्वचन के रूप में है। संविधान के अनुच्छेद 141 के अधीन उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर है। अतः उक्त निर्णय को प्रभावी करने के लिए कोई विधि बनाने की आवश्यकता नहीं है।

भागलपुर टेलीफोन एक्सचेंज का कार्यकरण

*566. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि बिहार में भागलपुर टेलीफोन एक्सचेंज संतोषजनक तरीके से कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) इस एक्सचेंज में कितने आपरेटर कार्य कर रहे हैं और कब से;

(घ) क्या समय-समय पर एक्सचेंज के कार्यकरण पर निगरानी करने के लिए कोई व्यवस्था है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। अक्सर टेलीफोन आपरेटरों के अभद्र व्यवहार के बारे में ही शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(ख) दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

(ग) एक्सचेंज में 70 टेलीफोन आपरेटर हैं जिनमें से 10 टेलीफोन आपरेटर 1971 से, 25 टेलीफोन आपरेटर 1975 से तथा 35 टेलीफोन आपरेटर 1978 से कार्य कर रहे हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) स्थानीय और सर्किल स्तर पर अधिकारियों द्वारा समय-समय पर टेलीफोन प्रणाली के कार्यकरण को मानीटर किया जाता है।

सर्किल ट्रंक सेवाओं की प्रतिदिन तथा प्रबंध सूचना प्रणाली सूचकांकों के माध्यम से स्थानीय टेलीफोन प्रणाली की प्रतिमाह मानीटरिंग करता है। विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा भी टेलीफोन प्रणाली का आवधिक निरीक्षण किया जाता है।

(च) उपर्युक्त (घ) और (ङ) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

टेलीफोन का दुरुपयोग

[अनुवाद]

3996. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभाग के अनेक अधिकारियों और कर्मचारियों के घर और कार्यालय में, दोनों जगह एक से अधिक टेलीफोन लगे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है तथा उनपर कुल कितना वार्षिक खर्च आता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसके बावजूद निदेशिका में अधिसूचित इनमें से अधिकांश कर्मचारी उपभोक्ताओं के टेलीफोन नहीं सुनते हैं और यदि हां, तो इस संबंध से क्या उपचारात्मक कदम उठाए गये हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं के टेलीफोनों का, जानबूझकर दूसरी लाइन से जोड़कर दुरुपयोग करने के लिए स्टाफ के ऐसे कर्मचारियों पर संचित जुर्माना करने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, दूरसंचार विभाग के उन कर्मचारियों को टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए जाते हैं जो टेलीफोन सेवाओं से संबद्ध कार्य करते हैं। ताकि वे अपनी ड्यूटी निभा सकें ये टेलीफोन कार्य की आवश्यकता के आधार पर मंजूर किए जाते हैं।

(ख) इतने कम समय के भीतर समूचे देश में ऐसे कर्मचारियों की संख्या और वार्षिक खर्चे की जानकारी एकत्र करना मुश्किल होगा।

(ग) जी नहीं। यह सही नहीं है कि स्टाफ उपभोक्ताओं की टेलीफोन कालों का उत्तर नहीं देता है।

(घ) केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली के अन्तर्गत दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कारंवाई करने की व्यवस्था पहले ही मौजूद है।

टेलीफोन उपभोक्ताओं को मुआवजा

3997. श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री श्रीहरिराव
} : क्या संचार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं लोक सभा के दौरान, उन लोगों को मुआवजा देने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने का आश्वासन दिया था जिनके टेलीफोन निष्क्रिय पड़े रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में हैं;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि विशेष सेवाओं में पर्यवेक्षण कर्मचारी प्रायः अपने कार्य-स्थान से गायब रहते हैं और टेलीफोन संख्या 198/199 आदि से प्रात्युत्तर न मिलने के बाद प्रायः देखा गया है कि वही व्यक्ति पर्यवेक्षकों के कालों को ग्रहण करता है;

(घ) क्या यह सच है कि ड्यूटी पर तैनात वरिष्ठ कर्मचारी प्रायः अनुपस्थित रहते हैं; और

(ङ) क्या सरकार का अपनी सारी प्रणाली को प्रभावी बनाने हेतु उसका पुनर्गठन करने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) टेलीफोन खराब रहने के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। इसका कारण यह है कि एक्सचेंज का भीतरी उपस्कर तथा बाहरी संयंत्र उसी टेलीफोन के लिए सुरक्षित रखा जाता है और अनुरक्षण स्टाफ यथाशीघ्र दोषों पर ध्यान देते हैं और उन्हें तुरन्त दूर कर देते हैं। यदि कोई टेलीफोन प्रशासनिक कारणों से काट दिया जाए तो उसके लिए कोई किराया नहीं लिया जाता है। ऐसे टेलीफोन, जिन्हें विभिन्न स्थानों में स्थानांतरित करने के लिए बंद कर दिया जाता है तथा विभाग की असमर्थता (अर्थात केबिल पेयर या एक्सचेंज में क्षमता न होने आदि) के कारण स्थानांतरित नहीं किया जाता है तो किराए में छूट दी जाती है बशर्ते कि टेलीफोन 15 दिन के भीतर स्थानांतरित न किया गया हो।

(ग) जी नहीं। तथापि जब कभी अनुपस्थिति या किसी कमी के कारण पर्याप्त संख्या में पर्यवेक्षकीय स्टाफ उपलब्ध नहीं होता है, तो एक्सचेंज में उपस्थित अन्य स्टाफ द्वारा उनकी टेलीफोन कालों का जवाब दिया जाता है।

(घ) और (ङ) ड्यूटी पर तैनात वरिष्ठ स्टाफ आमतौर से अपने नंबरों पर उपलब्ध होते हैं। वे संभवत: उस समय उपलब्ध न होते हो जब उन्हें अन्य कार्य बैठक या निरीक्षण कार्यों में व्यस्त रहना पड़ता है। फिर भी, ऐसे मामलों में उनकी कालों का जवाब उनके निजी स्टाफ द्वारा दे दिया जाता है। उन्हें अपने कार्यालयों में प्रतिदिन सायं 3 से 4 बजे तक बिना किसी पूर्व निर्धारित समय के जनता से मुलाकात के लिए रहना पड़ता है।

कनिष्ठ अधिवक्ताओं को सहायता

[हिन्दी]

3998. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार कनिष्ठ अधिवक्ताओं को उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कोई केन्द्रीय विधान बनाने का है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि देश भर के कनिष्ठ अधिवक्ता लम्बे अर्से से अपने लिए कोई कल्याण योजना बनाए जाने और सरकार से वित्तीय सहायता देने की मांग कर रहे हैं और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 6 और 7 के अधीन, क्रमश:, राज्य विधिज्ञ परिषदों और भारतीय विधिज्ञ परिषद को, निर्धन, नि:शक्त और अन्य अधिवक्ताओं के लिए कल्याण स्कीमें गठित करने के लिए वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से एक या अधिक निधियां स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस समय विधान अधिनियमित करने के लिए कोई नया प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) सरकार को कनिष्ठ अधिवक्ताओं को कई रूपों में सहायता देने के लिए, उनकी ओर से की गई मांगों की जानकारी है। सरकार वकीलों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विषयों का गहन अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है।

संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं में इक्विटी ढांचा

[अनुवाद]

3999. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों के उद्यम संयुक्त क्षेत्र परियोजनाओं में इक्विटी ढांचे के बारे में केन्द्रीय दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के दोषी पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों के ऐसे उद्यमों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) ऐसे उद्यमों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) संयुक्त क्षेत्र में परियोजनाएं स्थापित करने के लिए राज्य औद्योगिक विकास निगमों द्वारा प्रवर्तित परियोजनाओं में अंशधारिता की पद्धति एवम् इक्विटी धारिताओं के निपटान के संबंध में सरकार ने मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं। जब कभी राज्य औद्योगिक विकास निगम से संयुक्त क्षेत्र परियोजना के पक्ष में आशय-पत्र अथवा औद्योगिक लाइसेंस में संशोधन करने का प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उस पर निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार विचार किया जाता है।

दिल्ली के टेलीफोन-एक्सचेंजों द्वारा नए कनेक्शन न दिया जाना

4000. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरसंचार मंडल के कुछ टेलीफोन एक्सचेंजों को "फ्रीज" कर दिया गया है तथा ऐसे एक्सचेंजों से नए कनेक्शन देना/टेलीफोन कनेक्शन स्थानान्तरित करना रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से एक्सचेंज हैं तथा इनमें किस तारीख से ये गतिविधियां बंद कर दी गई हैं तथा इन गतिविधियों के वहां पुनः शुरू होने की संभावित तारीख क्या है;

(ग) क्या आपात प्रयोजनों के लिए कोई राहत संभव है या प्रदान की गई हैं तथा एक्सचेंजों के "फ्रीज" रहने की अवधि के दौरान इन एक्सचेंजों में कोई नए कनेक्शन दिए गए हैं/स्थानान्तरित किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा उपभोक्ताओं को राहत देने हेतु और इस संबंध में उन्हें हो रही अत्यधिक असुविधा को दूर करने के लिए दूरसंचार अधिकारियों द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली टेलीफोन प्रणाली के निम्नलिखित टेलीफोन एक्सचेंजों को उनके सामने अंकित तारीखों से 'फ्रोजन' घोषित कर दिया गया है :

(i)	राजोरी गार्डन	अगस्त, 1983
(ii)	दिल्ली कैंट	2-4-85
(iii)	नांगलोई	12-4-84

(iv)	शक्तिनगर	अगस्त, 84
(v)	शाहदरा (21, 24)	1-1-84
(vi)	शाहदरा (20)	2-4-84
(vii)	शाहदरा (86)	2-4-85
(viii)	हौज खास	नवंबर, 84
(ix)	ओखला	अगस्त, 83

संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरों के अनुसार कुछ एक्सचेंजों का विस्तार होने और नए एक्सचेंज चालू होने पर ही इन एक्सचेंजों से टेलीफोन स्थानांतरण की स्थिति में टेलीफोन कनैक्शन तथा नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना संभव हो सकेगा।

(ग) कुछ अपवाद स्वरूप मामलों में, मामले की योग्यतानुसार, इन एक्सचेंजों से नए कनेक्शन तथा टेलीफोन स्थानांतरण की स्थिति में टेलीफोन देने की अनुमति है।

(घ) इन एक्सचेंजों के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए दिल्ली टेलीफोन प्रणाली में कुछ एक्सचेंजों का विस्तार करने और नए एक्सचेंज चालू करने की योजना बनाई गई है, जैसा कि सभा पटल पर रखे गए अनुबंध में उल्लेख है।

विवरण

1984-85 के लिए विस्तार एवं कमिशनिंग कार्यक्रम

क्रम सं०	एक्सचेंज	कोड	लाइनों की संख्या (हजारों में)	
1.	सेना भवन	301	10.0	नये एक्सचेंज
2.	किदवई भवन	331	10.0	
3.	चाणक्यपुरी-I	67	1.0	
4.	जनपथ-II	32	1.0	विस्तार
5.	तीस हजारी	251/252	2.0	
6.	बल्लभगढ़	88	1.5	
7.	लक्ष्मी नगर	24	0.3	
8.	जनकपुरी	55	0.3	
9.	नरेला	89	0.1	
10.	नजफगढ़	806	0.2	
11.	बावली	802	0.2	

1985-86 के लिए विस्तार एवं कमिशनिंग कार्यक्रम

1.	नेहरू प्लेस-III	643	10.0	नये एक्सचेंज
2.	करोल बाग-IV	572	10.0	
3.	राजौरी गार्डन-V	542	10.0	
4.	नेहरू प्लेस-iii	644	10.0	
5.	राजौरी गार्डन-III	541	10.0	
6.	तीस हजारी-IV	292	10.0	
7.	ईदगाह-III	73	10.0	
8.	बल्लभगढ़	88	0.3	विस्तार
9.	कैंट	39	0.6	
10.	जनकपुरी	55	0.6	
11.	लक्ष्मी नगर	24	0.6	

1986-87 के लिए विस्तार एवं कमिशनिंग कार्यक्रम

1.	शाहदरा दक्षिण	281/282	15.0	नये एक्सचेंज
2.	शक्ति नगर-III	701	10.0	
3.	ओखला-II	682	10.0	
4.	नेहरू प्लेस-IV	645	10.0	
5.	शक्ति नगर-III	702	9.0	
6.	बादली	708	1.0	
7.	राजौरी गार्डन-V	543	6.0	
8.	बहादुरगढ़	543	2.0	
9.	नजफगढ़	543	1.0	
10.	नांगलोई	543	1.0	
11.	गाजियाबाद-II	84	2.0	विस्तार
12.	जनकपुरी	55	1.2	
13.	बल्लभगढ़	88	1.2	

1987-88 के लिए विस्तार एवं कमिशनिंग कार्यक्रम

1.	शाहदरा दक्षिण एक्सचेंज	281/282	5.0	नये एक्सचेंज
2.	शाहदरा	223	5.0	
3.	गाजियाबाद-III	831	8.0	
4.	बदरपुर	461	2.0	

हावड़ा और हुगली जिलों को कलकत्ता टेलीफोन के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव

4001. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हावड़ा और हुगली जिलों को कलकत्ता टेलीफोन्स के अन्तर्गत लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कलकत्ता टेलीफोन के अन्तर्गत 66, 67, 69 और 72 एक्सचेंजों को माइक्रोवेव संपर्क के लिए तुरन्त विशेष प्राथमिकता देने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) हावड़ा और हुगली जिले के कुछ इलाकों को कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली द्वारा पहले से ही सेवा प्रदान की जा रही है। हावड़ा और हुगली जिलों के शेष इलाकों को कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) कलकत्ता टेलीफोन के "67" और "62" टेलीफोन एक्सचेंज माइक्रोवेव लिंक द्वारा जुड़े हैं। फिलहाल "66" और "69" एक्सचेंजों को माइक्रोवेव लिंक प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सबसे बड़े दस औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियां और व्यापार

4002. **श्री वी० सोमनाद्रीसवरा राव : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) सबसे बड़े दस ग्रुपों के अधीन चल रही कम्पनियों का वर्ष 1983-84 का कुल व्यापार कितना है;

(ख) देश में सबसे बड़े दस औद्योगिक व्यापारिक घरानों के स्वामित्व वाली या इनके अधीन चलने वाली कम्पनियों की कुल परिसम्पत्तियां कितनी हैं; और

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान इनके व्यापार और परिसम्पत्तियों में कितनी वृद्धि हुई है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) वर्ष 1983 में उनकी परिसम्पत्तियों के अनुसार श्रेणीबद्ध किये गये, देश में चोटी के दस औद्योगिक घरानों के 1983 में व्यापार और परिसम्पत्तियां तथा 1978-1983 में उनमें वृद्धि को नीचे दिया जाता है : —

	करोड़ रुपए में
व्यापार 1983	11003
परिसम्पत्तियां 1983	9858
व्यापार में वृद्धि 1978-83	6106
परिसम्पत्तियों में वृद्धि 1978-83	6011

उड़ीसा के सुनकी में सीमेंट-फैक्ट्री की स्थापना

4003. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के कोरापुट जिले में सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना के लिए उड़ीसा सरकार को कोई आशय-पत्र जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो यह कब जारी किया गया था तथा तब से उड़ीसा सरकार ने अवलों के तथा अन्य आधारभूत ढांचों के निर्माण हेतु आरम्भिक कार्य शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है तथा सरकार द्वारा इस फैक्ट्री के लिए कितनी धन राशि की व्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) उड़ीसा सरकार के एक उपक्रम मैसर्स इन्डस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड को सीमेंट बनाने के लिए उड़ीसा राज्य में कोरापुर जिले के सुनकी में एक नया उपक्रम स्थापित करने के लिए 26 दिसम्बर, 1983 को एक आशय पत्र जारी किया गया था। निगम से अब तक प्राप्त रिपोर्टों से यह पता चला है कि परियोजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित प्रगति हो चुकी है :

(1) संयुक्त क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने के लिए एक निजी प्रवर्तक के बारे में निर्णय ले लिया गया है।

(2) स्थल का चयन कर लिया गया है।

(3) कच्चे माल के स्रोतों का पता लगा लिया गया है।

उन्होंने यह सूचना दी है कि वे सावधिक ऋण के लिए वित्तीय संस्थानों के साथ भी सम्पर्क कर रहे हैं।

दूरसंचार उपकरणों का उत्पादन

4004. **श्री अनंत प्रसाद सेठी**
श्री बी० बी० देसाई
: क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीफोन उपकरणों सहित टेलीफोन संचार उपस्करों के उत्पादन और मांग के बीच के अन्तर के संबंध में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) क्या दूरसंचार उपकरणों के उत्पादन में गैर-सरकारी क्षेत्र का सहयोग लेने के लिए भी पहल की गई है;

(ग) क्या नीति सम्बन्धी नए दिशा निर्देशों के अन्तर्गत, गैर सरकारी उद्योग को विदेशी सहयोग के साथ दूर संचार उपकरण बनाने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(घ) गैर-सरकारी क्षेत्र में विदेशी सहयोग संबंधी दिशा निर्देशों संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। देश में दूरसंचार उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उपाय किए गए हैं। इसके लिए दूरसंचार उपस्कर के विनिर्माण के क्षेत्र में शत-प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र में विनिर्माण की नीति में छूट देकर निजी क्षेत्र के विनिर्माताओं का सहयोग लिया जा रहा है जैसी कि इलेक्ट्रॉनिक-विभाग के उप मन्त्री ने 23 मार्च 1984 को संसद में घोषणा की है।

(ग) और (घ) निजी क्षेत्र के उद्योग को कुछ दूरसंचार उत्पादों के लिए विदेशी सहयोग की अनुमति दी जाएगी जो उनके गुणों पर आधारित होगी। कुछ क्षेत्रों में विशेषरूप से स्विचन एवं संचारण उपस्कर के क्षेत्र में, केन्द्रित आधार पर क्रय के माध्यम से सरकार भी तकनालॉजी प्राप्त कर सकती है।

बल्क औषधियों का उत्पादन

4005. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन महत्वपूर्ण कम्पनियों के नाम क्या हैं जो उच्च टैक्नोलोजी का प्रयोग करके प्रारंभिक चरणों से बहुत-सी बल्क, औषधियां तैयार कर रही हैं;

(ख) इन औषधियों के नाम क्या हैं और इन्हें किस चरण से तैयार किया जाता है;

(ग) क्या कुछ मदों को निम्न टैक्नोलोजी वाली मदें घोषित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) उच्च प्रौद्योगिकी निहित औषधों की शिनाख्त करने के लिए सरकार द्वारा 1978 में गठित उच्च स्तरीय समिति ने 22 औषध कम्पनियों को मूल अवस्था से उच्च प्रौद्योगिकी औषधों का निर्माण करते हुए पाया। इस संबंध में ब्यौरे संलग्न विवरण पत्र में दिए गए हैं।

इनसे से किसी भी मद को निम्न प्रौद्योगिकी निहित घोषित नहीं किया गया था।

विवरण

क्र० सं०	कंपनी का नाम	औषध का नाम
1	2	3
1.	मै० ग्लेक्सो लेब्स	1. बेटामेथाजोन
		2. विटामिन ए पालमीटेट
		3. मेगेस्ट्रोल एसिटेड
		4. मेथलडियाजाइन एच० सी० एल०
		5. मेक्लोजाइन एच० सी० ए०
		6. बेटामेथाजोन वेलीरेट
		7. बेटामेथाजोन
2	मै० ई० मर्क	1. विटामिन ई एसिटेट
		2. विटामिन के 4 वाटर/आयल सोल्यूबल
		3. विटामिन सी सक्सीनेट
3	मै० बेयर (इंडिया) लि०	1. क्लोरोक्वीन फास्फेट
		2. रिसोट्रम सब्सटेंस (क्लोरोक्वीन)
		3. डाइफिनाइल हाइडेन्टोइन
4	मै० ए० सी० सी० आई०	1. टेट्रामिसोल
		2. हेलोथेन
		3. टेटमोसोल
		4. पेनोथियाजाइन
5.	मै० बूट्स कं० (इंडिया) लि०	1. क्रिस्टेलाइन इन्सुलिन
		2. इब्युप्रोफिन
6.	मै० बुरोज वेलकम	1. डेपसोन
		2. डाइथाइल कार्बामाजाइन सिट्रेट
		3. डिगोक्सिन
		4. पाइरीमेथामाइन
		5. ट्राइमेथोप्रिम

1	2	3
7.	मै० सीबा गेगी	1. लिनास्ट्रानोल
		2. इथिनाइल एस्ट्राडियल 3 मिथाइल ईथर (मास्ट्रानोल)
		3. मिथाइल टेस्टोस्टीरोन
		4. मेथाडियोनोन
		5. एस्ट्राडियल/एस्ट्राडियल प्रोपियोनेट
		6. इथिनाइल ई ट्रेडियल
		7. प्रोगेस्टीरोन
		8. टेस्टोस्टीरोन/प्रोपियोनेट/वेलीरीनेट
		9. फेनक्वेन्स
		10. टेस्टोस्टीरोन अलडेक्लेनेट
8.	मै० सिनामिड	1. टेट्रासाइक्लीन एच० सी० एल०
		2. क्लोरोटेट्रासाइक्लीन
		3. डेमाथाइल क्लोरोटेट्रा साइक्लीन
		4. ट्राइहोक्सीनिडाइल एच० सी० एम०
9.	मै० होचेस्ट फार्मास्युटिकल्स	1. बारालगन कीटोन
		2. टेटनस एण्टीटोक्सिन
		3. एस० एम० डी० वेक्सीन
		4. होमासीन स्टीरिल्स
		5. फ्रूसेमाइड
		6. ग्लाइनक्लेमाइड
10.	मै० जोनसन एण्ड जोनसन	1. सर्जिकल केटमुट (नान-स्टीरिल्स बी०पी०सी० 1949)
		2. नीडेल्ड एबजोरबेबल सुटुर (केटमुट नान-स्टीरियल्स)
11.	मै० मे एण्ड बेकर	1. मेट्रानिडाजोल
12.	मै० मर्क शार्प एण्ड डोहमे	2. विटामिन बी 12
		2. डेक्सामेथाजोन शुद्ध

1	2	3
13.	मै० ओर्गेनन (इंडिया) लि०	1. टेस्टोस्टीरोन/डेकानोएट/प्रोपियोनेट आइसो-प्रोपेट/फिनाइल प्रोपियोनेट
		2. नेनड्रोलोन डेकोनेट/फिनाइल प्रोपियोनेट
		3. एनिनेस्ट्रोनोल एण्ड इथिलेस्ट्रानोल
		4. इथीस्ट्रानोल
		5. डेसोजाइकोर्टिकोर्टोन फिनाइल प्रोपियोनेट
		6. प्रोगेस्टीरोन
		7. ह्यूमेन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन (एच० सी० जी०)
14.	मै० पार्क डेविस	1. क्लोरमफेनिकोल
15.	मै० फाइजर लि०	1. टेट्रासाइक्लीन
		2. आक्सीटेट्रासाइक्लीन
		3. आई० एन० एच०
		4. पी० ए० एस०/सोडि० पी० ए० एस०
16.	मै० रोचे प्रोडक्टस	1. विटामिन ए एसिटेट
		2. डिहाइड्रोमेटिन डिहाइड्रोक्लोराइड
		3. डाएजोपाम क्लोरडियोपोक्साइड
17.	मै० सेन्डोज (आई) लि०	1. केल० गिनेवासोल
		2. केल० लेक्टीयोबायोनेट
		3. फेरस ग्लुकोनेट
		4. केलसिब्रोनेट
		5. मेग० ग्लुकोनेट
		6. इन्टेस्टोपान सब्सटेंस
18.	मै० यूनी-सेन्क्यो	1. स्पोरलेक
		2. सेन्जाइम्स (फ्यूगल डिस्टेज)
19.	मै० वारनर हिन्दुस्तान	1. पाइरीडीन एण्ड पिकोलाइन्स एण्ड हेवी बेस (ड्रग्स मध्यवर्ती)

1	2	3
20.	मै० वेयथ लेब्स०	1. हाइड्रोकोर्टिसोन
		2. हाइड्रोकोर्टिसोन एसिटेट
		3. पेडनीसोलोन
		4. प्रेडनीसोलोन एसिटेड
		5. प्रेडनीसोन
		6. प्रोगेस्टीरोन
		7. 17-हाइड्रोक्सी प्रोगेस्टीरोन एसिटेट
		8. 17-हाइड्रोक्सी प्रोगेस्टीरोन के प्रोएट
		9. डिहाइड्रो हेलैन्ड्रो स्ट्रोन एसिटेट (डी०एच०ए० एसिटेट) (इण्टरमीडिएट)
		10. मिथाइल एनडेस्ट्रेनिडियल (मध्यवर्ती)
		11. टेस्टोस्टीरोन एण्ड इसके लवण
		12. इथापटाआइन सिट्रेट
21.	मै० ज्योफरी मेनर्स	1. बेन्जाथाइल पेनिसिलिन जी
		2. मेपेनट्रीमाइन सल्फाटा
22.	मै० सुहृरिद गेगी कैमिकल्स	1. फिनाइल बुटाजोन
		2. ओक्सीफिनाइल बुटाजोन
		3. क्लोरोडियाक्वीन
		4. कारबाजोपाइन
		5. इमीप्रेमाइन एच०सी०एल

बम्बई हाई के कच्चे तेल पर रायल्टी

4006. श्री विजय एन० पटेल : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई से प्राप्त कच्चे तेल पर महाराष्ट्र सरकार को रायल्टी मिलती है;

(ख) यदि हां, तो प्रति टन कितनी धनराशि मिलती है; और

(ग) क्या सरकार ने इस रायल्टी को प्रतिशतता आधार पर निर्धारित करने का निर्णय लिया है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

देश में उर्वरकों के उत्पादन और मांग के बीच अन्तर

4007. श्री भोलानाथ सेन: क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से उर्वरकों के उत्पादन और मांग के बीच कोई अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए है/उठाने का विचार है;

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान इस मामले में क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) वर्ष 1990 तक देश में उर्वरकों की कितनी मांग और कितना उत्पादन होने का अनुमान है?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) वर्ष, 1984-85 के दौरान उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन, मांग तथा मांग और उत्पादन के बीच अन्तर के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

आंकड़े लाख टनों में

	मांग/(अनुमानित खपत)	उत्पादन	मांग और उत्पादन के बीच अन्तर
नाइट्रोजन	56.44	39.17	17.27
पी 2 ओ 5	18.65	12.36	6.02
पोटाश (के)	8.65	पोटाश का कोई स्वदेशी उत्पादन नहीं हुआ।	

(ग) पहले ही स्थापित की जा रही पर्याप्त उर्वरक क्षमता के अतिरिक्त, कई नए उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का एक व्यापक कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। इन उपायों से उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन में काफी वृद्धि होगी और उससे काफी मात्रा में आयात के स्तर में कमी होगी।

(घ) सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के फलस्वरूप उर्वरकों के उत्पादन का स्तर

छठी योजना के प्रथम वर्ष 1980-81 में नाइट्रोजन का उत्पादन 21.64 लाख टन तथा पी2 ओ5 का 8.41 लाख टन के स्तर से बढ़ कर छठी योजना के अन्तिम वर्ष 1984-85 में 39.17 लाख टन नाइट्रोजन तथा 12.63 लाख टन पी2 ओ5 हो गया है।

(ङ) सांतवी पंचवर्षीय योजना (1985-86 से 1989-90) के लिए उर्वरकों के उत्पादन तथा खपत (मांग) के लक्ष्यों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के बड़े नगरों में नए टेलीफोन के कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

[हिन्दी]

4008. **श्री जैनुल बशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पांच बड़े नगरों अर्थात कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद और आगरा में अलग-अलग कितने नए टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं;

(ख) इन नगरों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ग) इनमें से प्रत्येक नगर में और अधिक टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के 5 बड़े शहरों में 1984-85 के दौरान प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या तथा प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या इस प्रकार है:—

क्रम सं०	शहर	1.4.84 से 31.3.85 तक प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शन	प्रतीक्षा सूची
1.	कानपुर	92	7349
2.	लखनऊ	2081	1579
3.	वाराणसी	284	2653
4.	इलाहाबाद	324	1327
5.	आगरा	242	3283

(ग) उपर्युक्त प्रत्येक शहर में और अधिक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए मौजूदा

टेलीफोन एक्सचेंजों का, जहां कहीं व्यवहार्य हो, विस्तार किया जा रहा है तथा नए एक्सचेंज स्थापित किए जा रहे हैं बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

परिधान निर्यात संवर्धन परिषद लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन

[अनुवाद]

4009. **श्री आनन्द पाठक** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली द्वारा कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत दी गई लाइसेंस की शर्तों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) प्रादेशिक निदेशक, कम्पनी कार्य विभाग, कानपुर, जिसको कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की शक्तियां सौंपी गई हैं, ने सूचित किया है कि परिधान निर्यात संवर्धन परिषद नई दिल्ली द्वारा कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत स्वीकृत लाइसेंस की शर्तों का बड़े पैमाने पर उल्लंघनों के सम्बन्ध में कोई आवेदन उसको प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) में जो उल्लेख किया गया है, उसको दृष्टिगत करते हुए, उत्पन्न नहीं होता।

प्लास्टिक उद्योग

4010. **श्री वी० एस० विजयराघवन**
श्री के० कुन्जम्बु } : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्लास्टिक के सामान की अधिक मांग है;

(ख) क्या सरकार की इस उद्योग को प्रोत्साहित करने की नीति है; और

(ग) यदि हां, तो लघु क्षेत्र में प्लास्टिक सामान के निर्माताओं को क्या प्रोत्साहन उपलब्ध हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) प्लास्टिक की वस्तुओं का निर्माण करने वाली लघु औद्योगिक यूनिटों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन, जैसे कि पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित की जा रही यूनिटों के लिए रियायती दर पर वित्त व्यवस्था, भाड़ा-- खरीद के आधार पर मशीनें, उत्पाद शुल्क में कुछ रियायतें, लघु क्षेत्र के लिए कुछ उत्पादों का आरक्षण इत्यादि, उपलब्ध हैं।

बोतल भरने के उपकरण और खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों की अनुपलब्धता के कारण जलाई गई गैस की कीमत

4011. **श्री वी० वी० रमैया** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोतल भरने के उपकरणों और खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों की अनुपलब्धता के कारण बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस जलाई जा रही है;

(ख) उपरोक्त उपकरणों का आयात करने हेतु कुल कितने व्यय की जरूरत पड़ेगी तथा यदि यह जलाई गई गैस घरेलू उपभोक्ताओं को बेची जाती तो उसकी कीमत क्या होती; और

(ग) अब तक कुल कितनी गैस जलाई जा चुकी है और खुदरा उपभोक्ता मूल्यों के आधार पर उसकी कीमत कितनी बैठती है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं। प्राकृतिक गैस सिलेंडरों में नही भरी जाती है। प्राकृतिक गैस से निकाले गये अथवा कच्चे तेल को परिष्कृत करते समय उत्पादित एल०पी०जी० सिलेंडरों में भरी जाती है। एल०पी०जी० नहीं जलाई जाती है। तथापि कुछ प्राकृतिक गैस को अपर्याप्त सम्पीड़न सुविधाओं, कम उठान और कम डाउन-स्ट्रीम उपयोग के कारण मुख्यतः जलाया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्राकृतिक गैस के सम्पीड़न के लिए आवश्यक सुविधाओं की स्थापना की जा रही है। अप्रैल-दिसम्बर 1984 की अवधि के दौरान जलाई गई गैस की मात्रा 2173 मि० घन मीटर थी।

प्राकृतिक गैस के लिए कोई निश्चित विक्रय मूल्य नहीं है। इस गैस के काल्पनिक मूल्य की संगणना 100 रुपये प्रति हजार घन मीटर की दर पर की गई, देश के अन्दर ली गई न्यूनतम दर 21.73 करोड़ रुपये है।

पोटाशियम पेंनिसिलिन जी का उत्पादन

4012. **श्री राम धन** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गत तीन वर्षों के दौरान पोटाशियम पेनिसिलिन जी का निर्माता धार, प्रत्याशित और वास्तविक उत्पादन कितना रहा है तथा प्रत्येक निर्माता की स्थापित क्षमता कितनी थी ;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पोटाशियम पेनिसिलिन जी की अनुमानित मांग कितनी थी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इसकी कितनी मांग होने की आशा है; और

(ग) स्वदेशी संसाधनों से देश की कुल मांग को पूरा करने के लिए स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) पोटाशियम पेनिसिलिन जी के लिए अलग से कोई आंकड़ उपलब्ध नहीं हैं। गत तीन वर्षों के दौरान बल्क पेंसिलीन की लाइसेंसशुदा क्षमताएं तथा उत्पादन निम्न प्रकार है :

उत्पादन

वर्ष	उत्पादन
1982-83	358.37 एम० एम० यू०
1983-84	316.74 एम० एम० यू०
1984-85	390.00 एम० एम०यू० (अनुमानित)

लाइसेंस शुदा क्षमता

एच० ए० एल०	160.00 एम० एम० यू०
आई० डी० पी० एल०	230.00 एम० एम० यू०
मानक फार्मा	147.00 एम० एम० यू०
अलैम्बिक कैमिकल्स	100.00 एम० एम० यू०

(ख) वर्ष 1984-85 के लिए पैंसिलिन की अनुमानित मांग 1150 एम०एम०यू०थी। 6 ए० पी०ए० के अपर्याप्त उत्पादन के कारण पैंसिलिन की मांग आशानुकूल नहीं बढ़ी। अपेक्षित मांग को मुख्यत: देशी उत्पादनों द्वारा पूरा किया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्षों अर्थात् 1989-90 के लिए 2470 एम० एम० यू० की मांग को अनुमान लगाया गया है।

(ग) प्रौद्योगिकी में सुधार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के एककों में उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा बंगाल का खाड़ी और बंगाल बेसिन में तेल की खोज

4013. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इण्डिया द्वारा अगले पांच वर्षों में बंगाल की खाड़ी और बंगाल बेसिन में तेल की खोज के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) बंगाल की खाड़ी में हाइड्रोकार्बन मिलने की क्या संभावना है; और

(ग) बंगाल की खाड़ी और बंगाल बेसिन में तेल की खोज के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) इस बारे में ब्यौरे सातवीं योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही उपलब्ध होंगे।

(ख) उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र हाइड्रोकार्बन संपन्न पाए गए हैं।

(ग) सर्वेक्षणों के अलावा, इस क्षेत्र में खोदे गए कुओं की संख्या नीचे दी गई है :

	पूरे किए गए कूओं की संख्या	व्यवधानाधीन कूओं की संख्या
बंगाल बेसिन		
I तटीय क्षेत्र	21	3
II अपतटीय क्षेत्र	2	—
बंगाल की खाड़ी		
I महानदी अपतटीय क्षेत्र	7	1
II अण्डमान अपतटीय क्षेत्र	4	1
III कृष्णा-गोदावरी अपतटीय क्षेत्र	26	—
IV कावेरी अपतटीय क्षेत्र	18	—

जनपथ टेलीफोन एक्सचेंज से नये टेलीफोन कनेक्शन

4014. डा० सी० एस० वर्मा : क्या संचार मंत्री जनपथ एक्सचेंज से नये टेलीफोन कनेक्शन

के बारे 14 अगस्त, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 33.6 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन अधिकारियों ने उन लोगों को नये टेलीफोन कनेक्शन आबंटन करने के लिए पत्र भेजने शुरू कर दिए हैं जो सामान्य श्रेणी की प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ख) यदि हां, तो सामान्य श्रेणी में जो व्यक्ति दिसम्बर 1982 तक प्रतीक्षा सूची में थे उन्हें नया टेलीफोन कनेक्शन आबंटित करने के लिए कब तक पत्र जारी होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली टेलीफोन द्वारा प्रतीक्षा सूची के उन आवेदकों को आबंटन पत्र जारी किये जा रहे हैं, जिन्होंने गैर-ओवाईटी-सामान्य श्रेणी के अधीन 27.4.82 तक पंजीकरण करा लिया था। प्रतीक्षा सूची के उन आवेदकों को जिन्होंने दिसम्बर 1982 तक अपना पंजीकरण करा लिया था उन्हें अगले छह महीनों के दौरान आबंटन पत्र जारी किए जाने की संभावना है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग के लिये नामांकन

[हिन्दी]

4015. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पहले खादी ग्रामोद्योग आयोग में पांच सदस्यों को नामित किया करती थी जबकि अब केवल 3 सदस्य नामित किये गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आयोग के दायित्वों को ध्यान में रखते हुए और इसके कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए तीन सदस्यों के आयोग को समाप्त करके पांच सदस्यों के आयोग के पुनर्गठन का विचार है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) के अधीन इस आयोग में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की संख्या 3 से कम और 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। गत समय में, आयोग में सदस्यों की संख्या तीन और पांच के बीच भिन्न-भिन्न रही है।

(ख) इस समय आयोग को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव नहीं है।

बिहार को लेवी सीमेंट का अतिरिक्त आवंटन

[अनुवाद]

4016. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने बाढ़ से, जिससे बिहार का बहुत बड़ा क्षेत्र प्रभावित हुआ था, से क्षतिग्रस्त भवनों, पुलियों और पुलों के पुर्ननिर्माण के लिए केन्द्र सरकार से लेवी की अतिरिक्त सीमेंट देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) 1984-85 के दौरान उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय को इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रसायनों और कीटनाशकों का उत्पादन और आयात

4017. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिष्ठापित क्षमता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न अकार्बनिक तथा कार्बनिक रसायनों और कीटनाशकों के उत्पादन लक्ष्य पूरे किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त मदों का कितनी मात्रा में आयात किया जाता है और विदेशी मुद्रा में उसका मूल्य कितना होता है तथा उक्त संबंध में आत्मनिर्भरता और आत्मपूर्ति के लिए प्राप्त करने हेतु क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) देश में मुख्य रसायनों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त क्षमता स्थापित की गई है/लाइसेंस प्रदान किए गए हैं । रसायन उद्योग में क्षमता उपयोगिता कुछ इन्फ्रास्ट्रकचरल अवरोधों के कारण सामान्यत: 60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत के बीच होती है । कुछ मुख्य रसायनों तथा पैस्टिसाइड्स की वर्ष 1984-85 के लिए स्थापित क्षमता, अनुमानित उत्पादन तथा निर्धारित उत्पादन के लक्ष्य इस प्रकार हैं :—

मद का नाम	लेखों की इकाई	उत्पादन का लक्ष्य	1984-85 स्थापित क्षमता	अनुमानित उत्पादन
कार्बनिक रसायन				
1. एसिटोन	000 टन	30.00	35.0	27.00
2. मेथालोन	"	45.00	60.00*	45.90
3. एसिटिक एसिड	"	55·00	80.70	40.00
अकार्बनिक रसायन				
1. कास्टिक सोडा	"	670.00	966.00	680.00
2· सोडा ऐश	"	900.00	1005.00	862.00
3. केल्शियम कार्बाइड	"	111.00	170.00	111.00
4. कार्बन ब्लेक	"	95.50	154.70	92.50
पेस्टिसाइड्स				
1. बी० एच० सी०	"	36,000.00	41900.00	33500.00
2. डी० डी० टी०	"	7500.00	9088.00	7277.00
3. मेलाथियोन	"	6000.00	120C0.00	4500.00

*स्थापित क्षमता सितम्बर, 1984 में 44,500 टन से बढा कर 60,000 टन की गयी ।

देश में आयात किए गए रसायनों की मात्रा तथा मूल्य वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय कलकत्ता द्वारा संकलित तथा प्रकाशित किए जाते हैं। आंकड़ों के संकल्प तथा प्रकाशन में सामान्यत: समयान्तर होता है। आंकडों को संकल्न हो जाने पर उन्हें भारत के विदेशी व्यापार सम्बन्धी मासिक सांख्यिकी खण्ड-11 में प्रकाशित किया जाता है, जिस की प्रतियां संसद के ग्रंथागार में उपलब्ध हैं।

मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में सीमेंट कारखाने के लिए लाइसेंस जारी करना

4018. **श्री डालचन्द्र जैन :** क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में सीमेंट कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस सीमेंट कारखाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु कितने उद्योगपतियों ने आवेदन किया है; और

(ग) सरकार का कब तक उक्त लाइसेंस देने का विचार है और यह कारखाना कब तक कार्य करना शुरू कर देगा ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) इस समय सरकारी क्षेत्र में पन्ना जिले में सीमेंट फैक्टरी लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा पन्ना जिले में 33,000 मी० टन की वार्षिक क्षमता वाले एक मिनी सीमेंन्ट संयंत्र स्थापित करने के लिए तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण हेतु किये गए एक आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

रक्षा कर्मचारियों को उपलब्ध सुविधाएं "ग्रेफ" कर्मचारियों को भी उपलब्ध कराना

4019. **श्री ललित माकन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने 6 मई, 1983 को दिए गए अपने निर्णय में सरकार को यह सुझाव दिया था कि "ग्रेफ" में कार्यरत रक्षा कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और राशन जैसी सुविधाएं "ग्रेफ" के अन्य कर्मचारियों को भी उपलब्ध कराई जाएं और इस प्रकार वर्तमान असमानता को दूर किया जाए;

(ख) यदि हां, तो उक्त सुझाव के कार्यान्वियन के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस सुझाव के कार्यान्वियन में कितना समय लगने की संभावना है; और

(घ) इससे कार्यान्वियन में अनुमानतः कुल कितनी धनराशि व्यय होगी ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (घ) जी, हां। जैसा दर्शाया गया है जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के असैनिक कर्मचारियों के लिए राशन और वस्त्रों की मात्रा बढ़ा दी गई है और इस सम्बन्ध में सरकार ने 16-10-1984 को आदेश जारी कर दिए हैं :—

		रुपए करोड़ों में	
	राशन	वस्त्र	जोड़
(1) आरम्भिक लागत	—	5.67	5.67
(2) वार्षिक आवर्ती लागत	2.35	1.15	3.50

जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के सिविलियन कर्मचारियों के वेतन और भत्ते केन्द्रीय सरकार के अन्य सिविलियन कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के समान हैं। लेकिन जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स में ये वेतन कई पदों में सेना के वेतन और भत्तों से अधिक हैं।

पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि

4020. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के बजट प्रस्तावों के परिणामस्वरूप पेट्रोल के मूल्य में की गई वृद्धि को किस तारीख से लागू किये जाने की संभावना है;

(ख) क्या यह सच है कि इस बीच एक प्रशासनिक आदेश के माध्यम से पेट्रोल के मूल्य में की गई वृद्धि को पहले ही लागू कर दिया गया है; और।

(ग) यदि हां, तो क्या बजट प्रस्तावों के माध्यम से लागू की गयी लेवी के सम्बन्ध में इस तरह की क्रियाविधि प्रचलित मानदण्डों और परम्पराओं के अनुरूप है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) मूल्यों में हुई वृद्धि उस तारीख से प्रभावी है जिस तारीख को अर्थात् 16-17 मार्च, 1985 की मध्यरात्रि, इसकी घोषणा संसद में की गई।

(ग) जी, हां।

उच्चतम न्यायालय में न्यायनिर्णयन के लिए लंबित मामले

4021. **श्री ब्रजमोहन महंती** : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में 31 मार्च, 1985 को न्यायनिर्णयन के लिए लंबित मामलों विवादों, अपीलों और अन्य विषयों की कुल संख्या कितनी है और 31 मार्च, 1984 को लंबित ऐसे मामलों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) उक्त लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 31.3.1984 और 1.3.1985 को लंबित मामलों (नियमित सुनवाई वाले और ग्रहण किए जाने वाले मामले जिनमें प्रकीर्ण अर्जियां भी सम्मिलित हैं) की कुल संख्या क्रमश: 34,098 और 1,56,190 थी।

(ख) लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए उठाए कदमों का उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है।

विवरण

उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए उठाए गए कदम

उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के द्वितीय अपील में निर्णय से लेटर्स पेटेंट अपील को समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता का 1976 में संशोधन किया गया है (देखिए धारा 100 क)।

2. विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित दंड प्रक्रिया संहिता, वर्ष 1973 में अधिनियमित की गई।

3. उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश-संख्या) अधिनियम, 1956 का 1977 में संशोधन करके उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों की संख्या 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई (इसमें मुख्य न्यायमूर्ति सम्मिलित नहीं है)।

4. उच्चतम न्यायालय के नियमों का संशोधन करके रजिस्ट्रारों और चेम्बर में न्यायाधीशों को अधिक शक्तियां प्रदान की गई है जिससे कि न्यायालय का समय छोटे प्रकीर्ण मामलों में नष्ट न हो।

5. उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित उपाय भी किए हैं :—

   (i) कुछ मामलों को पूर्विकता दी जाती है।

   (ii) प्रकीर्ण मामले प्रतिदिन सुनवाई के लिए रखे जाते हैं।

   (iii) ऐसी रिट पिटीशनों को जिनमें एक जैसे प्रश्न होते हैं, एक ग्रुप में रखा जाता है और 50 से लेकर 100 मामलों के बैच सुनवाई के लिए एक साथ रखे जाते हैं।

(iv) ऐसे अन्य मामलों को भी जिनमें एक समान प्रश्न होते हैं, समय-समय पर पता लगाकर उन्हें एक साथ रखा जाता है और इस बात का प्रयास किया जाता है कि ऐसे ग्रुपों का निपटारा शीघ्र हो जाए।

(v) उच्चतम न्यायालय के नियमों को 1966 में पुनरीक्षित किया गया और उनमें यह उपबंध किया गया था कि अभिलेखों का मुद्रण स्वयं उच्चतम न्यायालय के पर्यवेक्षण में ही कराया जाए। इसमें भी काफी समय लग जाता था, अतः कुछ समय से न्यायालय ने जहां कहीं भी संभव होता है अभिलेख तैयार करने की आवश्यकता को समाप्त करना और अपील की सुनवाई विशेष इजाजत पेपर बुक पर ही करना आरम्भ कर दिया है, परन्तु वह ऐसा तब करता है जब दोनों पक्षकार अपने शपथपत्र और प्रतिशपथ-पत्र दाखिल कर देते हैं।

6. सरकार ने देश में न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहने के लिए विधि आयोग (10 वें विधि आयोग) की नियुक्ति भी की है। विधि आयोग के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित हैं :—

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक प्रशासन प्रणाली समयोचित मांगों के अनुकूल हो और विशेष रूप से :—

(i) इस आधार भूत सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि विनिश्चय न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिए, मामलों के शीघ्र और कम खर्चे पर निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विलंब समाप्त करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने और खर्चों में कमी करने के लिए;

(ii) तकनीकी बारीकियों और विलंबकारी युक्तियों को कम करने और उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, जिससे कि वह साध्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करें; और

(iii) न्याय प्रशासन से संबद्ध सभी व्यक्तियों के स्तरों में सुधार करने के लिए;

न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना।

(ख) सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विषमताओं, संदिग्धार्थताओं और अनुचित बातों को दूर किया जा सके।

(ग) अप्रचलित विधियों और अधिनियमितियों को या उनके ऐसे भागों को जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, निरसित करके कानून पुस्तक को अद्यतन बनाने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना।

आयुध फैक्टरियों में अप्रयुक्त मशीनें

[हिन्दी]

4022. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध फैक्टरियों में मार्च, 1983 तक 201.39 लाख रुपये मूल्य की अप्रयुक्त मशीनें पड़ी थीं;

(ख) यदि हां, तो उन मशीनों के नाम क्या हैं तथा वे किस तारीख को खरीदी गई थीं;

(ग) ये मशीनें किन कारणों से अप्रयुक्त पड़ी थी और इन मशीनों के नाम क्या हैं तथा किस-किस तारीख से ये अप्रयुक्त पड़ी हैं; और

(घ) इन मशीनों का प्रयोग न किए जाने अथवा इन मशीनों को इस्तेमाल में न लाने देने के लिए कौन- कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) हालांकि संविदा में की गई व्यवस्थाओं के अनुसार मशीनों/भट्टी के सफलतापूर्वक संचालन के लिए सप्लाई करने वाली फर्में जिम्मेदार हैं, फिर भी आयुध निर्माणी बोर्ड को इस मामले की प्रगति पर बराबर नजर रखने और इस सम्बन्ध में सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं।

विवरण

क्र०सं०	मशीन का नाम	प्राप्ति की तिथि	उपयोग नहीं किए जाने के कारण
1	2	3	4
1.	हारीजेंटल बोरिंग	दिसम्बर, 1979	डिजाइन संबंधी तकनीकी दस्तावेजों की प्राप्ति में देरी होने के कारण आरंभिक स्थापना में विलम्ब हो गया था और मशीन लगाने के बाद कुछ बड़ी कमियां पाई गई थीं । मामला फर्म के साथ उठाया गया है ।
2.	टर्निंग एंड बोरिंग	जून, 1979	मशीन लगाने के बाद उसके कुछ पुर्जों में खराबी पाई गयी थी और पुनः चालू करने के बाद मशीन बार-बार रुक जा रही थी ।
3.	टर्निंग एंड बोरिंग	अक्तूबर, 1979	मार्च, 1983 तक सप्लायर मशीन को सफलतापूर्वक नहीं चला सके । इसे जून, 1983 में चलाया गया ।
4.	बेलिंग प्रेस	नवम्बर, 1977	दोषपूर्ण डिजाइन के कारण मशीन बार-बार बंद हो जा रही थी । मशीन को ठीक किया जा चुका है और सितम्बर, 1983 में उसे चलाया गया है ।
5.	हार्डनिंग एंड टेंपरिंग भट्टी	जून, 1969	परीक्षण के दौरान मशीन में कई दोष पाए गए जिन्हें सुधारा नहीं जा सका । भट्टी फर्म को वापस लौटा दी गई । खराबी ठीक होने के बाद भट्टी जून, 1980 में वापस प्राप्त की गई । सभी दोषों को सुधारा जा चुका है और भट्टी

1	2	3	4
			का अंतिम परीक्षण किया जा रहा है ।
6.	बिजली से गर्म होने वाली चैंबर टाइप भट्टी	अप्रैल-नवम्बर, 1978	भट्टी में एक दोषपूर्ण ठण्डा टैंक लगा है जो कार्य के लिए असुरक्षित है। मामला सप्लायरों के साथ उठाया गया है ।
7.	क्रेन	अक्टूबर, 1978	फर्म क्रेन को सफलतापूर्वक नहीं चला सकी । वे खराबियों को सुधारने में भी सफल नहीं हुए हैं तथा अब फैक्टरी ने फर्म की जिम्मेवारी एवं खर्चे पर इसका कार्य अपने हाथ में लिया है । क्रेन को शीघ्र ही चला दिए जाने की संभावना है ।

कनस्तर उद्योग

4023. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कनस्तर उद्योग में किये जा रहे शोषण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए आवश्यक सामग्री की कमी को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) कनस्तर उद्योग में शोषण का कोई विशिष्ट मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है। किन्तु सरकार को टिन प्लेटों, जो इस उद्योग के लिए एक प्रमुख कच्ची सामग्री है, की कमी के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । यह पता चला था कि देश में टिन प्लेटों की उपलब्धता में मामूली सी गिरावट आई थी। देश में आपूर्ति में आई गिरावट को पूरा करने के लिए, भारतीय इस्पात प्राधिकरण जो टिन प्लेटों का आयात करने के लिए, मार्गीकृत अभिकरण है, के "अनापत्ति प्रमाणपत्र" की आवश्यकता से छूट देते हुए टिन कनस्तर निर्माताओं द्वारा 15,000 मी० टन तक सामान्य उद्देश्य की नान-आयल कैन साइज प्राइम टिन प्लेटों का सीधा आयात करने की अनुमति दी गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रायगढ़ जिला (मध्य प्रदेश) का औद्योगिकरण

[अनुवाद]

4024. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में रायगढ़ जिला औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ जिला है;

(ख) क्या सरकार ने पिछड़े इस जिले के औद्योगिकीकरण के लिए प्राथमिकता के आधार पर कोई कार्यक्रम शुरू किये थे;

(ग) क्या इस तथ्य के बावजूद कि उक्त जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला है, रायगढ़ जिले के औद्योगिकीकरण करने को प्राथमिकता नहीं दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के उस भाग में निकट भविष्य में अथवा सातवीं योजना के दौरान उद्योगों के विकास के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में उद्योगों की स्थापना करने के लिए उद्यमियों को निम्नलिखित प्रोत्साहन/रियायतें उपलब्ध हैं :—

(1) केन्द्रीय निवेश राजसहायता 10 प्रतिशत की दर से जिनकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये है। (एम० आर० टी० पी०/फेरा कंपनियां केन्द्रीय राज-सहायता की पात्र नहीं है।

(2) रियायती वित्त।

(3) इंजीनियर उद्यमियों को ब्याज राजसहायता।

(4) मूल/सीमांत धन सहायता।

(5) कर रियायत।

(6) किराया खरीद के आधार पर मशीनों की खरीद के लिए सुविधा।

(7) तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श।

(8) केन्द्र संयंत्रों के लिए विशेष रियायत।

इलेक्ट्रानिक प्रशिक्षण काम्प्लैक्स की स्थापना

[हिन्दी]

4025. **श्री हरीश रावत :** क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ने रामनगर (नैनीताल, उत्तर प्रदेश) में किसी इलेक्ट्रानिक्स प्रशिक्षण काम्प्लैक्स की स्थापना की है;

(ख) क्या सरकार का भविष्य में ऐसे और प्रशिक्षण काम्प्लैक्स खोलने का विचार है;

(ग) यदि हां तो उन्हें किन-किन स्थानों पर खोलने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में भी ऐसे काम्प्लैक्स खोलने पर विचार करेगी ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां । भारत सरकार यू० एन० डी० पी०/यू० नि० डो० की सहायता से रामनगर में एकीकृत इलेक्ट्रानिक्स औद्योगिक विकास काम्प्लैक्स की स्थापना करने के लिए सहमत हो गई है ।

(ख) इस संदर्भ में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग) इस अवस्था में यह लागू नहीं होता ।

(घ) जी, नहीं ।

एयरोनाटिक्स के क्षेत्र में प्रगति

[अनुवाद]

4026. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयरोनाटिक्स के क्षेत्र में भारत ने अब तक क्या प्रगति की है;

(ख) क्या हमारे वैज्ञानिकों ने देश में ही हवाई जहाजों के निर्माण के समस्त तंत्र पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिक पूर्ण स्वतन्त्रता एवं दक्षता कब तक प्राप्त कर लेंगे ?

रक्षा मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) भारतीय विमान निर्माण उद्योग ने रक्षा सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देशी डिजाइन पर और विदेशी लाइसेंस के अन्तर्गत सन् 1949 से लगभग 3000 विमानों का उत्पादन किया है । इस समय कई विमानों/इंजन परियोजनाओं के देशी डिजाइन और विकास का कार्य प्रगति पर है ।

(ख) जैसा कि पहले बताया गया है विगत समय में, विमान और सहायक उपस्करों की एक बड़ी मात्रा का देश में उत्पादन किया जा चुका है और इस समय भी उनका उत्पादन किया जा रहा है ।

(ग) विमानों तथा इंजनों के निर्माण के मौजूदा तथा प्रस्तावित कार्यक्रमों में देशी क्षमता का उत्तरोत्तर प्रयोग और इस क्षेत्र में इससे आत्मनिर्भरता प्राप्त होने की आशा है ।

एल०पी०जी० सिलेण्डरों के लिये वितरकों को दिये जाने वाले कमीशन में वृद्धि

4027. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या पैट्रोलियम मंत्री एल०पी०जी० सिलेण्डरों के लिये वितरकों को दिये जाने वाले कमीशन में वृद्धि की मांग के बारे में 8 मई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10339 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तेल लागत सम्बन्धी पुनर्विचार समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है जो जुलाई, 1984 के अन्त तक अपेक्षित था;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने वे सिफारिशें मान ली हैं और वह तद्नुसार निदेश जारी कर रही है; और

(घ) क्या सरकार वस्तुओं के मूल्य में हुई वृद्धि के प्रतिशत और कर्मचारियों के वेतनों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, भविष्य में वितरकों के कमीशन में वृद्धि करने पर विचार कर रही है ताकि वितरक अपने बढ़े हुये खर्च को पूरा करने में सक्षम हो सकें।

पैट्रोलियम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (घ) तेल लागत समीक्षा समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जो समीक्षाधीन है।

सैनिक स्कूलों के सम्बन्ध में शिकायतें

[हिन्दी]

4028. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने सैनिक स्कूल हैं;

(ख) उपर्युक्त स्कूलों में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं; और

(ग) क्या यह शिकायत मिली है कि इन स्कूलों में छोटे बच्चों की न उचित देखभाल की जाती है और न उनको पौष्टिक आहार दिया जाता है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) देश में 18 सैनिक स्कूल हैं।

(ख) वर्तमान शैक्षिणिक वर्ष में सैनिक स्कूलों में 10,025 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं।

(ग) सैनिक स्कूल सोसायटी, उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत विद्यार्थियों की उचित देखभाल करने और उनको पौष्टिक आहार देने का भरपूर प्रयास करती है। अगर इसमें किसी तरह की कमी ध्यान में लाई जाती है तो उसे दूर करने के लिये तत्काल कार्रवाई की जाती है।

थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अन्तर

[अनुवाद]

4029. **श्री के० मोहन दास** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रायः एक दूसरे से काफी भिन्नता होती है;

(ख यदि हां, तो क्या उक्त सूचकांकों के निर्धारण की प्रक्रिया में कोई मूल दोष है;

(ग) क्या सरकार यह महसूस करती है कि सूचकांकों के निर्धारण के लिए कोई अधिक वैज्ञानिक प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) थोक मूल्य के सूचकांक (आधार 1970-71) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960) एक समान नहीं हैं। थोक मूल्य का सूचकांक थोक क्रय-विक्रय स्तर पर समग्र अर्थव्यवस्था में मूल्य की स्थिति को दर्शाता है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खुदरा स्तर पर मूल्य में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। तदनुसार, दोनों सूचकांकों की रचना, वस्तु क्षेत्र तथा तुलनकारी खाके भिन्न-भिन्न होते हैं, किन्तु इन दोनों सूचकांकों में इन अन्तरों के बावजूद भी यह देखा जा सकता है कि समयान्तर में थोक मूल्य सूचकांक के समान ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भी वही परिवर्तन हो जाते हैं।

(ख) इन दोनों सूचकांकों की परिगणना लासपेयर्सर के वस्तुओं, विशिष्टियों, बाजारों/दुकानों वाले फार्मूले के अनुसार भारित अंकगणित माध्य के सिद्धान्त के आधार पर की जाती है और आधार वर्ष में तुलनकारी खाका अपरिवर्तित रहता है।

(ग) और (घ) ये दोनों सूचकांक वर्षों से अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन दर्शाते हैं, इस बात का सुनिश्चय करने के लिए दोनों ही सूचकांकों में संशोधन किया जा रहा है।.

सहयोग समझौतों में विदेशी ब्राण्ड नामों का प्रयोग

4030. **श्री बी० किशोर चन्द्र एस०देव :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यामाहा के साथ एस्कोर्ट्स के, वेस्पा के साथ लोहिया के, होण्डा के साथ हीरो के सहयोग समझौतों में एक शर्त है कि वे विदेशी ब्रांड नामों का प्रयोग नहीं करेंगे;

(ख) इनमें से कौन-सी कम्पनी विदेशी ब्रांड नामों का प्रयोग कर रही है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार के अनुमोदन के बिना विदेशी ट्रेड मार्क "चेस्टर फील्ड्स" का प्रयोग करने के कारण सरकार का विचार मैसर्स गाडफ्रे फिलिप्स के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) सरकार ने एस्कोर्ट्स, लोहिया, हीरो और गोडफ्रे फिलिप्स अपने उत्पादों को देश में बेचने

के लिए विदेशी ब्रांड नामों की अनुमति नहीं दी है। विदेशी सहयोग नीति के अनुसार देश के भीतर बेचे जाने वाले उत्पादों पर विदेशी ट्रेड मार्क के प्रयोग की सामान्यतः अनुमति नहीं दी जाती है, हालांकि निर्यात किये जाने वाले उत्पादों के लिए इसके प्रयोग पर कोई आपत्ति नहीं है।

विदेशी ब्रांड नामों का उपयोग करने सम्बन्धी नीति की समीक्षा की जा रही है।

रायगढ़, महाराष्ट्र में पैट्रो-केमिकल्स काम्पलैक्स की स्थापना

4031. **श्री डी०बी० पाटिल**
श्री बालासाहिब विखे पाटिल } : क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में नागोढाणे में पैट्रो-कैमिकल्स काम्पलैक्स का विकास किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस काम्पलैक्स के लिए बड़े पैमाने पर कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने परियोजना की लागत में विस्थापित कृषकों के पुनर्वास की लागत को भी शामिल कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो किस हद तक ?

पैट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (घ) महाराष्ट्र के जिला रायगढ़ के नागो थाणे, में पैट्रोकेमिकल्स काम्प्लैक्स का काम चल रहा है। 558 हैक्टेयर के कुल क्षेत्र में 226 हैक्टेयर कृषि भूमि है। विस्थापित किसानों के पुनर्वास के लिए व्यवस्था रखी गई है। महाराष्ट्र रिसेटलमेंट आफ प्रोजेक्ट डिस्पलेस्ड परएन्स एक्ट 1976 की शर्तों के अनुसार पुनर्वास की लागत का निर्धारण किया जाएगा।

सीमेंट की घरेलू मांग को पूरा करने के लिये इसका उत्पादन बढ़ाया जाना

4032. **प्रो० पी०जे० कुरियन** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमेन्ट की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से इसका उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार विद्यमान यूनिटों का विस्तार करने तथा नए यूनिटों की स्थापना करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर पुनः विचार करने का है, क्योंकि इस समय देश में चल रहे निर्माण कार्य के लिए देश में उपलब्ध मात्रा से अधिक मात्रा में सीमेंट की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा हाल में घोषित सीमेंट नीति में संशोधन करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो आवश्यकता के अनुसार सीमेंट का उचित भंडार बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य वैकल्पिक उपाय अपनाए जाने का विचार है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विद्यमान क्षमता का और उपयोग करके तथा अधिष्ठापन के लिए अतिरिक्त क्षमता की मंजूरी देकर देश में सीमेंट की उपलब्धता बढ़ाने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं। सीमेंट के आंशिक विनियंत्रण की नीति की निरन्तर समीक्षा की जाती है और जब आवश्यक समझा जाएगा इसमें संशोधन किया जाएगा।

लघु क्षेत्र के उद्योगों द्वारा औषधियों का स्वदेशी उत्पादन

4033. **श्री डी०पी० जदेजा**
श्री मोती लाल सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश मामले में, जिन औषधियों को हमारे देश में कच्चे माल के रूप में आयात करने की अनुमति है, उन पर उनके इन्टरमीडिएट्स की तुलना में कम सीमा शुल्क देना पड़ता है; और

(ख) यदि उनका आयात किया जाता है, तो क्या सरकार की नीति औषधियों के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन देने की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने लघु क्षेत्र के उद्योगों में औषधियों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस मामले में क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) साधारणतया प्रपुंज औषधों के आयात पर 60 प्रतिशत यथामूल्य मूल शुल्क तथा 40 प्रतिशत यथा मूल्य पूरक शुल्क लगाया जाता है। इसी तरह, औषध मध्यवर्तीयों के आयात पर 70 प्रतिशत यथा मूल्य मूल शुल्क, 40 प्रतिशत यथा मूल्य पूरक शुल्क तथा 12 प्रतिशत यथा मूल्य काउन्टर बेलिंग शुल्क लगाया जाता है। तथापि, अनेक प्रपुंज औषधों, फार्मूलेशनों तथा औषध मध्यवर्तियों पर रियायती दर से सीमा शुल्क लगाया जाता है।

(ख) जी हां, यदि ऐसा उत्पादन मूल्य प्रभावी हो।

(ग) लघु क्षेत्र एकक अपने राज्यों के औषध नियंत्रकों से सम्बद्ध प्रपुंज औषध के उत्पादन

एवं विपणन की अनुमति ले लेने के पश्चात किसी भी प्रपुंज औषध का उत्पादन शुरू करने के लिए स्वतंत्र है जबकि संगठित क्षेत्र के एकक ऐसा नहीं कर सकते। लघु क्षेत्र एककों में उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे एककों को कई अन्य रियायतें भी दी गई हैं।

बीमाकृत पार्सलों की चोरी

4034. **श्री कान्ती प्रसाद पाण्डेय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ बीमाकृत पार्सल गन्तव्य स्थान तक पहुंचने से पहले ही चुरा लिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हुई ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि डाक विभाग के कर्मचारी बीमाकृत पार्सलों की चोरी में अन्तर्ग्रस्त हुए पाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन के कारण प्रदूषण

4035. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन द्वारा निकटवर्ती मुवातुपुझा नदी में फैंके जाने वाले कचरे के कारण पैदा होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कदम उठाने का है ?

उद्योग और कम्पनी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : हिन्दुस्तान न्यूजप्रिन्ट्स लिमिटेड मुवातुपुझा नदी में फैंके जा रहे कचरे के कारण पैदा होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सभी प्रयास कर रही है। ठोस पदार्थों और रंगों को हटाने के लिए प्राथमिक शोधन की और बी०ओ०डी० हटाने हेतु गौण शोधन की निस्सारण व्यवस्था की जाती है तथा राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक प्राप्त कर लेने के बाद ही इन पदार्थों का निस्सारण मुवातुपुझा नदी में किया जाता है। कम्पनी नदी में निस्सारण की मात्रा न्यूनतम करने के लिए संयंत्र के अन्दर अभ्युपाय कर रही है।

चन्द्रपुर, भंडारा और गढ़चिरोली को सीधे डायल सेवा द्वारा बम्बई और दिल्ली से जोड़ना

[हिन्दी]

4036. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि चन्द्रपुर, भंडारा और गढ़चिरौली, महाराष्ट्र के विकासशील जिले हैं और नए उद्यमियों को संचार के अपर्याप्त साधनों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या सरकार का इन तीन जिलों को बम्बई, नागपुर या दिल्ली के साथ सीधी डायल सेवा द्वारा जोड़ने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) चन्दरपुर, भंडारा एवं गढ़चिरौली के लिए एस०टी०डी० सेवा सातवीं योजना अवधि के दौरान प्रदान किए जाने की सम्भावना है जिससे ये शहर न केवल नागपुर एवं दिल्ली से अपितु देश के शेष भागों के साथ भी सम्पर्क कर सकते हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण के लिये पृथक मंत्रालय

[अनुवाद]

4037. **श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास में तेजी लाने और उनकी सहायता करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण हेतु एक पृथक मंत्रालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या रोजगार अवसर और अन्य लाभ प्राप्त करने में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों की सरकार को जानकारी है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं का 1984 में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने

विस्तार से अध्ययन किया है। समिति की सिफारिशों पर सरकार कार्रवाई कर रही है। भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्राप्त करने में होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार ने समय-समय पर उपयुक्त उपाय शुरू किए हैं जिनमें से अधिक उल्लेखनीय उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) केन्द्रीय सरकार के अधीन आने वाले पदों की भरती में आरक्षण की नीति लागू की गई है जिसमें अपेक्षित शैक्षिक अर्हताओं और आयु-सीमाओं से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानों में छूट दी गई है। राज्य सरकारों से भी इसी प्रकार के उपाय करने की सिफारिश की गई है।

(2) केन्द्र के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए भी आरक्षण नीति लागू की गई है। (राज्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये भी ऐसी ही नीति अपनाने की सिफारिश की गई है)।

(3) निजी क्षेत्र में, वैतनिक रोजगार और स्वतः रोजगार क्षेत्रों में, भूतपूर्व सैनिकों को तैयार करने के लिए उनको विविध योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(4) सम्बन्धित मंत्रालयों/सरकारों के साथ भूतपूर्व सैनिकों को कर्माशियल बूथ, व्यापारिक क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सियों, परिवहन सेवा आदि का प्राथमिक/अधिमान्य आबंटन करने की एक नीति बनाकर भूतपूर्व सैनिकों को लाभकारी स्वतः रोजगार में लगाकर उनको सहायता प्रदान की जाती है।

क्षमता से कम कार्य करने वाले फार्मास्यूटिकल एकक

4038. **श्री थम्पन थामस** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन अनेक फार्मास्युटिकल्स एकक कच्चे माल की कमी होने के कारण क्षमता से कम कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन एककों का ब्यौरा क्या है जो अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं तथा उनकी मूल क्षमता कितनी है; और

(ग) उक्त एककों द्वारा पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) सान्द्रित निट्रिक एसिड तथा औद्योगिक अल्कोहल की अपर्याप्त उपलब्धतता के कारण कुछ भेषज एककों का उत्पादन प्रभावित हुआ था।

राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० (आर०सी०एफ०) के निट्रिक एसिड संयंत्रों के एक स्ट्रीम को प्रदूषण पहलू पर राज्य सरकार की आपत्ति के कारण बन्द करना पड़ा। सांद्रित निट्रिक एसिड क० कीमी को सूचना प्राप्त होने पर, स्थिति का पुनरीक्षण किया गया। आर०सी०एफ०

को यह सलाह दी गई है कि प्रपुंज औषध उत्पादकों की तरह के पूर्वता वाले उपभोक्ताओं को साम्ब्रित सिट्रिक एसिड की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें।

जहां कहीं आवश्यक होता है अल्कोहल तथा अल्कोहल पर आधारित मध्यवर्तियों के आयात की अनुमति दी जाती है।

"नगद भुगतान करके, सिलिण्डर ले जाओ" प्रणाली के आधार पर खाना पकाने की गैस की सप्लाई

4040. **श्री कमल नाथ** : क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नगद भुगतान करो, सिलिण्डर ले जाओ" प्रणाली के आधार पर उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस के सिलिण्डर सप्लाई करने की कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) क्या इस बात पर विचार किया गया है कि यह प्रणाली उपभोक्ताओं के लिए खतरनाक मंहगी और असुविधाजनक सिद्ध होगी; और

(ग) वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) तेल उद्योग ने कुछ बाजारों में जहां सेल्फ क्लोजिंग वाल्व वाले सिलण्डरों का प्रयोग होता है, प्रयोग के तौर पर "पैसे दो और ले जाओ, योजना चालू की। उपभोक्ताओं के लिए यह स्कीम ऐच्छिक है। इस योजना को चालू करते समय सुरक्षा, लागत और सुविधा जैसे पहलुओं पर विचार किया गया है। उन उपभोक्ताओं को, जो इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, घर में सुपुर्दगी में आने वाली अवसरिक समस्याओं से राहत देने का भी इरादा है।

दिल्ली उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए लंबित याचिकायें

4041. **श्री प्रभावि चरणदास** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली उच्च न्यायालय में 31 मार्च, 1985 को पुनरीक्षण के लिए कितनी याचिकाएं लंबित थीं;

(ख) क्या न्यायाधीशों पर कार्यभार बहुत अधिक है;

(ग) क्या बकाया कार्य निपटाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) दिल्ली उच्च न्यायालय में 31 मार्च, 1985 को न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या कितनी थी ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 31.12.1984 को निम्नलिखित सिविल और आपराधिक पुनरीक्षण याचिकायें मामले लंबित हैं :—

पुनरीक्षण याचिकायें (सिविल)	1788
पुनरीक्षण याचिकायें और मामले (आपराधिक)	703
योग	2491

(ख) और (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय में, कार्यभार के आधार पर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और सरकार उन पर विचार कर रही है।

(घ) दो पद रिक्त थे।

औषध-उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव

4042. **श्री मोहन भाई पटेल**
श्री अमर सिंह राठवा } : **क्या रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितनी बहुराष्ट्रिक कम्पनियां औषधों का उत्पादन कर रही हैं;

(ख) क्या औषधों के उत्पादन के लिए कच्चा माल आयात किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान कितने मूल्य का कच्चा माल आयात किया गया;

(घ) क्या इन कम्पनियों द्वारा आयातित औषधों का निर्यात किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि के दौरान इन कम्पनियों द्वारा कितनी मात्रा में औषधों का निर्यात किया गया;

(च) क्या औषध उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) ऐसी 16 फेरा औषध कम्पनियां हैं जिनकी प्रत्यक्ष विदेशी साम्य पूंजी 40 प्रतिशत से अधिक है।

(ख) से (घ) कच्चे माल के आयात के लिए आयात एवं निर्यात नीति के अनुसरण में अनुमति दी जाती है। व्यक्तिगत कम्पनियों द्वारा किए गए आयातों की इस मंत्रालय द्वारा निगरानी की जाती है।

(ङ) फेरा कम्पनियों द्वारा निर्यात किए गए औषधों की मात्रा उपलब्ध नहीं है। तथापि उन 16 फेरा औषध कम्पनियों द्वारा किए गए निर्यात के मूल्य संलग्न किए गए हैं।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1983-84 के दौरान 16 फेरा कम्पनियों के निर्यात

क्रमांक	कम्पनी का नाम	निर्यात (रु० हजार में)
1.	मै० बरोज वेलकम एण्ड कम्पनी (आई०) पी० लि० बम्बई	694.1
2.	मै० बूटस कम्पनी (इंडिया) लि०, बम्बई	12010.8
3.	मै० बेयर (आई०) के० लि०, बम्बई	1447.2
4.	मै० सिनमाइड इंडिया लि०, बम्बई	502.1
5.	मै० ई० मर्क (आई०) लि०, बम्बई	12413.5
6.	मै० होचेस्ट फार्मास्युटिकल्स लि०, बम्बई	147979.4
7.	मै० हिन्दुस्तान सीबा गेगी लि०, बम्बई	52820.6
8.	मै० जोनसन एण्ड जोनसन लि०, बम्बई	1189.1
9.	मै० मर्क शार्प एण्ड डोहमे आफ इंडिया लि०, बम्बई	173.5
10.	मै० पाइजर लि०, बम्बई	5774.3
11.	मै० रोचे प्रोडक्ट्स लि०, बम्बई	12060.0 (अक्तू० 83)
12.	मै० सैन्डोज (आई) लि०, बम्बई	11166.8
13.	मै० दि बलकली एण्ड कैमिकल्स कार्पो० आफ इंडिया लि०, कलकता	6422.0
14.	मै० यूनी सेन्चयो लि०, बम्बई	एन०ए०
15.	मै० वेयथ लेबोरेटरीज लि० बम्बई	75.4
16.	मै० स्मिथ केलमेक्स फ्रेंच	2032.7

एल्कोहल के मूल्य में वृद्धि

4043. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने सरकार से एल्कोहल का मूल्य बढ़ाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सिफारिश स्वीकार कर ली है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) शीरे एवं अल्कोहल की लागत एवं मूल्य संरचना का अध्ययन करने के पश्चात् औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो ने सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

टाटा बन्धुओं द्वारा बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की योजना

4044. श्री बी०बी० देसाई : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा बन्धुओं ने दूर संचार कम्प्यूटर आधुनिक साज सामान आदि और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों जैसे उच्च प्रौद्योगिक वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश करने का संकेत दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार टाटा बन्धुओं द्वारा प्रस्तावित बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की योजना से सहमत हो गई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने कौन से क्षेत्रों में सहमति प्रदान की है; और

(घ) टाटा बन्धुओं ने कुल कितने पूंजी निवेश का प्रस्ताव रखा है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) टाटा ग्रुप आफ कंपनीज की विभिन्न कम्पनियों को 1982 से 1985 की अवधि में बिक्री योग्य इस्पात, ट्रक और बस की चेसियां, पी० एण्ड एच० इलेक्ट्रिक माइनिंग शॉवेल, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, पैकेज्ड यूनिट आदि, गनिंग उपकरण, स्लाइड गेटों को चलाने के लिए उपकरण, भूमिगत खान सम्बन्धी कार्यों के लिए क्राउलर तथा व्हील माउंटेड साइड/फ्रंट डम्प लोडर और डाक्युमेंट एन्कोडर जैसी वस्तुओं के निर्माण के लिए आशय-पत्र मंजूर किए गए हैं। इन आवेदनों

में दिया गया अनुमानित पूंजी निवेश लगभग 400 करोड़ रुपए है। सरकार द्वारा मंजूर किए जाने वाले इन कम्पनियों के अन्य प्रस्ताव पोर्टलैंड ब्लास्ट फरनेस, माडेम आदि, एम०आई०सी०आर० कारट्रिज रिबन, इंडस्ट्रियल मशीनें, डाइग्लिकोल कार्बोनेट मोनोमर आदि, प्रोसेस कंट्रोल तथा मैनेजमेंट सिस्टम और ई०पी०ए०बी० एक्सचेंज जैसी वस्तुएं बनाने के सम्बन्ध में है जिनसे लगभग 100 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की परिकल्पना की गई है।

उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र की विभिन्न तेल कम्पनियों की भण्डारण की क्षमता में वृद्धि

4046. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों की डीजल, पैट्रोल, मिट्टी का तेल, भट्टी तेल आदि के भण्डारण की वर्तमान भण्डारण क्षमता बहुत ही अपर्याप्त है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने उनके मंत्रालय को उस राज्य में सरकारी क्षेत्र की विभिन्न तेल कम्पनियों की भण्डारण क्षमता को तुरन्त बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करने का निवेदन किया था; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार के अनुरोध को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

पैट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, नहीं। उड़ीसा में पहले से ही उपलब्ध प्रोडक्ट भंडारण क्षमता को उस राज्य की पी०ओ०एल० उत्पादों की चालू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार देश में उत्पाद की भंडारण क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से अतिरिक्त उत्पाद टैंकेज कार्यक्रम के पहले चरण के अन्तर्गत उड़ीसा में टैंकेज क्षमता को 6357 किलो लीटर तक बढ़ाया जा रहा है। आशा है यह काम 1985 के अन्त तक पूरा हो जाएगा। चरण II क के अन्तर्गत भंडारण क्षमता को 10532 किलो लीटर तक बढ़ाने के लिए स्वीकृति दे दी गई है तथा इसके 1986-87 तक पूरा हो जाने की आशा है। पारादीप में टर्मिनल स्थापित करने का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है।

1985-86 में कुओं की खुदाई

4047. **श्री धर्म पाल सिंह मलिक** : क्या पैट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985-86 के दौरान देश में कितने नए कुओं की खुदाई किए जाने की सम्भावना है;

(ख) किन स्थानों पर इन कुओं की खुदाई का कार्य होगा;

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(घ) इन कुओं से कितना तेल प्राप्त होने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) वर्ष 1985-86 में 159 अन्वेषी कुओं के व्यधन की योजना है ।

(ख) ये कुएं निम्नलिखित बेसिनों में खोदे जाएंगे :—

बम्बई अण्डमान उत्तर-पूर्वी समुद्रतट	अपतटीय क्षेत्र
कौम्बे असम अरुणाचल प्रदेश राजस्थान महानदी हिमाचल की तराइयां तथा गंगा घाटी	तटीय क्षेत्र
कच्छ-सौराष्ट्र कृष्णा-गोदावरी कावेरी बंगाल	अपतटीय तथा तटीय क्षेत्र

(ग) 570 करोड़ रुपये ।

(घ) इस अवस्था में इन अन्वेषी कुओं से होने वाले उत्पादन की मात्रा बताना सम्भव नहीं है ।

न्यायालयों में जेरोक्स मशीनों का प्रयोग

4048. **श्री ई० अय्यापु रेड्डी** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेरोक्स मशीनों आदि के प्रयोग द्वारा मुकदमा लड़ने वालों को साक्ष्य अभिलिखित करने और साक्ष्य तथा निर्णय की प्रतियां तुरन्त उपलब्ध करने के प्रयोजन के लिए अधीनस्थ विचारण न्यायालयों में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) विधि आयोग ने अपनी 77वीं रिपोर्ट में, सिफारिश की है कि निर्णयों और अभिसाक्ष्यों को टाइप करके उनकी प्रतियां बनाने की बजाय, यांत्रिक या इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया द्वारा यह कार्य सम्पन्न किया जा सकता है। यह रिपोर्ट 1979 में सदन के पटल पर रखी गई थी और राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को भी भेज दी गई थी क्योंकि इस सम्बन्ध में कारंवाई उन्हें ही करनी थी। इस रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के बारे में राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों का ध्यान, जून, 1982 में पुन: आकर्षित किया गया था।

बिहार में डाक और तार घर खोलना

4049. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में वर्ष 1985-86 के दौरान कुल कितने डाक घर खोले जाने का विचार है;

(ख) बिहार में वर्ष 1985-86 के दौरान कुल कितने तार घर खोले जाने का विचार है; और

(ग) उक्त डाकघरों और तार घरों में से कितने पिछड़े, पर्वतीय आदिवासी और दूर दराज के क्षेत्रों में खोले जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1985-86 के दौरान बिहार में खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों की संख्या को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) 1985-86 के दौरान बिहार में जो तार घर खोलने का प्रस्ताव है उनकी कुल संख्या अभी निर्धारित की जानी है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

निगरानी संगठन

4050. **श्री के० राममूर्ति** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निगरानी संगठन के कृत्य क्या हैं;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में इस संगठन के लिए क्या योजना परिव्यय निर्धारित किए गए हैं;

(ग) अब तक इस संगठन में कुल कितनी राशि व्यय की है; और

(घ) यदि संगठन के कार्यकरण में कोई कमियां हैं तो उनको दूर करने और इसे गतिशील

बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि छठी योजना के लक्ष्य प्राप्त किये जा सकें ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अनुश्रवण संघटन एक "क्षेत्रीय" संगठन है जो विभिन्न केन्द्रों में किए गए बेतार अनुश्रवण के आधार पर मंत्रालय (बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कन्ध) को आवश्यक तकनीकी और सम्बद्ध आंकड़े सुलभ करता है ताकि राष्ट्रीय रेडियो विनियामक प्राधिकरण के रूप में मंत्रालय अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय तथा आवृत्ति पंजीकरण और पृथ्वी के समतुल्य कक्षा में उपग्रहों की स्थिति सहित रेडियो आवृत्ति वर्णक्रम प्रबन्ध सम्बन्धी अपने दायित्व को कुशलतापूर्वक निभा सके ।

(ख) 800 लाख रुपये ।

(ग) 351.07 लाख रुपये ।

(घ) कोई खास कमियां नहीं हैं । फिर भी कार्यान्वयनाधीन कुछ योजनायें आर्डर किये गये उपस्कर के वितरण में देरी होने के कारण सातवीं योजना में पूरी होंगी ।

केरल में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

4051. **श्री टी० बशीर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केरल में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो केरल परिमण्डल में यह एक्सचेंज किन-किन स्थानों पर खोले जाने हैं; और

(ग) इन एक्सचेंजों द्वारा कब तक कार्य आरम्भ करने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां ।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) इन एक्सचेंजों के 1985-86 के दौरान चालू हो जाने की संभावना है बशर्ते कि उपस्कर और अन्य साज सामान उपलब्ध रहे ।

विवरण

उन स्थानों के नाम जहां एक्सचेंज खोले जाने का प्रस्ताव है ।

1. मुरीकसैरी
2. चेला चसादव
3. सनेल्ली

4. टीकी

5. कदापथ

6. आरत्तुपुझा

7. थिरुमेनी

8. पाराकदाऊ

9. मालुर

10. सूर्यनिल

11. थेरुवेगापुझा

12. पनथी पानकी

13. पुजातिरी

14. आविपरांडा

15. मानाथुर

खोले जाने वाले प्रस्तावित 15 एक्सचेंजों में से क्रम सं० 2 और 10 के एक्सचेंज ई०एस० ए०एक्स० 9 : 2 : 1 किस्म के और शेष एम०ए०एक्स० III किस्म के होंगे।

विटामिन सी के मूल्य में वृद्धि

4052. **श्रीमती किशोरी सिंह :** क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारतीय औषधि कम्पनियों द्वारा विटामिन सी के मूल्य में वृद्धि की अनुमति दी है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत 12 महीनों के दौरान कितनी बार और कितनी मूल्य वृद्धि की अनुमति दी गई ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जो मैसर्स अम्बालाल सारा भाई एन्टरप्राइसेस का एक एकक है, द्वारा उत्पादित किये जाने वाले विटामिन "सी" और इसके लवणों का प्रतिधारण मूल्य औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1979 के उपबन्धों के अधीन 27 मार्च, 1985 को बढ़ाया गया था। मूल्य में वृद्धि की अनुमति औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की सिफारिशों पर आधारित थी।

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान, विटामिन "सी" तथा इसके लवणों के मूल्य में वृद्धि की अनुमति केवल एक बार 27 मार्च, 1985 को दी गई।

नैफ्था पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना

4053. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैफ्था पर आधारित और अधिक उर्वरक कारखाने स्थापित किये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कितने कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं और कहां-कहां पर स्थापित किये जा रहे हैं; और

(ग) क्या गैस पर आधारित उर्वरक एककों की स्थापना में होने वाले विलम्ब के कारण यह निर्णय किया गया है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां, । फीडस्टाक के रूप में नैफ्था पर आधारित एक कारखाना आन्ध्र प्रदेश में काकीनाडा में स्थापित किया जा रहा है ।

(ग) जी, नहीं ।

दवाईयों की कीमतों का निर्धारण

8054. श्री लक्ष्मण मल्लिक : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दवाइयों की कीमतें बहुत अधिक हैं और सामान्य लोग उन्हें खरीद पाने की स्थिति में नहीं हैं;

(ख) क्या दवाइयों की कीमतें बढ़ाते समय दवाइयां बनाने वाली कम्पनियां सरकार से मन्जूरी प्राप्त करती हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार की मन्जूरी पर आधारित मूल्य सूचकांक आदेश के पश्चात बाजार में आई दवाइयों के नाम और संख्या के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन दवाइयों को सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं । ज्यादातर दवाइयों के मूल्य, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के प्रावधानों के अन्तर्गत विनियमित हैं ।

(ख) मूल्य नियंत्रित फार्मूलेशनों के मूल्यों में संशोधन करने से पूर्व निर्माताओं को उक्त आदेश के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकार की पूर्व अनुमति लेना अपेक्षित है।

(ग) और (घ) 347 बल्क औषधें मूल्य नियंत्रित हैं जो औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 की प्रथम और द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। इन औषधों पर आधारित फार्मूलेशनों की संख्या काफी अधिक है। इन बल्क औषधों और इनके फार्मूलेशनों के मूल्य पर कानूनी नियंत्रण, उपभोक्ताओं का उपयुक्त और तर्कसंगत मूल्यों पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

गार्डन रीच वर्कशाप लि० कलकत्ता द्वारा असैनिक वस्तुओं का निर्माण

4055. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को इस बात की जानकारी है कि कलकत्ता की गार्डन रीच वर्कशाप लि०, रोड रालर आदि जैसी गैर-रक्षा असैनिक वस्तुओं का भी निर्माण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि गार्डन रीच वर्कशाप लि० द्वारा केवल नियमित रक्षा वस्तुओं का ही निर्माण किया जाना चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव का क्या ब्यौरा है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) गैर रक्षा वस्तुओं के निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया है ताकि उपलब्ध क्षमता का अधिक अच्छा उपयोग किया जा सके।

(ग) और (घ) जी, नहीं। लेकिन कम्पनी की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए मिले-जुले उत्पादनों को युक्तिसंगत बनाने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

आयात किए गए कच्चे माल के दुरुपयोग के लिए कम्पनियों का निरीक्षण

4056. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान सारणीबद्ध और आयात किये गए कच्चे माल का दुरुपयोग रोकने के लिए कितने निरीक्षण किए गए;

(ख) उन कम्पनियों का नाम क्या है जिनका निरीक्षण किया गया और किस प्रकार की अनियमितताएं उजागर हुई हैं;

(ग) क्या बल्क औषधियों का आयात करने की घटनाओं और अन्य कुछ अनियमितताओं से उनको अवगत कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इस संबंध में कोई निरीक्षण नहीं किए गए ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) औषधों के आयात और उनकी अधिप्राप्ति को समय-समय पर विद्यमान आयात और निर्यात नीति के अधीन विनियमित किया जाता है । निर्दिष्ट स्वरूप का कोई मामला मन्त्रालय के ध्यान में नहीं आया है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य सरकारों को अतिरिक्त लेवी सीमेंट जारी करना

4057. **श्री लक्ष्मण मल्लिक** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का कुछ राज्य सरकारों को, उनकी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए उनके सामान्य आबंटन के अलावा, अतिरिक्त लेवी सीमेंट जारी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा के कोरापुट जिले में दूर संचार सुविधाओं का विकास

4058. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा मण्डल द्वारा उड़ीसा के कोरापुट जिले में दूर संचार के विकास के लिए छठी योजना के दौरान कौन-कौन से कार्यक्रम तैयार और अनुमोदित किए गए तथा उन्हें निष्पादित किया गया;

(ख) किन-किन स्थानों पर टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध करायी गई, नये एक्सचेंज खोले

गये तथा जिला और अन्य सब डिविजनल मुख्यालयों से अब तक कितने ब्लाकों और सब डिविजनों को जोड़ा जा चुका है;

(ग) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के सभी कार्यक्रम पूरे कर लिए गये हैं;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आदिवासी क्षेत्रों, विशेषकर कोरापुट जिले के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा तैयार किए गए तथा प्रस्तुत किए गए सातवीं योजना के कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है।

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जानकारी विवरण एक में दी गई है।

(ख) जानकारी विवरण-दो में दी गई है।

(ग) जी, नहीं। कुछ ही कार्यक्रम पूरे नहीं किये जा सके।

(घ) जानकारी विवरण-तीन में दी गई है।

(ड.) जानकारी विवरण तीन में दी गई है।

विवरण-एक

कोरापुर जिले में छठी योजना के दौरान प्रस्तावित एवं कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रम :

प्रस्तावित :

1. 25 लाइनों के 2 नये एम० ए० एक्स-II चालू करना
2. एक्सचेंज की क्षमता का 1085 लाइनों द्वारा विस्तार
3. 53 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन संयुक्त डाक तार घर खोलना
4. एक टेलेक्स एक्सचेन्ज
5. एक मेनुअल ट्रंक बोर्ड
6. 6 ओपन वायर कैरियर प्रणालियां चालू करना
7. 400 लाइन के एम० ए० एक्स-II (इलेक्ट्रानिक) द्वारा कोरापुट एक्सचेंज का स्वचलीकरण

कार्यान्वित :

1. 9 नये एम० ए० एक्स-III (25 लाइन) चालू किये गए
2. एक्सचेंज की क्षमता का 575 लाइनों द्वारा विस्तार किया गया
3. 37 एल० डी० पी० टी० सी० ओ०- खोले गए

4. टेलैक्स एक्सचेंज—शून्य

5. 3 मेनुअल ट्रंक बोर्ड

6. 5 ओपन वायर कैरियर प्रणालियां

विवरण-दो

उन स्थानों के नाम, जहां छठी योजना के दौरान नये टेलीफोन एक्सचेन्ज प्रदान किये गये

1. अम्बडोला	2. बोईपारीगुडा
3. बोरीगुम्मा	4. बिस्साम कटक
5. बालीभेला	6. चित्रकोंडा
7. दमनजोदी	8. दमनजोदी टाउनशिप
9. पंचपट्टीमेल (दमाजोदी हिलटाप)	

II. उन स्थानों के नाम जहां छठी योजना के दौरान एल० डी० पी० टी०/सी० ओ० जैसी टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की गई

1. अतिगांव	2. अम्बडोला
3. बीसिंहपुर	4. बालीमेला
5. बालीगांव	6. विक्रमपुर
7. भैजाहांडी	8. चन्द्रपुर
9. चारामुला कुसुमी	10. चित्रकोंडा
11. चन्बीली	12. दानगासुरदा
13. डिगिसलफा	14. डोम्बासोरा
15. डुमरीपैट	16. गिरला
17: जलतंर	18. झालीगुडा
19. कुमली	20. कामता
21. कुन्दूली	22. कल्याणसिहपुर
23. कुजेन्द्री	24. कालीमेला
25. कांगों	26. लिमापदर
27, मेदलपुर	28. नउकोटे

29. पत्रपुट
30. पुटासिंह
31. रामगिरी
32. राजौरा
33. सुनकी
34. सिकापल्ली
35. सिकारपई
36. तुम्बरला
37. उखम्भा

अम्बडोला, बालीमेला, चित्रकोंडा में खोले गए लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों को बाद में एम० ए० एक्स-III में बदल दिया गया।

छठी योजना के दौरान

III. 1. काली मेला ब्लाक मुख्यालय मल्कानगिरी स्थित इसके उपमण्डलीय मुख्यालय से जोड़ा गया।

2. कल्याणसिंहपुर ब्लाक मुख्यालय रायगढ़ा स्थित इसके उपमण्डलीय मुख्यालय से जोड़ा गया।

3. चन्द्रपुर ब्लाक मुख्यालय गुनुपुर स्थित इसके उपमण्डलीय मुख्यालय से जोड़ा गया।

विवरण-तीन

छठी योजना के दौरान पूरे नहीं किये जा सके कार्यक्रमों का ब्यौरा—इसके कारण

1. पहाड़ी भू-भाग, पावर पैरेलिलिजम और साज-सामान की कमी के कारण लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन/संयुक्त डाक तार घर प्रदान नहीं किये जा सके।

2. कोरापुट एक्सचेंज का उपस्कर और भवन के अभाव में स्वचल नहीं बनाया जा सका।

3. अपेक्षित मांग न होने के कारण टेलेक्स एक्सचेंज चालू नहीं किया जा सका।

कोरापुट जिले के जनजातीय क्षेत्रों के लिए सातवीं योजना के प्रस्तावों का ब्यौरा

1. 13 एम० ए० एक्स०III नये एक्सचेंज खोलना।

2. एक्सचेंज की क्षमता में 1800 लाइनों की वृद्धि करना।

3. 185 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर/संयुक्त डाक तार खोलना।

4. एक नया टेलेक्स एक्सचेंज खोलना।

5. 3 मार्गों पर प्वाइंट-टू-प्वाइंट एस० टी० डी० शुरू करना।

6. 100 कि० मी० यू० एच० एफ० रूट जोड़ा।

7. सात मेनुअल एक्सचेंजों का स्वचलीकरण करना।

8. कोरापुट गौण क्षेत्र में समन्वित अंकीय नेटवर्क योजना शुरू करना।

इन प्रस्तावों पर तभी कार्रवाई की जाएगी यदि साज सामान और संसाधन उपलब्ध रहेंगे तथा परियोजनायें वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य होंगी।

उड़ीसा में रामगढ़, नया टेलीफोन उपमंडल खोलना

4059. **श्री गिरिधर गोमांगी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुनुपुर क्षेत्र को ब्रह्मपुर टेलीफोन उपमण्डल से अलग करने और उसको जैपुर उपमण्डल के साथ मिलाने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या वर्तमान जैपुर उपमण्डल को विभाजित करके रामगढ़ में एक नया टेलीफोन उप-मण्डल खोला जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो यह नया उपमण्डल कब तक खोले जाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) रामगढ़ में एक नए तार उप-मण्डल के प्रस्ताव पर तभी कार्रवाई की जाएगी जब मौजूदा मानदण्डों के अनुसार उसका औचित्य बनेगा।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में विधिक सहायता समितियों का कार्यक्रम

4060. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धन व्यक्तियों को विधिक सहायता देने के लिए उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में विधिक सहायता समितियां कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है; और

(ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को इस सम्बन्ध में दी जा रही वित्तीय सहायता का ब्योरा क्या है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां ।

(ख) उच्चतम न्यायालय में कार्यरत विधिक सहायता समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया, सरकार द्वारा जारी किए गए तारीख 10-7-1981 के कार्यालय ज्ञापन से शासित होती है । ज्ञापन की एक प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1091/85**] चूंकि राज्य सरकारों का संबंध उनके राज्यों में विधिक सहायता कार्यक्रमों से होता है अत: विभिन्न उच्च न्यायालयों में कार्यरत विधिक सहायता समितियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के ब्यौरे के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कार्यरत विधिक सहायता समिति को निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की है :—

वित्तीय वर्ष	अनुदान की रकम
1980-81	25,000.00 रु०
1981-82	1,00,000.00 रु०
1982-83	2,57,813.27 रु०
1983-84	3,46,186.30 रु०
1984-85	3,94,000.00 रु०

विभिन्न उच्च न्यायालयों में कार्यरत विधिक सहायता समितियों को वित्तीय सहायता देने की जिम्मेदारी मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों की है । तथापि, सरकार द्वारा गठित विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकार के विधिक सहायता और सलाह बोर्डों को उनके कार्यक्रम या परियोजना के आधार पर, कुछ दशाओं में सहायता अनुदान दिया जाता है ।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन और सूचना आयोजना और विश्लेषण ग्रुप का रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की गतिविधियों के साथ समन्वय

4061. **श्री एन० डेनिस** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन और सूचना आयोजना और विश्लेषण ग्रुप की गतिविधियों का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की गतिविधियों के साथ समन्वय करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) विश्वविद्यालयों के अनुसंधान विभागों सहित भारतीय प्रयोगशालाओं के बीच सहयोग बहुत उत्तम किस्म का है।

(ख) यह सहयोग पूर्णतः वैज्ञानिक जानकारी के आदान प्रदान और जरूरत पर आधारित है इसलिए उसका ब्यौरा बताना संभव नहीं है। यह बताना पर्याप्त होगा कि इस सहयोग के लिए कोई शर्तें नहीं रखी गयी हैं।

दूरसंचार पर सरीन समिति की अस्वीकृत/लम्बित सिफारिशें

4062. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार पर सरीन समिति की किसी सिफारिश को रद्द किया गया है अथवा निर्णय के लिए अभी भी सरकार के पास लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो रद्द किए जाने के कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लम्बित पड़ी सिफारिशों के मामले में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है और विलम्ब के कारण क्या हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सरीन समिति द्वारा दी गई 433 सिफारिशों में से 47 सिफारिशें अस्वीकार कर दी गई हैं। तथा 18 सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने के बारे में निर्णय लिया जाना है।

(ख) इन सिफारिशों को साज-सामान और वित्तीय बाधाओं के कारण या प्रशासनिक, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी कारणों से अस्वीकार किया गया है। लम्बित सिफारिशें मुख्यतः दूरसंचार क्षेत्रों का गठन करने, आई० टी० आई० को दो स्वतन्त्र यूनिटों में विभाजित करने तथा दूरसंचार इंजीनियरी मंडलों का तार परियात मंडलों में विलय करने के संबंध में है।

(ग) लगभग सभी लम्बित सिफारिशें सिद्धांततः स्वीकार कर ली गई हैं और अब विभाग उनके कार्यान्वयन के ब्यौरों की जांच कर रहा है।

डाक और दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के लिए आवास

4063. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में डाक और दूर संचार विभाग के कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था करने को उचित प्राथमिकता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 31 मार्च, 1985 तक देश के प्रत्येक डाक दूरसंचार मण्डल या जिले में कितने प्रतिशत (एक) डाक (दो) दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराया गया;

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रतिशत में पर्याप्त वृद्धि करने का विचार है;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कर्मचारियों को किराये पर भी मकान लेने में कठिनाई होती है, कोई विशेष आबंटन किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) प्रतिशतता विवरण-एक (दूरसंचार) और विवरण-दो (डाक) में दी गई है।

(ग) निधि की उपलब्धता के आधार पर प्रतिशतता में उपयुक्त वृद्धि होगी।

(घ) विभिन्न क्षेत्रों में स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण की योजना निर्माण के लिए निधि एवं भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण- एक

क्र० सं०	सर्किल का नाम	स्टाफ क्वार्टरों की उपलब्धता
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	8.7%
2.	बिहार	10.00%*
3.	गुजरात	2.5%
4.	जम्मू व कश्मीर	3.5%
5.	कर्नाटक	3.4%*
6.	केरल	5.61%
7.	मध्य प्रदेश	7.1%
8.	महाराष्ट्र	4.6%
9.	उड़ीसा	9.77%+2.02=11.79%
10.	राजस्थान	10.34%
11.	तमिलनाडु	3.38%+1.54=4.92%
12.	उत्तर प्रदेश	6.33%

1	2	3
13.	पश्चिम बंगाल	4.6%
14.	तकनाकी और विकास सर्किल	12.80%
15.	महाप्रबंधक दूरसंचार फैक्ट्री कलकत्ता	4.5%
16.	एल० टी० टी० सी० गाजियाबाद	60.50%
17.	उत्तर पश्चिम सर्किल	7.6%
18.	उत्तर पूर्वी सर्किल	9.3%*

टेलीफोन जिले

क्र० सं०	जिले का नाम	स्टाफ क्वार्टरों की उपलब्धता	क्र० सं०	जिले का नाम	स्टाफ क्वार्टरों की उपलब्धता
1.	आगरा	6.5 प्रतिशत	2.	अहमदाबाद	5.86 प्रतिशत
3.	अमृतसर	5 ,,	4.	बेंगलूर	2.35 ,,
5.	बडोदरा	2.83 ,,*	6.	बम्बई	4.88 ,,
7.	कलकत्ता	4.3 ,,	8.	कालीकट	5.2 ,,
9.	चण्डीगढ़	13.84 ,,	10.	कोयम्बतूर	12.37 ,,
11.	दिल्ली	7.66 ,,*	12.	एर्नाकुलम	3.38 ,,
13.	गुवाहाटी	5.62 ,,	14.	हैदराबाद	6.3 ,,
15.	इन्दौर	6.7 ,,	16.	जयपुर	11.00 ,,
17.	जालंधर	8.18 ,,	18.	कानपुर	8 ,,
19.	लखनऊ	6.24 ,,	20.	लुधियाना	5.1 ,,
21.	मद्रास	5.4 ,,	22.	मदुरै	1.8 ,,
23.	नागपुर	3.49 ,,*	24.	पटना	6 ,,
25.	पुणे	5.97 ,,*	26.	राजकोट	8.9 ,,
27.	सूरत	1.08 ,,*	28.	त्रिवेन्द्रम	7.71 ,,
29.	विजयवाड़ा	5.68 ,,*	30.	वाराणसी	9.8 ,,
31.	इलाहबाद	4 ,,			

चिन्ह *=31-3-1984 को उपलब्ध प्रतिशत दर्शाता है।

विवरण-दो

डाक

31-3-1985 को डाक स्टाफ के लिए आवास सम्बन्धी सर्कलवार प्रतिशत उपलब्धता :

डाक सर्कल का नाम	प्रतिशतता
आंध्र प्रदेश	2.8
बिहार	4.74
दिल्ली	8.81
गुजरात	3.31
जम्मू एवं कश्मीर	3.7
कर्नाटक	5.06
केरल	10.00
मध्य प्रदेश	6.58
महाराष्ट्र	7.22
उत्तर पूर्व	5.33
उत्तर पश्चिम	5.5
उड़ीसा	6.06
राजस्थान	5.3
तमिलनाडु	6.9
उत्तर प्रदेश	4.16
पश्चिम बंगाल	4.15

हिमाचल प्रदेश और पंजाब में पैट्रोलियम डीजल बिक्री केन्द्र और गैस एजेंसियां खोलना

4064. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या पैट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान हिमाचल प्रदेश और पंजाब में जिलावार किन-किन स्थानों पर पैट्रोलियम-डीजल बिक्री केन्द्र और गैस एजेंसियां खोलने की मंजूरी दी गई थी और इनका आबंटन जिन व्यक्तियों/पार्टियों को किया गया है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से किन-किन स्थानों पर बिक्री केन्द्र एजेंसियां खोल दी गई हैं;

(ग) शेष को कब तक खोले जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या विज्ञापन दिये जाने और आवेदन आमंत्रित करने के पश्चात भी आबंटन के कोई मामले सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनका आबंटन अब तक न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) इनका आबंटन कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1092/85**]

(ग) से (च) जैसा कि विवरण पत्र में दर्शाया गया है, कुछ स्थानों पर डीलरशिपों का आबंटन अभी तक नहीं किया गया है। चयन प्रक्रिया में विज्ञापन देना, सम्बन्धित तेल कम्पनी द्वारा आवेदन पत्रों की संवीक्षा करना, सम्बन्धित तेल चयन बोर्ड (ओ० एस० बी०) द्वारा साक्षात्कार करना, तथा तेल चयन बोर्ड (ओ० एस० बी०) ने जिन मामलों की अनशंसा की है उनकी क्षेत्रगत जांच पड़ताल करना शामिल है। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है। इसी प्रकार, डीलर के चयन के पश्चात् चुने गये डीलर द्वारा विभिन्न औपचारिकताओं, जैसे कि स्थान की प्राप्ति, विभिन्न प्राधिकारियों इत्यादि से लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि को पूरा करना आवश्यक होता है। इन औपचारिकताओं को पूरा होने के पश्चात् ही निर्माण तथा उपस्करों की स्थापना संभव है। इसलिए डीलरशिप के चयन तथा आरम्भ में लगने वाले समय के बारे में ठीक-ठीक बताना व्यवहार्य नहीं है।

हिमाचल प्रदेश में गैस-एजेंसियों का आबंटन

4065. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या पैट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश के बारह जिलों के प्रत्येक जिला मुख्यालय के लिए गैस एजेन्सियां विज्ञापित की गई हैं और आबंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को ये एजेंसियां आबंटित की गई हैं तथा क्या इनमें से कोई एजेंसी भूतपूर्व सैनिकों/युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं/अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या बेरोजगार स्नातकों/दसवीं पास व्यक्तियों जैसे विशेष ग्रुप के लिए आरक्षित की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सभी आबंटन आरक्षण को ध्यान में रखते हुए किए थे;

(घ) यदि नहीं, तो किन-किन जिला मुख्यालयों में आबंटन किए गए हैं; अथवा किए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या अब भी कोई आबंटन लम्बित है, संबंधित जिला मुख्यालयों के नाम क्या हैं तथा इनके विज्ञापित और आबटित किये जाने के सम्भावित तारीख क्या है ?

पैट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है।

(ग) और (घ) संलग्न विवरण-पत्र में क्रम संख्या 5 और 7 पर निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर सभी आबंटन नीति के अनुसार किये गये थे।

(ङ) उना, सोलन और शिमला में एल० पी० जी० की एजेंसियों के चयन से सम्बन्धित प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अपर्याप्त क्षमता के कारण तेल उद्योग की कलपा (किन्नौर) में डिस्ट्रीब्यूटरशिप की कोई योजना नहीं है।

विवरण

क्र० सं०	जिला मुख्यालय	सिविल जिले	पार्टी का नाम जिसे एजेन्सी दी गई है।	वर्ग
1	2	3	4	5
1.	बिलासपुर	बिलासपुर	श्री टेकचंद सैनी	शारीरिक रूप से अपंग
2.	चम्बा	चम्बा	श्री दिनेश पराशर	बेरोजगार इंजी० स्नातक
3.	हमीरपुर	हमीरपुर	श्री राम किशन नंदा	स्वतंत्रता सैनानी
4.	सुलतानपुर (कूल्लू)	कूल्लू	श्री धर्मवीर	खुली
5.	किलोंग	लाहुल सपीति	एच०पी०खाद्य एवं आपूर्ति कारपोरेशन	तदर्थ आधार पर
6.	मण्डी	मण्डी	श्री रतन लाल राव श्री कुलदीप राव	अनुसूचित जाति
7.	(क) शिमला	शिमला	श्रीमती विमला महाजन	सीधे अनुकम्पा के आधार पर
7.	(ख) शिमला	शिमला	श्री कश्मीर सिंह	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

1	2	3	4	5
8.	नहान	सिरामपुर	श्री अभिलाश शंकर बंसल	खुला
9.	सोलन	सोलन	श्री वीपुर कुमार गिल	शारीरिक रूप से अपंग
10.	धर्मशाला	कांगड़ा	श्रीमति रीटा भारद्वाज	बेराजगार स्नातक

(उना और किन्नौर जिलों के लिए अभी कोई आबंटन नहीं किया गया है।)

"बल्क ड्रग्स" के लिये औद्योगिक लाइसेंस

4066. **श्री आर० एम० भोये : क्या रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन "बल्क ड्रग्स" के नाम क्या हैं, जिनके लिये विदेशी औषध कम्पनियों को उच्च प्रौद्योगिकी प्रणाम-पत्र दिये गये हैं ताकि वे औद्योगिक लाइसेन्स के लिये अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकें;

(ख) इस प्रकार की स्वीकृति किन-किन बातों पर विचार करके तथा किस आधार पर दी जाती हैं; और

(ग) इस प्रकार की स्वीकृति के लिये उनके मन्त्रालय के पास लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है और यदि उन्होंने "बल्क ड्रग्स" के लिये स्वीकृति मांगी है, तो उन "बल्क ड्रग्स" के नाम क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) सरकार द्वारा अप्रैल, 1978 में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने 207 औषधों की प्रक्रियाओं पर विचार किया और उनमें से 93 को उच्च प्रौद्योगिकी अन्तर्ग्रस्त वाली पाया। इस वर्गीकरण की सूचना सम्बन्धित कम्पनियों तथा जनता को 29 दिसम्बर, 1979 के प्रेस नोट से दी गयी थी। इन 93 औषधों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

इस समिति ने उच्च प्रौद्योगिकी अन्तर्ग्रस्त प्रक्रियाओं की शिनाख्त करने के लिये 12 तकनीकी मापदण्डों को अपनाया।

37 औषधों के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय समिति के निर्णय के खिलाफ 10 कम्पनियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इन अभ्यावेदनों को रद्द कर दिया गया है।

विवरण

1. बेटामेथाजोन
2. विटामिन ए पालमीटेट
3. मेगेस्ट्रोल एसिटोट
4. मेथलझीजाइन एच० सी० एल०
5. मेक्लाजाइन एच० सी० एल०
6. विटामिन ई० एसिटेट
7. विटामिन के 4 वाटर/आयल सोल्यूबल
8. क्लोरोक्वीन फास्फेट
9. रिसो ट्रीन सब्सटेनस (क्लोक्वीनेट)
10. डाइफिनाइल हाइडेन्टोइन
11. टेट्रामिसोल
12. हेलोथेन
13. टेटमोसोल
14. फिनोथियाजाइन
15. क्रिस्टालाइन इन्सुलिन
16. इब्यु प्रोफिन
17. डेपसोन
18. डाइथाइल कार्बामाजाइन सिट्रेट
19. डिगोक्सिन
20. पाईरीमेथामाइन
21. ट्राइमेथोप्रिम
22. लिनिस्ट्रीनोल
23. इथाइल एस्ट्राडियल 3-मिथाइल ईथर (मेस्ट्रानोल)
24. मिथाइल टेस्टोस्टीरोन
25. मेथानिडियोन (अगर डी० एच० ए० एसिटेट से उत्पादन हुआ)
26. एस्ट्राडियल/इस्ट्राडियल प्रोपियोनेट
27. इथिनाइल एस्ट्राडियल
28. प्रोगेस्ट्रीयोन
29. टेस्टोस्टीरोन/प्रोपियोनेट/वेलीरीनेट

30. फानक्वीओन
31. टेट्रासाइक्लीन एच० सी० एल०
32. क्लोरोटेट्रासाइक्लीन
33. डिमिथाइल क्लोरोटेट्रासाइक्लीन
34. ट्राइफिनिडाइल एच० सी० एल०
35. बारालगन कीटोन
36. टेटनस एण्टीटोक्सिन
37. एफ० एम० डी० वेक्सीन
38. हेमासिल स्टीराइल
39. फ्रूसीमाइड
40. ग्लाइनक्लेमाइड
41. सर्जिकल कटपुट (नान-स्टीराइल, बी० पी ०सी०-1049)
42. नीडल्ड एबजोरबेबल सुचुर (केटपुट) नान-स्टीराइल
43. मेट्रोनिडाजोल
44. विटामिन बी-12
45. डेक्सामेथाजोल शुद्ध
46. टेस्टोस्टीरोन/डेकोनोएट/आइसोकेप्रोएट फिनाइल प्रोपियोनेट
47. टेस्टास्टीरोन इनडीसाइक्लीमेट
48. ननड्रोलोन डेकानोएट/फिनाइल प्रोपियोनेट
49. एलिस्टीनोल और इथीलिस्ट्रोनोल
50. इथीस्टीरोन
51. डिओक्सीकोर्डिकोस्टीरोन फिनाइल प्रोपियोनेट
52. प्रोगेस्टीरोन
53. बेटामेथाजोन डिसोडियम फास्फेट
54. ह्यूमेन कोरियोनिक गोनोडोट्रोफिन (एच० सी० जी०)
55. क्लोरमफेनिकोल
56. टेट्रासाइक्लीन
57. ओक्सीटेट्रासाइक्लीन
58. आई० एन० एच०
59. पी० ए० एस०/सोडि० पी०ए०एस०

60. विटामिन-ए एसिटेट
61. डिहाइड्रो इमीटाइन डिहाइड्रोक्लोराइड
62. डाएजोपाम
63. क्लोरडियोपोक्साइड
64. केलसियम ग्लुकोनेट
65. केलसियम लेक्टोबियोनेट
66. फेरस ग्लुकोनेट
67. केलसिबोनेट
68. मेगनीसियम ग्लुकोनेट
69. इन्टेस्टोपान सब्सटेंस
70. बेटामेथाजोन वेलीरेट
71. स्पोरलेक
72. सेनजाइम (फंगल डिस्टेज)
73. पाइरीडीन और पिकोलाइनस और हेवल बेस (ड्रग्स मध्यवर्ती)
74. हाइड्रोकोर्टिसोन
75. हाइड्रोकोर्टिसोन एसिटेट
76. प्रेडनीसोलोन
77. प्रेडनीसोलोन एसिटेट
78. प्रेडनीसोन
79. प्रोगेस्टीरोन
80. 17-हाइड्रोक्सी प्रोक्सी प्रोगेस्टीरोन एसिटेट
81. 17-हाइड्रोक्सी प्रोगेस्टीरोन केप्रोएट
82. डिहाइड्रो इपिन्ड्रो स्टीरोन एसिटेट (डी० एच० ए० एसिटेट)
83. मिथाइल और रोस्टेनडियल (मध्यवर्ती)
84. विटामिन ई-सक्सीनेट
85. टेस्टोस्टीरोन और इसके लवण
86. ई० टी० एच०-ओहीपटाजाइन सिट्रेट
87. बेन्जाथाइल पेनिसिलिन-जी
88. मेफेनट्रामाइन सल्फेट
89. फिनाइल बुटाजोन

90. ओक्सीफिनाइन बुटाजोन

91. क्लीरथोलिडीन

92. कार्बामाजिपाइन

93. इमीप्रेमाइन एच० सी० एल०

राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा "सेवा पदक" विजेताओं को नगद पुरस्कार

4067. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना पदकों के विजेताओं को संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा कोई नगद पुरस्कार दिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली प्रशासन ने उनके मंत्रालय को उन सेना पदक विजेताओं के विवरण भेजने को कहा है जिन्होंने नगद पुरस्कार हेतु दिल्ली प्रशासन को आवेदन किया है;

(ग) अपेक्षित विवरण दिल्ली प्रशासन को कब तक भेज दिए जाएंगे; और

(घ) दिल्ली के सेना पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार देने के कितने आवेदन लंबित पड़े हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) कुछ राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सेना मेडल श्रेणी के पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को नगद अनुदान देते हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन ने सेना मुख्यालय से तीन सेना पदक विजेताओं के विवरण मांगे थे जो सेना मुख्यालय ने उन्हें भेज दिए हैं।

इसके अतिरिक्त राज्य सैनिक बोर्ड दिल्ली ने जिन अन्य दो अफसरों के बारे में ब्यौरे मांगे थे उनके ब्यौरे भी सेना मुख्यालय ने भेज दिए हैं।

(घ) दिल्ली के सेना पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार देने के सम्बन्ध में रक्षा मंत्रालय में कोई आवेदन विचाराधीन नहीं है।

डाक एवं तार विभाग में किसी भी नियुक्ति पर प्रतिबन्ध के आदेश

4068. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भी नियुक्ति किये जाने पर प्रतिबन्ध के आदेशों से डाक-तार प्राधिकारियों को पहले से मन्जूर किए गए स्थानों पर नए डी० पी० जी० एस०/इ० डी० बी० ओ० खोलने में कठिनाई हो रही है;

(ख) उन्हें खोले जाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या ई० डी० ए० और "ई० डी० डी० ए०" सरकारी कर्मचारी नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां ।

(ख) मितव्ययता आदेशों के कारण कोई भी उपाय करना संभव नहीं है । 1984-85 के दौरान कुछ डाकघर खोलने के लिए अपवादस्वरूप कुछ विशेष मामलों में छूट ली गई थी ।

(ग) अतिरिक्त विभागीय एजेंट एवं अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट डाक विभाग के अंशकालिक कर्मचारी हैं ।

(घ) नए पदों के सृजन पर मितव्ययता आदेश लागू हैं और चूंकि डाकघर खोलने के लिए नए पद सृजित करने होते हैं जिससे मितव्ययता आदेशों का उल्लंघन होता है ।

तमिलनाडु में पिछड़े हुए जिले घोषित करना

4069. **श्री एन० डेनिस** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य के कुछ जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित करने का कोई निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) तमिलनाडु में पिछड़े जिलों के उत्थान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार को तमिलनाडु में पिछड़े जिलों के उत्थान के लिए कोई योजना प्राप्त हुई है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अन्तर्गत धनराशि का राज्यवार आबंटन नहीं किया गया है । अधिकतम केन्द्रीय राजसहायता वर्ष 1983-84 में (7.29 करोड़ रु०) और 1984-85 में (9.26 करोड़ रु०) तमिलनाडु ने प्राप्त की थी ।

(घ) जी, नहीं ।

बिहार में निर्वाचन परिणामों की घोषणा में विलंब

4070. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सभी निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचन परिणामों की घोषणा करने में असाधारण विलम्ब हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना पूरी करने में कितने दिन लगे और उनके क्या कारण थे ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) बिहार विधान सभा में 324 सभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। चार निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की मृत्यु हो जाने के कारण मतदान प्रत्यादिष्ट कर दिया था और एक निर्वाचन क्षेत्र में रिटर्निंग आफिसर द्वारा सभी नामनिर्देशन पत्र नामंजूर कर किए गए थे। इस प्रकार 2 और 5 मार्च, 1985 को, 319 निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचन हुआ था। आठ दिनों के भीतर इन सभी निर्वाचन-क्षेत्रों के परिणाम घोषित कर दिए थे। निर्वाचन-क्षेत्रों की संख्या और उनके परिणाम घोषित किए जाने की तारीखें दर्शित करने वाला विवरण संलग्न है। कुछ निर्वाचन-क्षेत्रों में परिणामों की घोषणा करने में थोड़ा विलंब, निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुसार मतदान के स्थगित कर दिए जाने, नए सिरे से मतदान कराने या मतपत्रों की गणना की पुनः जांच करने की आवश्यकता के कारण हुआ था।

विवरण

वह तारीख जिसको परिणाम की घोषणा की गई	निर्वाचन-क्षेत्रों की संख्या
5.3.1985	39
6.3.1985	198
7.3.1985	61
8.3.1985	2
9.3.1985	1
10.3.1985	1
11.3.1985	8
12.3.1985	5
13.3.1985	4
योग :	319

विधेयकों का मूल प्रारूप हिन्दी में तैयार करना

[हिन्दी]

4071. **श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विधायी विभाग के राजभाषा स्कंध द्वारा अंग्रेजी के सभी अधिनियमों का अनुवाद किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राजभाषा स्कंध द्वारा हिन्दी में ही स्वतंत्र रूप से इन अधिनियमों का प्रारूप तैयार न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की योजना क्या है और यह योजना कब तक क्रियान्वित हो जाएगी ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां। 1984 के 5 अधिनियमों और 1985 के अधिनियमों को छोड़कर, इंडिया कोड में सम्मिलित सभी अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद किया जा चुका है।

(ख) और (ग) अब तक, राजभाषा खण्ड ने अपने समय और शक्ति का प्रयोग मुख्यत: केन्द्रीय अधिनियमों के अनुवाद को अद्यतन बनाने में किया है। विधान के हिन्दी में स्वतन्त्र रूप से मूल प्रारूप तैयार करने का कार्य राजभाषा खण्ड को सौंपे जाने से पूर्व, मूल रूप से प्रारूपण आरम्भ करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक विशेषज्ञता प्राप्त करनी होगी। मूल रूप से प्रारूपण, अनुवाद से भिन्न कार्य है। इस प्रयोजन के लिए, राजभाषा खंड के अधिकारियों को सक्रिय रूप से सहयुक्त करना होगा और उन्हें अंग्रेजी में विधेयक तैयार करने वाले प्रारुपकारों के साथ इस कार्य को करना होगा और विधेयकों को अंतिम रूप देने के लिए उन्हें विचार विमर्श और अन्य प्रक्रियाओं में भाग लेना होगा।

अब केन्दीय अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद कार्य लगभग अद्यतन हो गया है, अत: राजभाषा खंड के अधिकारियों को, विधानों के मूल प्रारूपण में सक्रिय रूप से सहयुक्त करने और मूल प्रारूप तैयार करने का कार्य आरम्भ करने के प्रयोजन के लिए उन्हें आवश्यक तकनीकी बातें सिखाने के लिए, आवश्यक अवसर देने के बारे में विचार किया जा रहा है इस सम्बन्ध में एक ऐसी स्कीम पर विचार किया जा रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राजभाषा खण्ड में अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाने का विषय भी सम्मिलित है। इससे राजभाषा के खंड अधिकारी मूल रूप से प्रारूपण में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए अपने समय का उपयोग कर सकेंगे।

इस प्रक्रम पर यह बताना संभव नहीं है कि स्कीम को लागू करने में कितना समय लगेगा। इस विषय में गति लाने के लिए हिन्दी में विधेयकों के मूल प्रारूपण कार्य को दो चरणों में सम्पन्न किया जा सकता है पहले छोटे और सरल विधेयकों का और बाद में अधिक जटिल विधेयकों

का मूल रूप से प्रारूपण आरम्भ किया जा सकता है। एक बार हिन्दी में विधेयकों का मूल प्रारूपण साध्य हो जाने के पश्चात, आवश्यक समर्थकारी विधान पारित करना, भी आवश्यक हो जाएगा, जैसा कि हिन्दी में विधेयकों के लिए संसद में पुरःस्थापन को सुकर बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 348 में, अनुध्यात है।

हिन्द महासागर में चीनी पनडुब्बियां

[अनुवाद]

4072. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने हिन्द महासागर में अपनी पनडुब्बियां लगा रखी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) किसी भी परिस्थिति से निपटने हेतु हमारी नौ सेना को सतर्क करने के लिए क्या कारंवाई की गई है या किए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) सरकार के पास इस बात की कोई सूचना नहीं है कि चीन ने हिन्द महा सागर में अपनी पनडुब्बियां लगा रखी हैं।

(ख) सरकार हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाए रखने के पक्ष में है और इसके लिए उसने कई राजनैतिक कदम उठाए हैं।

(ग) भारत सरकार उन सभी गतिविधियों पर निरन्तर नजर रखती है जिसका देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है ताकि पूर्ण रक्षा तैयारी रखने के लिए समय-समय पर उचित उपाय किए जा सकें। बढ़ते हुए संभावित खतरों का सामना करने के लिए भारतीय नौसेना को लगातार पुनः सज्जित, आधुनिक और विकसित किया जा रहा है।

सौराष्ट्र में तेल की खोज के लिए अमरीकी कम्पनी को ठेका

4073. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र में तेल की खोज के लिए पांच वर्ष का ठेका लेने वाली अमरीकी कम्पनी ने ठेका छोड़ने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ठेके के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसा करने की अनुमति है;

(ग) अमरीकी कंपनी को अब तक कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है;

(घ) क्या ऐसे ठेके की शर्तों के अनुसार किया गया है;

(ङ) क्या कोई फालतू भुगतान किया गया है;

(च) क्या ठेके को जल्दी समाप्त करने पर अमरीकी कम्पनी से क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए समझौते में कोई खण्ड है; और

(छ) यदि हां, तो इस कंपनी को दिए गए ठेके के विभिन्न खण्डों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) वह अनुबन्ध तीन वर्षों की अवधि के लिए था तथा ठेकेदार अर्थात् रौवरीन तेल कम्पनी की इच्छा पर उसे दो वर्षों की अवधि, के लिए और आगे बढाया जा सकता था जिसका उसने प्रयोग नहीं किया।

(ग) कोई नहीं।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, हां।

(छ) चूंकि कोई खोज नहीं हुई थी तथा कम्पनी ने और आगे किसी खोज कार्य के लिए अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की थी, इसलिए तीन वर्षों की अवधि के समाप्त होने पर अनुबन्ध स्वतः समाप्त हो गया।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश

4074. **श्री डी० के० नायकर** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के न्यायालयों में राज्यवार उच्च न्यायालयों में कुल कितने न्यायाधीश हैं; और

(ख) उनमें से कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के हैं;

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) 1-4-1985 को यथाविद्यमान स्थिनि की बाबत अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) अपेक्षित जानकरी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

क्रम सं०	उच्च न्यायालय	1-4-1985 को यथाआसीन न्यायाधीशों की संख्या
1.	इलाहाबाद	51
2.	आन्ध्र प्रदेश	20
3.	बम्बई	36
4.	कलकत्ता	36
5.	दिल्ली	25
6.	गौहाटी	7
7.	गुजरात	18
8.	हिमाचल प्रदेश	6
9.	जम्मू-कश्मीर	6
10.	कर्नाटक	23
11.	केरल	6
12.	मध्य प्रदेश	27
13.	मद्रास	9
14.	उड़ीसा	10
15.	पटना	32
16.	पंजाब और हरियाणा	17
17.	राजस्थान	14
18.	सिक्किम	2
	कुल :	365

नए टेलीफोन और टेलेक्स एक्सचेंज

4075. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**
श्री नारायण चौबे } : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई, दिल्ली, कलकता, मद्रास पुणे और नागपुर में 1983-1984 और 1985 (1 मार्च, 1985 तक) में कितने नए टेलीफोन, ट्रंक और टेलेक्स एक्सचेंज चालू किए गए;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान नए एक्सचेंजों को चालू करने के संबंध में हुए खर्चे को योजना के रूप में माना जाता है;

(ग) क्या प्रत्येक शहर में उक्त नए एक्सचेंजों के लिए टेलीफोन आपरेटरों, तकनीशियनों, कनिष्ठ अभियंताओं, आटो, एक्सचेंज सहायकों, वायरमैनों, लाइनमैनों और मजदूर तथा चतुर्थ श्रेणी के अन्य कर्मियों के कोई पद मंजूर किए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो उनका श्रेणीवार, एक्सचेंज-वार और वर्षवार क्या ब्यौरा है ?

संचार मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण-एक में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) श्रेणी-वार तथा एक्सचेंज-वार स्वीकृत स्टाफ का ब्यौरा संलग्न विवरण-दो में दिया गया है।

विवरण-एक

	नए चालू किए गए टेलीफोन एक्सचेंज की सं०			ट्रंक स्वचल एक्सचेंज सहित चालू किए गए एक्सचेंजों की सं०			चालू किए गए टेलेक्स एक्सचेंजों की सं०		
	1983	1984	1-3-85 तक	1983	1984	1-3-84 तक	1983	1984	1-3-85 तक
बम्बई	7	10	2	1	1	—	1	2	—
दिल्ली	2	3	1	1	1	—	—	1	—
मद्रास	—	3	—	—	1	—	—	1	—
कलकत्ता	1	1	—	1	—	—	1	—	—
पुणे	—	1	—	—	—	—	—	—	—
नागपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—

विवरण-दो

स्वीकृत स्टाफ (पदों) की श्रेणी

स्थान एक्सचेंज का नाम	किस वर्ष में चालू किया गया	टेलीफोन आपरेटर	तकनीशियन	कनिष्ठ इंजी०	आटो एक्सचेंज सहायक	वायरमैन	लाइनमैन	मजदूर एवं अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बम्बई								
1. घाटकोपर-II	1983	42	—	5	—	—	3	16
2. मझगांव-II	1983	22	6	—	—	16	—	4
3. भानूखुर्द-I	1983	36	7	—	—	—	—	—
4. विल पाले-II	1983	40	11	3	—	—	13	14
5. कूपरेज-IV	1983	30	17	—	—	—	5	—
6. वर्ली-I	1983	42	4	1	—	—	—	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. मालाबार हिल-II	1983	—	—	1	—	—	—	—
टेलेक्स	1983	—	—	—	—	—	—	—
ट्रंक आटो एक्स	1983	3	—	—	—	7	—	—
दिल्ली								
1. शक्ति नगर-II	1983	30	9	14	—	6	37	75
2. शाहदरा (24)	1983	10	5	3	—	2	9	15
3. गाजियाबाद-II	1983	29	15	9	—	5	35	22
4. चाणक्यपुरी-II	1984	30	9	14	—	6	37	75
5. तीस हजारी (252)	1984	20	7	9	—	3	—	—
मद्रास								
1. हारबर	1984	10	3	13	—	03	13	42
2. मम्बालम	1984	10	3	13	—	—	14	36
3. मुम्बाबकम	1984	—	—	—	—	—	—	—
4. एसपीसी								
टी० ए० एक्स	1984	—	5	8	3	—	—	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. एसपीसी टेलेक्स	1984	—	57	13	—	—	—	4
कलकत्ता								
1. 25 एक्सचेंज	1983	15	6	10	—	1	—	47
2. 27 एक्सचेंज	1984	6	—	2	9	6	—	26
3. एसपीसी-टी० ए० एक्स	1983	—	—	5	—	—	—	3
4. एसपीसी टेलेक्स	1983	—	—	5	—	—	—	4
पुणे								
1. महादाजी शिन्दे	1984	41	—	14	—	10	—	—
नागपुर	शून्य	—	—	—	—	—	—	—

1983-85 के दौरान हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण औद्योगिकरण उत्पादन की हानि

4076. प्रो० राम कृष्ण मोरे : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हड़तालों और तालाबंदियों के कारण 1983-85 की अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन की कितनी हानि हुई; और

(ख) भविष्य में उत्पादन की हानि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) हड़तालों और तालाबंदियों के कारण औद्योगिक उत्पादन में हुई हानि से सम्बन्धित उपलब्ध सूचना को बताने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) सरकार देश में औद्योगिक संबंधों की स्थिति पर निरन्तर निगरानी रख रही है। औद्योगिक संबंध तंत्र केन्द्र और राज्यों दोनों में ही निवारक मध्यस्थता, समझौता, न्यायनिर्णयन और विवाचन के माध्यम से कार्य अवरोध को कम करने के प्रयास जारी रखते हैं।

विवरण

उत्पादन हानि का मूल्य (करोड़ रुपये)

वर्ष	हड़तालें	तालाबंदियां	जोड़
1983 (पी)	247.72*	164.68	412.39
	(1259)	(270)	(1529)
1984 (पी)	140.18	87.36	218.54
	(786)	(99)	(895)

(पी) = अनंतिम

(*) = इसमें बम्बई की हड़ताल शामिल नहीं है।

टिप्पणी :—कोष्ठकों में आंकड़े झगड़ों की संख्या को बताते हैं जिससे यह आंकड़े संबंधित हैं।

बन्द पड़े कागज कारखाने

4077. प्रो० राम कृष्ण मोरे : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कागज के अनेक बड़े कारखाने काफी लम्बे समय से बन्द पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन कारखानों को पुन: चालू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) इस समय एकीकृत लुगदी और कागज की तीन बड़ी मिलें बन्द पड़ी हैं।

(ख) उनके बन्द होने के कारणों में प्रबंध संबंधी खामियां, कच्चे माल की कमी, बिजली और श्रमिकों संबंधी समस्याएं, मशीनों का पुराना होना और वित्तीय समस्याएं सम्मिलित है ।

(ग) इन कागज मिलों को पुन: चालू करने हेतु उपायों का पता लगाने के लिए सरकार से वित्तीय संस्थानों/राज्य सरकारों के साथ आवश्यक बातचीत आरम्भ कर दी है ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकरण की पुनरीक्षा

4078. **श्रीमती गीता मुखर्जी**
श्री अजय विश्वास
श्री राम रतन राम
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद
श्री नारायण चौबे
श्री बाला साहिब विखे पाटिल

: क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 मार्च, 1985 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित समाचार के अनुसार गत कुछ वर्षों में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में महाप्रबन्धकों, अतिरिक्त महाप्रबन्धकों और अन्य उच्चाधिकारियों के पदों में असामान्य वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त आयोग के कार्यकरण की पूरी पुनरीक्षा करवाई थी; और

(घ) यदि हां, तो उक्त पुनरीक्षा का ब्यौरा क्या है ; उससे क्या निष्कर्ष निकले और इसके संबंध में यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ग) पिछले चार वर्षों के दौरान कार्यरत ग्रुप महाप्रबन्धकों (जी० जी० एम० एस०)/महाप्रबन्धकों (जी० एम० एस०) उप महाप्रबन्धकों (डी० जी० एम० एस०) और अपर निदेशकों (ए० डी० एस०) की संख्या

निम्नलिखित तालिका में दी गई है :—

तिथि	जी० जी० एम० एस०/जी० एम० एस०	डी० जी० एम० एस०	ए० डी० एस०	योग
1.4.82	6	35	82	123
1.4.83	30	48	116	194
1.4.84	45	71	137	253
1.4.85	40	98	222	360

आयोग की गतिविधियां पिछले पांच वर्षों के दौरान बहुत अधिक बढ़ गई हैं और इसलिए इस अवधि के दौरान कुल जन-शक्ति भी 28,000 से बढ़कर करीब 40,000 हो गई है।

(ग) और (घ) आयोग के कार्यों का सामान्य पुनरीक्षण आदेश नहीं दिया गया है। तथापि, जनशक्ति की वृद्धि के सम्बन्ध में पुनरीक्षण किया गया था और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने इस वृद्धि के लिए कई औचित्य दिये थे।

कैंसर के उपचार के लिए औषधियों का देश में उत्पादन

4079. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सदाबहार (विकारोसिय) और डायोस्कोरिया आदि भारतीय पौधों का बहुत कम कीमत पर विदेशों को निर्यात किया जाता है तथा इन पौधों से बनाई गई आनकोबिन (कैंसर के उपचार के लिए) तथा स्टेरायड जैसी औषधियों का भारी कीमत पर विदेशों से आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाथी समिति ने कहा था कि इन पौधों से औषधियों के निर्माण की तकनीकी हमारे देश में उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो इनका देश में उत्पादन करने के लिए जो सस्ती भी पड़ती है और जिससे विदेशी मुद्रा की जो बचत होती है, सरकार द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) आयात एवं निर्यात नीति के अनुसार डियोसजेनिन और डायोस्कोरियां जड़ों सहित अनेक पौधों और मध्यवर्तियों के निर्यात की समान्यतः अनुमति नहीं है। हाथी समिति ने पौध सामग्रियों से निकाली गई कई अनिवार्य औषधों की शिनाख्त की थी और विचार व्यक्त किया था कि इनमें से अधिकतम औषधों के लिए प्रौद्योगिकी का आयात करने की सामान्यत: कोई आवश्यकता नहीं

है। आनकोविन (विनक्रिस्टाइन का फार्मूलेशन) उन औषधों में से नहीं है जिनकी शिनाख्त हाथी समिति द्वारा की गई थी। जिनकारोशी से विनक्रिस्टाइन, विनब्लास्टिन के निर्माण की प्रौद्योगिकी हाल ही में देश में विकसित की गई है। फिलहाल केवल उन्हीं स्टीराइड्स का आयात किया जाता है जिनका अभी देश में निर्माण नहीं होता और जिनका उत्पादन अपर्याप्त है। स्टीराइड्स के उत्पादन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से गुण दोष के आधार पर औद्योगिक अनुमोदन और विदेशी सहयोग अनुमोदित किये जा रहे हैं। स्टीराइड्स के लिये कच्चे मालों की उपलब्धता को बनाये रखने की दृष्टि से कई निर्माताओं ने डायोस्कोरिया की खेती प्रारम्भ कर दी है।

विधि पुस्तकों की प्रदर्शनी और बिक्री

[हिन्दी]

4080. **श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधायी विभाग के राजभाषा स्कंध तथा विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा साहित्य की प्रदर्शनी आयोजित करने तथा बिक्री करने के लिये कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है और अधिकतर साहित्य बिना बिक्री के ही नष्ट हो जाता है; और

(ख) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड और विधि साहित्य प्रकाशन के प्रकाशन मुख्यत: हिन्दी में हैं और वे विधि के क्षेत्र में हिन्दी की अभिवृद्धि के लिए अग्रगामी प्रयास हैं। प्रकाशनों का विक्रय उनकी मांग पर निर्भर करता है और उनका विक्रय विभिन्न राज्यों में विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग की मात्रा पर निर्भर करता है।

यह सच है कि विक्रय में तेजी नहीं आ रही है। उन प्रकाशनों का भी विक्रय संतोषप्रद नहीं है जो अंग्रेजी या अन्य भाषाओं के श्रेष्ठ प्रकाशनों के समकक्ष हैं। किन्तु यह कहना सही नहीं है कि अविक्रीत प्रकाशनों को नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि ऐसे प्रकाशनों को रखने के लिए उचित व्यवस्था विद्यमान है। यह कहना भी सही नहीं है कि ऐसे प्रकाशनों का विक्रय बढ़ाने के लिए उचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। प्रकाशनों के विक्रय को बढ़ाने के लिए सभी संभव व्यवस्था की जा रही है। साथ ही ऐसी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए उनकी निरन्तर समीक्षा की जाती है। इन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत हैं : उचित स्थानों पर प्रदर्शनी एवं विक्रय केन्द्र खोलना; पुस्तक मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना; विज्ञापन और प्रचार कार्यक्रम; ग्राहकों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए अधिकारियों द्वारा दौरे; दृश्य और श्रव्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से डाक द्वारा सूचीपत्र भेजना; ख्यातिप्राप्त पुस्तक विक्रेताओं, विक्रय अभिकर्ताओं आदि के माध्यम से विक्रय करना हाल ही म नए विक्रय अभिकर्ता नियुक्त किए गए हैं और पुस्तक विक्रेताओं और अभिकर्ताओं को देय विक्रय कमीशन को भी बढ़ा दिया गया है और उसे अधिक आकर्षक बना दिया गया है।

प्रचार व्यवस्थाओं को और तेज करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। किन्तु यह प्रतीत होता है कि जब तक हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं के प्रकाशनों को प्रोत्साहित करने में लोग अधिक उत्साह नहीं दिखाएंगे तब तक विक्रय की स्थिति में सारभूत सुधार की आशा करना कठिन होगा।

उड़ीसा में नये टेलीफोन एक्सचेंज और डाक तथा तार कार्यालय खोलना

[अनुवाद]

4081. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां पर वर्ष 1985-86 के दौरान स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज अथवा नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने तथा उनको एस० टी० डी० के माध्यम से भुवनेश्वर तथा राज्य के भीतर तथा राज्य के बाहर के अन्य शहरों से जोड़ने का प्रस्ताव है; और

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान उड़ीसा में नये खोले जाने वाले डाक तथा तार कार्यालयों का ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जानकारी संलग्न विवरण-एक में दी गई है।

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान उड़ीसा में 150 तारघर खोले जाने का प्रस्ताव है। ब्यौरा संलग्न विवरण-दो में दिया गया है। 1985-86 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों की संख्या अभी निश्चित की जानी है।

विवरण-एक

उड़ीसा राज्य के उन स्थानों के नाम नीचे दिए गए हैं जहां 1985-86 के दौरान स्वचल एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है :—

1. सम्बलपुर—एम० ए० एक्स०-II

2. बालासोर—एम० ए० एक्स०-II

3. जेपोर—एम० ए० एक्स०-II

1985-86 के दौरान बालासोर को भुवनेश्वर के साथ प्लाइंट-टू-प्वाइंट एस० टी० डी० द्वारा जोड़े जाने की संभावना है। 1985-86 में 30 नए एम० ए० एक्स० III टाइप के एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है। स्टेशनों के बारे में अभी निश्चय नहीं किया गया है।

निम्नलिखित स्थानों में 1985-86 में कम क्षमता के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज प्राप्त होने की संभावना है :—

विवरण-एक

1. क्योंझर—400 लाइनें
2. कोरापुट—वही
3. फुलबनी—वही
4. सुन्दरगढ़—वही
5. बारीपौला—600 लाइनें
6. धेनकनाल—वही
7. सम्बलपुर—वही

सेटेलाइट—वही

विवरण—दो

1985-86 के दौरान उड़ीसा में खोले जाने वाले प्रस्तावित तारघर

	जिले का नाम	संयुक्त डाक तार घरों की संख्या
1.	बालासोर	10
2.	बोलनगीर	10
3.	धेनकनाल	10
4.	कालाहांडी	10
5.	क्योंझर	10
6.	कोरापुट	10
7.	मयूरभंज	10
8.	फुलबनी	10
9.	पुरी	10
10.	संबलपुर	10
11.	सुन्दरगढ़	10
12.	कटक	20
13.	गंजम	15
		150

खाण्डसारी उद्योग के लिए केन्द्रीय पूंजी निवेश

[हिन्दी]

4082. **श्री बालकवि बैरागी**
श्री महेन्द्र सिंह : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाण्डसारी उद्योग केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना के अन्तर्गत अनुदान पाने का पात्र है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उपरोक्त योजना के अन्तर्गत उक्त उद्योग को शामिल करने के लिए कोई फैसला किया जा रहा है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

मध्य प्रदेश में मण्डी द्वीप के टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करना

4083. **श्री बालकवि बैरागी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य मण्डीद्वीप औद्योगिक क्षेत्र में एक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए लगभग 45,000 वर्ग फुट भूमि का आबंटन किया है और विभाग को इसका कब्जा दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो वहां पर कब तक एक पूरे टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना किये जाने की संभावना है; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मण्डीद्वीप स्वचालित एक्सचेंज के अकुशल कार्यकरण के संबंध में केन्द्रीय सरकार को बार-बार लिखा है और यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) स्ट्रोजर एम०ए० एक्स-II स्वचल एक्सचेंज को 1987 के अन्त तक चालू किये जाने की संभावना है बशर्ते कि इसके लिए स्रोत उपलब्ध रहें।

(ग) मंडीद्वीप एक्सचेंज की अकुशल कार्यप्रणाली के बारे में मध्य प्रदेश सरकार से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी, विभाग ने सेवा में सुधार लाने के लिए फरवरी, 1985 माह के दौरान कुछ उपाय किए हैं जिनके परिणामस्वरूप शिकायतों की संख्या प्रति 100 उपभोक्ता 25 प्रतिशत से कम होकर 15 प्रतिशत रह गई है।

आदिवासी क्षेत्रों में खाना पकाने को गैस के कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची

[अनुवाद]

4084. **श्री आर०एम० भोये :** क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में धुले जिले सहित आदिवासी क्षेत्रों में खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची में इस समय कितने व्यक्ति हैं;

(ख) प्रतीक्षा सूची में शामिल व्यक्तियों को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खाना पकाने की गैस के कनेक्शन देने का क्या कार्यक्रम है; और

(ग) प्रतीक्षा सूची में शामिल सभी व्यक्तियों को कब तक कनेक्शन दिए जाने का विचार है ?

पैट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) महाराष्ट्र में अधिसंख्यक आदिवासी वाले जिलों में एल०पी०जी० कनैक्शनों की प्रतीक्षासूची में दर्ज व्यक्तियों की कुल संख्या लगभग 56,000 है।

(ख) और (ग) नये एल०पी०जी० कनैक्शनों को एक चरणबद्ध पंजीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत रिलीज किया जा रहा है। जिसमें नये बाटलिंग संयंत्रों का खोला जाना, नये डीलरों की नियुक्ति, पर्याप्त उपकरणों की प्राप्ति आदि शामिल है।

पुराने अमोनिया/यूरिया संयंत्रों के कायाकल्प के लिये चेकोस्लवालिया से तकनीकी जानकारी

4085. **श्री वाई० एस० महाजन :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पुराने अमोनिया/यूरिया संयंत्रों के कायाकल्प और इस प्रकार के एककों में ऊर्जा की बचत करने हेतु चेकोस्लवालिया की तकनीकी जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने आदानों अर्थात् कच्चे माल, ऊर्जा, क्षमता उपयोग, उत्पादन लागत आदि के रूप में अन्य देशों में उपलब्ध तकनीकी जानकारी का कोई तुलनात्मक अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या अन्तिम निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) गैस पर आधारित नये संयंत्रों के लिए प्रौद्योगिकी का चयन करते समय ऐसा अध्ययन किया गया था। किये गये अध्ययनों के आधार पर, हल्डर टोप्सो एण्ड केलोग का अमोनिया और मै० सनमप्रोगेटी को यूरिया संयंत्रों के लिये चुना गया था।

तमिलनाडु में जिला मुख्यालयों को एस०टी०डी० के जरिए मद्रास के साथ जोड़ना

4086. **श्री एम० डेनिस :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में कितने जिला मुख्यालयों को अब तक एस०टी०डी० के जरिए राज्य की राजधानी से नहीं जोड़ा गया है;

(ख) क्या सरकार के सभी जिला मुख्यालयों को एस०टी०डी० के जरिए मद्रास के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तमिलनाडु के 18 जिला मुख्यालयों में से निम्नलिखित जिला मुख्यालय राज्य की राजधानी मद्रास के साथ एस०टी०डी० सुविधा से नहीं जुड़े हैं :—

1. कुड्डालोर	2. तंजावूर
3. शिवगंगा	4. रामनाथपुरम

(ख) जी, हां।

(ग) रामनाथपुरम में पहले ही एक मध्यम आकार का स्वचल एक्सचेंज है। कुड्डालोर, तंजावूर और शिवगंगा में मैनुअल एक्सचेंज हैं जिन्हें सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वचल बनाने की योजना है।

स्वचल बनाने के बाद कुड्डालोर को मद्रास ट्रंक स्वचल एक्सचेंज के साथ तंजावूर को त्रिची ट्रंक स्वचल एक्सचेंज के साथ तथा शिवगंगा और रामनाथपुरम को मुदुरै ट्रंक स्वचल एक्सचेंज के साथ जोड़ने की योजना है।

इन स्टेशनों से सम्बन्धित ट्रंक स्वचल एक्सचेंजों के लिये संचारण माध्यम की योजना बनाई गई है।

उपर्युक्त कार्यों के पूरा होने के बाद इन स्टेशनों से मद्रास के लिये एस०टी०डी० सुविधा

उपलब्ध हो जायेगी। आशा है कि रामनाथपुरम को छोड़कर जहां कि संचारण लिंक भवन के लिये भूमि उपलब्ध नहीं है, यह कार्य सातवीं योजना अवधि में पूरा कर लिया जायेगा।

बिहार में टेलीफोन उद्योगों की स्थापना

4087. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1985-86 के दौरान बिहार में टेलीफोन उद्योग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) सरकार ने इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज को 11.5 लाख अदद टेलीफोन उपकरण बनाने के लिये अनुज्ञप्ति दी है। टेलीफोनों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने राज्य क्षेत्र की नौ और कम्पनियों को अनुज्ञप्तियां दी हैं। इन कम्पनियों की वार्षिक अनुज्ञप्त क्षमता 37 लाख अदद होगी। इसके अलावा निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियों को भी टेलीफोन बनाने के लिए आशय पत्र या तो जारी कर दिये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं। बिहार राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड को दुतरफा रेडियो संचार और सम्बद्ध उपस्कर और ग्रामीण स्वचल एक्स-चेंज की प्रति वर्ष 50000 लाइनें तथा जेली युक्त केबल बनाने के लिए आशय पत्र दिये गये हैं।

बिहार में पैट्रोल पम्पों की स्थापना

4088. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या पैट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में नये पैट्रोल पम्प स्थापित करने पर कोई प्रतिबन्ध है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिबन्ध कब तक उठाए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा नये पैट्रोल पम्प स्थापित करने के लिए लाइसेंस जारी करने में क्या मानदंड अपनाया जाता है ?

पैट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) खुदरा बिक्री केन्द्र (पैट्रोल/डीजल पम्प) को खोलने के लिए स्थान नियत करने के

बाद वहां डीलरशिप देने के लिए उसे तेल उद्योग की विपणन योजनाओं में शामिल किया जाता है। उसके बाद सम्बन्धित तेल कंपनी उस क्षेत्र के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन पत्र आमंत्रित करते हैं। उन विज्ञापनों के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच की जाती है और उन्हें विधिवत गठित तेल चयन बोर्ड को पात्र उम्मीदवारों की इंटरव्यु के लिए भेज दिया जाता है। तेल चयन बोर्ड से सिफारिशें प्राप्त होने पर सम्बन्धित तेल कंपनियां डीलरशिप देने की आगे कार्रवाई करती हैं।

सैनिक अधिकारियों द्वारा कलीमपोंग में भूमि का अधिग्रहण

4089. **श्री आनन्द पाठक** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दार्जीलिंग जिले में कलीमपोंग में सैनिक अधिकारी कालीपोंग में भूमि के एक विशाल क्षेत्र का अधिग्रहण करना चाहते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी भी है कि सम्बन्धित भूमि पर असैनिक लोगों की घनी आबादी बस रही है जो पीढ़ियों से उस क्षेत्र के रहने वाले हैं;

(ग) क्या उक्त योजना को कार्यान्वित करने से हजारों लोग बेघर हो जाएंगे और जीविका निर्वाह के साधनों से वंचित हो जाएंगे; और

(घ) क्या उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार भूमि का अधिग्रहण संबंधी विचार छोड़ देने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) से (घ) जिला दार्जिलिंग के कलीमपोंग में लगभग 1100 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए स्थानीय सैनिक अधिकारियों ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा था। राज्य सरकार ने स्थानीय सैनिक अधिकारियों द्वारा बताई गई भूम के लिये अपना "अनापत्ति प्रमाणपत्र" नहीं दिया है। इस भूमि के अधिग्रहण के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है।

ब्रिटेन के साथ औद्योगिक सम्बन्ध

4090. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटेन के साथ बेहतर औद्योगिक सम्बन्धों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिटेन से अन्य प्रौद्योगिकी लेने का है;

(ग) ब्रिटेन सरकार से औद्योगिक सम्बन्धों को बढ़ावा देने के लिए उदार बनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) विदेशी पूंजी निवेश और तकनीकी सहयोग के लिये सरकार की नीति चयनात्मक है। जटिल और उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में, निर्यातोन्मुख आयात प्रतिस्थापन के निर्माण कार्यों में या देशी उद्योग की घरेलू आवश्यकताओं को आसानी से पूरा करने के लिये भारत में विद्यमान प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने और या/निर्यात बाजार में प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाने ने लिए विदेशी सहयोग की अनुमति दी जाती है। उद्यमियों से प्राप्त विदेशी पूंजी निवेश और तकनीकी जानकारी के प्रस्तावों पर मूल देश का ध्यान रखे, बिना विशेषज्ञता के क्षेत्र में विदेशी सहयोगकर्ता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गुणवगुणों के आधार पर विचार किया जाता है। भारत ब्रिटिश आर्थिक समिति (इंडो ब्रिटिश इकोनोमिक कमेटी) की जनवरी, 1984 में नई दिल्ली में हुई पिछली बैठक में विदेशी सहयोग के लिए निर्धारित किये गए क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक दूर संचार, आटोमोटिव उद्योग प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, आप्टिकल फाइबर केबल, हाई प्रेशर और लो-प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प ईंधन (फ्यूल) इन्जेक्शन उपकरण खनन मशीनें ई० सी० एम० मशीनें एनालिटिकल यन्त्र प्रिसिजन बैलेंसेज आदि शामिल हैं। इन क्षेत्रों में अनेक प्रस्तावों पर सरकार द्वारा विचार किया जा चुका है और स्वीकृति दे दी गई है।

उड़ीसा में लघु टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

4091. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1985-86 और 1986-87 में उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्र में नये टेलीफोन एक्सचेंज और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये चुने गये ग्रामीण क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) 1985-86 और 1986-87 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित नए छोटे टेलीफोन एक्सचेंजों और लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों के लिये स्थानों के नामों पर अभी निर्णय लिया जाना है। फिर भी 1985-86 और 1986-87 में खोले जाने वाले संभावित छोटे टेलीफोन एक्सचेजों और लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों की जिले वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इसके लिए निधि की व्यवस्था इस वर्ष के लिए सर्किल को आबंटित एक मुश्त अनुदान से की जायेगी।

विवरण

1985-86 और 1986-87 में खोले जाने वाले प्रस्तावित एस० ए० एक्स० और लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन जिले वार।

	1985-86			1986-87
जिले का नाम	एस० ए० एक्स/एम० ए० एक्स-III	एल०	डी० पी० टी०	एस० ए० एक्स/ एम० ए० एक्स-III एल० डी० पी० टी०
1. बालासोर	2	10	3	10
2. बोलनगीर	2	10	3	10
3. ढेनकनाल	2	10	3	10
4. काला हांडी	2	10	2	10
5. क्योंझर	2	10	2	10
6. कोरापुट	2	10	2	10
7. मयूर भंज	2	10	2	10
8. फूलबनी	2	10	2	10
9. पुरी	2	15	2	25
10. सम्बलपुर	2	10	2	25
11. सुन्दर गढ़	2	10	2	10
12. कटक	4	20	5	25
13. गंजम	4	15	5	25
	30	150	35	200

शीतल पेय बनाने वाली कम्पनियों द्वारा एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का उल्लंघन

4092. श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेषतः बिक्री संवर्धन और प्रतियोगिताओं के संबंध में एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम संशोधन को कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या वर्ष 1984 में एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके जनता को काफी संख्या में शीतल पेय संवर्धनों की पेशकश की थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उनका मन्त्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए विचार कर रहा है कि जिन संवर्धनों तथा स्पर्धाओं से एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन होता है/उनको तुरन्त रोका जाये ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अधिनियम, 1984, दिनांक 1-8-1984 से प्रवृत्त हुआ, जिसमें प्रतियोगिताओं, लाटरी, अवसर या कुशलता के खेल के माध्याम से बिक्री बढ़ाने के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं के संबंध में उपलब्ध सम्मिलित हैं;

(ख) तथा (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने शीतल पेय को विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध 15 शिकायतकर्ताओं से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में आयोग के ऊपर महानिदेशक, जांच द्वारा जांच पड़ताल करने का आदेश दिया है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण पत्र में दिया जाता है।

विवरण

क्र० सं०	शिकायतकर्ता का नाम	विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं के नाम	शिकायत का विवरण
1.	2.	3.	4.
1. 2. 3. 4. 5.	उपभोक्ता शिक्षा हितकारी स्वयं सेवी संगठन (वी० ओ० आई० सी०आई० दिल्ली और 38 अन्य । उपभोक्ता एकता और न्यास सोसाइटी, जयपुर उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केन्द्र, अहमदाबाद उपभोक्ता सेवा समिति, नई दिल्ली । श्री सतीश मिश्रा और 40 अन्य, नई दिल्ली ।	1) मै० प्योर ड्रिंक्स प्रा० लि०, बम्बई 2) मै० प्योर ड्रिंक्स, प्रा० लि०, नई दिल्ली 3) मै० प्योर ड्रिंक्स, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली । 4) मै० पार्ले ब्रेवरीज प्रा०लि०, बम्बई । 5) मै० फियाज ड्रिंक्स प्रा० लि०, फरीदाबाद । 6) मै० हरियाणा ब्रेवरीज प्रा० लि०, रोहतक 7) मै० दिल्ली बोटलिंग कम्पनी, नई दिल्ली 8) मै० हरबर्टसन लि०, बम्बई	1. उत्तरवादी अपने उत्पादनों के विज्ञापनों में अनुचित भारी राशि खर्च कर रहे हैं, उनके उत्पादनों के फैक्टरी के बाहर के थोक मूल्य और बाजार कीमत के मध्य भारी अन्तर है जिससे उन्हें विज्ञापनों के रूप में, बिक्री बढ़ाने के लिए भारी खर्च करना पड़ रहा है, जिसमें फलों पर आधारित पेय के मालिकों से प्रतियोगिता का निरसन/निवारण हो रहा है और उपभोक्ताओं पर अनुचित लागतों का कारण बन रही है ।
6. 7. 8.	भारतीय उपभोक्ता मार्ग दर्शक समिति, दंडेली (यू० के०) केरल राज्य उपभोक्ता परिषद, कन्नानूर सभापति, घरक्षित सुरक्षा मण्डल, गुजरात ।	9) मै० इन्डो लोवनब्रान ब्रेवरीज लि०, फरीदाबाद । 10) मै० आगरा ब्रेवरीज कारपोरेशन लि०, आगरा ।	2. उत्तरवादियों ने अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया है तथा पुरस्कार और इनाम दिये हैं और भ्रमजाल उत्पन्न किया है कि उनके द्वारा विनिर्मित और बाजार में बेचे हुए पेय के लिए ली गई, राशि में जब वह पूरी वसूल कर ली जाती है तो कुछ वस्तु फ्री दी जाती है, यह प्रतियोगिता का निरसन कर रही है तथा छोटे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर आघात पहुंचा रहा है ।

1.	2.	3.	4.
9.	बालाकेडारारे वेदिक (उपभोक्ता फोरम) उदीपी, कर्नाटक।		3. उत्तरवादी अपने उत्पादनों से भरी बोतलों के लेबलों पर व्यक्त करने में असमर्थ होने पर कि पेय कृत्रिमरूप से सुगन्धयुक्त है भ्रमपूर्ण है, जो उनके द्वारा उत्पादित और बाजार में बेची गई सामग्री एक विशेष प्रकार के स्तर गुणवत्ता ग्रेड और माडल की है,जिसकी विशिष्टताएँ हैं, जो उसमें नहीं हैं और उपभोक्ताओं को उनकी प्रयोज्यता के सम्बन्ध में भ्रमित कर रहे हैं।
10.	उपभोक्ता संगठन, महुदा, गुजरात		
11.	श्री टी० सी० जैन, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली।		
12.	श्री एच० वी० सिंह और 16 अन्य, जमशेदपुर।		
13.	कामन काज, नई दिल्ली।		
14.	महिला समानाधिकार समूह, अहमदाबाद।		
15.	उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केन्द्र,	मैसर्स रसना सोफ्ट ड्रिंक कन्सेन्ट्रेट	मैसर्स रसना ड्रिंक कन्सेन्ट्रेटने दिनांक 24-12-1984 को गुजरात समाचार में एक प्रतियोगिता को सम्पन्न करके अपनी बिक्री में वृद्धि के उद्देश्य के लिए, भ्रमपूर्ण विज्ञापन दिया है।

केरल में औद्योगिक विकास

4093. प्रो० पी० जे० कुरियन
श्री टी० बशीर } : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक विकास की दर कितनी रही;

(ख) अन्य राज्यों की औद्योगिक विकास दर की तुलना में यह कितना कम या अधिक है और तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केरल में औद्योगीकरण की गति को तेज करने के लिए क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी० एस० ओ०) औद्योगिक उत्पादन के राज्यवार पृथकांक इकट्ठे नहीं करता। तथापि उद्योगों के हाल के वार्षिक सर्वेक्षण पर आधारित केरल और अन्य राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में 1979-80 1980-81 और 1982-83 के दौरान उत्पादन के मूल्य के रूप में प्रतिशत वृद्धि दर बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) उद्योगों के व्यापक छितराव के जरिए क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करना औद्योगिक स्थान निर्धारण नीति के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है। इसके अलावा सरकार औद्योगिक लाइसेंस देने और आयात निर्यात की नीतियों में उपर्युक्त परिवर्तनों के साथ-साथ ही मुद्रा और राजकोषीय उपायों तथा अवस्थापना में सुधार के जरिये औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिये अनेक उपाय कर है।

विवरण

केरल और अन्य राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान उत्पादन के मूल्य के रूप में प्रतिशत वृद्धि दर

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान उत्पादन के मूल्य के रूप में प्रतिशत वृद्धि दर		
	1978-79 की अपेक्षा 1979-81 में	1979-80 की अपेक्षा 1980-81 में	1980-81 की अपेक्षा 1981-82 में
1.	2.	3.	4.
1. आन्ध्र प्रदेश	+ 15.2	+ 17.9	+ 9.6
2. असम	+ 5.8	— 3.5	+ 10.8

1.		2.		3.		4.
3. बिहार	+	11.0	+	10.6	+	43.8
4. गुजरात	+	20.5	+	22.7	+	16.0
5. हरियाणा	+	32.0	+	17.0	+	27.0
6. हिमाचल प्रदेश	+	33.7	+	19.9	+	25.2
7 जम्मू और कश्मीर	+	32.5	+	5.9	+	4.7
8. कर्नाटक	+	12.9	+	11.7	+	16.5
9. केरल	+	18.3	+	27 8	+	15.8
10. मध्य प्रदेश	+	23.5	+	16.2	+	24.0
11. महाराष्ट्र	+	16 9	+	16.3	+	17.7
12. मणिपुर	+	29.7*	+	51 9*	+	266.9
13. मेघालय	+	58.9	+	65.4	—	12.4
14. उड़ीसा	+	14.3	+	8 8	+	27.5
15. पंजाब	+	24.6	+	17.8	+	24.0
16. राजस्थान	+	22.0	+	17.0	+	19.1
17. तमिलनाडु	+	19.1	+	18.7	+	20.3
18. त्रिपुरा	अ				+	21.5
19. उत्तर प्रदेश	+	11.2	+	14.1	+	47.4
20. पश्चिम बंगाल	+	18.1	+	16.9	+	12.9
21. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	+	15.9	+	23.4	+	21.2
22. चण्डीगढ़	+	34.2	+	13 1	+	14.8
23. दिल्ली	+	28.2	+	14.0	+	7.7
24. गोआ, दमन और द्वीव	+	2.6	+	52.5	+	12.1
25. पांडिचेरी	+	16.3	+	24.1	+	18.6
योग	+	17.8	+	16.9	+	10.6

अ. मणिपुर में शामिल किया गया है ।

* मणिपुर और त्रिपुरा के सम्बन्ध वृद्धि दरों और उत्पादन के मूल्य के आंकड़े इकट्ठे दिये गये हैं क्यों 1979-80 के लिए त्रिपुरा और मणिपुर के संबंध में अलग-अलग उत्पादन आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

केरल के उद्योग विहीन जिलों में स्थापित किये गये उद्योग

4094. **प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल के उद्योग विहीन जिलों में सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में कितने उद्योग स्थापित किये गये;

(ख) इन उद्योगों में कुल कितना निवेश किया गया और इनसे रोजगार के कितने अवसर पैदा हुए;

(ग) क्या इन जिलों में उद्योग स्थापित करने वाले उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) पिछली तीन वर्षों के दौरान केरल के उद्योग रहित जिलों में रंगीन टेलीविजन का निर्माण करने के लिये एक औद्योगिक एकक स्थापित करने हेतु मै॰ केरल स्टेट इलैक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को एक आशयपत्र जारी किया गया है। परियोजना अभी कार्यान्वित की जानी है।

(ग) और (घ) उद्योग रहित जिलों में उद्योगों की स्थापना करने वाले उद्यमियों को प्राप्य रियायतों/प्रोत्साहनों का ब्यौरा इस मन्त्रालय के प्रेस टिप्पण सं॰ 14/2/83-डी॰ बी॰ ए॰-1 दिनांक 9-4-85 के साथ पठित "इन्सेन्टिव्ज फार इण्डस्ट्रीज इन बैकवार्ड एरियाज (सेन्ट्रल गवर्नमेंट एण्ड सेन्ट्रल फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन्स)—अप्रैल, 1984 पुस्तिका में दिया गया है। इसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

फील्ड मार्शल का पद

4096. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फील्ड मार्शल का पद एक अवैतनिक पद है अथवा सलाहकार का पद है;

(ख) क्या कुछ जनरलों को इस सम्मान से विभूषित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी॰ वी॰ नरसिंह राव) : (क) फील्ड मार्शल का रैंक सेना में एक मान्यताप्राप्त रैंक है। यह अवैतनिक रैंक नहीं है। फील्ड मार्शल की सेवाएं सरकार को उपलब्ध रहती हैं और वह आवश्यकता पड़ने पर सामरिक या सलाहकार की स्थिति में उसकी सेवाओं का उपयोग कर सकती है।

(ख) से (घ) किसी अफसर को फील्ड मार्शल का रैंक देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास क्षेत्र के बारे में ज्ञापन

4097. श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय को कानपुर, गाजियाबाद, फरीदाबाद, लुधियाना, कोटा, अहमदाबाद, पुणे, बंगलौर, कोचीन, मद्रास, हावड़ा, असनसोल, गोहाटी, भुवनेश्वर, धनबाद, और पटना को सम्मिलित करते हुए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास क्षेत्र के गठन के संबंध में कोई विज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता।

मोनोथोलीन ग्लाईकोल संबंधी संयंत्र

4098. श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या पैट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके द्वारा मंत्रालय 40.000 टन के मोनोथोलीन ग्लाईकोल (एम० ई० जी) के लिए किसी संयन्त्र तथा 5,000 टन के उच्चतर एथोलीन ग्लाईकोल परियोजना की रियायन्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में मन्जूरी दी गई है;

(ख) क्या यह संयुक्त क्षेत्र का एक उद्यम है अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र का;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई विदेशी सहयोग लिया गया है अथवा इसी परियोजना के लिये अन्य आवेदक भी है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) निम्नलिखित के उत्पादन के लिये मैसर्स रिलाएन्स टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड को एक आशय पत्र जारी किया गया है :—

मोनोइथलीन ग्लाइकोल,	—	40,000 मी० टन/प्रति वर्ष
हायर इथिलीन	—	5,000 मी० टन/प्रति वर्ष

(ख) यह संयंत्र प्राइवेट क्षेत्र में होगा।

(ग) और (घ) विदेशी भागीदारी के प्रस्ताव में 24 लाख अमेरिकी डालर की नो-हाव फीस की एक मुश्त राशि की अदायगी की परिकल्पना अनुमोदित कर दी गई है।

लघु एककों द्वारा औषधियों का उत्पादन

4099. **श्री डी० पी० जडेजा :** क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के एककों को जिन 'बल्क" औषधियों का उत्पादन करने का लाइसेंस मिला हुआ है उनका उत्पादन वे "लोन लाइसेन्स" के आधार पर (लाइसेन्स उधार देकर) लघु एककों से करवा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित ऐसी मदों के नाम क्या है तथा प्रत्येक लघु एकक से उनका वर्षवार कितना उत्पादन हुआ;

(ग) उक्त लघु एककों के नाम क्या हैं, और सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा अपनी क्षमता का स्वयं उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के औषध उत्पादक उपक्रमों से प्राप्त सूचना के अनुसार केवल हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स लि० (एच० ए० एल०) को छोड़कर उनमें से कोई भी अब ऋण लाइसेन्स के आधार पर लघु उद्योग एककों द्वारा उत्पादित प्रपुन्ज औषध प्राप्त नहीं कर रहा है जिसके लिए उनको लाइसेन्स दिया गया है। केवल 1984-85 के दौरान, हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स लि० (एच० ए० एल०) ने ऋण लाइसेंसिंग के आधार पर 1957.5 कि० ग्रा० एम्पिसिलिन ट्राइहाइड्रेट लघु उद्योग एककों से उत्पादित करवाया क्योंकि इस मद के लिए उनकी अपनी प्रक्रिया स्थिर नहीं थी। ऋण लाइसेंसिंग के आधार पर उत्पादन के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

	लघु उद्योग एकक का नाम	उत्पादित करवायी गयी एम्पिसिलिन ट्राइहाइड्रेट की मात्रा
		कि० ग्रा०
1.	प्रीति आर्ग्रेनिक्स, वापी	253.750
2.	आरेक्स फार्मेस्यूटिकल्स, बम्बई	1160.000
3.	पिसल फार्मेस्यूटिकल्स, बम्बई	217.500
4.	उनरमोर कैमिकल्स, बम्बई	145.000
5.	जयको कैमिकल्स लि०, बम्बई	180.250
		1957.500

बल्क औषधियों के उत्पादन सम्बन्धी नीति की पुनरीक्षा

4100. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बल्क औषधियों के उत्पादन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान नीतियों पर उद्योग की बदलती हुई परिस्थिति के साथ-साथ समय-समय पर पुनरीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो बड़े पैमाने पर बल्क औषधियों का उत्पादन करने वाले लघु एककों की परिस्थितियों से परिवर्तनों के अनुसार वर्षवार किन-किन मदों के बारे में पुनर्विचार किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद ने 1978 की औषध नीति में किये जाने वाले परिवतनों के बारे में हाल ही में सिफारिशें की थी। सरकार मामले से अवगत है।

हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा केरल में मिट्टी का तेल संबंधी दुर्घटना के पीडितों को दिये गये मुआवजे में वृद्धि

4101. **श्री सुरेश कुरूप**
श्री टी० बशीर : क्या **पैट्रोलियम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में मुख्य मंत्री की ओर से केरल में हुई मिट्टी के तेल संबंधी दुर्घटना के पीड़ितों को हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा दिये गये मुआवजे की राशि को बढ़ाने के बारे में कोई अनुरोध पत्र मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) एच० पी० सी० एल० ने पहले ही केरल के मुख्य मन्त्री सहायता कोष में 7 लाख रुपये दिये हैं ताकि प्रभावित परिवारों को राहत दी जा सके। केरल के मुख्य मंत्री ने मृत्यु के मामलों में प्रत्येक को 1.00 लाख रुपये और घायलों के मामलों में प्रत्येक को 5000 से 25,000 रुपये (चोट की गम्भीरता के आधार पर) देने का सुझाव दिया था। केरल सरकार के सुझाव पर उचित रूप से विचार किये जाने के बाद, केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय लिया है कि मृत्यु के मामले में प्रत्येक को 25,000 रुपये और घायलों के मामले में प्रत्येक को 5000 रुपये से 10000 रुपये के बीच की राशि (वास्तविक राशि चोट की गम्भीरता के आधार पर) दी जाये। तदनुसार केरल सरकार को सूचित कर दिया गया है। एच० पी० सी० एल० ने उपर्युक्त प्रयोजन के लिए आगे और 10 लाख रुपये की राशि सहायता कोष में दे दी है।

केरल में मिट्टी के तेल की दुर्घटना की जांच

4102. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में हुई मिट्टी के तेल की दुर्घटना की जांच कर रही समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति के क्या निष्कर्ष हैं ;

(ग) सरकार का क्या अनुवर्ती कार्यवाही करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार इस मामले की जांच का कार्य केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो जैसी किसी केन्द्रीय एजेन्सी को सौंपने जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी नहीं। मामले की जांच करने के लिए आयल इण्डिया लिमिटेड के सेवानिवृत्त अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री सी० आर० जगन्नाथन की अध्यक्षता में पहले ही एक तकनीकी समिति की नियुक्ति कर दी गई है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पिथौरागढ़, उत्तर प्रदेश में डाकघरों के विभागीय भवन का विस्तार

[हिन्दी]

4103. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़ के मुख्य डाकघर में स्थान की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या छठी पंचवर्षीय योजना में इस डाकघर के विभागीय भवन का और विस्तार करने का विचार था;

(ग) यदि हां, तो इस भवन का अभी तक विस्तार न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विस्तार कार्य प्रारम्भ करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस कार्य पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) विभागीय औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) लगभग 27.00 लाख रुपए।

डी० ई० टी० और एस० डी० ओ० कार्यालय खोलने के लिए मापदंड

4104. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पहाड़ी क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों में डी० ई० टी० और एस० डी० ओ० कार्यालय खोलने के वर्तमान मापदंडों को बदलने के लिए सहमत हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा में नया डी० ई० टी० कार्यालय और रानीखेत में नया एस० डी० ओ० कार्यालय खोले जाने की सम्भावना है;

(ग) यदि हां; तो कब, और

(घ) यदि नहीं, तो किन कठिनाईयों के कारण यह कार्यालय वहां पर नहीं खोले जायेंगे और विभाग इन कठिनाईयों को दूर करके उपरोक्त स्थानों पर यह कार्यालय कब तक खोल पाने की स्थिति में होगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फिर भी मंडलों और उपमंडलों का गठन करते समय कठिन भू-भाग वाले इलाकों को कुछ महत्व दिया जाता है।

(ख) से (घ) फिलहाल, अल्मोड़ा में मंडल इन्जीनियर तार के कार्यालय और रानीखेत में उपमंडल अधिकारी के कार्यालय का मानदंडों के अनुसार औचित्य नहीं बनता। कार्यभार के निर्धारित सीमा तक बढ़ने के बाद इन कार्यालयों का गठन कर दिया जाएगा बशर्ते कि नये पदों के सृजन पर लगी रोक हट जाए।

उत्तर प्रदेश में अभियांत्रिकी के नए प्रभागीय और उप-प्रभागीय कार्यालय खोलना

4105. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश मंडल में टेलीफोन सेवाओं के वर्तमान विस्तार की दृष्टि से उनका मंत्रालय वहां अभियांत्रिकी के कुछ नये प्रभागीय और उप-प्रभागीय कार्यालय खोलने पर सक्रियता से विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह नये प्रभागीय और उप-प्रभागीय कार्यालय किन-किन स्थानों पर खोलने का विचार है और इन्हें कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जब कार्यभार निर्धारित सीमा तक पहुंच जाएगा तो अल्मोड़ा, और गोंडा में एक-एक इंजीनियरी मंडल गठित किए जाने की संभावना है बशर्ते कि पदों के सृजन पर लगी रोक हट जाए।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में रासायनिक कारखानों में सुरक्षा के प्रबन्ध

4106. **श्री हरीश रावत** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में क्लोरीन आदि उपयोग करने वाले कुछ रासायनिक कारखाने स्थित हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कारखानों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या उनके सुरक्षा प्रबन्धों की सरकार द्वारा जांच की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन कारखानों से गैस आदि के रिसाव से जनजीवन को खतरा उत्पन्न न हो?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार मै० श्रीराम फूड एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और मै० हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड नामक दो प्रमुख रसायन कारखाने दिल्ली में स्थित हैं जो क्लोरीन का प्रयोग करते हैं।

दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि मै० श्रीराम फूड्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के एक एकक, मै० श्रीराम कैमिकल वर्क्स के कारखानों में किये गये निरीक्षणों से पता लगा कि कामगारों और कारखाने के आसपास की आबादी की सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक और नियंत्रण उपाय अपर्याप्त थे। सुरक्षा उपायों की अपर्याप्तता को देखते हुए दिल्ली प्रशासन श्रीराम कैमिकल वर्क्स को किसी और स्थान पर स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर विचार कर रहा है।

जहां तक हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड (एच०आइ०एल०) का संबंध है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने केन्द्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के साथ कारखाने का दौरा किया था। दौरे के पश्चात एच०आई०एल० को सलाह दी गई थी कि संयंत्र संचालन की सुरक्षा निर्धारण के लिये वे एक सम्पूर्ण सर्वेक्षण करें। एच०आई०एल० कुछ उपचारी कदम उठा चुकी है।

बम्बई हाई पर आधारित रसायन उर्वरक उद्योगों की स्थापना

4107. श्री बिलास मुत्तेमवार : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को विदर्भ में बम्बई हाई की गैस पर आधारित रसायन उर्वरक उद्योग की स्थापना हेतु की जा रही मांग की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को उस बात की भी जानकारी है कि बम्बई हाई और बुरहानपुर के बीच बिछाई गई पाइपलाइन विदर्भ को भी छूती जाती है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है और इसमें कितना खर्चा होने का अनुमान है; और

(घ) किन-किन स्थानों पर बम्बई हाई पर आधारित रसायन उर्वरक उद्योग स्थापित किये जाने का विचार है और इनकी स्थापना कब तक किये जाने की सम्भावना है?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित गैस पाईपलाईन विदर्भ से होकर नहीं जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वे स्थान जहां बम्बई हाई गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है तथा उनकी आरम्भण तिथियां संलग्न विवरण में दी गई हैं। परियोजनाओं को आरम्भण तिथियों के 36-39 मास के अन्दर-अन्दर पूर्ण किया जाना है।

विवरण

बम्बई हाई गैस पर आधारित रसायन उर्वरक उद्योगों की स्थापना

क्रमांक	स्थिति	आरम्भण तिथि
1.	विजयपुर (जिला गुना), मध्य प्रदेश	1.6.84
2.	ओनला, बरेली जिला, उत्तर प्रदेश	1.10.84
3.	जगदीशपुर, सुल्तानपुर जिला, उत्तर प्रदेश	1.3.85
4.	विलोपा गांव, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान	1.4.85
5.	बबराला, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश	1.10.85
6.	जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश	1.4.86

नारियल जटा उद्योग के सहकारीकरण के लिये निर्धारित धनराशि

[अनुवाद]

4109. **श्री मुल्लप्पल्ली रामचन्द्रन :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल जटा उद्योग के सहकारीकरण की योजना के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि निर्धारित की गई;

(ख) छठी योजना अवधि में उक्त योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) छठी योजना में उक्त योजना के अन्तर्गत केरल के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी;

(घ) छठी योजना अवधि में केरल में उक्त योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (घ) के अन्तर्गत कोई धनराशि कम खर्च की गई है तो कम धनराशि खर्च होने के क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां : (क) से (ङ) छठी पंचवर्षीय योजना में केयर उद्योग के सहकारीकरण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना, जो 21 अगस्त, 1982 में लागू की गई थी, के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 9.50 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया था। योजना के अन्तर्गत व्यय को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश के बीच 50:50 के अनुपात में बांटा जाता है, और केन्द्रीय सरकार द्वारा राशि राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा किए गए प्रस्तावों और केयर बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर दी जाती है। छठी पंचवर्षीय के दौरान, केन्द्रीय सरकार द्वारा 310.21 लाख रुपये की कुल राशि दी गई थी, जिसमें से इस प्रयोजन के लिए 289.83 लाख रुपये केरल सरकार को दिए गए थे।

अखबारी कागज का उत्पादन

4111. **श्री मोहन भाई पटेल :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : देश में अखबारी कागज का उत्पादन करने वाली कितनी इकाईयां काम कर रही हैं, उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है और इनमें वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान वार्षिक कितना उत्पादन हुआ है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) इस समय देश में अखबारी कागज बनाने वाले तीन एकक हैं जिनकी अधिष्ठापित क्षमता 2.30 लाख मी० टन है।

इन एककों में अखबारी कागज़ का उत्पादन निम्नलिखित रहा है:

1983-84	1,76,338 लाख मी० टन
1984-85 (अनन्तिम)	2,00,547 लाख मी० टन

सौराष्ट्र क्षेत्र में तेल के लिए सर्वेक्षण

4112. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984 में तेल का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों और राज्यों में उक्त सर्वेक्षण किया गया और उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) वर्ष 1984 में शुरू किए गए खोज कार्य का ब्यौरा क्या है और तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या है;

(घ) क्या सौराष्ट्र क्षेत्र में तेल मिलने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या वहां पर कोई सर्वेक्षण किया गया और उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में तेल क्षेत्रों की खोज करना

4113. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल क्षेत्रों का पता लगाने का काम धीमा पड़ गया है;

(ख) यदि हां, तो 1977-80 और 1981-84 के दौरान पता लगाए गए तेल क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान पता लगाए गए क्षेत्रों में तेल और गैस का कितना भण्डार मिलने का अनुमान है; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में तेल क्षेत्रों का पता लगाए जाने की क्या सम्भावनाएं हैं?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान अपने अन्वेषी प्रयासों को तेल कर दिया है।

(ख) वर्ष 1977-80 तक की अवधि के दौरान 13 संरचनाओं में तेल मिला था तथा वर्ष 1981-84 तक की अवधि के दौरान 19 संरचनाओं में तेल मिला था। ब्यौरे नीचे दिए गये हैं :

अवधि	राज्य/बेसिन/क्षेत्र	संरचना का नाम
1977 से 1980	पश्चिमी समुद्र तट अपतटीय	हीरा, बी-37, आर-9, आर-12, आर-7, बी-58
	पूर्वी समुद्र तट अपतटीय क्षेत्र	जी-1
	गुजरात	पादरा, जोटना, विराज, पश्चिमी सामासन, मोटवान, पश्चिमी मोटवान
	पश्चिमी समुद्री तट अपतटीय क्षेत्र	बी-57, आर-8, आर-13, ई-178 के डी
	पूर्वी समुद्री तट अपतटीय क्षेत्र	
	गुजरात	मेवाड़, सिंसोबरा, ओग्नैज, गायेंज, वाडु, गांधार, दहेज तथा लोहार
	असम	नापामुआ चंगमयगांव तथा बरक

(ग) 1.1.1978 तथा 1.1.1980 के दौरान देश में हाइड्रोकार्बनों के वसूली योग्य भंडारों में लगभग 105 मि०मी० टन की निबल वृद्धि हुई तथा 1.1.1981 तथा 1.1.1984 के दौरान लगभग 110 मि०मी० टन की निबल बढ़ोतरी हुई।

(घ) सातवीं योजनावधि के दौरान 680 मि०मी० टन हाइड्रोकार्बन भंडारों का पता लगाने का प्रस्ताव है।

पश्चिमी बंगाल में तेल के भंडार

4114. श्री भोलानाथ सेन
श्री अमर रायप्रधान } : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग पश्चिमी बंगाल में अब तक कोई संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने में असफल रहा है, क्योंकि यह अब तक निर्धारित गहराई तक, जहां भूकम्पीय आंकड़ों के अनुसार पश्चिमी बंगाल में तेल मिलने की संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पश्चिमी बंगाल में 5500 मीटर की गहराई पर तेल के कितने भण्डार होने का अनुमान है;

(घ) पश्चिमी बंगाल में ऐसे स्थानों पर जहां तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कुएं खोदने का कार्य शुरू किया गया है, अब तक कितनी गहराई तक कुएं खोदे जा सके हैं; और

(ङ) पश्चिमी बंगाल में निर्धारित गहराई तक कुएं खोदने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) जी नहीं। अधिकतर कुओं को उनकी लक्ष्यांकित गहराई तक खोदा गया था। किन्तु डाउन होल जटिलताओं के कारण बोदरा में एक कुएं में व्यधन कार्य को लक्ष्यांकित गहराई से 800 मीटर ऊपर ही रोक देना पड़ा था।

(ग) किसी एक बेसिन में विशेष गहराई पर तेल भण्डारों का परिकलन नहीं किया जाता है।

(घ) अब तक पश्चिमी बंगाल में अधिकतम 5655 मीटर गहराई तक व्यधन कार्य किया गया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सीमेंट उद्योग को और आगे लाइसेंस न देना

4116. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमेंट उद्योग को और आगे लाइसेंस देना रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा इसलिए किया गया था कि कोयला विभाग ने प्रस्तावित नए सीमेंट संयंत्रों को कोयले की और अधिक मात्रा आबंटित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है;

(ग) क्या इससे न केवल सीमेंट में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रयासों पर बल्कि विदेशी मुद्रा की आय बढ़ाने हेतु काफी मात्रा में निर्यात के लिए अतिरिक्त भंडार बनाने के प्रयत्नों पर भी बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार इस निर्णय पर फिर से विचार कर रही है;

(ङ) क्या सीमेंट उद्योग को लाइसेंस देना स्थगित करने से देश में विभिन्न योजनाओं पर बुरा प्रभाव पड़ेगा; और

(च) यदि हां, तो उससे कितना प्रभाव पड़ेगा ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के गुना स्थित संयंत्र के क्रियान्वयन में विलम्ब

4117. **श्री बी० वी देसाई** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस से चलने वाली लगभग सभी छः बड़ी उर्वरक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब हो जाएगा, हालांकि उच्च स्तर पर यह सुनिश्चित करने के निदेश किए गए हैं कि इन संयंत्रों के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाए रखा जाए।

(ख) क्या नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के गुना स्थित संयंत्र के अतिरिक्त लगभग सभी परियोजनाओं में विभिन्न किस्म की अनिश्चितताएं बनी हुई हैं;

(ग) यदि हां तो इन परियोजनाओं में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इसका कोई हल निकाला गया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित थाल एवं हजीरा के अलावा गैस पर आधारित 6 उर्वरक संयंत्रों में से विजयपुर, ओंला एवं जगदीशपुर परियोजनाओं का कार्यान्वयन आरम्भ हो चुका है। यद्यपि जगदीशपुर परियोजना के संबंध में मै० इन्डो गल्फ फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स कारपोरेशन लि० (आई० जी० एल० सी० सी०) द्वारा ठेका संबंधी व्यवस्थाओं को अन्तिम रूप देने में विलम्ब हुआ है तथापि इस समय इन तीनों परियोजनाओं की प्रगति सन्तोषजनक प्रतीत होती है।

शेष तीन उर्वरक परियोजनाओं की निर्धारित आरम्भण तिथियां नीचे दी गई हैं :—

क्रमांक	स्थिति	आरम्भण तिथि
1.	गांव बिल्लौपा जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान	1.4.85
2.	बाबराला, जिला बदायूं, उ०प्र०	1 10.85
3.	जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश	1.4.85

सवाई माधोपुर परियोजना के संबंध में संविदात्मक व्यवस्थाओं को अन्तिम रूप देने में परियोजना प्राधिकारियों द्वारा विलम्ब किया गया है जिनको शीघ्र करने के आदेश दिए गए हैं।

(घ) इन परियोजनाओं की प्रगति पर आवधिक समीक्षा एवं निगरानी की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनके कार्यान्वयन में कोई विलम्ब न हो।

छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना में सीमेंट का उत्पादन

4118. श्री बी० बी० देसाई : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सीमेंट उद्योग से आग्रह किया कि वे उत्पादकता के स्तर में सुधार करें;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया दिया है कि आधारभूत बाधाओं के बावजूद क्षमता उपयोग में सुधार करने की गुंजाइश है जो इस समय 76 प्रतिशत है;

(ग) क्या छठी योजना अवधि में सीमेंट उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त हो गया है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने हेतु कि सातवीं योजना अवधि के दौरान सीमेंट का लक्ष्य पूरा हो, सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष तक निर्धारित 345 लाख मी० टन के उत्पादन लक्ष्य की तुलना से लगभग 301 लाख मी० टन सीमेंट का उत्पादन प्राप्त किया गया था। प्रमुखतः अवस्थापना कठिनाइयों के कारण उत्पादन में गिरावट आई थी।

(घ) यह सुनिश्चय करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि उद्योग के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देकर नई क्षमता स्थापित करके तथा सीमेंट उद्योग के लिए विद्युत, कोयला और वैगन जैसी अवस्थापना सेवाओं की उपलब्धता की निकट से मानीटरिंग करके सातवीं योजनावधि के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

उड़ीसा में खाना पकाने की गैस की सुविधा

4119. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के ऐसे कितने शहर और नगर हैं और उनके नाम क्या हैं जहां अब तक खाना पकाने की गैस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है;

(ख) राज्य को वितरण के लिए प्रतिवर्ष कितने सिलेण्डरों की पूर्ति की जाती है; और

(ग) ऐसे कितने शहर हैं जहां अगले दो वर्षों के दौरान यह सुविधा उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) इस समय उड़ीसा में

निम्नलिखित स्थानों पर एल० पी० जी० की सुविधाएं उपलब्ध हैं :—

1. अक्सा
2. बालागांव
3. बोलंगीर
4. बालेश्वर
5. बारीपाडा
6. ब्रह्मपुर
7. भुवनेश्वर
8. ब्रिजरंजनगर
9. बुरला
10. चतरापुर
11. कटक
12. बसवेल
13. भवानी पटना
14. अनगुल
15. बेशमपुर
16. धेनकानल
17. जातनी
18. जयपोर
19. प्रदीप
20. फुलबानी
21. पुरी
22. रायागढ़ा
23. राउरकेला
24. सम्बलपुर
25. सोनाबोड़ा
26. कोरापुट
27. बालासोर
28. सुन्दरगढ़
29. झरसुगुडा

(ख) उड़ीसा को प्रति वर्ष लगभग 4.47 लाख सिलेण्डरों की सप्लाई की जाती है।

(ग) अगले दो वर्षों के दौरान, उड़ीसा में निम्नलिखित स्थानों पर एल० पी० जी की सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है :—

1. किओंझर
2. भद्रक
3. परला खेमुण्डी
4. बारगढ़
5. चौदवार
6. तलचर
7. झारसुगुडा
8. राजगंगपुर (2 स्थान)
9. तितलागढ़
10. खोरधा
11. जोड़ा
12. आनन्दपुर
13. केन्द्रपाड़ा
14. बहरामपुर
15. जयपुर रोड़
16. राउरकेला (2 स्थान)
17. भुवनेश्वर
18. कुलद
19. भंजनगर
20. बीरमितरापुर
21. जयपोर
22. दमनजोर
23. बुर्ला

आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के उद्योग

4120. **श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए वहां पर सरकारी क्षेत्र में बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में रक्षा उत्पादन के लिए सरकारी क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस दिशा में कुछ कार्रवाई करेगी ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) किन्ही विशिष्ट क्षेत्रों के औद्योगीकरण का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से सम्बन्धित राज्य सरकारों का होता है केन्द्रीय सरकार पता लगाए गए पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए विभिन्न रियायतें और प्रोत्साहन देकर उनके प्रयासों को पूरा करने में उनकी सहायता करती है। केन्द्रीय पूंजी निवेश मुख्य रूप से आधार-भूत किस्म की बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में किया जाता है। अतः इस प्रकार की परियोजनाओं के स्थापना-स्थल का निर्णय व्यापक तकनीकी आर्थिक बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय परियोजनाओं के स्थापना-स्थल का चयन करने में अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों को तरजीह देने की सरकार की नीति रही है

(ख) और (ग) इस समय मध्य प्रदेश के झबुआ जिले में सुरक्षा उत्पादन के लिए सरकारी क्षेत्र का कोई भी उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

झाबुआ में प्रोटोटाइप विकास और प्रशिक्षण केन्द्र

[हिन्दी]

4121. **श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के पिछड़े आदिवासी जिले, झाबुआ में छोटे उद्यमियों के लिए समुचित प्रशिक्षण सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को वहां पर एक प्रोटोटाइप विकास और प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की सलाह देने का है; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर इस प्रकार की सुविधाएं कब तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है;

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आदिवासी क्षेत्रों में न्याय प्रशासन

[अनुवाद]

4122. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के आदिवासी क्षेत्रों में न्याय प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या सातवें वित्त आयोग ने न्याय प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए धन की व्यवस्था की थी;

(ग) यदि हां, तो इन सिफारिशों के अनुसार उनके मंत्रालय द्वारा राज्यों को राज्यवार कितना धन दिया गया ; और

(घ) राज्यों द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के लिए धन देने के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए हैं और राज्यवार अब तक उपलब्धियां क्या हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान विधि और न्याय मंत्रालय न्यायिक प्रशासन के स्तर को सामान्य रूप में, न कि किसी विशिष्ट जनजाति क्षेत्र के सम्बन्ध में ऊंचा उठाने के बारे में सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों से सम्बद्ध था। इस प्रयोजन के लिए राज्यों को दी गई रकमें संलग्न विवरण में बताई गई हैं।

विवरण

सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर न्यायिक प्रशासन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अनुदान दिया जाना

क्र० सं०	राज्य का नाम	31-3-1985 तक दी गई रकम
1.	2	3
		(लाख रुपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	83.97
2.	असम	165.23
3.	बिहार	487.88
4.	हिमाचल प्रदेश	6.02
5.	जम्मू-कश्मीर	2.50
6.	केरल	1.95

1	2	3
7.	मध्य प्रदेश	27.53
8.	मणिपुर	27.37
9.	नागालैंड	70.00
10.	उड़ीसा	92.88
11.	राजस्थान	209.46
12.	तमिलनाडु	15.64
13.	त्रिपुरा	30.68
14.	उत्तर प्रदेश	470 43
15.	पश्चिमी बंगाल	123.87
	योग :	1815.4

उड़ीसा में आदिवासी, पहाड़ी और पिछले इलाकों में मिट्टी के तेल के डिपो, डीजल और पेट्रोल के बिक्री केन्द्रों और खाना पकाने की गैस की एजेंसियों का आबंटन

4123. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उन स्थानों का पता लगाया है जहां पर आदिवासी, पहाड़ी और पिछड़े इलाकों में तालुक मिट्टी तेल डिपो, डीजल और पेट्रोल के बिक्री केन्द्र और खाना पकाने की गैस की एजेंसियां खोली जानी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक विशेषरूप से उड़ीसा के संदर्भ में चुने गए स्थानों के नाम क्या हैं;

(ग) इनमें से अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किए गए स्थानों के नाम क्या हैं;

(घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए स्थानों के चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(ङ) उड़ीसा के आदिवासी जिलों में हाल ही में ऐसे कितने स्थानों को अधिसूचित किया गया है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां। तेल उद्योग खुदरा बिक्री केन्द्रों, तालुक के मिट्टी तेल के डिपो (टी० के० डी०) तथा एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के विकास हेतु स्थानों को निर्दिष्ट करने के लिए बाजार सर्वेक्षण करता है जो खुदरा बिक्री केन्द्रों

के मामले में मात्रा/दूरी के मानदण्डों, एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के मामले में प्रत्याशित रिफिल बिक्री तथा तालुक के मिट्टी के तेल डिपुओं के मामले में दूर-दराज तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को उचित दर पर मिट्टी तेल की आपूर्ति की आवश्यकता पर निर्भर करता है। ऐसे स्थानों को निर्दिष्ट करते समय, आदिवासी, पहाड़ी तथा पिछले क्षेत्रों को भी शामिल किया जाता है।

(ख) और (ग) उड़ीसा राज्य के निर्दिष्ट स्थानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

पूरे देश के बारे में इस सूचना को एकत्र करने में बहुत समय तथा श्रम लगेगा जो प्रस्तावित उद्देश्य की पूर्ति के अनुरूप नहीं होगा।

(घ) आरक्षित संसदीय/विधान सभा चुनाव क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों को इन वर्गों के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

(ङ) वर्ष 1984-85 की विपणन योजना के अधीन उड़ीसा के आदिवासी जिले में निम्नलिखित डीलरशिपों को अधिसूचित किया गया है—

(i)	खुदरा बिक्री केन्द्र	6
(ii)	एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें	2

विवरण

क्र० सं०	स्थान	जिला	अगर आरक्षित, तो किस वर्ग के लिए आरक्षित है।
1	2	3	4
		तलुका मिट्टी तेल डिपो	
1.	कोंझार	कोंझार	—
2.	फुलबानी	फुलबानी	—
3.	मयूरभंज	मयूरभंज	—
4.	अंगुल	धेनकानल	—
5.	बौद्ध		—
6.	बोलंगीर	बोलंगीर	--
7.	नायागढ़		—
8.	भुबनेश्वर	पुरी	—
9.	वारीपत	मयूर भंज	—
10.	तलासबर		—

रिटेल आउटलेट

1	2	3	4
		रिटेल आउटलेट	
1980-81 विपणन योजना			
आई० ओ० सी०			
1.	भदरक	बालसोर	—
2.	उदाला	मयूरभंज	एस० टी०
3.	प्रदीप	कटक	—
4.	कोईरा	सुन्दरगढ़	—
5.	चतरपुर बाई पास	गंजन	एस० टी०
6.	रायराखुल	समबलपुर	—
7.	एमरदा	बालसोर	—
8.	खारीयर	कलाहांडी	एस० सी०
9.	नागागढ़	पुरी	—
10.	पुरी	पुरी	—
11.	बिसोरी	मयूरभंज	—
12.	सूआकत	कोंझार	—
13.	बालीयापल	बालसोर	—
14.	बासुदेवपुर	बालसोर	—
15.	चमपुआ	कोंझार	—
16.	बोलगढ़	पुरी	—
17.	बंकी	कटक	—
18.	नियाली	पुरी	एस० सी०
19.	पुरुषोत्तमपुर	गंजम	—
20.	मलकगिरी	कोरापुर	—
21.	उमरकोटी	कोरापुर	—
22.	मोटर	कलाहांडी	एस० टी०
23.	मदनपुर	रामपुर	—

1	2	3	4
24.	सोनेपुर	बोलंगीर	—
25.	भुवनेश्वर	पुरी	एस० टी०
बी० पी० सी० एल०			
26.	वेदव्यास	सुन्दरगढ़	एस० टी०
27.	बह्मपुर	गंजम	—
1981-82 वितरण योजना			
आई० ओ० सी०			
1.	कटक	कटक	—
2.	राउरकेला	सुन्दरगढ़	—
3.	राजभवन परिसर	भुवनेश्वर	—
बी० पी० सी० एल०			
4.	चन्दनेश्वर	बालसोर	एस० टी०
5.	जनुगंज	बालसोर	एस० सी० सी
6.	बुगुदा	गंजम	—
7.	जगतसिंहपुर	कटक	—
8.	दिग्पाहांडी	गंजम	—
9.	प्रदीप I	कटक	—
10.	निमपारा	पुरी	—
11.	प्रदीप II	कटक	—
12.	पादीपाहल	समबलपुर	—
13.	पदमपुर	समबलपुर	—
एच० पी० सी० एल०			
14.	बोईंटा	धेनकानल	—
15.	बालसोर बाईपास	बालसोर	—
16.	रामभा	गंजम	—
17.	राउरकेला (एम० एस० मात्र)	सुन्दरगढ़	—

1	2	3	4
18.	खंडगिरी	भुवनेश्वर	—
19.	फुलकेरा	कटक	एस० सी०
20.	अतगढ़	[कटक	—
21.	कुर्दा चौक	बालसोर	—
1982-84 (भाग) विपणन योजना			
आई० ओ० सी०			
1.	कटक लिंक रोड़	कटक	—
बी० पी० सी० एल०			
2.	तेनगुरीनी	कोंझार	एस० टी०
3.	भवन	धेनकानल	एस० सी
एच० पी० सी० एल०			
4.	पंपोष	सुन्दरगढ़	अ० जन०
5.	अंगुल	धेनकनाल	—
6.	बालीगुडा	फुलबानी	अ० जा०
1982-84 (भाग 2) विपणन योजना			
आई० ओ० सी०			
1.	बोरीगुमा	कोरापुट	—
2.	चन्द्रागिरी	गंजम	अ० जन०
3.	दमनजोडी	कोरापुट	—
4.	बिजरपुर	कटक	अ० जा०
5.	जगजपुर	कटक	—
6.	बारंग	कटक	—
7.	बरगांव	सुन्दरगढ़	अ० जन०
8.	पपाधंदी	कोरापुट	अ० जन०
9.	कियंझर	कियंझर	—

1	2	3	4
बी० पी० सी० एल०			
10	ककरीगुम्मा	कोरापुट	अ० जन०
11.	कंसबहल	सुन्दरगढ़	अ० जन०
12.	धेमनगर	बालासोर	अ० जा०
13.	चेनापडी	कियंझर	अ० जा०
14.	पत्तममुंडे	कटक	अ० जा०
आई० बी० पी०			
15.	सेलपुर	कटक	अ० जा०
16.	बेटनोटी	मयुरभंज	—
17.	बोलंगीर	बोलंगीर	—
एच० पी० सी० एल०			
18.	सोहेला	सम्बलपुर	अ० जा०
19.	तिरतोल	कटक	—
20.	तंगी	कटक	—
21.	जेपोर	कोरापुट	—
1984-85 विपणन योजना			
आई० ओ० सी०			
1.	कटक रिंग रोड	कटक	—
2.	सम्बलपुर ऑन एन० एच-6	सम्बलपुर	—
3.	कुलाद ऑन एन० एच-42	धेनकनाल	—
4.	सिमलीगुडा/सुनाबेडा ऑन एन० एच-43	कोरापुट	अ० जन०
5.	कियंझर एन० एच०/एस० एच०-6	कियंझर	अ० जन०
6.	नीलगिरी	बालासोर	—
7.	खुखिया	कटक	अ० जा०

1	2	3	4
8.	धर्मगढ़	कलाहंडी	अ० जा०
9.	खुर्दा-बाई पास	पुरी	—
आई० बी० पी०			
10.	मानेश्वर एन० एच०-42	सम्बलपुर	—
11.	बीरमहाराजपुर	बोलंगीर	अ० जन०
एच० पी० सी० एल०			
12.	पटनागढ़	बोलंगीर	—
13.	राजामुडा ऑन एन० एच०-23	सुन्दरगढ़	अ० जन०
14.	हिंडल रोड ऑन एन० एच०-42	धेनकनाल	अ० जा०

2. एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप

1980-81 विपणन योजना

आई० ओ० सी०			
1.	कटक	कटक	—
एच० पी०सी०एल०			
2.	ब्रिजराजनगर		अ० जन०
3.	बोलंगीर		—

1981-82 विपणन योजना

आई० ओ० सी०			
1.	कटक	कटक	—
2.	भुवनेश्वर	पुरी	—
3.	राउरकेला	सुन्दरगढ़	—
4.	भवानी पटना	कलाहंडी	—
5.	सुन्दरगढ़	सुन्दरगढ़	अ० जन०
6.	कटक	कटक	—

1	2	3	4
एच० पी० सी० एल०			
7.	कटक	कटक	—
8.	फुलबानी	फुलबानी	—
9.	राउरकेला	सुन्दरगढ़	—
10.	कोरापुट	कोरापुट	—
11.	बारीपडा		—
12.	धेनकनाल	धेनकनाल	—
13.	पाराद्वीप	कटक	—
14.	कियंझर	कियंझर	अ० जन०
15.	छतरपुर		—
16.	भुवनेश्वर	पुरी	—
1982-84 (भाग I) विपणन योजना			
आई० ओ० सी०			
1.	राजगंगपुर	सुन्दरगढ़	—
2.	बरबील	कियंझर	—
3.	अंगुल	धेनकनाल	अ० जा०
4.	ब्रह्मपुर	गंजम	—
5.	सम्बलपुर	सम्बलपुर	अ० जन०
6.	झरसुगुडा	सम्बलपुर	—
7.	धेनकनाल	धेनकनाल	—
बी० पी० सी० एल०			
8.	ब्रह्मपुर	गंजम	अ० जन०
9.	जेपोर	कटक	—
एच० पी० सी० एल०			
10.	कटक	कटक	—
11.	भद्रक		अ० जा०

1	2	3	4
12.	पारला खेमुंडी		—
13.	झारसुगुडा		अ० जन०
1982-84 (भाग-2) विपणन योजना			
आई० ओ० सी०			
1.	भांजनगर	गंजम	—
बी० पी० सी० एल०			
2.	राउरकेला	सुन्दरगढ़	अ० जन०
3.	भुवनेश्वर	पुरी	अ० जा०
एच० पी० सी० एल०			
4.	सम्बलपुर	सम्बलपुर	—
5.	चौद्वार		—
6.	बारगढ़		—
7.	तलचेर		—
8.	केन्द्रपारा		—
1984-85 विपणन योजना			
आई० ओ० सी०			
1.	विरमित्रपुर	सुन्दरगढ़	अ० जन०
बी० पी० सी० एल०			
2.	राउरकेला	सुन्दरगढ़	—
3.	कुलाद	ढेनकनाल	—
एच० पी० सी० एल०			
4.	भुवनेश्वर	पुरी	—
5.	राजगंगपुर		—
6.	टिटलागढ़	बोलंगीर	अ० जा०
7.	कटक	कटक	—
8.	राउरकेला	सुन्दरगढ़	—

एल० डी० पी० ई० संयंत्र के लिए यूनियन कार्बाइड से सहयोग

4124. श्री मूलचन्द डागा : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 1 सितम्बर, 1984 की "कामर्स" पत्रिका, बम्बई में "इण्डिया ऑन थ्रेशोल्ड ऑफ पेट्रोकैमिकल रिवोलूशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि केन्द्र द्वारा लो डेन्सिटी पोलिथीलीन संयंत्र के लिए तकनीकी जानकारी सहयोग सप्लाई करने हेतु अमरीकी कम्पनी यूनियन कारबाईड को नियुक्त करने के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां तो उक्त फर्म के हाल ही की भोपाल दुर्घटना से सम्बद्ध होने को ध्यान में रखते हुए इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) यह समाचार सरकार के ध्यान मे आया है। लो डेनसिटी पोलीथिलिन (एल० डी० पी० ई०) के उत्पादन के लिए इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड का संयुक्त राज्य अमेरिका यूनियन कारबाइड, कारपोरेशन, के साथ तकनीकी सहयोग का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कीटनाशकों का उत्पादन

4125. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रसायन उद्योग को कीटनाशकों के उत्पादन के संबंध में समुचित सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए दिशा निर्देश भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में कीटनाशकों का उत्पादन करने वाले ऐसे कितने एकक हैं जिन्होंने अब तक समुचित सुरक्षा उपाय लागू कर दिए हैं;

(ग) उन कीटनाशक उत्पादक एककों के नाम क्या हैं; और

(घ) उनके द्वारा अपनाए गए सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) कारखाना अधिनियम, 1948 में उत्पादन के दौरान सुरक्षा उपायों के लिए प्रावधान निहित है। पंजीकृत कारखानों में उत्पादन प्रक्रियाओं के दौरान नियंत्रण उपाय शुरू करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने खतरनाक पेस्टीसाईड्स के उत्पादन अथवा परिचालन के संबंध में एक नमूना कार्यक्रम परिचालित किया है। कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत प्रवर्तक अधिकारी राज्य सरकारें हैं तथा सम्बद्ध कारखाना नियमों में उपयुक्त प्रावधानों के द्वारा नमूना कार्यक्रमों का प्रवर्तन करना भी राज्य सरकारों से ही अपेक्षित है।

केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी है कि वे कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत प्रचलित नियमों एवं विनियमों तथा उसके कार्यान्वयन का पूर्ण सर्वेक्षण करें, विशेषतः उन कारखानों के संबंध में जो अत्यधिक जहरीले तत्वों सहित खतरनाक प्रचालनों तथा प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि रसायनों एवं खतरनाक तत्वों से संबंधित कारखानों में प्रचलित सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने हेतु कार्यदल/अध्ययन दल गठित किए जाये। सरकार ने पेस्टिसाईड्स उद्योगों सहित 20 उद्योगों की अत्यधिक प्रदूषित उद्योगों के रूप में शिनाख्त की है तथा इन उद्योगों के संबंध में पर्यावरण की दृष्टि से स्थल मंजूरी एवं प्रदूषण के बचाव एवं नियंत्रण के लिए उपयुक्त उपकरणों की स्थापना करने हेतु विशेष शर्तें निर्धारित की हैं।

प्लास्टिक,प्रोसेसिंग एककों का विस्तार

4126. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्लास्टिक प्रोसेसिंग एककों का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो देश में 1985-86 के दौरान कितने प्लास्टिक प्रोसेसिंग एककों की स्थापना किए जाने का विचार है;

(ग) प्लास्टिक एककों के विस्तार पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने का विचार है; और

(घ) स्थापित किए जाने वाले नए एककों की अनुमानित लागत कितनी है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (घ) प्लास्टिक संसाधन उद्योग का विस्तार किया जा रहा है और इस प्रवृति के जारी रहने की आशा है स्थापित की जाने वाली नई यूनिटों की संख्या तथा उन पर होने वाले निवेश के बारे में बताना संभव नहीं है।

रसायन उद्योग की स्थापना करना

4127. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में कितने रसायन उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों में यह औद्योगिक एकक कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ग) क्या सरकार का 1985-86 के दौरान कुछ और रसायन उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में किन-किन स्थानों पर 1985-86 में इस प्रकार के रसायन उद्योग स्थापित करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क)और

(ख) रसायन उद्योग सहित उद्योगों को समय-समय पर जारी किये जाने वाले औद्योगिक लाइसेंसों के ब्यौरे, मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात, नई दिल्ली के कार्यालय में सांख्यिकी निदेशक द्वारा जारी किये जाने वाले साप्ताहिक बुलेटिन में प्रकाशित किये जाते हैं।

(ग) और (घ) रसायन मदों के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस आवेदन पत्रों, चाहे वे किसी भी राज्य से आए हों, की जांच विद्यमान नीति के अनुसार गुण-दोष के आधार पर की जाती है।

लघु क्षेत्र के लिए प्रोसेस तथा उत्पाद विकास केंद्र

4128. **श्री के० राममूर्ति :** क्या उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु क्षेत्र की टैक्नोलोजी का दर्जा बढ़ाने के उद्देश्य से प्रोसैस तथा उत्पाद विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक स्थापित प्रोसैस तथा उत्पाद विकास केन्द्रों के स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या नमूना (प्रोटोटाइप) विकास और प्रशिक्षण केन्द्रों में आधुनिकीकरण कार्यक्रम का सुझाव देने के लिए गठित समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो उक्त समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) लघु उद्योगों के लिए अनुसंधान और विकास के क्षेत्र संस्थागत समर्थन प्रदान करने की दृष्टि से भारत सरकार ने लघु क्षेत्र की प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने के प्रायोजन हेतु प्रोसैस तथा उत्पाद विकास केन्द्र को स्थापित करने के लिए एक योजना शुरू की है। इन केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य और अच्छी प्रक्रियाओं का विकास करना और इस क्षेत्र में प्रौद्योगीकीय सुधार लाना है ताकि उनकी उत्पादों की किस्म में न केवल सुधार लाया जा सके अपितु और अधिक प्रतियोगी भी बन सके। प्रक्रियाओं के विकास के अतिरिक्त, ये केन्द्र अच्छे डिजाइनों और बढ़िया सामग्री आदि के उपयोग के माध्यम से उन्नत उत्पादों का विकास करते हैं। इसके अलावा ये केन्द्र परीक्षण से संबंधित सुविधाएं प्रदान करेंगे और लघु उद्योगों के उद्यमियों/कर्मिकों को उन्नत औजारों औ प्रक्रियाओं आदि के उपयोग में भी प्रशिक्षण देंगे।

(ख) स्थापित किए गए अथवा स्थापित किए जा रहे प्रोसैस तथा उत्पाद विकास केन्द्र नीचे दिए गए हैं :—

(1) ग्लास और सिरेमिक उद्योग, रांची के लिए प्रोसैस तथा उत्पाद विकास केन्द्र।

(2) खेलकूद की वस्तुएं और फुर्सत के समय के लिए उपकरण, मेरठ के लिए प्रोसैस तथा उत्पाद विकास केन्द्र।

(3) कास्टिंग एंड फोर्जिंग उद्योग आगरा के लिए प्रोसैस तथा उत्पाद विकास केन्द्र।

(ग) जी, हां। इस संबंध में कारंवाई की जा रही है।

तमिलनाडु में कन्याकुमारी जिले में संयुक्त अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में रबड़ कारखाना लगाना

4129. **श्री एन० डेनिस** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में होता है; और

(ख) यदि हां, तो वहां संयुक्त उद्यम के रूप में अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में रबड़ का एक कारखाना लगाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) तथा (ख) कन्याकुमारी जिले के एक बहुत बड़े भाग में रबड़ की खेती होती है। किंतु कन्याकुमारी जिले में संयुक्त क्षेत्र में रबड़ पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और न ही उस जिले में इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना करने के लिए गैर सरकारी क्षेत्र की ओर से कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

बंबई, दिल्ली तथा कुछ अन्य महानगरों में टेलीफोनों का प्रबन्ध करने के लिए निगम की स्थापना

4130. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बम्बई, दिल्ली और कुछ अन्य महानगरों में टेलीफोनों का प्रबन्ध करने के लिए निगमें स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के निगम स्थापित करने के उद्देश्य क्या हैं ?

(ग) इस प्रस्ताव पर कितना वित्तीय व्यय अन्तर्गत है; और

(घ) उपर्युक्त प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) बंबई और दिल्ली में टेलीफ़ोन सेवाएं चलाने के लिए एक निगम का गठन करने से संबंधित सुझाव पर सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

रायगढ़ को एक पिछड़ा जिला और एक उद्योगविहीन जिला घोषित करना

4131. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उनके मन्त्रालय में राज्य के एक पिछड़े जिले—रायगढ़ को श्रेणी "ग" का जिला और एक उद्योगविहीन जिला घोषित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त जिले की श्रेणी "ख" जिले के स्थान पर श्रेणी "ग" का जिला और उद्योगविहीन जिला घोषित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में अधिक संख्या में उद्योग खोलने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) रायगढ़ पहले ही श्रेणी "ग" पिछड़ा जिला है।

(ग) रायगढ़ जिले में उद्योगों को स्थापित करने के लिए उद्यमियों को निम्नलिखित प्रोत्साहन/रियायतें उपलब्ध हैं :

1. केन्द्रीय निवेश राजसहायता 10 प्रतिशत की दर से, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रु० है। एम० आर० टी० पी०/फेरा कम्पनियां केन्द्रीय राज सहायता की पात्र नहीं हैं।
2. रियायती वित्त।
3. इंजीनियरों/उद्यमियों को ब्याज सहायता।
4. मूल/सीमांत धन सहायता।
5. कर रियायत।
6. भाड़ा-खरीद के आधार पर मशीनों की खरीद के लिए सुविधा।
7. तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श।
8. केन्द्रस्थ संयंत्रों के लिए विशेष रियायत।

बंगलौर में पेट्रोल बंकों का खोला जाना

4132. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर नगर में कितने पेट्रोल बंक हैं;

(ख) क्या यह चलने वाले वाहनों के अनुपात में है;

(ग) जयनगर में कितने पेट्रोल बंक हैं;

(घ) क्या सरकार ने जिन क्षेत्रों में पेट्रोल बंकों की संख्या कम है उनमें वाहनों का प्रयोग करने वाली जनता की सहायता करने के लिए और अधिक बंक खोलने की अनुमति दी है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) बंगलौर नगर में इस समय 134 खुदरा पेट्रोल बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल पम्प) चल रहे हैं।

(ख) बढ़ती हुई मांग का ध्यान रखते हुए, तेल कम्पनियों द्वारा खुदरा पेट्रोल बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल पम्प), डीलरशिपें खोलने की प्रक्रिया जारी है। पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्र खोलने के लिए स्थानों का पता समय-समय पर किए गए सर्वेक्षणों और इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मात्रा-दूरी मानदण्डों के आधार पर लगाया जाता है। बंगलौर में ऐसे और अधिक पेट्रोल बिक्री केन्द्र खोले जाने की क्षमता है और तेल उद्योग द्वारा इन्हें खोलने की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) तीन।

(घ) मांग क्षमता को ध्यान में रखते हुए बंगलौर नगर जिसमें एक जयनगर क्षेत्र भी शामिल हैं, में चार नए पेट्रोल बिक्री केंद्रों के लिए डीलरों का चयन पहले ही किया जा चुका है और ज्योंहि चुने गए डीलरों द्वारा अपेक्षित सुविधाएं प्राप्त/पूरी हो जाएंगी, बिक्री केंद्र चालू कर दिए जाएंगे, चार नए खुदरा बिक्री केंद्रों को खोलने की भी योजना है जिसके लिए डीलरों का चयन चल रहा है।

खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों का निर्माण

4133. श्री ई० अय्यापु रेड्डी : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक घर में खाना पकाने की गैस उपलब्ध कराने के लिए दो वर्ष पहले गैस के सिलेंडरों का निर्माण बढ़ाने की नीति सम्बन्धी निर्णय किया था;

(ख) क्या डी० जी० टी० डी० ने प्रतिवर्ष लगभग 1280 लाख सिलेंडरों की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता के 600 एकक के पंजीकरण पत्र जारी किए थे;

(ग) कितने एककों में सिलेंडरों का निर्माण शुरू हो गया है और कितने एककों में निर्माण शुरू होने वाला है;

(घ) क्या भारतीय तेल निगम ने नए एककों को निर्माण आरम्भ न करने की सलाह दी है क्योंकि गए एककों को क्रयादेश दिए जाने की कोई गुंजाइश नहीं है;

(ङ) क्या नए एककों को क्रयादेश देने में भारतीय तेल निगम की असमर्थता के कारण लगभग 15,000 कर्मचारियों के छंटनी किए जाने की आशंका है तथा इन एककों पर किया गया पूंजी परिव्यय वसूल नहीं हो पाएगा; और

(च) क्या सरकार का विचार इस समस्या के गंभीर होने से पहले इसका कोई हल खोजने का है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) एल० पी० जी० सिलेण्डरों की उपलब्धता में कमी आने के सम्बन्ध में मौजूदा यूनिटों से होने वाली उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए दो वर्ष पहले कुछ कदम उठाये गए थे।

(ख) डी० जी० टी० डी० ने एल० पी० जी० सिलेण्डरों के निर्माण के लिए लगभग 130 मि० सिलेण्डर प्रतिवर्ष की पंजीकृत क्षमता वाली करीब 650 यूनिटों को पंजीकरण पत्र जारी किए।

(ग) चौवन यूनिटें उत्पादन कर रही हैं और करीब 14 यूनिट उत्पादन शुरू करने की स्थिति में हैं।

(घ) तेल उद्योग ने जिन यूनिटों को हाल ही में स्थापित किया गया है अथवा जो स्थापित किए जाने के प्रक्रियाधीन हैं, उन्हें अपनी सुविधाओं के विविधिकरण और अन्य मदों के उत्पादन हेतु निवेश करने के लिए विचार करने का परामर्श दिया है।

(ङ) और (च) चूंकि नई यूनिटों ने व्यापारिक उत्पादन आरम्भ नहीं किया है, इसलिए श्रमिकों के बड़े पैमाने पर छंटनी करने की सम्भावना का प्रश्न नहीं उठता। निर्माण करने वाली यूनिटों के सहायक साधनों की खोज की जा रही है।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा फोटोग्राफी के रंगीन कागज और फिल्म का आयात

4134. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में विश्व बाजार में फोटोग्राफी के रंगीन कागज और रंगीन फिल्म के आयात मूल्यों में गिरावट आई है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड ने फोटोग्राफी के रंगीन कागज और फोटोग्राफी की रंगीन फिल्म के जम्बो रोल्स का आयात किया है;

(ग) यदि हां, तो उनका आयात मूल्य क्या है;

(घ) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म द्वारा स्लिटिंग और कनफैक्शनिंग के माध्यम से उनको बदलने की लागत क्या है; और

(ङ) हिन्दुस्तान फोटोग्राफिक फिल्म की वर्तमान बिक्री व्यवस्था और उनके मूल्य क्या हैं?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां : (क) जी, हां।

(ख) पिछले वर्ष हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड (एच० पी० एफ०) ने कुछ मात्रा में जम्बो आकार के फोटोग्राफी के रंगीन कागज का आयात किया था। फोटोग्राफी की रंगीन फिल्म के जम्बो रोल्स का आयात नहीं किया गया है।

(ग) जम्बो आकार में आयातित सामग्री की लागत 1.88 अमरीकी डालर में न्यूनतम कीमत के हिसाब से सीमा शुल्क सहित 66.33 रुपये प्रति वर्ग मीटर निकलती है।

(घ) कम्पनी द्वारा फोटोग्राफिक कलर पेपर को जम्बो फार्म में बदलने में आने वाली लागत अलग से नहीं निकाली गई है।

(ङ) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स के उत्पाद स्टॉकिस्टों और डीलरों के माध्यम से तथा ग्राहकों को सीधे ही बेचे जाते हैं। इन उत्पादों के लिए हिन्दुस्तान फोटो फिल्म का बिक्री मूल्य 84 रु० से 90 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक होता है उत्पाद के ब्रांड के अनुसार उस पर लगने वाले कर और उपकर और जोड़े जाते हैं।

राज्यों और संघ क्षेत्रों द्वारा सेना की मदद मांगा जाना

4135. **श्री डी० बी० पाटिल :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान राज्यों और संघ क्षेत्रों द्वारा कितनी बार सेना की मदद मांगी गई;

(ख) किस किस्म की घटनाओं के कारण सेना की मदद मांगी गई;

(ग) प्रत्येक बार कितनी सेना तैनात की गई;

(घ) उक्त घटनाओं में कब सबसे कम समय के लिए और कब सबसे अधिक समय के लिए सेना कहां पर तैनात की गई थी; और

(ङ) जिन जगहों पर सेना की मदद मांगी गई थी वहां पर पुलिस कर्मियों और सेना के जवानों द्वारा की गई गोलाबारी से कितने लोग मरे ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सशस्त्र सेनाओं ने राज्यों और महा संघ राज्य क्षेत्रों को जिन घटनाओं में सहायता प्रदान की, उनका स्वरूप और वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान दी गई ऐसी सहायता का ब्योरा इस प्रकार है—

घटनाओं का स्वरूप जिनके लिए सहायता दी गई	1982-83	1983-84	1084-85
1. कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए	19	5	95
2. प्राकृतिक आपदाएं	20	43	34
3. अनिवार्य सेवाओं को बनाए रखने के लिए	7	1	5
4. विविध	36	47	41

(ग) और (घ) हर बार तैनात की गई सेना की संख्या और तैनाती की अवधि उस समय निहित कार्य पर निर्भर थी। इस सम्बन्ध में ब्यौरे देना जनहित में नहीं होगा।

(ङ) सेना के जवानों और पुलिस कार्मिकों द्वारा की गई गोलीबारी से हुए हताहतों के बारे में सूचना सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध होगी।

महिलाओं का दर्जा सम्बन्धी समिति (वी मेन स्टेटस कमेटी) की सिफारिशें

4136. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले भारतीय तेल निगम और अन्य एककों में महिलाओं को रोजगार देने के बारे में महिलाओं का दर्जा सम्बन्धी समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो महिलाओं का दर्जा सम्बन्धी समिति की मुख्य सिफारिश क्या है और भारतीय तेल निगम तथा अन्य एककों में वर्ष 1985-86 के दौरान उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और/अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

भारतीय तेल निगम में महिला कर्मचारियों के लिए पदोन्नतियों के अवसर

4137. **श्रीमति गीता मुखर्जी** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले भारतीय तेल निगम और अन्य एककों में महिला कर्मचारियों के लिए उपलब्ध पदोन्नतियों के अवसरों का ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : इंडियन आयल कारपोरेशन में महिला कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए कोई अलग से नियम नहीं हैं और विभिन्न वर्ग के पदों पर पदोन्नतियां अनुमोदित पदोन्नति नीतियों के अनुसार की जाती है जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही कर्मचारी आते हैं।

कन्नानौर में उद्योग

4138. **श्री मुल्लापल्लि रामचन्द्रन** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला कन्नानौर में कोई उद्योग केन्द्र सरकार के अधीन है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से और किस प्रकार के उद्योग हैं; और

(ग) क्या वहां रबड़, काजू, नारियल आदि जैसे कृषि उत्पादों की उपलब्धता की दृष्टि से कन्नानौर जिले में कृषि पर आधारित नए उद्योग प्रारम्भ करने का कोई विचार है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग)

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कन्नानौर (केरल) में कोई भी उद्योग स्थापित नहीं किया गया है और उस जिले में कृषि पर आधारित उद्योग की स्थापना हेतु इस मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है।

एंटिबायोटिक्स का उत्पादन और आयात

4139. **श्रीमती एन० पी० झांसीलक्ष्मी :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक एंटिबायोटिक्स दवाओं का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य और गत वर्ष के उत्पादन से कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों का वर्ष-वार और एंटिबायोटिक्स-वार लक्ष्य और उत्पादन कितना कितना है और उनके कम उत्पादन के क्या कारण हैं; और

(घ) प्रत्येक एंटिबायोटिक्स का कितनी-कितनी मात्रा में आयात किया गया और पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) देश ने कई एंटिबायोटिक्स में लगभग स्वावलम्बन प्राप्त कर लिया है। पेंसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और डाक्सीसाइक्लीन का अल्प मात्रा में आयात हुआ है एंटिबायोटिक्स का कुल आयात निम्न प्रकार घट रहा है --

वर्ष	आयातों का सी० आई० ए० मूल्य (रु०/करोड़)
1981-82	11.00
1982-83	8.7
1983-84	5.5

इन आयातों में मुख्यत: टेट्रासाइक्लीन आक्सीटेट्रासाइक्लीन, जेन्टामाइसिन, एम्पिसिलिन तथा अमोक्सीसिलिन शामिल हैं। प्रौद्योगिकी समस्याएं, औद्योगिक सम्बन्ध, सस्ते आयात तथा कच्चे माल की समस्याओं के परिणाम स्वरूप कम उत्पादन होने से आयात कम किया गया। इन एन्टिबायोटिक्स के उत्पादन तथा आयात के ब्यौरे सलंग्न विवरण के अनुसार हैं।

विवरण

क्रमांक	एंटिबायोटिक्स के नाम	वर्ष	उत्पादन	आयात	सी० आई० एफ० मूल्य (रु० लाख)
1.	टेट्रासाइक्लीन	1981-82	188.93 टन	90.30 टन	254.52
		1982-83	209-14 टन	66.67 टन	160.65
		1983-84	208.54 टन	58.18 टन	121.24
2.	आक्सीटेट्रासाइक्लीन	1981-82	114.28 टन	42.27 टन	92.30
		1982-83	119.57 टन	40.95 टन	116.35
		1983-84	104.99 टन	23.00 टन	57.76
3.	जेंटामाइसिन	1981-82	70.00 किग्रा०	672.35 किग्रा०	51.95
		1982-83	472.76 किग्रा०	585.00 किग्रा०	30.57
		1983-84	64.415 किग्रा०	653.85 किग्रा०	30.71
4.	एम्पिसिलिन	1981-82	79.69 टन	39.03 टन	338.25
		1982-83	122.50 टन	33.17 टन	288.32
		1983-84	123.62 टन	27.21 टन	232.15
5.	अमोक्सीसिलिन	1981-82	0.92 टन	24.73 टन	229.03
		1982-83	10.36 टन	22.03 टन	187.37
		1983-84	22.33 टन	6.55 टन	53.86

विटामिनों का उत्पादन और आयात

4140. श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विटामिनों का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निहित पार्टियों द्वारा लाभप्रद आयात को बनाए रखने के लिए जानबूझ कर उक्त उत्पादन कम किया जा रहा है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में विभिन्न किस्म के विटामिनों का कितना आयात किया गया और उस पर कितने मूल्य की विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) देश ने विभिन्न विटामिनों में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। वर्ष 1983-84 के दौरान विटामिन ए, बी, 1 सी, डी 3, ई, के, फोलिक एसिड, निकोटिनिक एसिड तथा निकोटिनामाइड का आयात नगण्य रहा है। विटामिन बी-6 का हाल में ही उत्पादन आरम्भ किया गया है।

औद्योगिकी संबंध एवं कच्चे माल की कमी प्रौद्योगिकी समस्याओं के परिणामस्वरूप अपर्याप्त उत्पादन के कारण विटामिन ए बी 2, बी 12 का आयात किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान विटामिनों का कुल आयात निम्न प्रकार है :—

वर्ष	आयातों का सी० आई० एफ० मूल्य (रु० करोड़ों में)
1981-82	4.0
1982-83	4.5
1983-84	3.3

मध्य प्रदेश के सागर और भोपाल शहरों में टेलीफोन कनेक्शन

4141. श्री डाल चन्द्र जैन : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के सागर और भोपाल शहरों में 31 दिसम्बर, 1984, तक टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदनकर्त्ता प्रतीक्षा सूची में थे ; और

(ख) उक्त आवेदनकर्त्ताओं को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) मध्य प्रदेश के सागर और भोपाल शहरों में 31.12.84 को टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची के आवेदकों की संख्या नीचे दी गई है :—

सागर	377
भोपाल	4085

(ख) उपर्युक्त (क) में दी गई प्रतीक्षा सूची में से, जनवरी 1985 से लेकर मार्च, 1985 तक की अवधि के दौरान सागर में 20 और भोपाल में 1165 टेलोफोन कनेक्शन दिए गए। वर्तमान भवन में, जहां तक भी संभव होगा मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार किया जाएगा। उपर्युक्त दोनों शहरों को बड़े टेलीफोन एक्सचेंज आवंटित किए गए हैं व उनकी मंजूरी दे दी गई है। इन एक्सचेंजों के भवनों का निर्माण कार्य एक वर्ष में चालू होने की संभावना है। ऐसी संभावना है कि मौजूदा प्रतीक्षा सूची को तीन वर्षों मे निपटा दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश के शहरों और महानगरों के बीच एस० टी० डी० संपर्क

4142. **श्री डाल चन्द्र जैन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के उन महत्वपूर्ण शहरों के नाम क्या हैं जिनको 1985-86 में महानगरों के साथ एस० टी० डो० से जोड़ने का प्रस्ताव है; और

(ख) महानगरों और विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण शहरों के बीच एस० टी० डी० सम्पर्क स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार की योजना क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) मध्य प्रदेश में निम्नलिखित शहरों से महानगरों के लिए एस० टी० डी० सुविधा पहले ही उपलब्ध कराई गई है :—

1.	भोपाल	7.	बिलासपुर
2.	इंदौर	8.	सागर
3.	जबलपुर	9.	बरहामपुर
4.	खंडवा	10.	रामपुर
5.	ग्वालियर	11.	उज्जैन
6.	दुर्ग	12.	महू

1985-86 के दौराम मध्य प्रदेश में किसी भी नए शहर को महानगरों के साथ जोड़े जाने की संभावना नहीं है।

(ख) महानगरों एवं विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण शहरों के बीच एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का कार्य ट्रंक स्वचल एक्सचेंजों के नेटवर्क के माध्यम से राष्ट्रव्यापी उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग का ही एक भाग है, इसे पंचवर्षीय योजना कार्यक्रमों में उत्तरोत्तर कार्यान्वित किया जा रहा है।

छठी योजना के अन्त तक 267 शहर राष्ट्रव्यापी उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग के लिए ट्रंक स्वचल एक्सचेंज नेटवर्क से जोड़े गए हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ट्रंक स्वचल एक्सचेंजों के माध्यम से राष्ट्रव्यापी उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग से लगभग 1200 शहरों को जोड़ने का प्रस्ताव है।

उपभोक्ता वस्तु उद्योग में विदेशी कंपनियों का प्रवेश

4143. श्री डी० पी० जडेजा
श्री हन्नान मोल्लाह
श्री मनोरंजन भक्त
: क्या उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चाहती है कि उपभोक्ता वस्तु उद्योग में जिसे अब तक कम प्राथमिकता दी गई थी और अधिक विदेशी कम्पनियां प्रवेश करें;

(ख) क्या इसका आशय प्रौद्योगिकी से है अथवा विदेशी पूंजी से;

(ग) हमारे स्वदेशी उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) क्या नीति में यह परिवर्तन आत्मनिर्भरता के लिए सहायक होगा ?

उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां): (क) से (घ) प्रौद्योगिकी का आयात करने सम्बन्धी सरकार की नीति चयनात्मक है। जटिल प्रकार के तथा उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निर्यातोन्मुख या आयात प्रतिस्थापना में उत्पादन या भारत में स्वदेशी उद्योग को उपभोक्ता की बदलती पसन्द को प्रभावी रूप से पूरा करने और या निर्यात बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए विद्यमान प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने में समर्थ बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का आयात करने की अनुमति दे दी गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए बिहार को आवंटित धनराशि

[हिन्दी]

4144. श्री राम श्रेष्ठ खिरहर : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए वर्तमान केन्द्रीय बजट में कोई पृथक आवंटन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो बिहार के लिए, जो एक पिछड़ा राज्य है, इसमें से कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए केन्द्रीय प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत 1985-86 के बजट अनुमानों में 60.00 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था की गई है। इस उद्देश्य के लिए धनराशि का राज्य-वार आबंटन नहीं किया गया है।

कानपुर में रक्षा कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण

4145. **श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा विभाग के कानपुर शहर में स्थित अनेक कार्यालयों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों की गंभीर आवास समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समस्या को हल करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

रक्षा विभाग के कानपुर शहर में स्थित अनेक कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए बनाए जाने वाले मकानों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) **आयुध निर्माणियां**

फरवरी, 1984 में टाइप-I के 600 और टाइप-II के 250 मकानों के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी गई है। जनवरी, 1987 और मार्च, 1989 की अवधि के दौरान इनके पूरा हो जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त कानपुर में विभिन्न आयुध निर्माणियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए टाइप-II के 316 और टाइप-III के 108 अन्य मकानों के निर्माण का प्रस्ताव है।

(2) **रक्षा सिविलियन (सेना)**

मार्च, 1985 में कानपुर स्थित रक्षा सिविलियनों (सेना) के लिए टाइप-I के 40, टाइप II के 24 और टाइप-III के 6 मकानों के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी गई है। 1986 के मध्य तक इन मकानों के बन जाने की संभावना है।

(3) **वायु सेना स्टेशन कानपुर के सिविलियन कर्मचारी**

मई, 1984 में वायुसेना स्टेशन कानपुर के सिविलियन कर्मचारियों के लिए टाइप-I के 36

और टाइप-II के 12 मकानों के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी गई है। जून, 1987 तक इन मकानों के तैयार हो जाने की संभावना है।

(4) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सितम्बर, 1983 में कानपुर स्थित रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के कर्मचारियों के लिए टाइप-I के 47, टाइप-II के 75, टाइप-III के 84 टाइप-IV के 17 और टाइप-V के मकानों के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी गई है। 1987 के अन्त तक इन मकानों के पूरा हो जाने की संभावना है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैंने जो मामला उठाया था उसका क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : चार बजे वक्तव्य दिया जाएगा। इसके बाद हम इसे लेंगे। मेरे लिए एक कठिनाई है। जब कभी राज्यों से संबंधित प्रश्न आता है, मुझे हमेशा इस कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः मैं इधर या उधर एक तरफ निर्णय नहीं ले सकता।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं राज्य से सम्बन्धित प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। मैं प्रेस की स्वतन्त्रता का दमन करने के बारे में बात कर रेहा हूं और सेना के बावजूद पुलिस सेना के विरुद्ध विद्रोह कर रही हैं। ये सभी समस्याएं बहुत महत्वपूर्ण हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले वक्तव्य देखूंगा और उसके बाद फैसला करूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : वास्तव में अहमदाबाद में स्थिति एक भद्दा रूप धारण कर चुकी है। लेकिन यदि हम इस समस्या को हल करना चाहते हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए और मेरे विचार में सभा का कोई भी सदस्य आरक्षण का विरोध नहीं करता।**

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार-विमर्श करेंगे।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कुछ भी कहने की अनुमति नहीं दे रहा।

(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : आप उन्हें अनुमति दे रहे हैं।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है। इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : परन्तु वह बोलते जा रहे हैं। हम उनसे भाषण नहीं सुनेंगे। हमें इस पर उचित ढंग से चर्चा करनी चाहिए।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रो० मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। आप अनुचित छूट ले रहे हैं। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी : मैंने अपना दृष्टिकोण बताया है।

अध्यक्ष महोदय : बताया होगा। परन्तु मैंने आपको अनुमति नहीं दी थी।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर किसी चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा। वक्तव्य सुनने के बाद ही मैं इस पर चर्चा करूंगा और निर्णय दूंगा कि इस पर क्या किया जाना है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपके विनिर्णय के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री प्रिय रंजनदास मुंशी (हावड़ा) : आपकी···दोहरी नीति नहीं चल सकती।

अध्यक्ष महोदय : वह क्या है ? कोई दोहरी नीति नहीं, है यहां एक ही नीति है।

प्रो० मधु दण्डवते : आपने कहा है कि मन्त्री महोदय अहमदाबाद की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे और इसके बाद आप फैसला करेंगे कि इस पर कैसे चर्चा की जाए। आपने जिस वक्त यह घोषणा की कि वह वक्तव्य देंगे हमने उसी समय नियम 184 के अन्तर्गत सूचना दे दी थी कि इस वक्तव्य पर विचार किया जाए। कृपया सभा को आश्वासन दीजिए कि क्या हमें वक्तव्य पर विचार करने की अनुमति दी जाएगी ?

अध्यक्ष महोदय : इस संबंध में कुछ नियम हैं। इन नियमों के अन्तर्गत हम विचार करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : नियम 184 स्पष्ट है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले वक्तव्य हो जाने दीजिए उसके बाद हम देखेंगे ?

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हां, ममता जी आप क्या कहना चाहती हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं सुन सका।

[हिन्दी]

प्रोफेसर्स किसी को सुनने ही नहीं देते हैं, मैं क्या करूं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब मन्त्री महोदय को सभा में वक्तव्य देना है तो इसका आशय यह नहीं है कि हम इस पर सभा में चर्चा नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : मैंने रद्द नहीं किया है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं इस पर विचार करूंगा। व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : उन्हें वक्तव्य देने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी बात के विरुद्ध नहीं हूं···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप सब बैठ जाइये··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे सब बैठ गये हैं, आप क्यों नहीं बैठते···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० तिवारी, क्या आप नियमों का कोई आदर नहीं करते ? क्या आप एक अपवाद हैं ?

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय,मुझे आपका विनिर्णय।

अध्यक्ष महोदय : वही देने के लिए मैं अब खड़ा हुआ हूं। मैं यह कह रहा हूं…

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, गृह मन्त्री… (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब पहले आप कह लीजिए, मैं बाद में कह लूंगा। तिवारी जी, आप खड़े हो जाइये और जो मन में आए कहिए।

(व्यवधान)**

प्रो० एन० जी रंगा (गुंटूर) : अध्यक्ष महोदय, यदि आप अपना स्थान ग्रहण करें तो मैं एक छोटा-सा अनुरोध करूं।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमन, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा : महोदय, क्या इस सभा के लिए इस प्रकार के विषय पर चर्चा करना उचित होगा जो पूर्णतया राज्य सरकार और राज्य विधान सभा के क्षेत्रधिकार में आता है और जब उस विधान सभा का सत्र चल रहा है ?…

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका सोचने का अपना ढंग हो सकता है परन्तु सभा की कार्यवाही निर्धारित नियमों के अनुसार चलाई जानी है। पहले भी वक्तव्यों दिये जाते रहे हैं और उन पर वक्तव्यों पर नियम 193 और 184 के अन्तर्गत चर्चा की जाती रही है परन्तु ऐसे भी मौके आए हैं जब केवल वक्तव्य दिए गए हैं और उन पर चर्चा नहीं हुई है।

प्रो० मधु दण्डवते : कभी-कभी वक्तव्य दिए ही नहीं गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कहते हैं, कभी-कभी वक्तव्य दिये ही नहीं गये केवल चर्चा की गई है। मैं आपसे सहमत हूं। अब वक्तव्य के बाद मैं इसपर विचार करूंगा और मुझे अन्यों से भी परामर्श करना होगा जैसा कि कार्य मंत्रणा समिति तथा विपक्ष के नेता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इधर ध्यान दीजिए। मुझे बात खत्म करने दीजिए। मुझे एक ऐसा नियम बनाना होगा जो उत्पन्न होने वाली प्रत्येक स्थिति में लागू होगा। मैं किसी भी ढंग से भेदभाव नहीं कर सकता। मुझे इसका या उसका ध्यान किए बिना सीधे कार्यवाही करनी होगी। अतः मुझे

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

इसका पता लगाना होगा। मैंने कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया। मैं नियम के अन्तर्गत आने वाली कभी किसी बात के लिए मना नहीं करूंगा। यदि सभा सहमत होती है तो हम उसपर चर्चा करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है।

प्रो० मधु दण्डवते : हम आप पर छोड़ते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह ऐसा ही है। मेरा अभिप्राय है कि मेरे पर छोड़ना सभा की इच्छा है। मैं सभा की सलाह लेता हूं, परामर्श लेता हूं सभा की सहमति लेता हूं। जब कभी मुझे कठिनाई होती हैं, आपको बुला कर रास्ता निकाल लेता हूं। मैं इस प्रकार काम करता हूं।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : महोदय, मुझे एक निवेदन करने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या करने जा रहे हैं ? मेरे विचार में मैं पहले ही बता चुका हूं। आप मुझसे क्या चाहते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे और क्या चाहते हैं। कोई अन्य विषय या यही विषय ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : यही विषय।

अध्यक्ष महोदय : इस संबंध में मैं पहले बता चुका हूं।

[हिन्दी]

सारी रात रोया मरा वह भी पड़ोसियों का, घर वाला वह भी नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब सभा पटल पर रखे गये पत्र। श्री आरिफ मोहम्मद खां।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई के वर्ष 1983-84 के वार्षिक लेखों आदि और उसके कार्य-करण की समीक्षा तथा औद्योगिक सहकारी समितियों के राष्ट्रीय महासंघ सीमित, नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) :

(1) उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की धारा 18 क क की उपधारा

(2) के अंतर्गत, अधिसूचना संख्या का० (आ० 237 अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 26 मार्च, 1985 को भारत, के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो मैसर्स महादेव टैक्स टाइल्स, मिल्स, हुबली, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 758/85]

(2) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई, के वर्ष, 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई, के वर्ष, 1983-84 सम्बन्धी लेखा परीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपयुक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 759/85]

(4) (एक) औद्योगिक सहकारी समितियों का राष्ट्रीय महासंघ सीमित, नई दिल्ली के वर्ष, 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) औद्योगिक सहकारी समितियों का राष्ट्रीय महासंघ सीमित, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या ए० टी० 760/85

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप से जो कहा है, आप समझे नहीं, क्या आप अंग्रेजी नहीं समझते ? श्री अमल दत्त, क्या आप नहीं समझते ? मैं बता चुका हूं कि वक्तव्य के बाद मैं इस पर विचार करूंगा। मैं हर पहलू देखूंगा और उसके बाद फैसला करूंगा कि मुझे क्या करना है। अब कृपया बैठ जाइये।

मेरा समय नष्ट मत कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमों से अवगत हूं और उन पर चलूंगा और मैंने जो आप से कहा है उसे भी समझिए। आप ध्यान से सुनिए।

अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—श्री हरीश रावत।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें सब बातें आ जाती है। मेरी बात सुनिये। ठीक है मैं आगे कोई छूट नहीं दूंगा। वे जो कुछ भी कहते हैं, कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको इस संबंध में और क्या स्पष्टीकरण चाहिए? आप इन्हें समझा दीजिए। यदि वह नहीं सुनते तो मैं उन्हें सुनने के लिए कैसे बाध्य कर सकता हूं? यदि वह सो रहे हों तो मैं उन्हें जगा सकता हूं परन्तु जब वह जागे हुए हों और सोने का ढोंग कर रहे हों तो मैं उन्हें कैसे जगा सकता हूं?

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, यदि वह स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आप उन्हें अनुमति क्यों नहीं देते?

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं वक्तव्य के बाद, हर पहलू की जांच करने के बाद फैसला करूंगा। इसके अतिरिक्त मैं उनसे और क्या कह सकता हूं?

प्रो० मधु दण्डवते : ऐसा प्रतीत होता है आपको मेरे मित्र से एलर्जी हो गई है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह मुझे व्यर्थ में ही एलर्जिक बना रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्त, आप वकील हैं आप अच्छे ढंग से स्पष्ट कर सकते हैं। आप सब कुछ जानते हैं और फिर भी आप छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। बस।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपने जो कुछ कहा है मैं उसके बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी मैं समझता हूं कि आपके नेता ज्यादा समझते हैं। आप उनका

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुसरण क्यों नहीं करते ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे वास्तव में दुःख है। आप बिना वजह सभा का समय लेने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : आप अपना निर्णय दीजिये। यह अत्यन्त महत्व का विषय है।

अध्यक्ष महोदय : जब वक्तव्य दिया जाएगा, तब मैं अपना विनिर्णय दूंगा और तब फैसला करूंगा कि चर्चा की अनुमति दी जाए या नहीं। यह मेरा विशेषाधिकार है और मैं इस बारे में फैसला करूंगा। बस इतनी सी बात है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इस सभा को इस विषय पर अवश्य चर्चा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप कर सकते हैं। अब बैठ जाइए। यह आप ही की समस्या नहीं है, इसका सारी सभा से संबंध है। श्री रेड्डी, कृपया बैठ जाइए, यह मेरा विशेषाधिकार है जिसका मैं प्रयोग करूंगा। जब तक मैं पीठासीन हूं, मैं इस अधिकार का प्रयोग करूंगा। बस इतनी सी बात है,।

जब तक मैं इस पीठ पर विराजमान हूं, मैं सही और निष्पक्ष तरीके से नियमों के अनुसार निर्णय लूंगा। यह सरल बात है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय दूंगा। उन्हें आपत्ति करने दें। बस इतनी सी बात है

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यहां जनता का प्रतिनिधि हूं। मुझे भी लोगों ने भेजा है, न कि आपने।

(व्यवधान)

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : श्रीमन् मैं यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि··· ···

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुर द्वार) : श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री पीयूष तिरकी : गृह मंत्रालय और बिहार सरकार ने आदिवासियों का अनादर किया है। उन्हें निम्न-स्तर का माना गया है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है।

[हिन्दी]

गलत बात मत करो।

[अनुवाद]

श्री पीयूष तिरकी : एक भूतपूर्व माननीय संसद सदस्य मारा गया है.........

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही एक चर्चा की अनुमति दी है। यह ध्यानाकर्षण है। यह वही विषय है। आप क्या कर रहे हैं? आपका ध्यानाकर्षण रद्द किया जाता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बस। अनुमति नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह उस संसद सदस्य के निधन संबन्धी उल्लेख के बारे में कह रहे थे जिसकी पुलिस गोलीबारी में मृत्यु हो गई है। उनके प्रति निधन संबन्धी उल्लेख नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : जब सरकारी तौर पर मेरे पास इसकी सूचना आयेगी तो मैं ऐसा करूंगा। इसमें ध्यानाकर्षण की क्या बात है?

श्री पीयूष तिरकी : क्योंकि वह एक आदिवासी संसद सदस्य थे, इसलिए आपके पास कोई खबर नहीं आई है और किसी ने भी.........

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें समय लगता है। यह बात नहीं है कि वे आदिवासी संसद सदस्य आदि थे। प्रत्येक सदस्य एक संसद सदस्य है। प्रत्येक मानव, मानव है। हमें उनमें भेदभाव नहीं करते। देखिए.........

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बिना वजह बात को जटिल बना रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : वह केवल यह जानना चाहते हैं कि जब एक भूतपूर्व संसद सदस्य की मृत्यु हो गई है तो उसके प्रति निधन संबन्धी उल्लेख क्यों नहीं किया गया। निधन संबन्धी उल्लेख के लिए क्या हमें सभा में झगड़ना पड़ेगा?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। समस्या यह है कि जब हमें सूचना मिलती है, हमारे नियम हैं। जो कि आपने ही बनाये हैं, निधन संबन्धी उल्लेख करने से पहले, इस बात की पुष्टि होनी चाहिए जब जे० पी० जी का निधन हुआ, ऐसा ही हुआ था। समस्या यही है।

प्रो० मधु दण्डवते : मगर निधन संबन्धी उल्लेख में इतनी देर होगी, तो मैं कभी भी मरना नहीं चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके निर्णय का सम्मान करता हूं। मैं समझता हूं कि सभा सर्वसम्मति से आपके निर्णय का अनुमोदन करती है। मैं भी आपके निर्णय का अनुपालन करूंगा।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : मैंने गैस पाइपलाइन के बारे में एक सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : हम एक एक करके लेंगे। सभी विषय एक दिन में ही नहीं आ सकते हैं।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : हमने आप के कार्यालय से कुछ नहीं सुना ?

अध्यक्ष महोदय : आप कैसे जान सकते हैं ? जब मैं फैसला दूंगा, तभी आप जान पायेंगे।

श्री वी० किशोर चन्द्र सए० देव : आप कब फैसला करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : एक दिन में एक ही ध्यानाकर्षण हो सकता है। आप तीन पर विचार नहीं कर सकते। क्या आपके पास कोई जादू है ? जादू केवल अशोक गहलोत के पास है और वह ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वह जादूगर हैं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देखिए, श्रीमन्, वह एक वकील हैं; वह मेरे काफी अभिन्न मित्र हैं, वह मेरे अच्छे दोस्त हैं। वह मुझे बिना वजह लम्बा-चौड़ा भाषण दे रहे हैं।

देखिए, मुझे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। हम एक समय में एक ही ध्यानाकर्षण पर चर्चा करते हैं। एक दिन में एक ही ध्यानाकर्षण। अब देखिए, मैं एक दिन में तीन या सात ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कैसे ले सकता हूं ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : आप एक दिन में दो पर चर्चा करवा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप चाहते हैं आदिवासी विषय को पहले लिया जाए। इसलिए मैं आदिवासी विषय पर ध्यानाकर्षण की स्वीकृति दे रहा हूं। जैसा निर्णय हो चुका है, उसके अनुसार मैं चल रहा हूं। आप वह करना चाहते हैं, जिसका निर्णय आपने किया है। कार्य मंत्रणा समिति इस बारे में निर्णय करती है और उनके अनुदेशों के अनुसार मैं कार्यवाही करता हूं। अगर आप पालन नहीं करते, तो मैं क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अगर इसमें सार नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर कोई सार नहीं है तो मैं आपसे कुछ नहीं चर्चा कर सकता।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ श्री अमल दत्ता ने कहा है, वह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)**

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। आप बिना वजह सभा का समय ले रहे हैं। यह आपके लिए ठीक नहीं है; मगर आप सभा में मुझसे बहस करेंगे तो मैं आपको सभा से बाहर चले जाने के लिए कह दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीमा पार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने हमेशा ही आपकी बात बड़े ध्यान से सुनी है। मैंने हमेशा ही आपकी इज्जत की है। मैंने हमेशा ही आपकी बात सुनी है। जब इसमें सार ही नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बिना वजह सभा का सारा समय ले रहे हैं।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : हम अत्याचारों के प्रति और अपने आसपास हो रही कई एक बातों के प्रति मूक दर्शक बने नहीं रह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइए, मेरी बात सुनिए। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया है और क्या कर रहा हूं। क्या मैंने किसी भी चर्चा को सभा में नहीं होने दिया है? सभी कहेंगे कि चर्चा करवाने में मैं सबसे उदार व्यक्ति हूं।

श्री अमल दत्त : कई दिन ऐसे होते हैं, जब कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : इसे उस प्रकार तय किया जाता है। यह बहुत बुरी बात है। मैं इसे पसन्द नहीं करता।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

बिहार के साहिबगंज जिले में पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के परिणामस्वरूप अनेक आदिवासियों की मृत्यु हो जाने तथा अन्य व्यक्तियों को चोट लगने के समाचार

12.20 म० प०

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर गृहमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं और निवेदन करता हूं कि वे अपना वक्तव्य दें :

"बिहार के साहिब गंज जिले में पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के परिणामस्वरूप अनेक आदिवासियों की मृत्यु हो जाने तथा अन्य व्यक्तियों को चोटें लगने के समाचार से उत्पन्न स्थिति तथा इस मामले में भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

[अनुवाद]

गृहमंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : महोदय, मैं आपके समक्ष बिहार में जिला साहिबगंज के गांव बांझी में 19 अप्रैल को हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हूं।

बिहार सरकार से प्राप्त सूचना से ऐसा मालूम होता है कि 25 मार्च, 1985 को एक आदिवासी का शव गांव बांझी, थाना बोरियो में एक तालाब में तैरता हुआ देखा गया। उसमें मछली पकड़ने के अधिकार का समझौता उसी गांव के गैर आदिवासी मोती भगत (डिक के नाम से ज्ञात) के साथ हुआ था। आदिवासियों ने इस समझौते का विरोध किया और इस हत्या में मोती भगत के व्यक्तियों का हाथ होने का संदेह किया क्योंकि उसने तालाब में गांव के आदिवासियों तथा अन्य ग्रामीणों को मछली पकड़ने की अनुमति नहीं दी। प्रतिक्रिया में आदिवासियों ने 25 मार्च, 1985 को श्री मोती भगत का मकान नष्ट कर दिया और तालाब के पास जमा लकड़ियों के भंडार को आग लगा दी। सूचना प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट के साथ सशस्त्र बल का प्रतिनिधि मण्डल गठित किया गया और आवश्यक निवारक उपाय किये गए। 26 मार्च को दंगे की संभावना की और सूचना मिलने पर एक मजिस्ट्रेट, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट और पुलिस उप-अधीक्षक के साथ अतिरिक्त सशस्त्र बल भेजे गए। एस०डी० ओ० ने आदिवासियों को विश्वा दिलाया कि उक्त हत्या के लिए जो लोग उत्तरदायी हैं उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी और तालाब में मछली पकड़ने का परम्परागत अधिकार हमेशा की तरह रहेगा। उसके बाद आदिवासी तितर-बितर हो गए। एहतियाती उपाय के रूप में दोनों पक्षों के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अधीन कार्रवाई की गई। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए घटना स्थल पर मजिस्ट्रेट सहित सशस्त्र पुलिस बल के दो सैक्शन, दो सहायक उप-निरीक्षक और एक निरीक्षक को तैनात किया गया था।

12.22 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

फिर भी वातावरण बिगड़ा हुआ दिखाई दिया। इस संबंध में 15 अप्रैल, 1985 को थाना बोरियो के गांव रेकसो में एक सभा जिसको दो वर्तमान विधायकों श्री शिबु सारेन और श्री साइमन मरांडी ने भी सम्बोधित किया था, को आयोजित करने के बाद आदिवासियों ने जिले के भिन्न-2 भागों में गैर आदिवासियों, महाजनों और पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलनात्मक कार्यक्रम शुरू कर दिया। इस सभा में उत्तेजक भाषण दिए गए और आदिवासियों से गैर आदिवासियों के समान अधिकार प्राप्त करने के लिए कहा गया।

जैसा कि राज्य सरकार द्वारा आगे सूचित किया गया है, 19 अप्रैल, 1985 को आदिवासियों

[श्री एस० बी० चह्वाण]

ने गांव बांसी, थाना बोरियो, जिला साहेबगंज के आसपास सड़कें रोकी। पूर्वाह्न में गांव में पुलिस कुमुक पहुंचने से पहले काफी संख्या में एकत्र हुए आदिवासियों ने गैर आदिवासियों पर हमला शुरू कर दिया और उनकी सम्पत्ति लूटनी तथा जलानी आरम्भ कर दी। इस कारवाई में कुछ मकान तथा एक डाकघर जल गए। भीड़ ने वहां पुलिस कैम्प को घेर लिया तथा इस पर ईटों तथा तीरों से हमला कर दिया। सभी एहतियाती उपाय करने के बाद जान और माल की रक्षा करने का कोई विकल्प न पाकर पुलिस को 25 राउण्ड गोलियां चलानी पड़ी जिसमें भूतपूर्व सांसद एंथनी मुरमु सहित 15 व्यक्ति मारे गए। मंडल आयुक्त और रेंज उप महानिरीक्षक ने घटनास्थल का दौरा किया और सूचित किया कि स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। प्रत्येक गांव के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति का प्रबन्ध किया गया है क्योंकि अभी बाजार बन्द हैं। उनके द्वारा ग्रामीणों से पूछताछ करने पर यह मालूम होता है कि लगभग आधा दर्जन संथालों को चोटें आई हैं लेकिन वे किसी अस्पताल में उपचार के लिए नहीं आ रहे हैं। आदिवासियों से साहेबगंज से भेजे गए डाक्टरों के पर्यवेक्षण में गांवों में उपचार करवाने का आग्रह किया जा रहा है। इसके पश्चात् कहीं से किसी अवांछनीय घटना अथवा तनाव की कोई सूचना नहीं मिली है। सभी थानों में मजिस्ट्रेटों के साथ पुलिस टुकड़ियां तैनात की गई हैं। कड़ी गश्त लगाई जा रही है।

मुख्य मन्त्री ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ 22 अप्रैल, 1985 को घटनास्थल का दौरा किया और आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के साथ बातचीत की। राज्य मन्त्री श्री थोमस हन्सडसा और श्री सरजू उपाध्याय उनके साथ थे। श्री सोमोन मन्ध्या विधायक भी वहां पर उपस्थित थे। देश में पूर्णत: सामान्य हालात बहाल करने के लिए आदिवासियों और गैर-आदिवासियों में से प्रमुख स्थानीय सदस्यों की शांति समितियां बनाई गई हैं। मंडलीय आयुक्त ने पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी की जांच पहले ही शुरू कर दी है। उसे जांच रिपोर्ट जल्दी प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्य मन्त्री, ने मुख्य मन्त्री राहतकोष से प्रत्येक मृतक व्यक्ति के नजदीकी रिश्तेदार को 5000 रुपए और प्रत्येक जख्मी व्यक्ति को 1000 रुपए की अनुग्रहपूर्वक अदायगी की घोषणा की है।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : माननीय मन्त्री जी के स्टेटमेंट को देखने से ऐसा लगता है, यदि उस क्षेत्र का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन समय पर प्रीकाशनरी मेजर्स ले लेता तो यह दुखद घटना जो घटित हुई है, उसको रोका जा सकता था। इस स्टेटमेंट के मुताबिक एक बार नहीं, तीन बार ऐसे मौके आए जिसमें वहां के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर जाकर ठीक तरीके से उनको समझा-बुझाकर मामले को रफा दफा कराना चाहते तो मामला वहीं पर रोका जा सकता था। मगर किसी भी वरिष्ठ अधिकारी ने ऐसा प्रयास नहीं किया। जब आदिवासी उग्र होकर थाने का घेराव करने लगे, एक वर्ग विशेष के लोगों को लूटना प्रारम्भ कर दिया तथा वहां के वरिष्ठ अधिकारियों ने वहां जाकर जो एक एक्शन लिया, वह था "पुलिस फायरिंग।"

मैं माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे हमारी इस भावना को राज्य सर-

कार तक पहुचाएं कि इस प्रकार की उदासीनता उनके वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में नहीं बरतनी चाहिए थी।

एक बड़े दुःख की बात यह है कि जब से आदिवासी और जनजाति के लोगों में जागृति आई है, वे अपने अधिकारों को समझने लगे हैं, तब से जहां अपराधों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि आज विभिन्न क्षेत्रों में जहां कहीं भी आदिवासी रहते है उनमें असंतोष बढ़ता जा रहा है। चाहे नार्थ-ईस्ट की बात हो, जहां आदिवासी लोगों के द्वारा ही गवर्न किया जा रहा है, चाहे बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यू० पी०, हिमाचल प्रदेश के आदिवासी हों, जहां नान-आदिवासी गवर्नमेंट है, वहां के आदिवासियों में भी अलग-अलग कारणों से असन्तोष है। चाहे 'कूलिस्तान' की बात हो, गोरखालैंड की बात हो, बस्तर और बिहार के एरिये में अलग प्रदेश बनाने की बात हो, नाना प्रकार की सैप्रेटिस्ट ताकतें सिर उठा रही हैं। इन सबकी तह में जाने की जरूरत है तथा उनके कारणों की खोज करने की जरूरत है।

जहां तक मैं समझता हूं, हमने आदिवासियों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। बहुत से कानून भी पास किए हैं। कई बार संसद और राज्य की विधान सभायें उनके कल्याण के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की दिशा में अपने संकल्प को व्यक्त कर चुकी हैं लेकिन वास्तविक रूप में वह संकल्प या वह भावना इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं, इसको देखने की जरूरत है। एक सबसे बड़ा कारण उनके असन्तोष का मुझे यह महसूस होता है कि जिस जमीन पर वे परम्परागत रूप से, चाहे उनके पास राइट हों या न हों, लेकिन भूमिया कल्टीवेशन के रूप में काम करते रहे हैं उन जमीनों से उनको बेदखल किया जा रहा है, विभिन्न प्रकार के कानूनों के तहत उनको उन जमीनों के प्रयोग से रोका जा रहा है। बहुत सी जगहों पर इन आदिवासियों के अनपढ़ होने के कारण बहुत से लोगों ने उनसे उन जमीनों को खरीद लिया। राज्य सरकारों ने उस जमीन की खरीद को नल-एण्ड-वायड करने के लिये कानून बनाये लेकिन उन कानूनों का सही तरीके से 'एनफोर्समेंट नहीं हो पाया। जैसे मेरे यहां तराई के इलाके में थारु जाति के लोग रहते हैं। उनकी जमीनों को सम्पन्न लोगों ने खरीद लिया, आज उन सम्पन्न लोगों के पास 100-100 और 200-200 एकड़ के फार्म हैं और ये लोग जो किसी समय उस जमीन के मालिक थे, आज उनके बंधुआ मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं।

राज्य सरकार ने कानून बनाया है मगर उसको एन्फोर्स नहीं कर पा रही है। तो मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने इनिशियेटिव लिया है, उसी प्रकार से और सारी राज्य सरकारों को आप यह कहें कि इस प्रकार का इनिशियेटिव वे लें ताकि जन-जाति लोगों की जो जमीन हैं, उनके मौलिक अधिकार उनको मिल सकें और मेरा तो इस बारे में यह सुझाव है कि ट्राइबल लैंड के विषय में आप कोई सेन्ट्रल लेजिसलेशन लाएं ताकि राज्य सरकारों की मर्जी पर, राज्य सरकार की इम्पलीमेन्टेशन मशीनरी पर उनको निर्भर न रहना पड़े। एक सेन्ट्रल लेजिसलेशन इस बारे में आप बनाएं और सेन्ट्रल मशीनरी इस काम को लुक आफ्टर करे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो जंगल हैं, उन जंगलों से ही आदिवासी अपनी आजीविका चलाते थे चाहे हमारे क्षेत्र में रहने वाले लोग हों या दूसरे क्षेत्रों में रहने वाले लोग हों।

[श्री हरीश रावत]

जंगलों के विषय में चाहे राज्य सरकारों ने कानून बनाए और चाहे 1980 में केन्द्रीय कानून बना, इन कानूनों से उनके जंगलों के बारे में मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है और आदिवासी लोग यह महसूस करते हैं कि 1980 के फोरेस्ट कन्जरवेशन एक्ट के पास होने के बाद और इसके पहले राज्य सरकारों के एक्टों के तहत, जो उनके मौलिक अधिकार थे, उन पर रोक लगी है। जंगलों की उपज से वे अपनी आजीविका चलाते थे और अपना पेट पालते थे और अब वे फोरेस्ट आफिसर, पुलिस आफिसर और दूसरे लोगों की मर्सी पर जिन्दा रह रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आदिवासी लोगों को चाहे वे बंजारे हों या दूसरे लोग हों, उनको जो अधिकार परम्परागत रूप से प्राप्त थे, उनको रेस्टोर करने के लिए आप राज्य सरकारों को सलाह दें। कई जगहों पर आदिवासी क्षेत्रों में जो कल्टीवेटेड लैंड है, वह राज्य सरकार और वहां पर जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनके अधिकार में रहती है और जितने भी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, वे जनरली ट्राइबल एरियाज में बनते हैं। वहां से आदिवासियों को अलग हटा दिया जाता है और वह जमीन उनको खाली करनी पड़ती है मगर उनको रीहैबीलीटेट करने का जब प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो उसमें उनको कोई तरजीह नहीं दी जाती है चाहे नौकरी का मामला हो और चाहे उनको किसी और जगह बसाने का मामला हो। समय पर उनको रीहैबीलीटेट किया जा सके, इस विषय में भी आपको कार्यवाही करनी चाहिए।

आदिवासियों की, जैसा कि यहां भी मुझे लगता है, नाराजगी का एक कारण यह भी है कि आऊटसाइडर्स के द्वारा उनको गलत तरीके से एक्सप्लायट किया जाता है उनके सीधेपन की वजह से। यहां पर भी आपने अपने स्टेटमेंट में लिखा है और एक विशेष कम्युनिटी, जिसको महाजन आपने कहा है, के खिलाफ़ उनका आक्रोश रहा है और उनकी प्रोपर्टी की उन्होंने ज्यादा लूटपाट की है। आदिवासियों का एक बहुत लम्बा-चौड़ा मामला है और ज्यादा बहस की इस समय गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं सीधे मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के बिचौलिये और इस प्रकार के एक्सप्लायटर्स से। उनका कम से कम वास्ता पड़े, इसके लिए आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा है कि बहुत सारे इन्सेंटिव्ज, बहुत सारे इनिशियेटिव्ज हमने आदिवासियों के कल्याण के लिए दिये हैं और चाहे पांचवी प्लान हो, चाहे छटी प्लान हो और चाहे सातवीं प्लान हो, लगातार हमारी यह कोशिश रही है कि हर वर्ष उनका एलोकेशन बढ़े और एलोकेशन बढ़ा भी है और काफी पैसा दिया भी गया है मगर देखने में यह आया है कि वे आफिसर्स, जिनको इन योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के लिए लगाया जाता है, उनमें ट्राइबल्स के प्रति कोई अन्डरस्टेंडिंग नहीं होती है, उनकी प्राब्लम्स के प्रति सहानुभूति नहीं होती है और जनरली उनके दिल में जो सहानुभूति होनी चाहिए, जो एक भावना होनी चाहिए, जो कमिटमेंट होना चाहिए, वह कमिटमेंट नहीं रहता है उन कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए और इसकी वजह से आदिवासियों में बड़ा असंतोष रहता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि राज्यों में इस प्रकार की एक पर्मानेन्ट मशीनरी बननी चाहिए जो आदिवासियों के कल्याण के कार्यक्रमों को इम्पलीमेंट करें, उनकी जो मिनिस्ट्री है, उसके अलावा।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि डिफेन्ट मिनिस्ट्रीज से जो बजट दिया जाता है ट्राइबल सब-प्लान के लिए, बहुत से राज्य ऐसे हैं, जो पूरा पैसा खर्च नहीं करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि

सन् 1983, 1984 और 1985 में जो पैसा राज्यों को ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत दिया गया है, उसमें से कितना खर्च हुआ है और कितने पैसे का उन्होंने उपयोग किया है। उत्तर प्रदेश के विषय में एक समाचार छपा था 1982 और 1983 में जिसमें यह निकला था कि उत्तर प्रदेश में ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत इन लोगों के कल्याण के कार्यक्रमों के अन्तर्गत जितना पसा उनको मिला था, उसका 50 परसेन्ट भी उपयोग में नहीं लाया गया।

इस प्रकार के और भी कई राज्य हो सकते हैं। यह जो ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत जो पैसा आप राज्य सरकारों को देते हैं और राज्य सरकारें उस पैसे को विभिन्न डिपार्टमेंट्स को दे देती हैं तो क्या आप राज्य सरकारों से यह कहेंगे कि वह पैसा उसी विभाग को खर्च करने के लिए दिया जाए जो कि ट्राइबल की डवलपमेंट के लिए अधिकृत हो? क्या उस विभाग के माध्यम से ही आप उस पैसे को खर्च करायेंगे?

इसके साथ ही साथ क्या आप यह भी सुनिश्चित करेंगे कि राज्य सरकारों को सब प्लान के अन्तर्गत दिया गया पैसा प्रोपरली यूटिलाइज हुआ है या नहीं? जिस योजना के अन्तर्गत वह पैसा आपने दिया है क्या उस योजना के लिए वह पैसा खर्च हुआ है या नहीं? क्या आप इसके लिए कोई मोनेटरिंग की तरह की कोई व्यवस्था करेंगे? क्या इन प्रश्नों पर आप विचार करने को तैयार हैं?

इसके अलावा ट्राइबल लोगों की कल्चर को प्रिजर्व करने की भी बात है। जितने भी उनके सोशल डवलपमेंट के लिए कार्य किये जा रहे हैं उनमें हमें यह भी देखना होगा कि उनकी कल्चर या उनके रहन-सहन के तौर-तरीके के साथ वे मेल खाते हों। इस बात को लेकर भी उनमें आक्रोश फैला है कि हमारी कल्चर और हमारे रहन-सहन के तौर-तरीके के खिलाफ सरकार काम कर रही है या हमारी इच्छा के विपरीत काम कर रही है। हम उनकी वेल्फेअर के जो भी काम करें उनको परसूएड करके करें। इसके लिए आप ऐसे लोगों को लगाएं जो इन सब बातों का ध्यान रखें और उनकी भलाई के लिए जो हमारी वेल्फेअर पोलिसीज है उनके लिए वे लोग आदिवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना उनकी भलाई के काम करें। इस दिशा में भी आप क्या कर रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो सवालात किये हैं अगर उनमें मैं जाऊं तो वे सारी डिबेट ही हो जायेगी कि आदिवासी क्षेत्रों में क्या-क्या काम हो रहा है।

मैं इस बात को साफ करना चाहूंगा कि प्राइमा फेसी मेरा इम्प्रेशन यह है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस आफिसर्स ने वहां पर वक्त पर ध्यान दिया होता तो शायद इस बात को टाला जा सकता था। लेकिन मैं यहां बैठकर इस बात के बारे में अपनी कोई राय दूं, यह मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। वहां पर जो लोकल आफिसर्स थे, वे उस समय क्या सिचुएशन फेस कर रहे थे उसके बारे में मैं नहीं कह सकता और खासतौर पर तब नहीं कह सकता जबकि उसके अन्दर इंक्वायरी हो रही है। इसके बारे में मेरा कोई राय जाहिर करना मुनासिब नहीं है। लेकिन प्राइमा फेसी में आपकी राय से सहमत हूं।

यह बात सच है कि सारे आदिवासी एरियाज में एक नई भावना देखने में आती है। उनमें अपने हक के लिए एक नई जागृति पैदा होती दिखाई देती है। उनको जो अधिकार मिले हैं या जो अधिकार

[श्री एस० बी० चह्वाण]

उनको बराबर मिलने चाहिएं यह जागृति उनमें पैदा हो रही है यह बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ एक्सट्रीमिस्ट्स एलीमेंट्स हैं, कुछ ऐसे एलीमेंट्स हैं जो उनके असंतोष का फायदा उठाकर उनको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

हमने सारी स्टेट गवर्नमेंटस से प्रार्थना की है कि आदिवासियों के लिए, उनकी भलाई के लिए जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वे सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भेजी गई हों, चाहे स्टेट गवनमेंट्स की तरफ से शुरू की गई हों या बैंकिंग इन्स्टीच्यूशन की तरफ से उनको फायदा पहुंचाने की जो स्कीम्स हों उनको आदिवासी क्षेत्रों में अच्छे ढंग से चलाया जाए और अच्छे आफिसर्स उनको चलाने के लिए वहां रखे जाएं जिनका विश्वास आदिवासी लोगों के वेल्फेअर में हो। हमने यह सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा है और हमने फाइनेंशियल इन्सेन्टिव्ज भी उन लोगों को दिये हैं ताकि वहां पर उन लोगों की देखरेख में ये सारी स्कीम्स अच्छे ढंग से इम्पलीमेंट हो सकें।

मेरे पास बिहार सरकार से जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि प्रोजेक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर भी आदिवासियों के प्रोग्राम्स किस ढंग से चलाये जाते हैं उनकी एक मोनेटरिंग कमेटी बनाई गई है और ऐसे आफिसर नियुक्त किये गये हैं जो बार-बार आपस में मिल कर यह जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि उनके बारे में प्रोग्राम्स किस ढंग से इम्पलीमेंट होते हैं।

मैं आपकी राय से बहुत हद तक सहमत हूं। आदिवासी लोगों का सबसे ज्यादा इंट्रेस्ट अपनी जमीन में होता है, लेकिन गुरबत की वजह से और वहां पर जो डामीनेंट सेक्शन होता है, उनकी मालदारी की वजह से या उनके मनी लैंडिंग के बिजनेस की वजह से उनके ऊपर रोक होते हुए भी वे लोगों की जमीन ले लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से इसके बारे में कानून बनाए गये हैं मगर इनएलियनेबल राइट्स होते हुए भी उनको जमीन बेची है तो उनको वह जमीन वापिस देनी होगी, इस किस्म के कानून हर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर बनाये गये हैं और हर स्टेट की पोजीशन एक सी नहीं है, कुछ जगह बहुत अच्छे ढंग से काम होता है, कुछ जगह पर उतने अच्छे ढंग से काम नहीं हो पाया है। मैं फिर सारी राज्य सरकारों को खासतौर से इस बारे में लिखूंगा कि जो आदिवासी लोगों की जमीन ली गई है, उनको वापिस करने के लिए जो कानून बनाए गये हैं, उनको अच्छे ढंग से मानीटर किया जाए और उनको स्पेसिफिक टारगेट इयरवाइज करके वह जमीन आदिवासी लोगों को वापिस देने के लिए जितना काम हो सकता हो, वह करने की कोशिश की जाए।

फारेस्ट कंजरवेशन एक्ट की चर्चा की गई और बताया गया कि इस एक्ट की वजह से आदिवासियों के ट्रेडीशनल राइट्स पर असर होता है, इस बात को मैं नहीं मानता। फारेस्ट कंजरवेशन एक्ट, जो इलोसिट फैलिंग होता है, उसको रोकने के लिए है, बहुत बड़े पैमाने पर जो जंगल तोड़ दिया जाता है। आदिवासी लोगों का असल कल्चर जंगल में है, इसकी रक्षा के लिए ही यह एक्ट बनाया गया है।

श्री हरीश रावत : मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि

जिन आदिवासियों के पास भेड़-बकरियां होती हैं, जानवर होते हैं, उन जानवरों को खिलाने के लिए जब पत्ती काटने वे जंगल में जाते हैं, तब भी फारेस्ट आफिसर उनको रोकते हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : जहां तक मेरी जानकारी है, एक्ट में ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसकी जानकारी लेने की कोशिश करूंगा, जहां तक मुझे मालूम है, यह लोअर आफिसर्स की तरफ से ह्रासमेंट की बात हो सकती है, कानून में जो प्रावीजन है, उसमें अगर कोई जानवरों को चराने के लिए पत्ती लाता है तो उस ट्रेडीशनल राइट पर इस एक्ट के तहत कोई रोक नहीं लगाई गई है, मेरी जानकारी में तो यही है और प्राइमाफेसी बात जचती भी नहीं है। इस बात से मैं सहमत हूं कि लोकल आफिसर्स उनको ह्रास करने के लिए या उनके पास से कुछ पैसा लेने के लिए इस किस्म की बातें करते होंगे, लेकिन कानून में मुझे नहीं लगता, फिर भी मैं जानकारी लेने की कोशिश करूंगा।

इसके बाद मिडिल मैन की बात आती है, उससे उसका छुटकारा हो, इसके लिए काम किया गया है। आज उनकी धारणा हो गई है और जो ठीक भी है कि यहां पर जो भी आता है वह उनको एक्सप्लाइट करने के लिए आता है। आदिवासी की भलाई की बात करते-करते सारे लोग वहां पर जो जाते हैं, वे उनको एक्सप्लाइट करने के लिए जाते हैं, यह धारणा उसकी बनती जा रही है। इसको निकालना होगा, इसको निकालने के लिए उनमें जाकर सिरियसली काम करने वाले लोग अगर वहां पर जाएं और पूरी सहूलियत उनको दी जाये, तभी उन लोगों में विश्वास रीस्टोर हम कर सकेंगे। मिडिल मैन को कम करने की कोशिश की गई है। वहां पर जो कांट्रक्ट सिस्टम था, उनको बन्द कर दिया गया है। फारेस्ट का जितना भी काम होता है, उसके लिए फारेस्ट की जो सोसायटीज हैं, लेबर सोसायटीज हैं, उनके जरिये सारा काम कराने की कोशिश की जाती है। वहां पर करीब 120 फारेस्ट लेबर कोआपरेटिव सोसायटीज बनाई गई हैं और उनके थ्रू यह सारा काम वहां पर किया जाता है। जो उनका फारेस्ट लेबर रेट 1982 तक साढ़े चार रुपये था, उसको अब साढ़े आठ रुपए कर दिया गया है। इस तरह से मिडिलमैन को हटाकर उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है।

वहां पर फेयर प्राइस शाप्स भी खोली जा रही हैं। ला सोसायटीज, जिनको आदिवासी लोग लैंप्स कहते हैं, काफी हद तक वहां पर खोली गई हैं ताकि जो माल लाने वाले दूकानदार आज तक उनको एक्सप्लाइट करते थे, उनसे उनको छुटकारा दिलाया जाये, इस काम का प्रबन्ध किया गया है। उनके वेलफेयर के लिए जो कमेटी वहां पर काम करती हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उन कमेटियों की तरफ से आदिवासी लोगों के वेलफेयर के लिए बनाई गई स्कीम्स को इंप्लीमेंट किया जायेगा। इसके लिये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा दिया जाता है, उसका सही ढंग से उपयोग होगा। यहां पर इन कमेटियों की तरफ से जो कार्य किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि उससे काफी फायदा उन लोगों को मिल सकेगा।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, जो स्टेटमेंट माननीय गृह मन्त्री जी के द्वारा दिया गया है और जिसको गृह मन्त्री जी ने भी माना है, उसको पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार सरकार ने इस मामले को बहुत साधारण तरीके से निपटाने की कोशिश की है। अगर इस मामले को थोड़ा

[श्री अंगुल बशर]

टैक्ट के साथ और इस पृष्ठभूमि में कि वहां आदिवासियों में असन्तोष की भावना जागृत है, यदि निपटाये जाने की कोशिश की होती तो मैं समझता हूं कि यह दुखद दुर्घटना न घटती। कल, हमारे माननीय स्पीकर साहब ने अपनी बहुत अच्छी भावना व्यक्त की कि देश में जो हिंसा का वातावरण चारों तरफ फैलाये जाने की कोशिश हो रही है, वह बन्द होना चाहिए और जहां-जहां भी हिंसा फैलाये जाने की बात हो, उसकी पूरे देश के लोगों को, सभी राजनीतिक दल के लोगों और इस माननीय सदन की निंदा करनी चाहिए। इस भावना के तहत सबसे पहले तो मैं अपनी सहानुभूति उन लोगों को पेश करना चाहता हूं जो इस पुलिस फायरिंग में मारे गए हैं या जो लोग इसमें जख्मी हुए हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल, ये जो हमारे भारत के बीच के हिस्से हैं और जहां बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं, वहां काफी दिनों से उनके अन्दर असन्तोष की भावना फैल रही है। यह असन्तोष मुख्य रूप से आर्थिक या सामाजिक कारणों से हो सकता है। आदिवासी, अपना एक विशेष प्रकार का जीवन व्यतीत करने के आदि रहे हैं। सदियों से एक विशेष प्रकार का जीवन उन्होंने जंगलों के अन्दर व्यतीत किया है। आज विज्ञान और टैक्नोलाजी बढ़ रही है। ऐसा इत्तिफाक है कि उन्हीं क्षेत्रों में हमारे खनिज पदार्थों का भण्डार भी है। बिजली और नहर की व्यवस्था भी उन्हीं क्षेत्रों से की जानी है। इसलिए, जैसे-जैसे विकास बढ़ रहा है और जैसे-जैसे वे बाहरी दुनिया के सामने आ रहे हैं, वैसे-वैसे उनके अन्दर कुछ रिजेन्टमेंट होना, कुछ प्रतिशोध की भावना होना स्वाभाविक है। इस प्रतिशोध और असंतोष में और बढ़ोत्तरी हो जाती है जबकि विकास के काम के साथ-साथ उनको न्याय नहीं मिलता। बहुत से जो विकास के काम हुए हैं और हो रहे हैं, उसमें उनकी जमीनें ली गई हैं और उन जमीनों का उनको उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। बहुत थोड़ा मामूली-सा मुआवजा उनको देकर टाल दिया गया है, जहां-जहां डवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं, कारखाने लग रहे हैं, रेलवे लाईनें बिछ रही रही हैं, नहरें और हाइड्रो-इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वहां पर भी जो उनकी जमीनें ली गई हैं, उसके लिए केन्द्र और राज्य सरकार की यह नीति है कि जिसकी जमीन ली जाए उस परिवार के कम से कम एक आदमी को नौकरी दी जाए। लेकिन यह नहीं माना जा रहा है। कई बार इस माननीय सदन में यह मामला उठ चुका है। विभिन्न मन्त्रालयों की कंसलटेटिव कमेटी में भी हम लोगों ने उठाया है। लेकिन एक आदमी एक परिवार से नौकरी में नहीं लिया जा रहा है। राउरकेला स्टील प्लांट की शिकायत है, वहां लोगों को नहीं लिया गया। रेलवे में जो काम हो रहा है, वहां भी नहीं लिया जा रहा है।

जितने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजैक्ट्स हमारे देश में बन रहे हैं, वहां उनको नहीं लिया गया और जब पब्लिक सैक्टर के यूनिटों में उनको नहीं लिया गया, उनके साथ न्याय नहीं किया गया तो प्राइवेट सैक्टर की तो बात ही अलग रही, वहां तो हमेशा बाहर के लोगों को रखा जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी तो जानकारी ऐसी है कि जंगलों में हमारा वन विभाग जो भी कार्य करता है, उन जंगलों में भी, जो कि चारों तरफ से आदिवासी क्षेत्र घिरे हुए हैं, काम करने के लिए बाहर से कर्मचारी बुलाये जाते हैं और वहां के स्थानीय आदिवासियों को कोई काम नहीं दिया जाता, कोई जगह नहीं दी जाती।

इस कारण उनमें असंतोष की भावना पैदा होना स्वाभाविक है और फैल रही है। उस असन्तोष का फायदा कुछ ऐसे लोग उठा रहे हैं जो हमारे देश में तोड़-फोड़, आतंक का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। इसलिए कभी-कभी हमारे देश में आवाजें उठती हैं, कभी झारखण्ड स्टेट की आवाज उठती है तो कभी कलहन स्टेट की आवाज उठती है जिसके बारे में हमारी गृह राज्य मंत्री श्रीमती राम दुलारी सिन्हा जी ने कुछ दिन पूर्व राज्य सभा में जवाब दिया था। उनके असन्तोष को उभारने की कभी-कभी कुछ लोग चेष्टा करते हैं और इस कार्य में कुछ विदेशी एजेंट भी सक्रिय हैं और हमारे पास ऐसी शिकायतें भी आ रही हैं कि कुछ विदेशी मिशनरीज, जो उस इलाके में काम कर रहे हैं, उनका भी उसमें हाथ पाया जाता है। वे लोग भी आदिवासियों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं और उन्हें संघर्ष की राह पर जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि हमें उन आदिवासियों की मूल समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि उसके मूल में आर्थिक और सामाजिक समस्यायें हैं। उनके अन्दर इतनी राजनैतिक आकांक्षा नहीं है जिसको उभारने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हों, ऐसा मैं मानता हूं।

इसलिए सबसे पहले मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वहां क्या उनको कुछ विदेशी तत्वों के हाथ होने का आभास मिला है। पहले जब यहां ज्ञानी जी गृह मंत्री होते थे, वे कहते थे कि यदि कहीं हमें विदेशी हाथ दिखाई देगा तो हम उसको काट देंगे लेकिन उन्हें कोई विदेशी हाथ दिखाई देता है या नहीं, क्या उन्होंने इस मामले में कोई जांच करवाई है। क्या गृह मंत्रालय ने ऐसी कोई जांच पड़ताल कराई कि उन इलाकों में जितने विदेशी मिशनरी कार्यरत हैं, उनकी गतिविधियां क्या हैं। यदि उन्होंने कोई इस प्रकार का परीक्षण कराया है तो उसके क्या परिणाम निकले क्योंकि इन आदिवासी क्षेत्रों में आज एक ज्वालामुखी धधक रहा है और वह कभी भी फूट सकता है।

अभी समय है कि हम उसको ठंडा कर दें और देश में चारों तरफ जो असन्तोष की स्थिति पैदा हो रही है, आतंक और हिंसा का वातावरण बनता जा रहा है, उसकी पृष्ठभूमि में, हमें आदिवासी क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मैं अब भी इस विचार का हूं कि उनकी राजनैतिक आकांक्षायें उतनी नहीं हैं जितनी उनकी आर्थिक और सामाजिक समस्यायें हैं और उनका समाधान किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

हाल ही में जो यह घटना घटी है, उसके लिए मैं बिहार सरकार को दोष नहीं दे सकता क्योंकि उसके बारे में मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है लेकिन बिहार में पुलिस और प्रशासन में जाति और वर्गों के बीच भेदभाव इतना बढ़ चुका है कि उसके आधार पर इस सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि वहां पर आदिवासी लोगों के साथ ज्यादती हुई है।

इस बारे में जो रिपोर्ट बाद में आयेगी, उससे ही सारा विवरण मिलेगा अथवा गृह मन्त्री जी अपने सूत्रों से इस बारे में जानकारी एकत्र करेंगे लेकिन प्राइमा-फेसाई ऊपर से यह बात दिखाई देती है, हमको ऐसा लगता है कि बिहार का प्रशासन जिस तरह से जातिवाद, सम्प्रदायवाद और वर्गवाद का शिकार होता जा रहा है, बिहार की पुलिस की जो स्थिति है, उसमें इस बात की गुंजाइश पैदा होती है कि उन आदिवासी लोगों के साथ ज्यादती हुई है। उसके पीछे कारण यह है कि

[श्री जैनुल बशर]

हर बार आदिवासी ही क्यों मारे जाते हैं, हरिजन ही क्यों मारे जाते हैं, कभी सवर्ण लोग हरिजनों को मारते हैं और कभी दूसरे लोग आदिवासियों को मारते हैं और कभी पुलिस इन दोनों से मिल कर मारती है। इसलिए प्रबल सम्भावनायें हैं कि इनके साथ ज्यादती हुई होगी और उसको ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि बिहार प्रशासन पर कड़ी नजर रखी जाये और पुलिस के बारे में खास तौर से सतर्क रहा जाए। इसके साथ ही वहां के पुलिस विभाग में आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, इस माननीय सदन में, जहां भी दंगे हुए, चाहे साम्प्रदायिक दंगे हुए, चाहे जातिवाद के आधार पर दंगे हुए, बार-बार यह मांग की गई है कि राज्य की पुलिस में अल्पसंख्यकों का, हरिजनों का और भूतपूर्व सैनिकों का अच्छा, रीजनेबल प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में बी०एस०एफ० में, इन लोगों को अच्छा प्रतिनिधित्व दिया गया है और इसलिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स और बी० एस० एफ० के आदमियों की तरफ से कोई शिकायत नहीं उठ रही है। इसके आधार पर केन्द्र की ओर से राज्य सरकारों को पत्र लिखे गये हैं कि पुलिस में इन लोगों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए, लेकिन राज्य सरकारें इसको सुन नहीं रही हैं। तो क्या गृह मन्त्री जी, इस बारे में कोई कार्यवाही करेंगे कि राज्य की पुलिस फोर्स में, अल्प संख्यकों, आदिवासियों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए ?

आखिर में उपाध्यक्ष जी, मैं इस फायरिंग के बारे में यह कहना चाहता हूं कि इसकी अदालती जांच होनी चाहिए, इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए। कमिश्नर के द्वारा की जाने वाली इन्क्वायरी का कोई अर्थ नहीं निकलता है। जहां फायरिंग हो और पन्द्रह आदमी मारे गये हों और जिसके कारण आदिवासी लोगों में बड़े पैमाने पर दहशत बनी हुई हो, वहां यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इस सम्पूर्ण प्रकरण की, सारी बातों की अदालत के द्वारा जांच हो, हाई कोर्ट के जज द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा अदालती जांच कराई जाए, तभी जो ठीक बात है, वह सामने आ सकेगी।

वहां जो मनीलैण्डर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ठेकेदार हैं, वे लैण्ड सैटलमेन्ट को प्रशासन से मिलकर अपने फेवर में करा लेते हैं। जो आदिवासी 100 साल से, 150 साल से जिस भूमि पर काबिज है, उसकी भूमि पर पहले वे स्वयं कब्जा करते हैं, फिर उनको गुंडों से पिटवाते हैं, उसके बाद प्रशासन से मिलकर सैटलमेंट अपने फेवर में करवा लिया जाता है। इस प्रकार की बातें बराबर सुनने में आ रही हैं। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि "भूमि से आदिवासी लोगों का मोह" यह कभी-कभी दंगे का कारण बन जाता है, तो क्या कोई केन्द्रीय एजेंसी इस प्रकार के नए सैटलमेंट बनाने के लिए व्यापक सर्वे करेगी और क्या उसमें यह तय कर दिया जायेगा कि यह आदिवासियों की जमीन है, यहां एनक्रोचमेंट नहीं हो सकती और उनकी जमीन को बेचने के मामले में जो लैण्ड के कानून बने हैं, उन कानूनों का सख्ती से पालन हो ?

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि वे मेरे द्वारा पूर्व में उठाए गये प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें।

श्री एस०बी० चव्हाण : उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें कालिंग अटेंशन में कही गई हैं, उनमें में काफी बातें ऐसी हैं जिनका उत्तर इस समय देना बहुत दुश्वार है। वे बातें मैंने नोट कर ली हैं। मैं आपकी इस राय से मुत्तफिक हूं कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है, सोशल कंडीशन है, जिसके अन्दर वे रहते हैं और आज तक उनको जिस ढंग से लोगों ने एक्सप्लाइट किया है, उसकी वजह से उनके दिल में एक किस्म की निराशा की भावना पैदा हुई है और वे यह चाहते हैं कि इससे हमारा छुटकारा हो, और उनमें उस कंडीशन से छुटकारा पाने की भावना स्पोरेडिक ढंग से इरप्ट हो चुकी है। इसके साथ-साथ मैं यह सोचता हूं कि इन लोगों में असंतोष बढ़ रहा है और जो आदमी अब तक दबाए जाते रहे थे और अब वे अपनी आवाज बुलंद करते हैं, तो वह भी चन्द लोगों को बुरा लगता है। तो यह उनकी जो सामाजिक जागृति है, उसके लिए हमको उनका समर्थन करना चाहिए।

1.00 म०प०

एक अच्छी बात उनमें पैदा हो रही है। कभी थोड़ा-सा वह गलत रास्ते पर भी जाते हैं तो उनको गलत समझने की कोशिश न करते हुए, उनको राहत कैसे दी जाए, कैसे बचाया जाए, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और उनका एक्सप्लायटेशन कैसे रोका जाए और जो मिडिलमैन व आफिसर वहां जाकर उनको तंग करते हैं, उनसे उनका छुटकारा कैसे किया जाए, यह सारे बुनियादी सवालात हैं जिसके अन्दर मैं समझता हूं कि सैंटर से हम लोग गाइडलाइन्स दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी उठाने की बात हम करेंगे तो यह बात मुनासिब नहीं होगी।

आपने अभी बात बताई कि जो लैंड एलीनेशन हुआ है, उसका सैंटर की तरफ से कंप्रीहैंसिव सर्वे कराने की बात आप सोच सकते हैं क्या ? हम समझते हैं कि हमें सोचने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमको सारी मशीनरी वहां पैरेलल खड़ी करनी होगी। मैं नहीं समझता कि इस तरह की पैरेलल आर्गेनाइजेशन खड़ी करके, स्टेट गवर्नमैंट जब तक इन्टरेस्ट न ले, तब तक सैंटर की तरफ से हमने सर्वे भी कराया तो आगे का काम हम नहीं कर पाएंगे। यह सारा काम स्टेट गवर्नमैंट के थ्रू होना चाहिए। उनको मोटिवेट करना होगा, काम करने के लिए प्रोत्साहन देना होगा, इस ढंग से यह काम चलेगा। सैंटर की तरफ से हम ज्यादा से ज्यादा उन पर जोर लगाकर इस काम को तेजी से वह आगे बढ़ायें, यह कोशिश कर सकते हैं, इतना ही हम करेंगे।

यह बात मेरी जानकारी में है कि आदिवासी क्षेत्र जो अलग-अलग स्टेट्स में फैला हुआ है, उनमें एक नई जागृति की भावना आ रही है और जो भी आज तक उनका एक्सप्लायटेशन करते आए हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत अब उनमें आहिस्ते-आहिस्ते आ रही है, यह अच्छी बात है। यह करते हुए जरूर कुछ लोग, जो राजनीति के लिए इसका फायदा उठाना चाहते हैं, वह उनके अन्दर गये हैं, कुछ एक्सट्रीमिस्ट्स लोग भी उनके अन्दर गए हैं और कुछ मिशनरी लोग भी वहां गये हैं।

[श्री एस० बी० चव्हाण]

एजूकेशन के नाम पर, सोशल सर्विस के नाम पर और बाकी जो काम वहां करते आये हैं, वह 10-20 साल से काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, उससे पहले से भी काम कर रहे हैं। सोशल सर्विस करने वाली आर्गेनाइजेशन्स पर हम पाबन्दी लगाते हैं तो उसके कुछ अलग मायने निकल सकते हैं। सोशल सर्विस का काम जारी रहे, लेकिन उसमें से राजनीति निकालने की बात या एंटी नेशनल एक्टीविटी उस एरिया में न बढ़े, इसके लिए निगरानी रखना, यह काम सेंट्रल गवर्नमैंट की तरफ से भी और स्टेट गवर्नमैंट की तरफ से भी जरूर किया जाता है, लेकिन इस बुनियादी बात पर मैं इतना चिन्तित नहीं हूं जितना कि करोड़ों रुपया इनके फायदे और वैलफेयर के लिये देने के बाद भी उन तक पहुंच नहीं पाता, उनको उसका फायदा नहीं मिलता, यह बात मेरे लिये बड़ी चिन्ता की बात है। इसलिये मैं खुद भी हो सका तो जल्द जाऊंगा, इन सारे एरियाज में जाकर वहां के लोगों से बात करके कुछ स्कीम्स और क्या निकाली जा सकती हैं, जिसका डायरेक्ट बैनिफिट उनको मिले, इसके बारे में मैं खुद भी अपना माइंड एप्लाई करता हूं और मुझे खुशी है यह बात कहते हुये कि मैंने अपनी कुलीग श्रीमती रामदुलारी सिन्हा से खासतौर पर दरख्वास्त की है और उन्होंने कबूल भी किया है, इस जगह पर वह कल ही जायेंगी और वहां के सारे हालात को देखकर, और क्या चीजें वहां करनी जरूरी हैं, इसके बारे में जानकारी लेकर फिर हम आपस में बैठकर विचार कर सकेंगे।

जहां तक जुडिशियल इन्क्वायरी की बात है, यह स्टेट गवर्नमैंट पर छोड़ना होगा। यह पहले तो स्टेट गवर्नमेंट का सबजैक्ट है, लेकिन इसके बाद भी आदिवासी का संबंध आने से थोड़ा-सा ताल्लुक हमारा भी पैदा हो जाता है, लेकिन ला एंड आर्डर का मामला स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ला एंड आर्डर के मामले में जुडिशियल इन्क्वायरी की बात जहां पर खड़ी हो जाये, वह हमारे अधिकार मे नहीं आयेगी। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ही, अगर वह मुनासिब समझे, चीफ मिनिस्टर कल ही वहां होकर आए हैं, अगर उनको लगता है तो वह इसके बारे में ऐलान कर सकते हैं, लेकिन यहां से हम कोई अपनी राय देना मुनासिब नहीं समझेंगे।

मनी-लैंडर्स और कांट्रेक्टर्स वगैरह की बात आपने कही, इसके बारे में मैं अभी कह चुका हूं।

नौकरी की बात जो कही कि कई प्रोजेक्ट्स के लिये उनकी जमीन ली जाती है, उनको कम्पैंसेशन बहुत थोड़ा मिलता है, यह बात सच है और इसमें कुछ लोगों को आगे बढ़कर उनकी मदद करनी चाहिए, इसमें भी कुछ कमी है।

सारी पालिटिकल आर्गेनाइजेशन और पालिटिकल पार्टीज की तरफ से इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए इनका केस हाथ में लेकर आगे बढ़ते हैं तो कानून के तहत उन्हें जो कुछ मिल सकता है, वह मिल सकेगा। इनके परिवार के एक लड़के को कम से कम नौकरी मिलनी चाहिए यह बात जो कही कुछ स्टेट ऐसी हैं, जिसमें रिहैबिलीटेशन के लिये उन्होंने कानून बनाया है। हम स्टेट गवर्नमेंट से जरूर कहेंगे कि आप इस बारे में सोचिए कि आपके बाकी चीजों में ढिले न होते

हुए रिहैबिलीटेशन के काम को अच्छे ढंग से चलाने के लिए, अगर कानून में संशोधन किये जा सकते हैं तो उस बारे में सोचिए।

श्री जैनुल बशर : बहुत-सी सेंट्रल प्रोजेक्ट जो हैं, वह उसे नहीं ले रही हैं।

श्री एस०बी०चव्हाण : इसके अन्दर पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, स्टेट सेक्टर और सेंट्रल सेक्टर की बात न कहते हुए इतना जरूर कहूंगा कि इसमें हरेक की तरफ से जितनी सतर्कता बरतने की जरूरत थी, उतनी नहीं होती है। इस बात से मैं मुत्तफिक हूं कि इसको दूर किया जाये। इस बारे में अलग ढंग से सोचना होगा। इस संबंध में इस कालिंग एटेंशन के जरिए से जवाब देना उचित नहीं समझता।

[अनुवाद]

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया उसमें स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया कि उस उस विशेष गांव में एक आदिवासी की हत्या के बाद राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की थी। यह पिछले माह की बात है, करीब पांच सप्ताह पहले यह घटना हुई थी। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा संथाल परगना जिले जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, को उन छोटे-छोटे जिलों में बांटने के प्रस्ताव के विरुद्ध कई घटनाएं हुई थी। इससे वे आदिवासी महसूस कर रहे थे कि वे इन सभी जिलों में अल्पसंख्यक हो जायेंगे। इसके कारण वहां आन्दोलन हो रहे थे, इस बारे में काफी असन्तोष था, और सारे संथाल परगना जिले में तनाव की स्थिति थी। राज्य सरकार के लिए यह अन्दाजा लगाना आसान था कि इस हत्या से कानून और व्यवस्था की स्थिति काफी बिगड़ सकती है।

मैं यहां कहना चाहता हूं कि जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है संथाल परगना में यह विशेष घटना ही एक मात्र घटना नहीं है। पिछले 2-3 वर्षों में ऐसी ही घटनायें अन्य राज्यों में भी घटित हुई है। मुझे आदिलाबाद जिले में घटित इसी प्रकार की एक बहुत ही गम्भीर घटना की याद आ रही है, इन्द्रावली गोलीबारी कांड में 40 आदिवासियों की मृत्यु हो गई थी, सैकड़ों आदिवासी घायल हो गये थे और उसके बाद डर का वातावरण पैदा हो गया था। इसके बाद एक घटना महाराष्ट्र के धुले जिले में हुई थी। जिले के भीलों पर जमींदारों के किराये के व्यक्तियों द्वारा हमला करके लगभग 8-10 व्यक्तियों को मार दिया गया था। भीलों के सारे घरों को आग लगा दी गई थी, उनके मवेशियों को भगा कर ले जाया गया, और इसी प्रकार की कार्यवाही की गई। ऐसी ही घटनाएं गुजरात, मध्य प्रदेश, बस्तर और मांडिया में भी हुई। कई स्थानों पर ऐसी घटनाएं हुई और इनका स्वरूप भी एक-सा था। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि कुछ उग्रवादी हैं जो स्थिति से लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं।

किन्तु मैं समझता हूं कि ऐसा हाल में ही हुआ है। विशेष रूप से क्योंकि हम पूर्वोत्तर प्रदेशों में अनेक वर्षों से इस प्रकार के विद्रोह की गतिविधियों के बारे में सुना करते थे। किन्तु मध्य भारत तथा पूर्वी भारत में इस प्रकार की घटनायें बहुत ही कम थीं। किन्तु आज हम देखते

[श्री सी० माधव रेड्डी]

हैं कि इन सभी आदिवासी क्षेत्रों में अशान्त का वातावरण बना है। राज्य सरकारों ने भूमि अन्तरण विनियम अधिनियम सहित अनेक विधान लागू किये हैं। यह बड़ी अच्छी बात है कि आदिवासियों से जो भूमि छिन गई है और उसे अवैध रूप से हस्तांतरित कर दिया गया है, वह उन्हें वापस मिलनी चाहिये। उनको उनकी भूमि वापस दिलाने के लिये कानून बनाकर उन्हें लागू किया जाना चाहिये। किन्तु हमें यह बात याद रखनी होगी कि यद्यपि इन क्षेत्रों में यहां वहां आदिवासी जनसंख्या अधिक है, किन्तु ये मिश्रित जनसंख्या के क्षेत्र हैं। आदिवासी हरिजनों और अन्य लोगों के साथ रहते हैं। विभिन्न प्रकार के लोग वहां गये हैं। उन्होंने वहां भूमि खरीदी है और वे वहां बस गए हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि जो भूमि 15 से 20 वर्ष पहले हस्तांतरित कर दी गई थी, हो सकता है, उसे अवैध रूप से हस्तांतरित किया गया हो, उसे आदिवासी लोगों को वापस दिया जाना चाहिये। यह भूमि मूल भूस्वामियों को वापस दी जानी चाहिये किन्तु इस प्रक्रिया में हम कटुता की भावना पैदा कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में कतिपय राज्यों ने न्यायालयों को हस्तक्षेप से बाधित कर दिया है। किन्तु अनेक राज्यों ने ऐसा नहीं किया है। एक ओर तो आदिवासी न्यायालय के स्थगन आदेशों के कारण खुश नहीं हैं और दूसरी ओर गैर आदिवासी भी नाखुश हैं। कई स्थानों पर यह चर्चा है कि गैर-आदिवासियों को आदिवासी क्षेत्र खाली करने होंगे। एक दिन ऐसा आयेगा जब गैर-आदिवासी लोगों को वहां से जाना होगा। मैंने ऐसे अनेक मामले देखे हैं जिनमें गैर-आदिवासी लोगों को भूमि हस्तांतरित नहीं कर सके। गैर-आदिवासियों को आदिवासी लोगों को ही भूमि बेचनी पड़ती है जिसका यह अर्थ हुआ कि सम्पत्ति की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि व्यक्तियों के सम्पत्ति अधिकारों में हस्तक्षेप किया जा रहा है।

अब, यदि स्थिति ऐसी है तो गैर-आदिवासी लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा होना स्वाभाविक ही है और आदिवासी भी स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में संघर्ष की संभावना बढ़ रही है। हमें आदिवासी क्षेत्रों में ऐसी नीति बनानी चाहिए कि इन दोनों में संघर्ष की स्थिति को बचाया जा सके। उन्हें परस्पर मिल जुल कर शान्तिपूर्ण ढंग से रहना चाहिए।

माननीय मंत्री जी आदिवासी क्षेत्रों में साहूकारों एवं व्यापारियों के बारे में कह रहे थे। साहूकारों का काम वहां इसलिए चल रहा है क्योंकि आदिवासियों को ऋण चाहिए। महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में तथाकथित कंगाल बैंक' अब भी चल रहे हैं। यह बड़ी शर्म की बात है कि इन क्षेत्रों में ये कंगाल बैंक अब भी चल रहे हैं और हम आदिवासी जनता की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बुरी तरह असफल रहे हैं।

अब मुझे पता है कि संथाल परगना में 19 अप्रैल को हुई घटना के बारे में एक जांच चल रही है। किन्तु मैं यह महसूस करता हूं कि इस प्रकार की जांच का तब तक कोई फायदा नहीं। जब तक न्यायिक जांच न कराई जाए तब तक सच्चाई का पता नहीं लग सकता है। हम यह जानने के लिये उत्सुक हैं कि जब हत्या हुई है फिर भी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही

क्यों नहीं की गई और किसी को भी गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। यदि उन्होंने हत्या के तुरन्त बाद कार्यवाही की होती तो इस घटना से बचा जा सकता था। मेरे विचार से मन्त्री महोदय न्यायिक जांच के लिये सहमत हो जायेंगे। मैं जानता हूं कि यह राज्य का विषय है किन्तु आदिवासी कल्याण एक केन्द्रीय विषय है। यद्यपि विधि और व्यवस्था राज्यों का विषय है। चूंकि इससे आदिवासी कल्याण का प्रश्न जुड़ा हुआ है, स्थिति बड़ी गम्भीर है और उसकी प्रतिक्रिया कहीं और हो सकती है अतः हम राज्य सरकार को सुझाव दे सकते हैं कि वह इस घटना के लिए एक न्यायिक जांच का आदेश दे।

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये अधिकांश मुद्दों को मैंने तभी स्पष्ट कर दिया था जब शुरू में अपने दो अन्य सहयोगियों द्वारा उठाये गए मुद्दों का उत्तर दिया था।

जैसा कि माननीय सदस्य ने यहां आरोप लगाया है कि संथाल परगना को दो अथवा तीन जिलों में विभाजित किया जा रहा है। इस प्रकार के प्रस्ताव का मुझे पता नहीं है। मैंने अपनी आदरणीया सहयोगी श्रीमती रामदुलारी सिन्हा से पूछा था जो, कि बिहार की हैं। उनको भी इस प्रकार के प्रस्ताव का पता नहीं है कि संथाल परगना को दो या तीन जिलों में विभाजित कर वहां आदिवासी जनसंख्या को अल्प किया जा रहा है। निश्चय ही हमें इस सम्बन्ध में जांच करनी होगी। मेरे विचार से यह समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान उनको अल्पसंख्यक बनाने से नहीं हो सकता है। वास्तव में उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना होगा। अनेक कल्याणकारी योजनाएं केवल उन्हीं के लिये बनाई जा रही हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन योजनाओं का काम निश्चित रूप से इन लोगों को मिले। हम बिल्कुल यही करने का प्रयास कर रहे हैं।

विभिन्न क्षेत्रों से अनेक घटनाओं को उद्‌धृत किया जा सकता है। मैं इनमें से किसी भी मुद्दे का उत्तर नहीं दे सकूंगा। किन्तु वस्तुस्थिति यही है कि जिन कतिपय अधिनियमों के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबन्ध है और यह होते हुए भी यदि भूमि गैर-आदिवासी लोगों को बेची जाती है तो यह राज्य सरकार का प्राथमिक दायित्व है कि वह इस भूमि को आदिवासियों को वापस दिलाएं। हमें इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान रखना होगा। मुझे यह पता चला है कि बिहार में जिला परियोजना तथा राज्य सरकार स्तर पर निगरानी समितियों की स्थापना की गई है। किन्तु समितियों की मात्र स्थापना कर देने से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, जिस उद्देश्य के लिए समितियों का गठन किया गया है उसे पूरा किया जाना चाहिए। मैं राज्य सरकार से न्यायिक जांच करवाने के लिए नहीं कह सकता। यह मुख्य रूप से राज्य का विषय है। उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों को देखते हुए यदि मुख्य मंत्री न्यायिक जांच का आदेश देना आवश्यक समझें तो इसका आदेश देना नितान्त रूप से उसके क्षेत्राधिकार में है। केन्द्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : मैं जानता हूं कि कतिपय मुद्दे पहले ही उठाये जा चुके हैं। मैं शेष मुद्दों पर प्रकाश डालूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु अपने विचार संक्षेप में व्यक्त करें। अधिक समय मत लें।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : आदिवासी राजनीतिक स्तर पर लम्बे अरसे से गैर-आदिवासियों के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आदिवासी जनता का गैर-आदिवासी भारतीयों द्वारा तथा बाहरी व्यक्तियों द्वारा सदियों से शोषण किया जाता रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा काफी अरसे से आदिवासी हितों के तथाकथित प्रतिनिधि के रूप में सक्रिय है। इसमें सन्देह नहीं कि विदेशी शक्तियां भारत में अस्थिरता पैदा करने पर तुली हुई हैं। वे भारत को प्रगति की ओर बढ़ता हुआ नहीं देख सकतीं। ये विदेशी शक्तियां आदिवासी एवं गैर-आदिवासी मतभेदों की हवा दे रही हैं। आदिवासियों को राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा भड़काये जाने के समाचार मिलते रहते हैं। अतः स्वाभाविक ही है कि यह स्थिति इस सम्मानित सभा के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है। किन्तु प्रश्न यह उठता है कि हमारी गुप्तचर एजेन्सियां क्या कर रही हैं? क्योंकि बंशी गांव पर सुनियोजित ढंग से हमला किया गया है। इस योजना को बनाया गया होगा और फिर उस पर अमल किया गया होगा। हमारी गुप्तचर एजेन्सियां इसके बारे में पहले पता क्यों नहीं लगा सकों ? मैं यह बात कहने के लिए क्षमा चाहूंगा कि हमारी गुप्तचर एजेन्सियों को अत्यन्त सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमने अपनी प्रिय नेता और भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को खो दिया है। इसके लिये भी कुछ दोष तो इन एजेन्सियों पर जाना चाहिए। असम तथा पंजाब में हो रही इस प्रकार की घटनाओं के सम्बन्ध में इस सभा को अत्यधिक चिन्ता है। जो शक्तियां असम और पंजाब में सक्रिय हो रही हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यही शक्तियां आदिवासी जनता में भी सक्रिय हों। आदिवासी सीधी-सादी जनता है। यद्यपि वे गरीब एवं अपेक्षित जन हैं फिर भी वे भोले-भाले लोग हैं। उन्हें निश्चय ही राष्ट्र-विरोधी एवं समाज विरोधी तत्वों द्वारा गुमराह किया गया है।

ऐसी परिस्थितियों में मैं यह नम्र निवेदन करता हूं कि इस देश की आदिवासी जनता और अन्य जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुधार में और विलम्ब न किया जाये ताकि हमारे गतिशील प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में हमारे इस महान राष्ट्र की अखण्डता को खतरे में डालने के लिये हमारे भाइयों को उकसाने का कोई दु:साहस न करे। अब प्रश्न यह उठता है कि जब सरकार आदिवासी एवं आदिवासी लोगों में मछली पकड़ने के अधिकारों के बारे में विवाद से परिचित थी तो इस घटना को न होने देने के लिये पर्याप्त कदम क्यों नहीं उठाये गये ? यदि कदम नहीं उठाये गये हैं तो इसके लिये कौन जिम्मेवार है और सरकार इसके लिये जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाना चाहती है ?

दूसरे, जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया है, आदिवासियों तथा एक व्यक्ति श्री मोती भगत के बीच मछली पकड़ने के अधिकार सम्बन्धी विवाद को सुलझा दिया गया था। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह मोती भगत कौन है और उसे आदिवासियों के मछली पकड़ने के पैतृक अधिकारों का विरोध करने का क्या अधिकार था। मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस विवाद को सुलझाने के लिये सरकारी तन्त्र ने सहायता की थी ?

तीसरे, सरकार आदिवासियों के मछली पकड़ने के पैतृक अधिकारों को सुरक्षित करने के

लिये क्या कदम उठाने जा रही है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनायें पुनः न हों।

अन्त में, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस घटना से पीड़ित व्यक्तियों को केन्द्रीय निधि से और सहायता दी जायेगी ?

श्री एस०बी चव्हाण : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये अधिकांश मुद्दों का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं, शायद इस सम्बन्ध में इस बात का स्पष्टीकरण देना रह गया है कि यह मोती भगत कौन है और उसने आदिवासियों और अपने बीच मछली पकड़ने के अधिकार के विवाद को कैसे सुलझा लिया। इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि बिहार सरकार ने हमें बताया है कि मछली पकड़ने के लिये यह तालाब मोती भगत को पट्टे पर दिया गया था और परम्परा यह है कि जो भी पट्टा ले लेता है वह स्थानीय आदिवासियों को मछली पकड़ने के परम्परागत अधिकार दे देता है। किन्तु पहली बार अथवा इस मामले विशेष में यद्यपि यह परम्परागत अधिकार था जो कि अनेक वर्षों से चला आ रहा था। मोती भाई ने उन्हें तालाब से मछलियां पकड़ने की अनुमति नहीं दी और इस प्रकार घटना यहीं से आरम्भ हो गई। जब बाद में अधिकारियों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया तो उन्होंने समझौता करवा दिया और मोती भगत से कहा कि आदिवासियों को उनके परम्परागत अधिकार के अनुसार उस क्षेत्र से मछलियां पकड़ने की अनुमति दी जायेगी। अतः इस प्रकार का समझौता हुआ था। मेरे विचार से इन सब मुद्दों को स्पष्ट करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य ने जो मुद्दे उठाये हैं, उनमें से अधिकांश अन्य माननीय सदस्यों द्वारा भी उठाये गये थे और मैंने उन सब का उत्तर दे दिया है।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुर द्वार) : महोदय, अपना भाषण आरम्भ करने से पहले मैं अपनी नाराजगी व्यक्त करना चाहता हूं। आपने इस बात का उल्लेख किया है कि पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से एक भूतपूर्व संसद सदस्य मारा गया था किन्तु आपने उनकी गिरफ्तारी के बारे में सभा को सूचना नहीं दी थी। इससे पहले जब कभी कोई संसद सदस्य मारा जाता अथवा स्वर्गवासी हो जाता है तो ऐसा किया जाता था। महोदय, दूसरी बात यह है कि आपको इस बात को बड़ी गंभीरता से लेना होगा। यह मामला केवल राज्य सरकार का ही नहीं है। राष्ट्रपति इस देश के समस्त आदिवासी क्षेत्रों की ओर ध्यान दे रहे हैं। अतः यह गृह मंत्रालय का दायित्व है कि जब भी आदिवासियों को सताया जाता है तो भारत सरकार को यह देखना चाहिये कि आदिवासियों को राजनैतिक, आर्थिक अथवा अन्य प्रकार से कौन सता रहा है। आदिवासी राज्य सरकार की दया पर जीवित नहीं रहना चाहते हैं। हमने असम समस्या को देखा है और हमने यह भी देखा है कि यह समस्या मिजोरम, नागालैंड, मेघालय आदि अन्य स्थानों पर कैसे फैल गई है। वे अब भी अपने राजनीतिक अधिकारों के लिये संघर्ष कर रहे हैं। आदिवासी भारत अपने राजनीतिक अधिकारों की मांग कर रहा है। वे यह नहीं चाहते कि उन पर कोई शासन करे। उनके अपने आम कानून हैं। वे अत्यन्त शान्ति प्रिय लोग थे किन्तु उनकी संस्कृति, आदि का अन्य प्रकार के लोगों द्वारा शोषण किया जा रहा है। ये सब लोग राजनीति का अथवा अन्य बहाना लेकर वहां जाते हैं क्योंकि सभी विभागों में भ्रष्टाचार फैल रहा है। अतः आदिवासी समस्या पर आने से पहले मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि क्या वह उनकी समस्याओं को सुलझाने में गम्भीर हैं, क्या

[श्री पीयूष तिरकी]

सरकार ने आदिवासी समस्याओं पर उनके नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया है। उनके नेतागण सिभु सोरंग, सूरज मंडल, कृशा हेमरम, आनन्द तोपनो, और नारायण जंको हैं। यदि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान निकालना चाहती है तो क्या वे उनके साथ बैठ कर इस बात पर विचार-विमर्श करना करना चाहती है कि आदिवासियों के लिये क्या किया जा सकता है ? वे वहां राजनीतिक दलों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। क्या सरकार इस क्षेत्र में विभिन्न राजनातिक दलों के साथ कार्यरत आदिवासी नेताओं के साथ बैठकर बातचीत करने के लिये तैयार है ? यदि आप यहां स्थायी समाधान चाहते हैं तो क्या आप यह बता सकते हैं कि आदिवासी क्या चाहते हैं, उनकी क्या कठिनाइयां हैं और उनकी क्या मांगें हैं ? वे भारत से बाहर नहीं जाना चाहते, वे भारत में सबसे पहले आये थे, भारत से उनको प्यार था और यहां अन्य लोगों के साथ रहने लगे किन्तु वे इस प्रकार के उत्पीड़न और इस प्रकार के भ्रष्टाचार को सहन नहीं कर सकते और वे नहीं चाहते कि उनके साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों का-सा बर्ताव किया जाये। शायद आपने इस सभा के भूतपूर्व संसद सदस्य के मारे जाने का समाचार इस सभा को नहीं दिया है। मैं जानता हूं क्योंकि वह आदिवासी थे इसलिये सभा को उनके मारे जाने के बारे में सूचना नहीं दी गई है।

महोदय, उनकी उस क्षेत्र में एक अलग राज्य की मांग थी। इसमें गलत क्या है ? बंगाल ने इसकी मांग की थी, पंजाब ने इसकी मांग की थी, पंजाब का विभाजन कर हरियाणा बनाया गया, एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा के आधार पर अनेक राज्यों का विभाजन किया गया था। यदि आदिवासियों की अपनी संस्कृति, भाषा, परम्परा तथा आम कानून हैं और यदि वे भारत में एक पृथक राज्य बनाकर रहना चाहते हैं तो इसमें गलत बात क्या है ? क्या आप पंजाब अथवा असम की तरह वहां भी खून खराबा चाहते हैं ? असम में क्या हो रहा है ? अनेक असमी पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं, क्योंकि बंगाल उनका भूतपूर्व राज्य है। उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के मामले में भी यही बात है।

अतः यह उचित मांग है। आपको भारत के आदिवासियों की आवाज की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इस बवण्डर से बाहर निकलने में बहुत देर हो जायेगी। यह आदिवासी खून है और जब एक बार वे क्रोधित हो जाते हैं तो आपको कोई भी बचा नहीं सकता। अतः इस आदिवासी भारत के प्रति सावधान रहिए और उनकी मांग पर ध्यान देने के लिये ठोस और ईमानदारी से कदम उठाइये। आपके पास छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है। यह है क्या ? कृपया इसकी एक-एक प्रतिलिपि प्रत्येक सांसद को दीजिये। सदस्यों को यह पता होना चाहिये कि इस छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में छोटानागपुर क्षेत्र के आदिवासियों और आदिवासी क्षेत्र के अधिकांशों के संरक्षण हेतु क्या कहा गया है जिससे कि वे यहां आकर इसके बारे में बोलें। आप पहले ही कह चुके हैं कि गैर-आदिवासी लोगों द्वारा हड़प ली गई सारी जमीन वापिस की जायेगी। कृपया बिहार से पूछिये कि इस प्रश्न पर उसने किस सीमा तक कार्यवाही की है।

झारखण्ड एक अलग राज्य बनना चाहता है। उसके लिये आप कहेंगे कि वहां पर राष्ट्र-

विरोधी आन्दोलन चल रहा है। आपको आदिवासी नेतृत्व स्वीकार्य नहीं है। जहां कहीं भी कोई आदिवासी नेता आता है तो आप कहते हैं कि वह मिशनरियों का एजेन्ट है या वह राष्ट्र-विरोधी है अथवा उग्रवादी है। ऐसी तो स्थिति है। आप अभी भी यही सोचते हैं कि आदिवासी सही ढंग से नहीं सोच सकते हैं, वे मानवेतर प्राणी हैं और इन लोगों को राजनीतिक अधिकार नहीं दिये जाने चाहिये। यदि भारत सरकार की यह समझ है तो वह इस मामले में असफल रहेगी और अभी-अभी आप देख रहे हैं कि पंजाब में लोग मामूली-सी धार्मिक बात पर लड़ रहे हैं। परन्तु आदिवासी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। हर कहीं वे अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। अतः मैं सरकार को और विशेषकर केन्द्रीय सरकार को चेतावनी देता हूं और उनसे अपील करता हूं कि वे यह देखें कि इन गरीब लोगों का कहीं शोषण न हो। यहां तक कि सेनाओं के मामले में भी उनसे द्वितीय श्रेणी के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जाता है। यहां तक कि अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति के मामलों में भी आदिवासियों का कहीं स्थान ही नहीं है। बिहार में बहुत से आदिवासी हैं। पुलिस और प्रशासन में वहां उनकी क्या संख्या है? छोटा नागपुर, सन्थाल परगना और सिंहभूम सर्वथा आदिवासी जिले हैं। परन्तु उनमें से कितने लोग सरकारी सेवाओं में हैं? मैं तो कहूंगा कि कोई भी नहीं है। उत्तरी बिहार से वे बाहर के लोग वहां आते हैं जिनके हृदय में आदिवासी संस्कृति, भाषा और रहन-सहन के लिये कोई जगह नहीं है। ये लोग तो अंग्रेजों से भी गये गुजरे हैं। वे आदिवासियों का शोषण करने, उन्हें लूटने वहां जाते हैं और आदिवासी स्त्रियों के साथ बलात्कार करते हैं। अतः इस बारे में सावधान रहिये। यह तो चेतावनी की पहली घण्टी है। पुलिस ने 15 लोगों की हत्या की है। आपका कहना है कि झगड़ा हो गया था तो और कौन मारा गया? इस बात का आपने उल्लेख नहीं किया है। इसके लिये जिम्मेदार पुलिस कर्मियों को अब तक गिरफ्तार अथवा बरखास्त क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि मृतक आदिवासी थे, इसलिए आपने कोई कार्यवाही नहीं की। यदि ऐसी घटना पंजाब में घटी होती तो मंत्री लोग तुरन्त वहां पहुंचते। यदि ऐसा और कहीं होता तो आपकी रातों की नींद हराम हो जाती। अब क्योंकि वे आदिवासी हैं तो आपको कुछ नहीं करना है और आप चलती बात कर रहे हैं।

आप मिशनरियों को दोष देते हैं। यदि मिशनरी वहां नहीं होते तो आदिवासी कभी के नेस्तनाबूद हो गए होते। आप मेघालय की ही बात लीजिये। वहां आपकी सरकार है और यह गर्व से कह रही है कि उसने बहुत से आदिवासी लोगों की भर्ती की है। क्या यह आपने किया है? मिशनरियों ने ही इन लोगों को शिक्षित किया है। उनके हृदय में आदिवासी भाषा एवं संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना है और इसीलिए उन्होंने आदिवासियों की सहायता की है। अब आपकी सरकार को आदिवासियों के कल्याण के प्रति और अधिक चिन्तित होना चाहिए। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में मिलाया जाना चाहिये। आदिवासियों के मामले में राजनीति को बीच में नहीं घसीटना चाहिए। उनके कल्याण के नाम पर बहुत सारा धन खर्च किया जा रहा है। यह आप किसके लिए खर्च कर रहे हैं? आप कभी भी किसी प्रकार का अभिलेखा नहीं मंगाते हैं। इस धन में से कितने से उन्हें लाभ पहुंचा है? आपके पास इसका कोई रिकार्ड नहीं है। आपको तो इसी से सन्तोष है कि करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। परन्तु आदिवासियों को आपकी सहायता नहीं चाहिए, उन्हें तो राजनीतिक अधिकार चाहिए। वे चाहते

[श्री पीयूष तिरकी]

हैं कि उनका अस्तित्व बना रहे और वे अपने पैरों पर खड़े हो जायें। उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। उन्हें भ्रष्ट सरकार नहीं चाहिए और वे भ्रष्ट अधिकारी भी नहीं चाहिए जो यहां उनका शोषण करने के लिए जाते हैं।

अब मैं प्रश्न पूछूंगा और कुछ मैं पहले ही पूछ चुका हूं। क्या आप नेताओं के साथ बैठने को गंभीरता से लेते हैं ? मैं नेताओं के नाम भी बताऊंगा। वे पुलिस को निर्देश भेजते हैं कि उनके नेताओं की हत्या कर देनी चाहिए और किसी प्रकार का नेतृत्व पनपना नहीं चाहिए। आपने दो या तीन नेताओं के नाम भी गिनाये हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उन नेताओं के साथ बैठें और कोई आपसी हल निकालें। मैं कुछ नाम बताऊंगा। वे हैं नारायण जोंको, कृष्ण हेमरों, आनन्द टोप्पनो, सुराज मण्डल और सिभू सोरंग। वे ख्याति प्राप्त लोग हैं और बिहार सरकार ने बताया है कि कैसे भी हो उन्हें मौत के घाट उतारा जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश भेजे हैं, "यह आपका कर्तव्य है कि कोई भी आदिवासी नेता, वह चाहे किसी भी दल का क्यों न हो, बचने न पाए। अन्यथा स्थिति बिगड़ जाएगी।" अतः यदि हल ढूंढने की बात आपके मन में स्पष्ट है तो आप इन लोगों के साथ बैठकर समस्या हल कीजिए और कार्यक्रम तैयार कीजिए। अभी भी समय है। यदि इसी प्रकार चलता रहा तो यह पंजाब या असम अथवा तमिल और या फिर गुजरात का रास्ता पकड़ सकता है। इसीलिए, महोदय मैं लगातार मंत्री महोदय को बता रहा हूं कि उन्हें उन नेताओं के साथ बैठकर समस्या का हल ढूंढ निकालना चाहिए जो कि समस्या को हल करने की स्थिति में हैं।

उन्होंने अपने कानूनों और रीति-रिवाजों को जारी रखने की मांग की है। आदिवासियों के सामान्य विधियों का सम्मान किया जाना चाहिए। आपने वहां अपनी पंचायत बैठा दी है जो कि भ्रष्ट लोगों की है। आदिवासियों को आपकी पुलिस और न्यायपालिका में कोई विश्वास नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको खरीदा जा सकता हैं। हमारे देश में न्याय खरीदा जा रहा है तो आप कैसे आशा कर सकते हैं कि आदिवासी न्याय पा सकते हैं ? आपकी पुलिस को खरीदा जा सकता है। आपकी पुलिस यहां भी और वहां भी केवल उनकी ही सहायता करती है जिनके पास धन है और उन्हें धन चढ़ा सकते हैं। पुलिस केवल उन्हीं की सहायता के लिए जाती है जो उनको अच्छा खाना-पीना दे सकते हैं। इसीलिए तो गरीब आदिवासियों को तंग किया जाता है और मौत के घाट उतार दिया जाता है। आपको वह सब तुरन्त बन्द करना चाहिए।

बिहार के विपक्षी दल ने बिहार सरकार की बर्खास्तगी की मांग की है। बिहार एक जातिवाद को मानने वाला राज्य है और वे जातिवाद पर चलते हैं। इस प्रकार की सरकार को बिहार पर शासन करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। हमारे यहां प्रजातंत्र है और हम जाति या धर्म की लीक नहीं पीटते हैं। यदि बिहार मतदान प्रणाली जातिवाद पर चलती है और अभी भी चल रही है और चलती रहेगी तो बिहार पर शासन करने में सरकार अपने नाम को सार्थक नहीं करेगी और उसे तुरन्त बर्खास्त कर दिया जाना चाहिये।

श्री एस०बी० चव्हाण : मैं केवल दो मुद्दों को स्पष्ट करना चाहूंगा।

प्रथम तो दिवंगत भूतपूर्व-सांसद के बारे में सूचना जो कि दी जानी चाहिये। मैं स्वयं यह पता करूंगा कि क्या गृह मंत्रालय सभी सांसदों के बारे में सूचना देता है और यदि हां तो, ऐसा क्यों हुआ कि एक आदिवासी भूतपूर्व सांसद के साथ ऐसा भेद-भाव क्यों बरता गया। मैं नहीं समझता कि यह बात सच होगी। परन्तु फिर भी जब तक मैं इसका पता नहीं लगा लेता तब तक इस मामले पर सार्थक रूप से कुछ कहना मेरे लिए असंभव है।

द्वितीय प्रश्न बिहार सरकार से यह पूछे जाने के बारे में है कि वह आदिवासियों को भूमि वापिस दिलाने के कानून को लागू करने में कहां तक सफल रही है जो भूमि सामान्यतः गैर-आदिवासी लोगों को नहीं दी जानी चाहिए थी। यदि गैर-आदिवासियों ने इस भूमि को इस तथ्य के बावजूद खरीद लिया है कि इस भूमि के हस्तान्तरण पर पाबन्दी है और यदि उन्होंने भूमि को वापिस करने का फैसला कर लिया हो तो हम निश्चय ही इस बात पर ध्यान देंगे कि उन्होंने इस मामले में क्या प्रगति की है।

जब मैंने आदिवासियों की कल्याण योजनाओं के बारे में विभिन्न लोगों से सलाह-मशविरे की बात की है तो जो कोई भी हमें ठोस सुझाव देने के लिए तैयार है जिससे कि दलाल या बिचौलिए उस धन को न हड़प जायें जो आदिवासियों के कल्याणार्थ दिया जा रहा है और यदि किसी भी वर्ग के लोग कोई सुझाव दे सकते हैं तो हम समाज के किसी भी वर्ग की ओर से किसी भी सुझाव का स्वागत करने को तैयार हैं।

मुझे उन नामों के बारे में पता नहीं है जिन्हें माननीय सदस्य ने गिनाया है परन्तु हमारे पास आदिवासी चुनाव-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद तो हैं। वे निश्चित रूप से अपने सुझाव रख सकते हैं और वे पहचान सम्बन्धों के बारे में जो भी सुझाव रखेंगे कि आदिवासियों को पूरा-पूरा लाभ मिले तो हम उसका स्वागत करेंगे।

श्री पीयूष तिरकी : अपने उत्तर में आपने कहा है कि कोई मुक्ति-मोर्चा वहां पर नेतृत्व कर रहा है और आपने नाम दिए हैं। मेरा अनुरोध यह है कि आप उन्हें बुलाइये और पता लगाइए कि उनकी क्या कठिनाइयां हैं।

श्री एस०बी० चव्हाण : श्रीमती रामदुलारी सिन्हा उस क्षेत्र में जा रही हैं। उनके साथ कुछ अधिकारी भी जा रहे हैं। वह निश्चित रूप से यह पता लगाने का प्रयास करेंगी कि वे कौन लोग हैं जिनसे उन्हें इस मामले में बातचीत करनी चाहिए। वह निश्चय ही वहां का दौरा करेंगी और सही जानकारी हासिल करेंगी।

मैं इन्हीं मुद्दों को स्पष्ट करना चाहता था।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : बिहार सरकार को बर्खास्त करने के बारे में की गई मांग का क्या हुआ?

श्री पीयूष तिरकी : झारखंड की मांग का क्या हुआ ?

श्री एस०बी चव्हाण : मेरे विचार से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना से इसकी कोई संगति नहीं है।

श्री पीयूष तिरकी : यह संगत है क्योंकि यही झगड़े की जड़ है।

1.39 म०प०

कार्य मन्त्रणा समिति

छठा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 22 अप्रैल, 1985 को सभा में पेश किये गये कार्यमन्त्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन से, इस संशोधन के अध्ययधीन कि प्रतिवेदन के पैरा 3, पंक्ति 3 में, "शुक्रवार 26 अप्रैल, 1985" शब्दों के स्थान पर 'सोमवार, 29 अप्रैल, 1985' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएं, सहमत है।"

अर्थात् विदेश कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री 26 अप्रैल के बजाय 29 अप्रैल को श्रीलंका पर एक वक्तव्य देंगे और उसके बाद उस पर चर्चा होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 22 अप्रैल, 1985 को सभा में पेश किए गए कार्यमन्त्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन से, इस संशोधन के अध्ययधीन कि प्रतिवेदन के पैरा 3, पंक्ति 3 में "शुक्रवार 26 अप्रैल, 1985" शब्दों के स्थान पर 'सोमवार, 29 अप्रैल 1985' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं, सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अतः इस प्रतिवेदन को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाता है।

1.40 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) गोपालपुर से खेरियन रोड़ रेलवे स्टेशन के निकट उड़ीसा की सीमा तक एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की आवश्यकता, जो मध्य प्रदेश जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 से रायपुर पर मिले

[अनुवाद]

श्री जगन्नाथ पटनायक (कालाहांडी) : महोदय उड़ीसा के खनिज और वन संसाधनों के

विकास के लिए सड़कें, रेलवे और बन्दरगाह जैसी आधारभूत ढांचे की सुविधाओं का विकास एक अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। फूलबनी, कालाहांडी, कोरापुट जिलों और गन्जम जिले के पश्चिमी भाग सहित, राज्य का पश्चिम-केन्द्रीय क्षेत्र को जो कि मुख्यतया आदिवासियों का गढ़ है और जिसमें खनिज संसाधनों तथा वन उत्पादनों की भारी क्षमता है, राष्ट्रीय राज मार्ग के लाभ से और आर्थिक लाभ से वंचित रखा गया है।

इस आदिवासी पट्टा की उन्नति के विचार से, उड़ीसा सरकार ने 1983 में गोपालपुर से उड़ीसा की सीमा, निकट खारां रोड़ रेलवे स्टेशन तक एक नये राष्ट्रीय राजमार्ग के बनाने का प्रस्ताव किया था जो कि मध्य प्रदेश में घुसते हुए रायपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 6 को जोड़ेगा। भारत सरकार को इस दिशा में इसके पक्ष में निर्णय लेना चाहिए।

(दो) सरयू नदी पर एक रेल पुल का निर्माण करने और मानकपुर-इलाहाबाद रेल लाइन को मुख्य लाइन में बदलने की मांग

[हिन्दी]

श्री निर्मल खत्री (फैजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान फैजाबाद क्षेत्र में रेल सुविधाओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। पिछले पचास वर्षों से कोई भी बड़ा नया सुधार यहां रेलवे में नहीं किया गया। यहां के नागरिकों की मांग को देखते हुए व क्षेत्र के विकास के लिये यह आवश्यक है कि अयोध्या में सरयू नदी (घाघरा) पर रेल पुल बनाकर उसे पूर्वोत्तर रेलवे के कटरा स्टेशन से जोड़ दिया जाए और मनकापुर से अयोध्या, फैजाबाद ,सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ होकर इलाहाबाद तक जाने वाली लाइन को मुख्य लाइन में परिवर्तित कर दिया जाए ताकि यह क्षेत्र देश के सभी भागों से जुड़ जाए। ऐसा करने से गोरखपुर, उत्तरी बिहार का दक्षिण भारत से सीधा संपर्क भी हो जायेगा एवं इस पिछड़े इलाके के विकास में भी सहायक होगा।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि अयोध्या क्षेत्र की धार्मिक महत्ता को देखते हुए यहां आने वाले तीर्थ-यात्रियों व पर्यटकों की सुविधा के लिए उक्त कार्य कराने का कष्ट करें। इसी के साथ अयोध्या व प्रयाग दोनों तीर्थ स्थलों के मध्य एक्सप्रेस गाड़ी को भी चलाया जाए।

(तीन) प्रस्तावित मथुरा-अलवर रेल लाइन का निर्माण तुरन्त तथा अलवर शहर से शुरू करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : महोदय, मथुरा-अलवर (बड़ी लाइन 119.75 कि०मी०) नई रेलवे लाइन को बिछाने की स्वीकृति दे दी गई है और उसका उद्घाटन भूतपूर्व रेल मंत्री द्वारा किया गया था।

इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 3475 करोड़ रुपये लगायी गयी थी। उद्घाटन समारोह रामगढ़ गांव में हुआ था और रेल मंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया था। 1983-84

[श्री राम सिंह यादव]

के रेल अनुपूरक बजट में एक लाख रुपये का वित्तीय नियतन का प्रावधान किया गया था। इण्डियन रेलवे ईयर बुक, 1983-84 में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि मथुरा-अलवर रेलवे लाइन (बडी लाइन 119.75 कि० मी०) स्वीकृत की जा चुकी है और निर्माण कार्य का उद्घाटन किया जा चुका है।

1985-86 के रेल बजट में, मथुरा-अलवर (बड़ी लाइन 119.75) नई रेलवे लाइन के निर्माण के लिए 1,31,84,000/- रुपये का नियतन किया गया है। इस रेलवे लाइन के निर्माण के लिए अलवर और रामगढ़, तहसीलों की कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण अधिकारी, राजस्थान सरकार, जयपुर ने इस रेल मार्ग के लिये भूमि अधिग्रहण करने की कार्यवाही आरम्भ कर दी है। किन्तु यह कार्यवाही शीघ्र पूरी करने तथा अलवर नगर से गिर्माण कार्य तत्काल आरम्भ किये जाने की आवश्यकता है।

अत: माननीय रेल मंत्री, महोदय, से मेरा अनुरोध है कि इस निर्माण कार्य को तत्काल आरम्भ किया जाए और इसका निर्माण अलवर नगर से आरम्भ किया जाए।

(चार) कुछ प्रतीक्षारत स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए विचाराधीन पड़े आवेदन पत्रों को निपटाने के लिये विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता

श्री नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : अनेक स्वतन्त्रता सेनानी। आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिक वृद्धावस्था को प्राप्त हो गये हैं और अपनी स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन की स्वीकृति की प्रतीक्षा में हैं। उनमें से अनेक मृत्यु के निकट हैं। इसलिये, यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार पेंशन के सभी मामलों को निपटाने के लिए एक विशेष अभियान चलाये और यह सुनिश्चित करे कि सारहीन आधारों, आपत्तियों। सत्यापनों के कारण अनिर्णित पड़े आवेदनों को शीघ्रता से निपटाया जाए।

केन्द्रीय गृह मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि यह अभियान तत्काल चलाया जाय।

(पांच) पारादीप पर बिना और विलम्ब किये मत्स्य पत्तन स्थापित करने की आवश्यकता

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : पारादीप में एक आधुनिक मत्स्य पत्तन स्थापित करने का प्रस्ताव 1972 में रखा गया था। उड़ीसा सरकार केन्द्रीय मंत्रियों के स्तर से विभिन्न अवसरों पर इस मामले को उठाती रही है। पारादीप में एक मत्स्य पत्तन बनाये जाने के हित में योजना आयोग का कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुकी है।

पारादीप में मत्स्य पत्तन के विकास सम्बन्धी प्राक्कलन 9 वर्ष पूर्व भारत सरकार को भेजे गये थे। भूतपूर्व केन्द्रीय कृषि मन्त्री ने इस सभा में इस परियोजना को पूरा करने का आश्वासन दिया था। किन्तु खेद है कि इस प्रस्ताव पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

पारादीप मत्स्य पत्तन का प्राक्कलन समय-समय पर अद्यतन बनाया जाता रहा है। इस समय पारादीप क्षेत्र में 500 नौकाएं चल रही हैं और इन नौकाओं को मुख्य बन्दरगाह की खाड़ी में मुड़ने के लिए लकड़ी के घाटों में अस्थाई रूप से बहुत कम स्थान दिया जा रहा है तथा उन्हें कोई सुविधा भी प्राप्त नहीं है। मत्स्य पत्तन सुविधा के अभाव में इन नौकाओं से पत्तन प्राधिकारियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, परादीप में अविलम्ब एक मत्स्य पत्तन स्थापित किए जाने की नितान्त आवश्यकता है। सम्बन्धित मन्त्रियों से मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कदम उठाये जायें।

(छ:) जग ज्योति बासवेश्वर के जन्मदिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने तथा उनकी मूर्ति संसद भवन के सामने लगाने की आवश्यकता

श्री जी० एस० बसवराजू (टुमकुर) : महोदय, 12वीं शताब्दी में, ब्यस्क अक्षय थाडिगे के शुभ दिन, जो आज पड़ता है, इस देश के महान समाज सुधारक और अर्थशास्त्री श्री जग ज्योति बसवेश्वर का जन्म हुआ था। अपने नेतृत्व में उन्होंने पूरे राष्ट्र को जोड़ने का प्रयत्न किया था। वह महान समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और दर्शनशास्त्री थे। कार्ल मार्क्स से कहीं अधिक कुशलतापूर्वक उन्होंने इन क्षेत्रों में सुधार किया। उन दिनों उन्होंने वर्गहीन और जातिविहीन समाज की रचना की थी। उनके उपदेश और गीत अनुकरणीय हैं। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने **'अनुभवमण्टप'** नामक संसद का संगठन किया था जहां सभी लोगों को वाद-विवाद में भाग लेने का अधिकार था। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप उच्च तथा निम्न वर्ग के लोग, चाहे उनके व्यवसाय, हैसियत और सम्पन्नता आदि का स्तर कैसा ही क्यों न हो, एक साथ मिलकर बैठ सकते थे। इसके अलावा, उन्होंने उच्च और निम्न वर्गों के लोगों में आपस में विवाह सम्पन्न कराये। राज्य के प्रधान मन्त्री के रूप में वह एक महान प्रशासक थे और वह सरल और विनम्र स्वभाव के थे। उन्होंने लोगों को काम करना, रोटी कमाना और भोजन करना अर्थात्। **'काम ही पूजा है'** सिखाया।

इसलिए अपने प्रिय एवं माननीय प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी से मेरा अनुरोध है कि श्री जग ज्योति बासवेश्वर की विचारधारा के अनुरूप समाजवादी ढांचे के आधार पर अपने देश के सामाजिक उत्थान के लिए निम्नलिखित कार्यवाही तत्काल की जाये :—

(1) स्वास्थ्य समाज की सृष्टि के लिए उनके प्रवचनों को अमृत्व प्रदान करने के लिए उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाए।

(2) उनकी मूर्ति संसद भवन के सामने स्थापित की जाये जिससे सभी लोगों को उनके प्रवचनों और कार्य-कलापों से प्रेरणा मिले।

(3) उनके तथा उनके समकालीन अन्य महान पुरुषों और महिलाओं के सभी लेखों का, जो इस समय कन्नड़ भाषा में हैं, राष्ट्र की और विश्व की सभी भाषाओं में अनुवाद कराया जाय और विश्व-भर में प्रकाशित कराया जाय जिससे इस विश्व में मानव मात्र के लिए एक ऐसे वातावरण की सृष्टि हो जिसमें वह आराम से अपना जीवन यापन कर सकें।

(4) उनका जन्म-स्थान, उनके प्रवचन स्थान और उनकी कार्य-स्थलों को देश के प्राचीन

स्मृति चिन्ह के रूप में घोषित किया जाय जिससे वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों के मस्तिष्क में उनका प्रेरणा स्रोत सुरक्षित रह सके।

(सात) कोयम्बटूर को हर रोज इस्पात सामग्री लाने-ले जाने के लिए ज्यादा माल डिब्बे आबंटित किये जाने की आवश्यकता

श्री एन० सुन्दरराजन (शिवकाशी) : महोदय, तमिलनाडु के कोयम्बतूर जिले में लगभग 400 फाउंड्रियां हैं। कच्चा माल, अर्थात् कच्चे लोहा के उपलब्ध न होने के कारण फाउंड्रियां बन्द होने के कगार पर हैं जिससे कोयम्बतूर के हजारों श्रमिक बेकार हो जायेंगे।

इन फाउंड्रियों को हर महीने 5000 टन कच्चे लोहे की आवश्यकता होती है। गत कुछ महीनों से पूर्ण मात्रा में कच्चा लोहा उपलब्ध नहीं है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण मद्रास और कोयम्बतूर के अधिकारियों का यह कहना है कि परिवहन के लिये माल डिब्बों की कमी के कारण इन फाउंड्रियों को कच्चा लोहा नहीं मिल पा रहा है।

इसलिए माननीय रेल मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस्पात सामग्री को नित्य लाने-ले-जाने के लिए युद्ध स्तर पर कोयम्बतूर को पर्याप्त माल-डिब्बे आबंटित किए जायें।

(आठ) कर्नाटक के हसन जिले के शान्ति ग्राम मन्दिरों का प्रबन्ध पुरातत्व विभाग को सौंपने का निदेश देने की आवश्यकता

***डा० बी० वेंकटेश** (कोलार) : कर्नाटक राज्य के हसन जिला में स्थित शांति गांव, 11वीं शताब्दी की प्रसिद्ध नर्तकी शांतिदेवी के नाम से विख्यात है, जो होसाल साम्राज्य के राजा विष्णु वर्द्धन की पटरानी थी। इस गांव में सोमकेशव मन्दिर, योगनरसिम्हा मन्दिर और एक जैन मंदिर है, जो होसाल राजाओं के वस्तुशिल्प सौंदर्य की यादगार है। ये यादगार हसन गांव से लगभग 10 मील दूर तथा जैन देवता गोमतेश्वर के निवास स्थान श्रवण बे लगोला के रास्ते में स्थित हैं। ये तीन मन्दिर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं तथा 20वीं शताब्दी की बर्बरता के शिकार हुए हैं वास्तव में जैन मन्दिर गत अनेक वर्षों से बन्द पड़ा था। क्रमश: हालेबीडू, बेलूर और श्रवणबेलगोला में स्थित चेन्नाकेशव मन्दिर, होसलेश्वर तथा शांतालेश्वर मन्दिर और गोमतेश्वर के महान मन्दिरों ने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अष्टप्त कला प्रेमियों को आकर्षित किया है। शांतिग्राम के मन्दिरों की केन्द्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है।

मैं शिक्षा मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह पुरातत्व विभाग को निदेश दें कि वह इन मन्दिरों को अपने संरक्षण में तत्काल लें और उन मन्दिरों को सुरक्षित रखें।

(नौ) गोरखपुर जिले में किसानों को डीजल की पर्याप्त आपूर्ति की व्यवस्था करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद (बांसगांव) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत

* मूल कन्नड में दिए गए वक्तव्य के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

निम्नलिखित सूचना देना चाहता हूं।

आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार का ध्यान गोरखपुर जनपद में डीजल की कमी की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। श्रीमान् इस समय जब कि गेहूं की मड़ाई काफी जोरों से चल रही है, मेरे सम्पूर्ण जनपद में तथा पूर्वान्चल में डीजल का अभाव चल रहा है जो कि किसानों के लिए काफी कष्टदायक है। कारण कि प्रकृति भी किसानों का साथ नहीं दे रही है क्योंकि बीच-बीच में मौसम खराब हो रहा है और साथ ही साथ सम्पूर्ण प्रदेश में विद्युत की काफी कमी हो गई है। ऐसी दशा में बेचारे किसानों के लिए रामायण की वह चौपाई चरितार्थ हो रही है कि "गृह ग्रहित पुनि बात बस, तापर बिछी मारि। ताहि बिजावे वाहनि, कहू कौन उपचार।" अर्थात् किसानों की हालत काफी दयनीय हो गई है।

अत: आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से निवेदन करूंगा कि अविलम्ब किसानों की रक्षा के लिए डीजल की भरपूर व्यवस्था की जाए।

————

1.52 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86 (—जारी)

संचार मन्त्रालय

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय, : अब सभा संचार मन्त्रालय की मांग संख्या 14 से 17 को चर्चा और मतदान के लिए लेती है जिसके लिए 4 घंटे का समय आबंटित किया जाता है।

इस सभा में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के अनुदान की मांगों से संबंधित कटौती प्रस्ताव परिचालित किये जा चुके हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं, तो वे जिन कटौती प्रस्ताव को रखना चाहते हैं, उनका क्रमांक दर्शाते हुए अपनी पर्ची 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर भेज दें।

यथा प्रस्तावित कटौती प्रस्ताव का क्रमांक दर्शाने वाली सूची शीघ्र सूचना पटल पर रख दी जायेगी। यदि किसी सदस्य को सूची में किसी गलती का पता चले तो वह उसे पटल अधिकारी को अविलम्ब बता दे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि संचार मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 14 से 17 के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई

राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक लेखानुदान राशियां संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये ।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत संचार मन्त्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1985-56

मांग संख्या	मांग का नाम	25 मार्च, 1985 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
संचार मन्त्रालय					
14.	संचार मंत्रालय	92,46,000	7,12,33,000	4,62,3,000	35,61,67,000
15.	विदेशी संचार सेवा	7,54,20,000	2,33,33,000	37,71,00,000	11,66,67,000
16.	डाक सेवाएं	1,31,59,16,000	5,91,33,000	6,57,95,84,000	29,56,67,000
17.	दूर संचार सेवाएं	2,43,73,33,000	1,51,59,83,000	12,18,66,67,000	7,57,99,17,000

डा० श्री विजय रामा राव (सिद्दीपेट) : दूरसंचार के विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को इस सभा के समक्ष रखने का अवसर दिये जाने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

हमारी छठी योजना पूरी हो चुकी है और सातवीं योजना आरम्भ हो चुकी है । इसलिए, यह उचित समय है कि हम छठी योजना के प्रारम्भ में निर्धारित किये गये लक्ष्यों के बारे में इसका अनुमान लगा लें कि हम इन लक्ष्यों की प्राप्ति में कहां तक सफल रहे हैं और कहां तक असफल । इस प्रकार के मूल्यांकन से हमें अपनी कमियों और सीमाओं का पता चल जायेगा ।

टेलीफोन उपभोक्ता उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं । हाल में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार टेलीफोनों की मांग जो 1980 में 24 लाख डी० ई० एल० थी 1985 में बढ़कर 55 लाख हो गई है और 1990 तक बढ़कर लगभग 81 लाख डी० ई० एल० हो जायेगी । बढ़ती हुई मांग के अनुरूप टेलीफोनों की सप्लाई संतोषजनक नहीं हो पा रही है ।

इस प्रकार देश में टेलीफोनों की मांग और सप्लाई के बीच भारी अन्तर है। महोदय, संचार सेवा संपूर्ण राष्ट्र के मानव जीवन के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि संचार सेवा अच्छी होगी तो समय और शक्ति की बचत होगी और शीघ्र ही कार्य पूर्ण हो जायगा।

मैं सभा का ध्यान इस बढ़ते हुए अन्तर की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस समस्या के बारे में मन्त्रालय से जब भी स्पष्टीकरण देने को कहा जाता है। हर बार यही बहाना बनाया जाता है कि कार्य के विस्तार के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी है और वह अपनी अक्षमताओं और अनियमितताओं को स्वीकार नहीं करता।

इसके अलावा पहले से ही विद्यमान टेलीफोन नेटवर्क के लिए घटिया किस्म की सेवा बहुत समय से एक समस्या बनी हुई है। अधिकतर टेलीफोन प्रायः या तो ठीक काम नहीं करते अथवा खराब रहते हैं। हमारे देश में टेलीफोन के काम को संभालने के लिए दूरसंचार इन्जीनियरों की बहुत बड़ी संख्या है परन्तु उन्हें वर्तमान नेटवर्क की समस्याओं और दोषों की ठीक-ठीक पहचान ही नहीं और इसलिए वे उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं।

महोदय, हम विकास शील देशों को परामर्श सम्बन्धी सेवा दे रहे हैं। हम नवीनतम इलैक्ट्रानिक्स प्रणाली को अपनाने की योजना बना रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी इतनी विकसित हो चुकी है कि मनुष्य चांद पर उतर सकता है परन्तु हम अपने टेलीफोन नेटवर्क की खामियों को भी नहीं सुधार सकते तथा अनेक वर्षों के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी टेलीफोन सेवा की व्यवस्था नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए मेरे चुनाव क्षेत्र जोदीमातला में जो कि भारत का एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है तथा एशिया में चौथे नम्बर पर है, वहां भी एक करचल (मैनुअल) टेलीफोन एक्सचेंज है। वहां जब भी हम फोन का चोगा उठाते हैं तो टेलीफोन एक्सचेंज से कोई उत्तर मिलने से पहले ही हम से कोई व्यक्ति दूसरा ही नम्बर पूछेगा अथवा हमें कोई और बातचीत सुनने को मिलेगी। यही नहीं बल्कि दिल्ली से भी मैंने अनेक बार प्रातःकाल और सांयकाल अपने घर टेलीफोन मिलाने का प्रयत्न किया परन्तु 15 दिन तक प्रयत्न करने के बाद भी मेरा टेलीफोन नहीं मिल। यद्यपि हमारे कुछ विदेशों की राजधानियों से भी टेलीफोन सम्पर्क हैं फिर भी हम भारत में अपने ही कुछ शहरों और गांवों से सम्पर्क नहीं कर सकते। मैंने जिस समस्या का उल्लेख किया है वह केवल मेरे चुनाव क्षेत्र तक सीमित नहीं बल्कि प्राय: सभी ग्रामीण क्षेत्रों में यही स्थिति है तथा शहरों में भी कुछ लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं।

इसका मुख्य कारण क्या है। टेलीफोन विभाग में कार्यालयों से बाहर कार्यरत अधिकतर स्टाफ में दैनिक मजदूर हैं जो कि अकुशल भी हैं। अत: गैर-तकनीकी और अकुशल लोग आधुनिकतम टेलीफोन नेटवर्क को जो ठीक से नहीं संभाल पा रहे अथवा उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 80-90 प्रतिशत दूर संचार सुविधायें शहरी क्षेत्र तक ही सीमित हैं जबकि हमारी 80 प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है। उन पर आग, तूफान, बाढ़ जैसी अनेक आपात विपत्तियां आती रहती हैं परन्तु उनके पास दूर संचार की सुविधा नहीं है जिनके

[श्री विजय रामाराव]

परिणामस्वरूप उन्हें बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह दूर संचार प्रणाली का बिस्तार ग्रामीण क्षेत्र में भी करें ताकि हमारे देश का आधार स्तंभ इस सुविधा का कुछ हद तक उपयोग कर सके।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के वर्ष में डाक्टर, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता आदि जैसे लोक सेवोन्मुख पेशे के लोगों को टेलीफोन के लिए आवेदन करने के कुछ दिन बाद ही टेलीफोन मिल जाया करता था। परन्तु, आज, स्वतंत्रता प्राप्ति के 37 वर्ष बाद हमारे आदमी लोगों के अपना निवास स्थान बदलने पर, उनके टेलीफोनों को अन्तरित करने की भी व्यवस्था नहीं कर सकते। आज हमें इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

2.00 म०प०

दो वर्ष पूर्व संसद में यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक टेलीफोन प्रयोक्ता को, टेलीफोन का उपयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को टेलीफोन सर्विस कार्ड दिया जाएगा। परन्तु इस घोषणा का कुछ भी नहीं बना। शायद आपको पता हो, ब्रिटेन में टेलीफोन का कुछ भी किराया नहीं लिया जाता। परन्तु यहां क्या होता है कि जब आपका टेलीफोन काम भी नहीं कर रहा हो, तब भी आपको गलत बिल देने के लिए कहा जाता है। आपको गलत बिल प्राप्त होता है और बेशक आपका टेलीफोन काम न कर रहा हो, आपको बिल की रकम अदा करनी ही पड़ती है। यहां इस तरह की बातें हो रही हैं। उनको बढ़िया काम के लिए रकम देने के बजाय हम उन्हें टेलीफोन व्यवस्था के निकम्मे काम के लिए रकम दे रहे हैं।

हम यह भी देखते हैं कि बहुत से उच्च अधिकारियों और मंत्रियों के कार्यालयों में अथवा घरों पर 3 अथवा 4 टेलीफोन होते हैं। मैं नहीं समझता कि एक ही व्यक्ति एक समय में 3 अथवा 4 टेलीफोनों का उपयोग कर सकता है। कोई भी व्यक्ति एक समय में तीन अथवा चार टेलीफोनों को काम में नहीं ला सकता। अतः पता नहीं वे क्यों 3 अथवा 4 टेलीफोनों का प्रयोग करते हैं। शायद यह इसलिए कि वे टेलीफोन व्यवस्था की ईमानदारी पर अथवा टेलीफोन व्यवस्था की दक्षता पर भरोसा नहीं कर रहे।

हम तार भेजते हैं। परन्तु तार संबंधित व्यक्ति के पास पहुंचता कब है? यह संबंधित व्यक्ति के पास कई सप्ताह के बाद पहुंचता है। और पत्रों के बारे में स्थिति क्या है? पत्र एक महीने बाद अथवा दो महीने बाद पहुंचते हैं। पार्सलों की स्थिति क्या है? आपको पार्सल का कवर तो मिलता है परन्तु उसके अन्दर की वस्तु गायब होती है। सम्पूर्ण व्यवस्था का यही हाल है। क्या हम इस व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते?

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे सुझावों पर ध्यान दें तथा जहां आवश्यक हो वहां शीघ्र कार्यवाही करें।

धन्यवाद।

कटौती प्रस्ताव

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि डाक सेवायें शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

पश्चिम बंगाल में खड़गपुर में गोलबाजार में डाकघर खोलने की आवश्यकता, जिसे 3 वर्ष पूर्व स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा तथा जिसके लिये रेल विभाग ने एक उपयुक्त भू-खंड आबंटित कर दिया है। (6)

"कि डाक सेवायें शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

देश में टेलीफोन सेवाओं में सुधार लाने की आवश्यकता (10)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

सरकारी परिषद (संयुक्त सलाहकार तंत्र, सरकारी पक्ष) की त्रैमासिक आधार पर नियमित बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता। (13)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

कैंटीन कर्मचारियों को ग्रेच्युटी दिए जाने की आवश्यकता। (29)

उपाध्यक्ष महोदय : उपर्युक्त कटौती प्रस्ताव भी सदन के समक्ष हैं।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर (हमीरपुर) : मैं माननीय संचार राज्य मंत्री द्वारा इस सदन में प्रस्तुत की गई वर्ष 1985-86 की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

समीक्षाधीन रिपोर्ट वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के लिए इकट्ठी ही बना दी गई है तथा अनुदान मांगें वर्ष 1985-86 के लिए हैं।

यह रिपोर्ट निस्संदेह एक अच्छा दस्तावेज है जिसमें कुछ उपलब्धियां दी गई हैं तथा कुछ कठिनाइयों पर प्रकाश डाला गया है।

डाक विभाग के कार्यकरण का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है शाखा डाकघर खोलना। एक वर्ष में 62 शाखा डाकघर खोलना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसी वर्ष में खोले गए शाखा डाकघरों की संख्या में न्यूनतम है।

फिर भी इसके लिए विभाग को दोष नहीं दिया जा सकता। नए पदों के सृजन तथा विद्यमान रिक्तियों को भरे जाने पर प्रतिबन्ध लगा होना ही प्रमुखतया इस असंतोषजनक कार्य के लिये जिम्मेदार है।

महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि एक ग्रामीण-क्षेत्रोन्मुख विभाग के मामले में भी वित्त

[प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर]

मंत्रालय इतनी कठोरता क्यों बरतता है। एक डाकघर ही तो है जिसकी कोई भी गांव आकांक्षा कर सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के कई वर्षों के बाद भी यदि वित्त मंत्री को गांव को एक डाकघर की सुविधा देने से वंचित करने में मजा आता है तो यह उचित नहीं। एक शाखा डाकघर में केवल दो या तीन घंटे ही काम होता है। अतः ग्रामीण जनता के लिए शाखा डाकघर खोलने पर आपको अनिच्छा नहीं प्रकट करनी चाहिए, वित्त मंत्रालय को सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत की ग्रामीण जनता के साथ कोई अन्याय न हो।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्रालय द्वारा लगाए गए प्रतिबन्ध के कारण विभाग की कार्य-कुशलता घट रही है। मैं संचार राज्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इन सभी बातों को हमेशा के लिए निपटाने के लिए तथा इस पर निर्णय करने के लिए वित्त मंत्रालय, प्रधानमन्त्री, योजना आयोग और अन्य सभी उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत करने में अपने पद का सदुपयोग करें। वे इन बातों को उस तरीके से लागू करें जिस तरीके से हम प्रायः ग्रामीण लोगों की सेवा करने की अपनी मंशा की घोषणा करते हैं।

महोदय, यह किसी के लिए भी सोचने की बात है कि इस देश में एक शाखा कार्यालय खोलने अथवा एक टेलीफोन केन्द्र खोलने की बजाय एक टी०वी० टावर लगाना क्यों अधिक महत्वपूर्ण है। प्रतिबन्ध का परिणाम बहुत ही निराशाजनक रहा है और मैं आपको बता दूं कि उन व्यक्तियों के मामले में भी नियुक्तियां नहीं की गई हैं जिनको प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आज एक वर्ष से अधिक से इस प्रतिबन्ध ने डाक नेटवर्क और दूर संचार कार्य के विकास को निष्प्रभावी बना दिया है तथा विभाग के कार्यकरण की स्थिति बिगड़ी है। जहां पहले ग्रामीण क्षेत्रों में एक टेलीफोन केन्द्र के लिए एक लाइन मैन नियुक्त था वहां अब प्रतिबन्ध के कारण एक लाइन मैन दो या तीन टेलीफोन केन्द्रों की देख-भाल कर रहा है और इस तरह कार्य-कुशलता में गिरावट आई है। अतः विभाग के लिए जितनी जल्दी प्रतिबन्ध हटाया जाए उतना ही बेहतर होगा। यदि अभी भी प्रतिबन्ध नहीं हटाया जाता है तो मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमन्त्री से अनुरोध करूंगा कि डाक-तार विभाग को इससे पूर्ण मुक्ति दिलाई जाए क्योंकि एक मात्र यही ऐसा विभाग है जो गांव-गांव पहुंचता है जबकि दूसरे विभाग शहरों और नगरों तक ही सीमित हैं।

महोदय, हाल ही में डाक-तार विभाग का विभाजन किया गया है तथा यह एक स्वागतयोग्य निर्णय है। सरीन समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के अनुसरण में समिति ऐसा किया गया है। समिति ने बहुत ही उपयोगी सिफारिशें की हैं जिसमें डाक और दूर संचार विभागों का विभाजन करना भी एक सिफारिश थी। महोदय, डाक विभाग की किसी तरह की अवमानना करने की मेरी मंशा नहीं है क्योंकि यह समाज-सेवा करने वाला विभाग है तथा इससे गरीब आदमी को आशा रहती है कि किसी का पत्र उसे प्राप्त होगा अथवा पत्र उसके किसी सम्बन्धी को मिलेगा। हालांकि डाक विभाग को हानि भी उठानी पड़ती है क्योंकि इस विभाग पर बहुत से सामाजिक दायित्व हैं। इसलिए, जहां मैं इस विभाजन के लिए मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं, वहीं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि

वे दोनों ही विभागों के कार्यकलापों और उत्पादन को दुगुना कर दें क्योंकि सरीन समिति ने कार्य-कुशलता को ध्यान में रख कर ही विभाग के विभाजन की सिफारिश की थी तथा उनका यह भी विचार था कि विस्तार उच्च स्तर पर किया जाए।

महोदय, कुछ छंटाई अनुभागों को बन्द कर दिया तथा चरणबद्ध तरीके से कुछ परवहन (ट्रांजिट) अनुभाग खोले गये। जो माननीय सदस्य संचार मन्त्रालय के कार्यकरण में दिलचस्पी रखते थे उनमें से कुछ सदस्यों को तत्कालीन संचार मन्त्री ने सूचित किया कि यह पता लगाने के लिए एक समीक्षा की जाएगी कि क्या चलती रेलगाड़ियों से छंटाई अनुभाग समाप्त करने तथा स्थिर केन्द्रों पर पारवहन (ट्रांजिट) अनुभाग खोलने से डाक वितरण में वास्तव में तेजी आई है अथवा देरी खत्म हुई है। मुझे इस तरह की कोई बात नजर नहीं आई। मेरा अनुमान है कि कोई समीक्षा नहीं की गई तथा मैं अनुरोध करूंगा कि बाकी अनुभागों को समाप्त करने से पहले यह देखने के लिए एक समीक्षा की जानी चाहिए कि क्या इस युक्ति को लागू करने के फलस्वरूप जन साधारण को किसी तरह का कोई लाभ मिला है अथवा नहीं। यदि उसे कोई लाभ नहीं मिला है तो हमें सम्पूर्ण प्रक्रिया पर पुनर्विचार करना चाहिए तथा पुनः पुरानी प्रणाली पर लौट आना चाहिए। पहले डाक जल्दी-जल्दी बांटी जाती थी।

आजकल मैं देखता हूं इसमें देरी की जाती है। मेरा मत सही है अथवा नहीं इसका निर्णय मैं विभाग पर छोड़ता हूं। परन्तु हर स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो भी नई व्यवस्था प्रारम्भ की जाए उससे विभिन्न जगहों पर डाक विस्थापित न हो बल्कि उससे कार्य-कुशलता बढ़े और डाक शीघ्रता से वितरित हो। यदि इससे भी सुधार नहीं होता तो इसमें कोई शुरू से गड़बड़ी है।

इसके परिणाम स्वरूप जो कुछ लोग अस्थायी आधार पर अथवा तदर्थ आधार पर नौकरी पर लगे थे, वे स्थायी नहीं किये गये हैं। अतः उनके मामलों की छान-बीन की जानी चाहिए तथा मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह सुनिश्चित करें कि कम से कम उन गरीब मजदूरों को कोई असुविधा अथवा कठिनाई न हो जिनको नौकरी दिये जाने की आशा में प्रशिक्षण दिया गया था तथा वे चाहे अस्थायी आधार पर अथवा दैनिक मजदूरी के आधार पर ही सही वे नौकरी पर लगे ही रहें।

इसी तरह डाक मण्डल और उप-मण्डल खोलने सम्बन्धी नियमों में संशोधन के बारे में भी मैं तर्क देना चाहता हूं। चूंकि ये नियम मण्डलों और उप-मण्डलों को दो भागों में विभाजित करने के लिए कुल कार्यभार पर आधारित होते हैं, वर्तमान नियम बहुत पुराने हो गए हैं, ये कुछ उपनिवेश संबंधी किस्म के हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पहाड़ी क्षेत्रों, निर्जन क्षेत्रों, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे कुछ क्षेत्रों में नये नियम अपनाए जाने चाहिए, क्योंकि कुल कार्यभर को ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए। ये पहाड़ी क्षेत्र, दूर तक फैले हुए कुछ क्षेत्र उस सीमा तक कुल कार्यभार के नहीं दिखला सकते जिससे डाक मण्डल खोलने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए उद्देश्य यह होना चाहिए कि सेवा और कुशलता अधिक से अधिक उपलब्ध है। इसे इस तरह अनुकूल होना चाहिए कि कुछ समय में कुछ मामलों पर कुल कार्यभार

[प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर]

को समायोजन किया जा सके। उदाहरणार्थ हमारे राज्य में या तीन अथवा चार पड़ोसी राज्यों में होता है कि एक डाक जिले में जहां एक डाक अधीक्षक होता है यदि उसकी गाड़ी बिगड़ जाती है या किसी दुर्घटना में नष्ट हो जाती है तो उसके लिए कोई जीप या गाड़ी उपलब्ध नहीं की जाती। कई वर्षों तक उसे बदला नहीं जाता है और राज्य में कई ऐसे दूर दराज के क्षेत्र होते हैं जिनमें निरीक्षण किया जाना होता है तथा आपके डाक अधीक्षक को बस में जाना पड़ता है और वह इस कारण अधिक निरीक्षण नहीं कर पाता है। परिणामस्वरूप निरीक्षण में ढील, कार्य-कुशलता की कमी होती है तथा इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में डाक विभागों और प्रधान डाक घरों के विभाजन और इसे खोलने के लिए उचित नियम अपनाने की आवश्यकता है।]

इतना अनुभव प्राप्त करने के पश्चात् हमको अपने देश में व्याप्त परिस्थितियां और हमारे भूगोल की स्थिरता के लिए हमें नये नियमों का विकास तथा संशोधन करना चाहिए। हमें पुराने नियमों में संशोधन करना चाहिए जिसे अंग्रेज लोगों ने बनाया था। इंग्लैण्ड की सुन्दरता यह है कि इंग्लैण्ड का कोई भी भाग समुद्र से 70 मील दूर नहीं है। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में हमें इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लोगों के दु.खों को कम करने के लिए नये नियम बनाने चाहिए।

मैं माननीय मन्त्री और उनके पूर्ववर्ती श्री गाडगिल को "आजादी के लिए भारत का संघर्ष" नामक श्रृंखला में स्मारक डाक टिकटों को निकालने की योजना को शुरू करने के लिए बधाई देना चाहता हूं। यह एक योजना है जिसने देश की रचनात्मक कल्पना को आकर्षित किया है। इस श्रृंखला में पहला डाक टिकट 9 अगस्त, 1942 को बम्बई में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की स्मृति में जारी किया गया था। तब से अब तक इस श्रृंखला में भारत के स्वतंत्रता सैनानियों की याद में स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं और यह प्रक्रिया ठीक 1990 तक जारी रहेगी यह बहुत अच्छी श्रृंखला है और मैं इसके लिए विभाग को बधाई देता हूं। मैं श्रीमती इंदिरा गांधी के सम्मान में याद करता हूं जो आज के दिन पिछले वर्ष 23 अप्रैल, 1984 को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय चुनाव क्षेत्र के ज्वालामुखी पर पहाड़ी गांधी, बाबा खुशीराम की याद में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने गई थीं। वह अब नहीं हैं लेकिन उनकी याद हमारे लिए और पूरे विश्व के लिए अनंतकालीन है। और मैं एक बार फिर विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन पर इस तस्वीर को चित्रित करने के लिए विभाग को बधाई देता हूं जिसमें ज्वालामुखी पर श्री गाडगिल से डाक टिकटों की एल्बम को प्रधानमन्त्री जी प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अत इस तरह उस डाक टिकट को जारी करने की यह वर्षगांठ है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इस महान् कार्य को आगे जारी रखेंगे।

हम यह भी चाहते हैं कि श्री वाई० एस० परमार के 80 वें जन्म दिवस पर जो अगले वर्ष है, एक डाक टिकट जारी किया जाये। वह हिमाचल प्रदेश के निर्माता थे जिन्हें हम स्नेहमय शब्दों में हिमाचल निर्माता कहते हैं। श्री परमार ने राज्य के लिए बहुत से सपने देखे थे। भाषाई आधार पर आधारित अस्तित्व के रूप में उन्होंने इसको रखने के लिए मुख्यमन्त्री पद का त्याग किया।

इसलिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश के निर्माता की उपाधि ग्रहण की।

डाक विभाग के बारे में बहुत-सी अच्छी बातें हैं। लेकिन मैं उन कठिनाइयों का उल्लेख करना चाहता हूं जिसका सामना हमारे क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें निम्नतम स्तर के लोगों तक जाना होगा। 1978 में एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें इन मामलों में जहां उनके गांवों में डाक घरों की कमी है वहां डाक घरों का दर्जा बढ़ाने के लिए पंचायत से एन० आर० सी० के प्रस्ताव को स्वीकार करने से विभाग को वंचित किया गया था। मैं समझता हूं कि यह लोकतांत्रिक कदम नहीं था और सरकार ने जो निर्णय लिया था वह भी लोकतांत्रिक नहीं था। 1980 में लोक-तंत्र पुन: स्थापित किया गया था लेकिन इस निर्णय को बदला नहीं जा सका। मैं मन्त्री महोदय से किसी भी पंचायत से जहां यह अस्थाई आधार पर उपलब्ध हो निर्णय को रद्द करने और एन० आर० सी० के प्रस्ताव को स्वीकार कर आधार स्तर पर लोकतंत्र और पंचायत को मजबूत करने का अनुरोध करता हूं। यदि वे कमी को और आगे पूरा करने में असमर्थ हैं तो डाकघरों का दर्जा और आगे कम कर दिया जाना चाहिए। इसका दर्जा अस्थाई रूप से बढ़ाया जाएगा लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोकतंत्र में पंचायत की आवाज को उचित स्थान दिया जाना चाहिए। केवल विधान सभाएं या संसद ही लोकतंत्र को समृद्ध और कायम नहीं रख सकती हैं। पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को भी कुछ महत्व और सम्मान दिया जाना चाहिए।

मुझे खुशी है कि माननीय मन्त्री ने पहले से ही भावनाओं को नोट कर लिया है और श्री गाडगिल जी ने भी पिछली एक बैठक में मुझे आश्वासन दिया है कि इसे किया जाएगा लेकिन इसे अभी तक नहीं किया गया है। इसे किया जाना चाहिए।

इसी तरह मुझे कुछ विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि देश में डाक घर प्रणाली को मजबूत करने का प्रस्ताव है और इसके लिए कुछ प्रोत्साहन देने का विचार है। मैं समझता हूं कि यह बहुत सुखद कदम है। शाखा पोस्टमास्टर जो आय और कमाई संप्राप्ति बचत दिखा सकते हैं, उनके मामले में उनकी पहल के साथ आपका संबंध होना चाहिए तथा उनके वेतन पैकेट आदि में कुछ प्रोत्साहन के रूप में दिया जाना चाहिए ताकि यह प्रणाली प्रचलित रहे। ग्रामीण क्षेत्र में शाखा पोस्टमास्टर की संख्या 1 लाख से अधिक है तथा उनका भाग्य शेष राशि पर ही निर्भर करता है क्योंकि ई० डी० डी० ए० स्टाफ या जैसा कि इसे ई० डी०. स्टाफ कहते हैं, बहुत नगण्य राशि प्राप्त करती है और उनके पास कोई चालबाजी नहीं है। यदि वे ज्यादा कमाते हैं तो आप उन्हें अधिक मत दीजिए। यदि वे कम प्रदर्शित करते हैं तो आप उन्हें दण्ड मत दीजिये। इसका परिणाम यह हुआ कि वे विह्वल हो गये हैं और उनका दर्जा बढ़ाने या पदोन्नति सुनिश्चित करने के लिए एक रास्ता यह है कि पोस्टमास्टर के रूप में उनके क्रियाकलापों या योग्यताओं को उनके कार्य-निष्पादन और बचत-कमाई क्षमता के साथ जोड़ दिया जाए।

संचार मन्त्रालय में दूर संचार क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि यह भविष्य का क्षेत्र है। अब प्रत्येक गांव तीव्र संचार और दूरभाष की आशा करते हैं। पूरे देश को प्रत्येक 5 कि०मी० को घेरे के षडभुज में बांटने के लिए काउंसिल आफ एप्लाइड इक्नोमिक्स रिसर्च के साथ सम्बन्ध

[श्री नारायण चन्द्र पाराशर]

स्थापित करने के बारे में विभाग को बधाई देनी चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक दूरभाष या सार्वजनिक दूरभाष कार्यालय, आप इसे जो भी कुछ कहें, में जाने के लिए 5 मील से अधिक चलना न पड़े। अब, यह विशाल कार्य है और इसे कुशलता से किया जाना चाहिए तथा इसकी रूप रेखा तैयार है। लेकिन धनराशि कहां है ? उन्होंने एक प्रणाली को भी विकसित किया है जिसे एम०ए०आर०आर०एस० या मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो सिस्टम कहते हैं जहां एक सार्वजनिक दूरभाष कार्यालय निकटतम टेलीफोन केन्द्र के साथ गांव का संबंध करेगा। लेकिन इसने कोई प्रगति नहीं की है और हम दूरभाष की प्रगति में बहुत पिछड़े हुए हैं जो इस बात से स्पष्ट है कि विकसित देशों में प्रति हजार लोगों के लिए 900 से अधिक दूरभाष हैं जबकि हमारे निर्धन देश में यह संख्या लगभग तीन है। और भारत में अधिक दूरभाष शहरों में लगाए जाते हैं।

एक अनुमान के अनुसार हमारे देश के ग्रामीण लोगों के लिए केवल 7% दूरभाष उपलब्ध किए जाते हैं और शहरों के लिए 93%। इसे इस रिपोर्ट से भी प्रमाणित किया जा सकता है। है। पृष्ठ 58 और 59 में दो सारणी हैं—सारणी II और सारणीII (जारी) सारणी II में यह बताया गया है कि सभी दूर संचार मंडल में हमारे पास जो सीधी एक्सचेंज लाइनें हैं इनकी संख्या 12,11,264 हैं। जबकि 31 जिलों में जो शहरी क्षेत्र हैं। हमारे पास 14,55,726 लाइनें हैं। अतः इसे यदि साथ-साथ लिया जाए तो 31 जिलों में दूरभाष की संख्या देश के शेष भागों के मुकाबले से अधिक है जो अंतर्निहित विकृति दिखाते हैं।

इस बारे में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार विकास में अधिक धनराशि की आवश्यकता है। मैं दूर संचार क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए आग्रह करता हूं। हमारे देश में संचार क्षेत्र में सकल संचय पूंजी का 1.2% निवेश किया जाता है। जबकि चुने हुए विकसित और विकासशील देशों में 3.52 प्रतिशत का औसत है। यह विशाल आंकड़े हैं और हमारा देश इस निवेश में बहुत नीचे है। केवल 5वीं पंचवर्षीय योजना में दूर संचार ने योजना आयोग के हाथों में निष्पक्षता प्राप्त की और निवेश को तीन गुना बढ़ा दिया गया। आज विभाग ने 7वीं पंचवर्षीय योजना में निवेश के लिए 12,500 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया है और जब तक यह व्यवस्था की जाएगी तब तक हरेक को दूरभाष देना या उचित दूरी के भीतर दूरभाष की व्यवस्था सम्भव नहीं है। मैं योजना आयोग और माननीय प्रधानमन्त्री तथा भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि संचार और दूरसंचार के महत्वपूर्ण क्षेत्र में ध्यान दें क्योंकि लोगों को अपनी आवाज उठाने, राज्य सरकारों की राजधानियों तथा संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियों में अपनी मांगों को उठाने के लिए अनुमति देना अधिक महत्वपूर्ण है। इस काम को करना उनके लिए इतना आसान नहीं हैं। जबकि हम प्रत्येक चीज पर अधिक खर्च कर रहे हैं, हमें इस बारे में सोचना चाहिए और हमारे पास बहुत-सी नई योजनायें हो सकती हैं। हम गांव को दूरभाष दे सकते हैं और ये षड्भुज योजनायें सफलतापूर्वक हो सकती है; केवल निवेश का स्तर बढ़ाना होगा। अतः दूर-संचार क्षेत्र में इसके आबंटन तथा निवेश में वृद्धि के तर्क को स्वीकार किया जाए और जहां छठी योजना अवधि में हमने केवल 2,305 करोड़ रुपए खर्च किए थे, इसमें 12500 करोड़ रुपए की मांग

पर विचार किया जाना चाहिए और केवल वही लोगों के प्रभुत्व तथा महत्व को दे सकता है जो ग्रामीण भारत में रह रहे हैं। इन शब्दों के साथ मन्त्रालय में डाक तथा दूरसंचार द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की मैं प्रशंसा करता हूं। मैं दो सचिवों और माननीय मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं। मैं आगे आशा करता हूं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अर्थात् 1990 तक जैसा कि उन्होंने वायदा किया है प्रत्येक को सरलता से पहुंचने के लिए 5 कि०मी के भीतर दूरभाष की व्यवस्था होगी और प्रत्येक पंचायत गांव में कम से कम एक शाखा डाकघर होगा।

2.22 म०प०

(श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए)

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : संसाधनों और धन की कठिनाइयों को देखते हुए योजना आयोग इन क्षेत्रों को जितना आबंटन कर रहा है उसमें जो कुछ उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं, मैं समझता हूं कि उसके लिए हमें विभाग और मन्त्री महोदय को बधाई देनी चाहिए।

जहां तक डाक और दूरसंचार गतिविधियों का सम्बन्ध है मैं आज कुछ कठिनाइयों तक ही सीमित रहूंगा जिसका सामना मेरा राज्य उड़ीसा कर रहा है। मैंने रिपोर्ट से पाया है कि 7वीं योजना में डाक विभाग ने 12000 नये डाकघरों को खोलने का प्रस्ताव किया है और उन्होंने 1600 डाकघर भवन, 100 आर०एम०एस० भवन, 75 प्रशासनिक कार्यालय भवन और 25 डाक भण्डार डिपों का निर्माण तथा ग्रामीण डाकघरों की शाखा के प्रबंध के लिए 400 अतिरिक्त विभागीय डिलीवरी एजेंट को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। ये लक्ष्य बहुत अच्छे हैं जो उन्होंने निर्धारित किये हैं। लेकिन यदि हम उन लक्ष्यों के द्वारा जो उन्होंने नियत किए हैं तथा छठी योजना के दौरान प्राप्त उपलब्धि को देखें तो हम पायेंगे कि कई दिशाओं में गिरावट आई हैं। मुझे आशा है कि 7वीं योजना में हमें उन पर सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं हम उनको प्राप्त कर सके।

मैं मंत्री महोदय से अक्सर मिलता रहता हूं और पिछले एक या दो महीने से शायद मैं उनसे अनुरोध करता आ रहा हूं। मैं वित्त मंत्री जी के पास गया था। 12000 डाकघर खोलने संबंधी आपके लक्ष्य का क्या फायदा है जबकि पिछले 8-9 महीने से आपने एक भी डाकघर नहीं खोला है क्योंकि आपने नए पदों के सृजन से रोक नहीं हटाई है ? मैं इसे समझ नहीं पाया हूं। आज आपको सबसे पहले जब आप इन मांगों का उत्तर देंगे तो आपको रोक हटाने की घोषणा करनी होगी ताकि कल नए डाकघर खोले जा सकें। मैं समझता हूं कि यह सदन की आम मांग है और मुझे आशा है कि इसे स्वीकार किया जायेगा। अतः सबसे पहले रोक को हटाया जाना चाहिए ताकि हम नये डाकघर खोल सकें। अब, आप डाकघर भी नहीं खोल सकते हो क्योंकि रोक है। सामान्यतः डाकघर की शाखा और उप डाकघर खोलना विकासात्मक कार्य है। हम उन पर विकासात्मक कार्य के रूप में विचार कर सकते हैं। यह किसी प्रकार का वित्तीय बोझ नहीं है जिस पर हम विचार कर रहे हैं। इसलिए आज हमें सबसे पहले यह घोषणा सुननी चाहिए कि रोक हटा ली गई है। जब मैं

[श्री चिन्तामणि पाणिग्रही]

समस्त भारत के आंकड़ों को देख रहा था तो मैंने पाया कि उड़ीसा के बारे में जो उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं वे बहुत कम हैं। आप आंकड़ों को देखकर आश्चर्यचकित होंगे। मैं मन्त्री महोदय और सम्बन्धित विभाग के ध्यान में लाने के लिए केवल तीन उदाहरण दे रहा हूं। 1983-84 तक आन्ध्र प्रदेश में 16403 डाकघर की शाखायें खोली गई थी। बिहार में 10,870 और उड़ीसा में 7,536। अब हम पी०सी०ओ०एस० की संख्या पर आते हैं, आन्ध्रप्रदेश में 1048, बिहार में 2056 और उड़ीसा में 634 हैं। आन्ध्र प्रदेश में टेलीफोन केन्द्रों की संख्या 1639 है; मध्य प्रदेश में 1013 और उड़ीसा में केवल 245 हैं। तार कार्यालय और अन्य डाक तथा तार सुविधाओं के बारे में यही स्थिति है।

भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। पुराना शहर भुवनेश्वर उड़ीसा का मूल शहर है जहां नई राजधानी का निर्माण किया गया था जब पंडित नेहरू यहां आये थे और उन्होंने आधारशिला रखी थी। यह एक बड़ा क्षेत्र है। वहां का डाकघर जो कई लोगों के लिए काम कर रहा है, वह तार घर का कार्य नहीं कर रहा है। यह मेरे संसदीय क्षेत्र में मेरे घर के नजदीक है।

अगर आप यहां से एक तार भेजना चाहें तो वह संदेश पहले सचिवालय क्षेत्र के मुख्य डाकघर को भेजा जायेगा और उसके बाद ही तार भेजा जा सकेगा। वास्तव में यह बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसा क्यों किया जाता है ? इस बारे में मैंने विभाग से बार-बार पूछा है। ओल्ड टाउन पोस्ट आफिस जहां पहले ही यह काम हो रहा है, को ही तारघर क्यों नहीं बना दिया जाता।

मैं माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने इस देश को आह्वान किया है—"हम 21वीं शताब्दी की ओर बढ़ें।" इसके लिए हमें विश्व में उपलब्ध उच्चतम प्रौद्योगिकी द्वारा अपनी संचार व्यवस्था को विकसित करना होगा। संचार सुविधाओं की मौजूदा प्रणाली के साथ क्या यह देश कभी 21वीं शताब्दी की ओर बढ़ने की आशा कर सकता है ? मैं माननीय मन्त्री से पूछता हूं कि इस प्रकार के अप्रचलित उपकरणों से क्या उपलब्धि हो सकती है। इसके अलावा विभाग इस बात का कभी भी निर्णय नहीं ले सका है कि वह देश के लिए कौन से उपकरण तथा प्रणाली का निर्माण करेगा। वे हर देश का दौरा करने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया जाता है और बाद में उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है। अगर हमारे सोचने तथा काम करने का यही रवैया रहा तो हम देश को 21वीं शताब्दी की ओर कैसे ले जा सकते हैं ? इसके परिणामस्वरूप, मिले-जुले उपकरणों से दूरसंचार सेवा को चलाया जा रहा है।

हमें इस बारे में स्पष्ट होना पड़ेगा कि दूरसंचार प्रणाली में सुधार करने के लिए किस किस्म की प्रणाली तथा उपकरण अपनाये जायेंगे ताकि हमारा देश आधुनिक बन सके और दूर-संचार तथा अन्य मामलों के क्षेत्र में अन्य उन्नत देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके।

अब मैं अपने राज्य से सम्बन्धित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करूंगा। मैं वास्तव में नहीं जानता कि इस बात को कहां से शुरू करूं तथा अपनी चिंता को किस प्रकार व्यक्त करूं। बहुत सालों तक प्रयास करने के बाद भुवनेश्वर में कर्मचारियों को मकान मिले। लेकिन 1957 से

अब तक वहां नहीं के बराबर विकास हुआ है। हाल ही में पांच-सात दिन पहले मैं डाक तार कालोनी में गया था। गर्मी का मौसम था और वहां पेयजल की बहुत कमी थी। लेकिन जब बिलों का भुगतान किया जाता है तो मैंने देखा कि पोस्ट मास्टर जनरल पूरे बिलों का भुगतान करते हैं। वहां रहने वालों को अपेक्षित मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद पूरे बिल का भुगतान करना पड़ता है। कर्मचारियों ने पोस्ट मास्टर जनरल, उच्च अधिकारियों तथा सभी को लिखा। लेकिन क्या हो रहा है ? इन सारे कर्मचारियों, उनके बीवी-बच्चों को अपनी जरूरत भर का पानी दूसरे मकानों से लाना पड़ता है। मैंने माननीय मन्त्री को इस समस्या से अवगत कराया था। मैंने लिखकर भी दिया है कि इस मामले पर राज्य सरकार के साथ मिलकर तत्काल विचार किया जाए। वहां 700 परिवार रह रहे हैं। वे इसी तरह परेशानी क्यों झेलें ? डाक-तार कालोनी को पेयजल की सीधी सप्लाई क्यों न सुनिश्चित की जाये ?

अब मैं डाक-तार कर्मचारियों के मकानों का उल्लेख करना चाहूंगा। डाक तथा दूरसंचार विभाग को अलग-अलग कर दिया गया है। जहां तक कर्मचारियों के मकानों के सम्बन्ध हैं, डाक विभाग के लिए अखिल भारतीय औसत 10.5 तथा दूरसंचार विभाग के लिए 6.7 है। यदि देश भर में, दूरसंचार के कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए रिहायशी मकानों की संख्या देखी जाये तो पता चलेगा कि इस मामले में भी उड़ीसा की उपेक्षा की गई है। आंकड़े इस प्रकार हैं : वर्ष 1981-82, आन्ध्र प्रदेश-111 बिहार 663, मध्य प्रदेश 1474, महाराष्ट्र 2655, राजस्थान 674, तमिलनाडु 1053 तथा उड़ीसा 480।

डाक कर्मचारियों के साथ भी यही उपेक्षा बरती गई है। 1980-81 के लिए आंकड़े इस प्रकार हैं : कर्नाटक 61, केरल 91 तथा उड़ीसा 4।

इन सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि मित्र ऐसे हैं जो उड़ीसा को दूरसंचार के क्षेत्र में प्रगति करता हुआ नहीं देखना चाहते। अतः मैं निवेदन करूंगा कि विभाग के समक्ष एक प्रस्ताव है कि जिन स्थानों पर कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में मकान उपलब्ध नहीं कराये जा सकते वहां अविवाहित कर्मचारियों के लिए कम से कम होस्टल बनाए जायं। भुवनेश्वर के लिए ऐसा प्रस्ताव था किन्तु इसके लिए धनराशि नहीं दी जा रही है।

विभाग में संवर्ग के पुनर्गठन का क्या हुआ ? 25 साल तक लम्बी सेवा करने के बाद उन्हें एक पदोन्नति मिलती है। उन्हें एक और पदोन्नति क्यों नहीं दी जाए ?

तीन लाख से भी अधिक विभागेतर कर्मचारी हैं जिन्हें 271 रु० मासिक भत्ता मिलता है। उनकी परिलब्धियां बढ़ाने के लिए 1957 में मैंने एक संकल्प प्रस्तुत किया था। जिसके बाद उनकी परिलब्धियां 25 रु० से बढ़ाकर 50 रु० कर दी गईं। अब इन्हें बढ़ाकर 271 रु० कर दिया गया है। माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वे इन कर्मचारियों की सेवा-शर्तों पर विचार करें। इनके लिए आपने सवूर समिति का गठन किया है। उन्हें रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए क्यों नहीं कहा जाता ?

[श्री चिंतामणि पाणिग्रही]

मैं बहुत सालों से राजधानी भुवनेश्वर को ख-2 शहर घोषित किए जाने की मांग कर रहा हूं। यह तीर्थयात्रियों का शहर है। हजारों तीर्थयात्री यहां आते हैं। बहुत प्रयास करने के बाद 1971 में इसे शहर घोषित किया गया। 1981 में हुई जनगणना के बाद से मैं सरकार से इसे ख-2 श्रेणी का शहर घोषित किए जाने का अनुरोध कर रहा हूं। वित्त मंत्री का कहना है कि जब तक 4 लाख जनसंख्या न हो इसे ख-2 श्रेणी शहर का दर्जा नहीं दिया जा सकता। तृतीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि अगर किसी शहर की जनसंख्या चार लाख न हो किन्तु वहां भारी संख्या में लोग या यात्री आते जाते हों तथा इसका मूल्य सूचकांक अन्य शहरों की तरह अधिक हो तो उस शहर को ख-2 श्रेणी को दर्जा दिया जा सकता है ताकि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को तीर्थयात्रा भत्ता मिल सके। लेकिन हमेशा यही कहा जाता है कि इस पर विचार किया जाएगा। एक ओर परिवार नियोजन की बात की जाती है और दूसरी ओर उड़ीसा से जनसंख्या बढ़ाने के लिए कहा जाता है। वहां जनसंख्या बढ़ाई जा सकती हैं। लेकिन मुझे इसका औचित्य समझ नहीं आता।

हाल ही में मैं उड़ीसा गया था। मैं भारत सरकार का आभारी हूं कि वह कर्मचारियों को गृह निर्माण के लिए ऋण दे रही है ताकि वे अपना मकान बनवा सकें। लेकिन इस शीर्ष के अन्तर्गत 13.5 लाख रुपए में से 7 लाख रुपए महाप्रबन्धक दूर संचार सर्कल उड़ीसा लोटा देगें। ऋण के लिए आवेदन पत्र आए हुए हैं लेकिन वे ऋण नहीं देना चाहते। पूंजी शीर्ष के अन्तर्गत करीबन 20 लाख रुपए लौटाए जा रहे हैं। इसलिए उड़ीसा में नई डाक इमारतें नहीं बन रही हैं। कटक में पिछले 15 सालों में कर्मचारियों के लिए एक भी मकान नहीं बनाया गया है। कटक में कर्मचारियों के लिए मकान की प्रतिशतता अन्य स्थानों की तुलना में 1.5 है। कार्यालय इमारतों के निर्माण में से 5 लाख रुपए की धन राशि लौटा दी गई है। कार्यालय इमारतों के निर्माण का कार्यक्रम बनाया गया है और उड़ीसा सर्कल वाले धनराशि लौटा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री का ध्यान अपने सर्कल की कुछ प्रमुख समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। डाक तथा तार दोनों मामलों में उड़ीसा सर्कल के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा जैसा कि उसके साथ किया जाना चाहिए। जब उड़ीसा में कई क्षेत्रों में विकास हो रहा है तो डाक-तार सुविधाओं में भी उसी के अनुरूप विकास किया जाना चाहिए। डाक तथा दूर संचार विभाग का विभाजन कर दिया गया है। दूरसंचार विभाग के पास शायद 300 करोड़ रु० से अधिक अतिरिक्त धनराशि है जबकि डाक विभाग को 183 करोड़ रुपये का घाटा है। संभवत मंत्री जी पूछेंगे कि इस घाटे से ऐसा कैसे हो सकता है। महोदय आप जानते ही हैं कि 183 करोड़ रुपए केन्द्रीय राजस्व से लिए जाते हैं। केन्द्रीय राजस्व से छुटकारा ही क्यों नहीं पा लिया जाता? यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए केन्द्रीय राजस्व पर बोझ क्यों डालते हैं। अगर 383 करोड़ रुपए अतिरिक्त हैं तो वे दोनों विभागों के विभाजन करने से प्राप्त हुए हैं। अत: आप इस अतिरिक्त धनराशि का उपयोग दूर संचार सुविधाओं के और विकास के लिए कर सकते हैं।

हम पिछले तीन चार सालों से आपके मंत्रालय से अनुरोध कर रहे हैं कि श्री सामन्त चन्द्र-

शेखर की स्मृति में डाक टिकट जारी की जाए। वह भारत के महान वैज्ञानिकों में से एक थे। लेकिन अभी तक उक्त डाक टिकट जारी नहीं किया गया है। इसी तरह पंडित नीलकंठ दास भी एक महान स्वतंत्रता सैनानी थे। प्रो० रंगा उन्हें जानते ही होंगे—हम उनकी स्मृति में भी डाक टिकट जारी करने का अनुरोध कर रहे हैं लेकिन वह भी अभी तक जारी नहीं किया गया है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के खंडपाड़ा गढ़ में डाक इमारतें बनाने के लिए जमीनें हैं। 120 ऐसे स्थान हैं जहां पिछले 10-20 सालों से डाक घरों को भूमि मिली हुई है लेकिन वहां भवनों का निर्माण नहीं किया जा रहा क्योंकि बहुत से लोगों ने डाक विभाग को अपने मकान किराए पर दिए हुए हैं और वे यह प्रयास कर रहे हैं कि इन आंबटित भूमियों पर डाकघरों की इमारतों का निर्माण न हो। ऐसा कब तक चल सकता है ? डाक विभाग के पास अपनी भूमि है, सब कुछ है फिर भी वे अपनी इमारतों का निर्माण नहीं कर रहे हैं। उक्त आंबटित भूमि पर लोगों द्वारा गैर-कानूनी कब्जा किया जा रहा है वहां से उनको बेदखल किया जाना चाहिए। विभाग के प्रभारी अधिकारियों का यह दृष्टिकोण है। जब तक उनका दृष्टिकोण विकासोन्मुख नहीं होता तब तक शीघ्र विकास नहीं किया जा सकता। अतः माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह उन समस्याओं पर विचार करें। जिनका उड़ीसा सामना कर रहा है। मुझे बोलने का समय दिया गया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं।

***श्री पी० सेलवेन्द्रन** (पेरियाकुलम): अध्यक्ष महोदय, मै अपने दल द्रविड मुनेत्र कषगम् की ओर से संचार मंत्रालय की 1985-86 की अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहूंगा।

दशकों तक डाक तथा तार विभाग एक ही सिक्के के दो पहलू रहे। वे एक ही शाखा की दो पंत्तियां रहे। अब इन दो विभागों का विभाजन कर दिया गया है। इन विभागों की यह अन्तिम संयुक्त रिपोर्ट है। अगले साल हमें दो अलग-अलग वार्षिक रिपोर्टें मिलेगी। मैं समझ नहीं पा रहा कि इनका विभाजन करने की सरकार के समक्ष क्या विवशता थी। डाकघरों में ही तार-घर कार्यालय होते हैं। इनके विभाजन के बाद क्या तारघर कार्यालय कहीं और होंगे ? मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि डाक तथा तार विभाग विभाजन के क्या कारण हैं।

डाक विभाग अन्य विभागों के काम कर रहा है। डाकघरों में बचत खाते होते हैं इन खातों में जमा राशि वित्त मंत्रालय के प्रचार के अन्तर्गत आने वाली राष्ट्रीय लघु बचत संगठन के पास जमा हो जाती है। अब वित्त मंत्रालय को प्रलोभन दिया जाएगा कि वह इस काम को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सौंप दे। टेलिविजन ,रेडियो आदि के लाइसेंस डाक विभाग द्वारा जारी किए जा रहे थे। टेलिविजन, रेडियो आदि से सम्बन्धित इस काम को सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय देखता है। 1985-86 के केन्द्रीय बजट द्वारा टेलिविजन, रेडियो आदि के लाइसेंस की प्रणाली समाप्त कर दी गई। डाक विभाग को इस काम से राहत मिली है। अब डाक विभाग डाकघरों के माध्यम से टेलिफोन बिल जमा कर रहा है। अलग से दूर संचार विभाग बना दिए जाने के

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री बी० सेलवेन्द्रन]

कारण टेलिफोन बिलों की वसूली करने का काम उस विभाग को सौंप दिया जाए। तब डाकघरों के पास क्या काम रहेगा? वे पोस्ट कार्ड बेचेंगे मनीआर्डर भेजेंगे डाक जीवन बीमा का कार्य देखेंगे। वे अन्तर्देशीय पत्र, लिफाफे, पोस्टल आर्डर आदि बेचेंगे। रेल डाक सेवा भी बंद कर दी गई है। स्वभावत: डाकघरों में कार्यभार काफी कम हो गया है।

मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 31.3 1984 को शहरी केन्द्रों में 15323 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1,29,394 डाकघर थे। औसतन 21.87 वर्ग किलोमीटर में एक डाकघर स्थित है। देश में 5.6 लाख गांव हैं। एक पोस्टकार्ड को अन्दरूनी क्षेत्र में स्थित एक गांव में पहुंचने में एक महीने से अधिक लग जाता है। यहां तक कि एक्सप्रेस टेलीग्राम को एक गांव में पहुंचने में एक सप्ताह से अधिक लगता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 70,000 चलती फिरती डाकघर गाड़ियां होने का दावा किया गया है। लेकिन अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पेरियाकुलम में मैंने एक भी ऐसी गाड़ी नहीं देखी। महोदय, जिस तरह कथनी और करनी में अन्तर होता है उसी तरह वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित तथा वास्तविकता में जो रहा है उसमें अंतर है। आम आदमी को इससे कोई मतलब नहीं है कि वार्षिक रिपोर्ट में क्या दावे किए गए हैं। उसे अपनी मूल भूत न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने की चिन्ता है। जब तक उनकी ये जरूरतें पूरी नहीं होती तब तक वे मौन रहकर दुख उठाते रहेंगें। वे इन वार्षिक रिपोर्टों में किए गए दावों के आधार पर आवाज नहीं उठा सकते।

डाकघरों में कार्य भार कम होने के कारण अब ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक डाकघर खोले जाने चाहिए। हर पांच किलोमीटर पर एक डाकघर होना चाहिए। छठी लोक सभा की प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा निगम ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कराने के काम में असफल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में डाक जीवन बीमा कराने के अधिक अवसर हैं। संचार मंत्रालय को ग्रामीण क्षेत्रों में और डाकघर खोलने चाहिए तथा जीवन बीमा करने का काम बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। मैं टेलीफोन प्रणाली की कमियों को दोहराना नहीं चाहूंगा। अनेक माननीय सदस्य उसका उल्लेख कर चुके हैं। मरे को मारने से क्या फायदा। लेकिन मैं इस बात पर जोर दूंगा कि मंत्रालय टेलीफोन का बिल अधिक आने के प्रश्न पर विचार करे क्योंकि इसके कारण बहुत से टेलीफोन उपभोक्ताओं को दिल के दौरे पड़ चुके हैं तथा उनमें से कुछ की मृत्यु भी हो गई है। 50 या 100 रुपये के बिल के बजाय अगर किसी को हजारों रुपये का बिल मिले तो आप उस उपभोक्ता की हालत का आयजा ले सकते हैं जो घर तथा टेलीफोन को ताला लगाकर छुट्टियां मनाने कहीं गया हो।

यदि वह दूरभाष प्राधिकरण को सम्पर्क करता है तो सम्बधित अधिकारी कड़ी आवाज में उसे कहता है: पहले पसा भेजिये फिर अभिवेदन भेजिए; वरना हम दूरभाष काट देंगे। अधिकारी को कोई तर्क नहीं सूझता। प्राधिकारियों के इस द्वेषपूर्ण रवैए के आगे गारीब उपभोक्ता क्या कर सकता है?

यह जले पर नमक डालने वाली बात है। पहले तो लगभग हर समय दूरभाष निष्क्रिय रहता है। कभी-कभी जब आपको सही नम्बर मिलता है। आपके बात करते समय बीच में कोई भारी आवाज हस्तक्षेप करती है तथा आपको टेलीफोन रखने के लिए कहती है। जब दो राज-नीतिज्ञ राष्ट्रीय समस्याओं पर चर्चा कर रहे होते हैं तो ऐसे हस्तक्षेप सामान्य हैं। मैं जानता हूं कि जब दो प्यार करने वाले मीठी-मीठी बातें कर रहे थे लड़की के पिता की ओर से अचानक हस्त-क्षेप किया गया तथा मुझे वह सब विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है कि उस बेचारी प्यार करने वाली लड़की का क्या हाल हुआ। जब इस तरीके से टेलीफोन कार्य कर रहा हो तो यह एक बहुत चिन्ता की बात है कि टेलीफोन के बिलकी इतनी अधिक राशि आए। मैं कहना चाहूंगा कि यह दूरभाष विभाग की दिन-दहाड़े डकैती है। पिछले 38 वर्षों के दौरान 30 से भी अधिक संचार मन्त्रियों को हमारी दूरभाष प्रणाली की गडबड़ी के बारे में बताया जा चुका है। इसमें अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। कम से कम हमारे वर्तमान मन्त्री श्री राम निवास मिर्धा इस पर विचार करेंगे तथा शीघ्र ही उचित कार्रवाई करेंगे ताकि देश में होने वाले सैकड़ों दिल के दौरों के लिए दूरभाष विभाग को दोषी न ठहराया जाए।

महोदय, मैं सदन को वह याद दिलाना चाहूंगा जो स्वर्गीय श्री सी० एम० स्टीफन, जब वे संचार मन्त्री थे, ने सातवीं लोक सभा में कहा था। उन्होंने दावा किया था कि गुप्त रूप से टेली-फोन सुनना सरकार का कर्त्तव्य है। मैं कहूंगा कि यह लोकतांत्रिक ढंग में कार्य करने वाली सरकार के हित में नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार गुप्त रूप में टेलीफोन सुनने के बारे में उचित निर्देश बनाए जाने चाहिए। मुझे विश्वास है कि माननीय संचार मन्त्री इस मामले में भी उचित कार्रवाई करेंगे।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र पेरियाकुलम में, कम्बम तथा बोदिनायाक्कानुर हैं, जो इलायची के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के केन्द्र हैं। इन दो कस्बों में हमारे पास एस० टी० डी० की सुविधायें होनी चाहिए ताकि इलायची के व्यापारी अपने साथी व्यापारियों से विदेशों में तथा देश में अन्य महा-नगरों से सम्पर्क कर सकें। इस प्रकार से मैं पेरियाकुलम में भी एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज चाहता हूं। समाप्त करने से पहले मैं मन्त्री जी से डाक घर खोलने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने, का आग्रह करूंगा वरना सातवीं योजना के दौरान 10 हजार नये डाक घर खोलने का उनका वायदा केवल पेपर पर ही रह जायेगा। डाक घर खोलना सरकार का एक सामाजिक दायित्व है। मैं चाहता हूं कि इस प्रतिबन्ध को शीघ्र हटाया जाए। मुझे इ० डी० डाक कर्मचारियों के बारे में एक शब्द कहना है। महोदय, विभाग द्वारा उनके साथ न्याय किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि मान-नीय संचार मन्त्री इ० डी० डाक कर्मचारियों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे।

श्री पी० आर० एस० वेंकटेसन (कुड्डालोर) सभापति महोदय, मैं वर्ष 1985-86 के लिए संचार मन्त्रालय की अनुदान मांगों पर कुछ शब्द बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह मेरा प्रथम भाषण है तथा इसीलिए आपके अनुग्रह की प्रार्थना है।

सर्वप्रथम मैं माननीय संचार मन्त्री द्वारा रेडियो तथा टेलीविजन पर लाइसेन्स फीस हटाने

[श्री पी० आर० एस० वेंकटेसन]

के लिए हमारे देश के लोगों की उनके प्रति कृतज्ञता को जाहिर करूंगा। परन्तु इसने डाक तथा तार कर्मचारियों को एक गम्भीर भय में जकड़ लिया है। अधिक से अधिक लोगों द्वारा रेडियो तथा टेलीविजन खरीदने के कारण विभाग का केवल विस्तार ही नहीं रुकेगा बल्कि कार्य की मात्रा में कमी होने के कारण कर्मचारियों की संख्या में भी कटौती की जा सकती है। उनके लिए उन्नति के अवसर भी समाप्त हो जायेंगे। उनका भय निराधार नहीं है। मैं माननीय संचार मन्त्री से आग्रह करूंगा कि उसका यह भय, यह आश्वासन देकर समाप्त किया जाए कि डाक बीमा योजना तथा लघु बचत योजना में उनकी सेवाओं का अधिक इस्तेमाल किया जायेगा। वास्तव में, डाक बीमा योजना के काम का विस्तार करने की बहुत आवश्यकता है। डाक घरों के माध्यम से लघु बचत केवल शहरी केन्द्रों में होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु-बचत बिल्कुल ही नहीं होती। 31 मार्च, 1984 को ग्रामीण क्षेत्रों में 1,29,394 डाक घर थे। महोदय, हमारे 50-60 लाख गांव हैं। परन्तु स्वतन्त्रता के पिछले 38 वर्षों में हम 25 प्रतिशत गावों में भी डाक सेवा नहीं दे पाए हैं। माननीय मन्त्री इस तथ्य से वाकिफ हैं कि हमारी जनसंख्या का 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, तथा देश में हम श्वेत क्रान्ति अर्थात् दूध के उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ हरित क्रान्ति ले आए हैं। लेकिन ग्रामीण बचत की सम्पदा को अभी तक नहीं छेड़ा जा चुका है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 50 प्रतिशत गांवों में डाक घर खोलने के लिए गम्भीर प्रयास किया जाना चाहिए। अब चूंकि डाक तथा तार विभाग के पास स्टाफ अधिक हो जाएगा, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक डाक-घर खोले जा सकते हैं।

महोदय मैं विभाग-बाह्य डाक-घरों के कर्मचारियों द्वारा उठाई जा रही परेशानियों का उल्लेख करूंगा। वे न यहां हैं न वहां हैं। वे वर्षों से भी अधिक समय से सेवा शर्तों के लिए आन्दोलन कर रहे हैं जिसका कोई फल नहीं निकला। वास्तव में यह मानवीय तथा अनुकम्पाशील आधार पर विचार करने का मामला है। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री उनकी उचित मांगों पर विचार करें तथा कार्रवाई करें।

ऐसा सुना गया है कि प्रस्तावित 5 दिन का सप्ताह डाक तथा तार कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जायेगा। यह उनके प्रति अन्याय होगा। यदि यह डाक तथा तार कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जाता तो उन्हें समयोपरि भत्ता दिया जाना चाहिए।

डाक घर के कर्मचारी वही सब कुछ कार्य करते हैं जो बैंक के कर्मचारी करते हैं। वे प्रतिदिन लाखों रुपए की नकदी का लेन-देन प्रदान करते हैं। किन्तु यह उनका दुर्भाग्य ही है कि बैंक कर्मचारियों को जो भौतिक तथा वित्तीय सुख-सुविधायें प्राप्त हैं उनका सौवां भाग भी कर्मचारियों को प्राप्त नहीं है। माननीय मन्त्री जी को कम से कम कुछ और फायदे डाक कर्मचारियों को देने चाहिएं।

पूरी सेवा के दौरान उन्हें सरकारी मकान नहीं मिलता। इस सुविधा हेतु उन्हें डाक तथा

तार विभाग के क्वार्टरों तक सीमित रखने की बजाय सामान्य आवास मूल के अन्तर्गत लाया जा सकता है।

हमारी दूरभाष प्रणाली के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। सरकार यह मानती है कि उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवा सन्तोषजनक नहीं है। अब, दिल्ली दूरभाष के महाप्रबन्धक ने हाल ही में कहा है कि प्रमुख रूप से अपर्याप्त विनियोजन, प्रति लाइन कालों में वृद्धि तथा एक्सचेंजों पर भारी दबाव के कारण है जिसका समस्त दूर-संचार प्रणाली पर कुप्रभाव पड़ता है। मैं यह सब मानता हूं। परन्तु मुझे आश्चर्य है कि दूरभाष एक्सचेंजों में काम करने वाली लड़कियां अपने उपभोक्ताओं से इतना अशिष्ट व्यवहार क्यों करती हैं। वे टेलीफोन करने वालों के साथ अत्यन्त गन्दा व्यवहार करती हैं। वे कुछ मिनट तक तो टेलीफोन उठाती ही नहीं हैं तथा इतनी घृणा पूर्वक जवाब देती हैं कि टेलीफोन करने वाला आश्चर्य-चकित रह जाता है। मैं मांग करता हूं कि विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि उपभोक्ताओं के साथ कैसे बातचीत की जाए।

फिर, गलत बिल आना एक अन्य सिरदर्दी है। मकान पर तीन महीने ताला लगा रहा तथा दूरभाष का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया। फिर भी हजारों रुपयों का बिल आ गया। दूरभाष विभाग ग्राहकों के साथ ठगों जैसा व्यवहार करता है। वे पहले भुगतान की मांग करते हैं और कहते हैं वरना दूरभाष कट जायेगा। क्या यह उचित है ? क्या मानवोचित काम-काज में आपसी विश्वास नहीं होना चाहिए ? यह नहीं है कि उपभोक्ता बिल्कुल धोखेबाज हैं। परन्तु दूरभाष विभाग के लिए सभी उपभोक्ता समान रूप से धोखेबाज हैं। वे उपभोक्ता द्वारा दिये गये न्यायसंगत तर्कों को नहीं समझते। माननीय मन्त्री से अधिक बिल नहीं लिया जाता। बहुत से सांसद दूरभाष विभाग की धृष्टता के शिकार हैं। महोदय, इस बारे में कुछ सख्त कारंवाई की जाए। दूरभाष बिल-प्रणाली का संगणकीकरण होना चाहिए। दूरभाष विभाग को अधिक मानवोचित तथा बुद्धि-संपंन बनाया जाए तथा इसे ग्राहको के उचित तर्कों को भी मनाना चाहिए।

कुड्डालोर, दक्षिण आरकोट जिले का मुख्यालय है तथा संघ शासित क्षेत्र, पांडिचेरी, यहां से केवल 27 किलो मीटर दूर है। अन्तर्राष्ट्रीय टाउनशिप अरोविल्ली पांडिचेरी में है। कुड्डालोर में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज के लिए भवन तैयार है। कुड्डालोर के लिए इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज भी मन्जूर किया गया था परन्तु जो उपकरण कुड्डालोर में आना था उसे करूर में भेज दिया गया। कुड्डालोर के लोग निराश हैं। उत्तरी कोयला क्षेत्रों से आने वाले कोयले को अब कुड्डालोर अड्डे पर खाली किया जाता है। अतिशीघ्र कुड्डालोर के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज बनाने की बहुत आवश्यकता है। कृपया इस प्रार्थना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिए।

इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : सभापति महोदय, जैसाकि सभी को विदित है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, यह विभाग बहुत भारी सार्वजनिक उपयोगिता का है। परन्तु जैसे-जैसे अधिक दिन बीतते जा रहे हैं इसकी प्रतिष्ठा तथा छवि गिरती जा रही है। स्वतन्त्रता से पहले

[श्री नारायण चौबे]

केवल यही एक ऐसा विभाग था जो भारत सरकार का सर्वोत्तम विभाग माना जाता था। इसकी ख्याति समाप्त हो गई है।

अब मैं नहीं जानता कि यदि आप एक पत्र दिल्ली से डालें तो आपके परिवार को या घर में मिलेगा या नहीं मैं नहीं जानता कि यदि आप कलकत्ता से एक तार दिल्ली भेजें तो यह पहुंचेगा या नहीं। एक व्यक्ति पहुंच सकता है परन्तु तार कभी नहीं पहुंच सकता। तथा दूरभाष के बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। मैं बंगाल से हूं, मैं कलकत्ता का रहने वाला हूं। आपकी उंगलियां दर्द करने लगेंगी परन्तु फिर भी आप टेलीफोन घुमाते रहेंगे लेकिन आप टेलीफोन मिलाने में सफल नहीं होंगे। यदि आपका टेलीफोन मिल जाये तो यह गलत जगह मिल जायेगा। जैसा कि मेरे सामने वाले माननीय मित्र ने बताया है कि यदि आपको ठीक नम्बर मिल भी जाए तो कोई न कोई आपकी बात को काट देगा।

दूरभाष की यह दशा है। कार्यकुशलता घट रही है। सन् 1977 में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र गोलबाजार में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, एक डाक घर मन्जूर किया गया था। सन् 1984 समाप्त हो गया। अभी तक वह डाक घर नहीं बनाया गया है। इस विभाग की इस प्रकार की कार्य कुशलता है।

मिदनापुर क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों से हमें टेलीफोन डायरेक्टरी नहीं दी गई। यह शायद हर वर्ष जारी की जाती है।

इस प्रकार से हम से हम 21वीं सदी में कैसे प्रवेश कर सकते हैं ? इन चीजों पर आपको रोक लगानी चाहिए तथा आपको देखना चाहिए कि हम कुछ अच्छी चीजें करके 21वीं सदी में वास्तव में प्रवेश करें। हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं परन्तु जिस प्रकार से हम चल रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि हम 19वीं सदी में वापस जा रहे हैं।

कुछ अधिकारी सोचते हैं कि मशीनीकरण इलेक्ट्रानिक्स तथा संगणक, सभी बीमारियों की दवा है। मानते हैं कि हमें मशीनीकरण करना चाहिए। हम यह भी मानते हैं कि जहां कहीं भी आवश्यकता है, हमें इलेक्ट्रानिक्स तथा संगणकों का प्रयोग करना चाहिए। परन्तु श्री राम निवास मिर्धा एक देशभक्त हैं तथा वे पश्चिमी देशों की नकल नहीं करेंगे क्योंकि उन देशों में अकुशल मानव शक्ति की कमी है। परन्तु हमारे देश में अकुशल मानव शक्ति की भरमार है। हमें अपनी योजनाओं में उसका इस्तेमाल करना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपनी फालतू मानव शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें।

डाक तथा तार विभाग बहुत हद तक कार्यकरण सुधार कर सकता है यदि वे अपने विभाग में उतने लोगों को रोजगार दे सकें जितनों की विभाग में आवश्यकता है। आजकल भर्ती पर जो प्रतिबन्ध लगा हुआ है उसे समाप्त किया जाना चाहिए तथा इस विभाग द्वारा आवश्यक व्यक्तियों की भर्ती के लिए मन्जूरी दी जानी चाहिए।

स्वतन्त्रता के बाद हमारी डाक सेवाओं का विस्तार हुआ है। यह विस्तार वास्तव में दस गुणा हुआ है परन्तु हमारे डाक घरों की संख्या में जितनी वृद्धि होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। दिल्ली में हो सकता है इनकी संख्या में वृद्धि हुई हो परन्तु हमारे क्षेत्रों, जैसे कलकत्ता तथा अन्य स्थानों में यह नहीं हुई है। हाल ही में कुछ किया जा रहा है। परन्तु डाकघर उसी अनुपात में बढ़ने चाहिए जिसमें डाक सेवा का विस्तार हो रहा है।

एक अन्य कारण जो हमारी डाक तथा तार विभाग में गतिविधियों में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, वह है रेल डाक सेवा। पहले छंटनी का कार्य आर० एम० एस० में ही होता था परन्तु, अब डाक गतिविधियों में तो संख्या की दृष्टि से बढ़ोत्तरी हो गई हैं परन्तु रेलवे द्वारा आर० एम० एस० गाड़ियों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई है। इसीलिए छटंनी का कार्य प्लेटफार्म पर किया जाता है। उससे परेशानी हो जाती है। मेरा सुझाव है कि विभाग को जितनी भी आर० एम० एस० गाड़ियों की आवश्यकता है उनको उपलब्ध कराने के लिए रेल मन्त्रालय से सम्पर्क किया जाए।

पहले नगरों में कोई भी बहुमंजिले भवन नहीं होते थे। अब दिल्ली, कलकत्ता तथा बम्बई में बहु-मंजिले भवन बन गये है तथा डाकियों को 11वीं तथा 12वीं मंजिल पर जाना पड़ता है। उसे फिर आना तथा फिर जाना पड़ता है। मैं सुझाव दूंगा कि भारत सरकार द्वारा इन बहु-मंजिलें भवनों के मालिकों को यह कहा जाए कि वे पत्र-पेटी भूमितल पर बनायें ताकि डाकियों को कम परेशानी उठानी पड़े तथा सेवा अच्छे ढंग से उपलब्ध हो सके।

2.59 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

टेलीफोन के बारे में कहूं, वास्तव में देश में टेलीफोनों की बहुत कमी है। हमें अधिक टेलीफोनों की आवश्यकता हैं तथा इसीलिए अधिक टेलीफोन बनाने के अधिक कारखानों की आवश्यकता है। टेलीफोन लगाने में बहुत विलम्ब लगाया जाता है। मुझे जानकारी है कि जब एक व्यक्ति टेलीफोन लगवाने के लिए कहता है तो उसका नाम तत्परता से पंजीकृत किया जाता है तथा पंजीकरण के मामले में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। परन्तु जब हर चीज तैयार हो जाती है, जब आदमी को टेलीफोन मिलने ही वाला होता है तो कुछ बेइमान व्यक्ति आकर कहते हैं कि "आपकी बारी आ गई है अब कृपया कुछ दीजिए तथा आपको शीघ्र टेलीफोन मिल जाएगा।" यदि सरकार प्रेस में यह विज्ञापन दे कि इस अवधि में इन-इन क्षेत्रों में टेलीफोन लगाए जाते हैं तो यह सब भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा।

3.00 म० प०

अन्य समस्या यह है। छोटे कस्बों तथा टाउनशिप में अधिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाए जा रहे हैं। कलकत्ता, दिल्ली तथा बम्बई जैसे शहरों में 15 या 20 किलो मीटर दूर के लोगों के साथ, मैं घर से टेलीफोन द्वारा बात कर सकता हूं। परन्तु मान लीजिए, कि मेखली गंज में एक एक्सचेंज

[श्री नारायण चौबे]

है तथा दूसरा एक्सचेंज, मान लें कि 'ख' नाम का दूसरा एक्सचेंज मेखली गंज से 5 या 10 किलो मीटर दूर है। यदि मेखली गंज का एक व्यक्ति 'ख' में रहने वाले व्यक्ति से बात करना चाहता है तो उसे ट्रंक काल बुक करानी पड़ेगी तथा अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यदि कलकत्ता, दिल्ली तथा बम्बई जैसे शहरों में रहने वाले लोगों को ट्रंक कालों पर अधिक पैसा खर्च नहीं करना पड़ता क्योंकि यहां स्थानीय कालों की सुविधा प्राप्त है तो छोटे कस्बों तथा टाउनशिप में रहने वाले वाले लोगों का यह सुविधा क्यों नहीं दी जा सकती ?

3.00 म० प०

अन्य समस्या है, टेलीफोन विभाग द्वारा गलत बिल भेजने की है। मैंने उन्हें इसके बारे में व्यक्तिगत रूप में बता दिया है। आज भी मैंने श्रीमती पार्वती कृष्णन, भूतपूर्व सांसद, का आवेदन पत्र दिया है। मैं भी इस गलत बिल बनाये जाने का शिकार था तथा मुझे केवल स्वर्गीय श्री सी० एम० स्टीफन ही बचा सके। 28,000 रुपए का बिल मुझ पर लगा दिया गया। था तथा जांच करने पता लगा कि ये बिल गलत थे। वे कहते हैं कि दो प्रकार की चीजें हो रही हैं। पहली है कि मीटर तेज चलता है। यदि मीटर तेज चलता है तो हम क्यों परेशानी उठायें ? परन्तु इस प्रक्रिया में हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज है, कि एक्सचेन्ज में काम करने वाले कुछ बेइमान लोग ऐसे तरीके से कुछ शरारत करते हैं कि अन्य व्यक्ति द्वारा बुक की गई काल का खर्च मेरे टेलीफोन के बिल में आ जाता है। ऐसी चीजें हो रही हैं।

इसकी जांच की जानी चाहिये तथा एक ऐसा सटीक यंत्र बनाया जाना चाहिए जिससे न मीटर तेज चले और न ही अन्य लोगों द्वारा की गई टेलीफोन कालों के लिए उन्हें भुगतान करना पड़े।

मैं एक और पहलू की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। निःसंदेह हमें बेहतर जानकारी और बेहतर तकनीक की आवश्यकता है। इसके लिए अधिकारी विभिन्न देशों में प्रयास कर रही हैं। कुछ समय के लिए अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर विदेश भेजना बन्द कीजिए। समस्या यह है कि विदेश से लौटने के बाद अधिकारी यहां आकर काम नहीं करते। स्टीफन महोदय ने स्वयं इस बात को कहा था। जब हमारे अधिकारी इंग्लैंड, अमेरिका अथवा बेलजियम जाते हैं तो वे वहां तो अच्छी तरह से काम करते है, वहां वे सभी प्रकार का काम कर लेते हैं परन्तु जब वे वापिस भारत आते हैं तो वे 'बड़े साहब' बन जाते हैं और काम नहीं करते। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

जब हम जानकारी और तकनीक के लिए विदेशों का सहयोग प्राप्त करते हैं तो हमें देखना चाहिए हमारे देश का हित हो। आप अच्छी तरह से जानते हैं किस तरह पश्चिमी देशों की कम्पनियां अपनी पुरानी तकनीक को हमारे देश पर लादने का प्रयत्न करती हैं। आपको देखना चाहिए कि पुरानी तकनीक हमारे देश पर न लादी जाए।

मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा। मुझे मालूम है कि इस विशेष क्षेत्र में हम संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों का ही सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इस क्षेत्र में रूस से हमने कोई सहयोग नहीं लिया है। निःसंदेह हम हथियार और गोला-बारूद आदि जैसी अन्य बहुत सी चीजों के लिए रूस का सहयोग लेते हैं। शायद इस क्षेत्र में रूस की तकनीक इतनी अधिक विकसित नहो जितनी कि पश्चिमी देशां की है। परन्तु मैं समझता हूं कि यह तकनीक इतनी खराब भी नहीं है। मैं एक सुझाव दूंगा। प्रभारी मन्त्री महोदय रूस का दौरा करें तथा यदि वे यह पाएं कि हम आसान शर्तों पर, रुपयों मे भुगतान करने के आधार पर उससे कुछ पा सकें तो हमेंउसका उपयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं इनका समर्थन किए बिना नहीं रह सकता क्योंकि टेलीफोन तथा अन्य डाक-तार सेवाओं के बिना देश नहीं चल सकता। परन्तु ऐसा करते समय, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इस तरह से चलें कि हम वास्तव में इक्कीसवीं सदी में ही पहुंचे न कि वापिस उन्नीसवीं सदी में आएं।

[हिन्दी]

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके इस महकमें ने इस वर्ष, जैसा चौबे जी ने कहा है उसके विपरीत बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। वास्तव में माननीय सदस्य पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार की गतिविधि को देखकर उनका अनुमान यहां भारत सरकार के मेहकमों और मन्त्रालयों से लगाते हैं। यह ठीक है कि जहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स का कोआपरेशन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट या टेलीफोन डिपार्टमेंट को नहीं मिलता है वहां योजनाओं का कार्यान्वियन पूरा नहीं हो पाता है। यदि कहीं पर डाकघर बनाने के लिए जमीन एक्वायर नहीं होती है तो उसको बनाने में देरी होती है।

इसके अलावा टेलीफोन कर्मचारी यूनियन को आप अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कर्मचारीगण सही तरीके से काम नहीं करते हैं, तो उसके लिए भी भारत सरकार ही जिम्मेदार है। यदि यह नजरिया माननीय सदस्य का पश्चिम बंगाल तक ही सीमित रहे तो अच्छा है। यह तरीका दूसरे प्रांतों पर लागू नहीं होता है।

इस विभाग में बहुत दिनों से मांग चल रही थी कि पोस्टल विभाग और टैलीकाम्यूनिकेशन को अलग किया जाए। इन विभागों को अलग करके माननीय मन्त्री जी ने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया है, जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इस विभाग में यह मांग बहुत पुरानी मांग थी, जिसको अब पूरा किया गया है।

इसके साथ-ही-साथ मैं माननीय मन्त्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सारे देश के अन्दर टेलीविजन, टेलीफोन और रेडियो का इस प्रकार जाल बिछाया है, जिससे सारे देश में सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ है। इन्टरनेशनल टेलीकाम्यूनिकेशन यूनियन और एशियन पैसीफिक टेलीकाम्यूनिटी--ये अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जिनकी अध्यक्षता करने का अवसर पिछले कई

[श्री राम सिंह यादव]

सालों से भारत सरकार को मिलता रहा है। इस दिशा में भारत ने जो एक स्थान बनाया है, इसके लिए भी मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। इनसैट—1 बी के द्वारा भारतवर्ष के विभिन्न गांवों को जोड़ा गया है। इसका लाभ झोंपड़ी में रहने वाले व्यक्ति तक को मिला है। इसके साथ ही ही गांव में रहने वाले या छोटे-कस्बों में रहने वाले लोगों को भी साक्षात्कार रूप से लाभ मिल रहा है।

इसके साथ ही आपने छोटे-छोटे कस्बों को पंचायत हैडक्वार्टर को टेलीफोन से जोड़ने की योजना बनाई है। यह अपने आपमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके लिए मैं माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देते हुए, कुछ सुझाव उनके विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहता हूं। सर्वप्रथम मेरा सुझाव यह है कि जहां पर भी बैंकों की शाखाएं हों, चाहे कार्मशियल बैंक्स हों या कोआपरेटिव बैंक्स हों या लैण्ड डवलपमेंट बैंक्स हों, वहां पर पी०सी०ओ० जरूर होना चाहिए। आपने सभी पंचायत हैडक्वार्टस को टेलीफोन की सुविधा नहीं दी है। टेलीफोन की सुविधा प्रदान करने के लिए आपने दूरवर्ती गांवों को पंचायतों से जोड़ने की योजना बनाई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 1990 तक, जो आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना है, सभी पंचायत हैडक्वार्टरों को टेलीफोन की सुविधा प्रदान की जाए।

माननीय मन्त्री जी जानते हैं कि बहरोड़ मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में है ···· व्यवधान ····· बहरोड़ के टेलीफोन एक्सचेंज को कोटपुतली से जोड़ा गया है। माननीय मन्त्री जी जब दिल्ली आते हैं जयपुर से, तो नेशनल हाइवे नं० 8 से दिल्ली आते हैं। यदि हम दिल्ली से बहरोड़ टेलीफोन करते हैं, तो 24 घंटे तक टेलीफोन नहीं मिलता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि···

[अनुवाद]

सभापति महोदय (श्री बक्कम पुरुषोत्तम) : कृपया चुप रहें।

[हिन्दी]

श्री राम सिंह यादव : श्रीमान, इसका मतलब यह नहीं है कि बोलना ही बन्द कर दिया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रत्येक पार्टी के लिए समय निश्चित किया गया है। आपको समझना चाहिए कि प्रत्येक सदस्य को समय देने का निर्णय उसकी पार्टी करती है। कृपया अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री रामसिंह यादव : मेरा सुझाव यह था कि मेरा क्षेत्र बहरोड़ एक असेम्बली सेगमेंट है, वहां का टेलीफोन एक्सचेंज अलवर से कनेक्टेड नहीं है, उसको कोटपूतली से, जो एक दूसरा जिला है, जोड़ा

हुआ है। कोटपूतली से जुड़ा होने के कारण जो टेलीफोन वहां से करते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर के लिए हो, कलैक्टर या डी० एम० टेलीफोन करना चाहे, उसमें 10-12 घन्टे का समय लगता है। हम चाहते हैं कि हमारे यहां जो अलवर से दिल्ली माइक्रो-वेव सिस्टम से जुड़ा हुआ है, इसको भी उससे जोड़ दीजिए, ताकि वहां के लोग ऐसा महसूस न करें कि उनका संचार सिस्टम अलग है।

अलवर के लिए आपने इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज मंजूर किया हुआ है। उस पर काम भी शुरू होने वाला था, लेकिन वहां के कुछ इक्विपमेंट्स को आपने जोधपुर और पाली भेज दिया है जिससे वहां का काम शुरू नहीं हो पाया है और एक तरह से हम इस काम में एक-डेढ़ साल पीछे हो गये हैं। मेरा निवेदन है कि जब अलवर के लिए आपने इस एक्सचेंज को मंजूर किया हुआ है, इसके लिये फाइनें स भी मन्जूर कर दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन भी जारी हो गई है तो इसको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जाय। अलवर इण्डस्ट्रीयल टाउन है। 400 लाइनों का एक आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज मत्स्य इण्डस्ट्रीयल एरिया के लिये और 400 लाइनों का एक आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज भिवाड़ी एरिया के लिए सेंक्शन किया हुआ है। दोनों एक्सचेंज 1983-84 में कमीशन हो जाने चाहिये थे लेकिन अभी तक कमीशन नहीं हुए हैं। मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप सदन को आश्वासन दें कि इनके लिए जिस इक्विपमेंट की आवश्यकता है उनको भेजकर इनको जल्द पूरा करायें। ये तीनों ऐसे काम हैं—अलवर का इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज, मत्स्य इण्डस्ट्रीयल एरिया और भिवाड़ी इण्डस्ट्रीयल एरिया के लिये 400-400 लाइनों का टेलीफोन एक्सचेंज—जो मेरे क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। उनको आवश्यक इक्विपमेंट्स भेज कर जल्द से जल्द पूरा करायें।

जो आपके ई० डी० बी० ओ० डाकखाने हैं उनके कर्मचारियों ने लगातार जगह-जगह पर मीटिंग्ज करके अपनी समस्याओं को आपके सामने रखा है। मैं भी इन कर्मचारियों की मीटिंग्ज में जो राजस्थान स्टेट लेवल पर और जिला लेवल पर हुई थी गया था। उनकी मांगें हैं कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जायें, उनको भत्ता दिया जाए। सरकार की तरफ से जो सुविधाएं अन्य कर्मचारियों को दी जा रही हैं, वे उनको भी मिलनी चाहिए। यह सारे हिन्दुस्तान की समस्या है। सभापति महोदय, आपके केरल में ही इनकी आर्गेनाइजेशन बनी थी और वहीं का आदमी इनकी यूनियन का सैक्रेटरी है।

मुझे आशा है कि आप ई० डी० बी० ओ० कर्मचारियों के साथ न्याय करेंगे। साथ ही यह भी निवेदन करूंगा कि ई० डी० बी० ओ० जो गांवों में खुले हुए हैं, उन डाकखानों में पार्ट-टाइम आदमी लगे हुए हैं। वे चाहते हैं कि वे ब्रांच आफिस सब-पोस्ट आफिस में अपग्रेड न हों क्योंकि अगर उनको अपग्रेड कर दिया जाता है, तो उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। ई०डी० बी० ओ० में टेम्पोरेरी कर्मचारी लगे होते हैं और उनको दो-सौ और ढाई सौ रुपया मिलते हैं। यदि ये सब-पोस्ट आफिस हो जाएंगे, तो उनकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए वे लोग दैनिक कार्य कम दिखाते हैं। मेरा कहना यह है कि वहां पर जितना काम होता है, वह पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होना चाहिए और सही तस्वीर सामने आनी चाहिए और उनका अपग्रेडेशन नियमानुसार सही तरीके से होना चाहिए।

आखिर में एक निवेदन यह करूंगा कि आपके महकमे से संबंधित एक मुद्दा पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी में एग्जामिन हुआ था। पहले आपकी रेलवे मेल सर्विस चलती थी और चलती हुई गाड़ी में

[श्री राम सिंह यादव]

लेटर्स की सौटिंग होती थी और जिन-जिन स्टेशनों की डाक होती थी, वह डाक वहां पर दे दी जाती थी। उससे डाक के वितरण में जल्दी होती थी। अब रेलवे मेल सर्विस में सौटिंग ग्राफ लैटर्स बन्द कर दी गई है और इसका नतीजा यह हुआ है कि अंग्रेजों के टाइम में 150 साल पहले जो डाक का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, वह जल्दी होता था और उसमें कम टाइम लगता था और अब ज्यादा टाइम लगता है।···(व्यवधान) पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी ने इसको एग्जामिन किया है और मैं मन्त्री महोदय के सामने इस चीज को रख रहा हूं। यह 70 करोड़ आदमियों का इस्यू है, जिसको मैं यहां कह रहा हूं। आज से 150 साल पहले चिट्ठी जल्दी पहुंचती थी और टाइम पर पहुंचती थी लेकिन बस सर्विस से जो आप डाक भिजवा रहे हैं, वह डाक देर से पहुंच रही है। मेरी कांस्टीटुयेन्सी में डाक का वितरण लेट हो रहा है और यह आपके मन्त्रालय की जिम्मेवारी है कि समय पर डाक पहुंचे। आप जो पहले सिस्टम था उसको चेंज कर रहे हैं और रेल के जरिये से डाक को हटाकर प्राइवेट बसों के जरिये उसे भिजवा रहे हैं। बसें समय पर नहीं चलती हैं, जिससे डाक पहुंचने में देरी हो जाती है। पब्लिक सर्विस कमीशन में जिस लड़के को इन्टरव्यू के लिए लेटर आता है, वह देर से पहुंचता है और चिट्ठी समय पर न पहुंचने के कारण वह इन्टरव्यू में नहीं जा सकता और इस तरह से नौकरी से वंचित रह जाता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि रेल में ही पोस्टल कोच हो और सौटिंग ग्राफ लेटर्स चलती हुई गाड़ी में कराया जाए और बीच के स्टेशनों पर सम्बन्धित डाक का वितरण होता चले। आप बड़े कुशल मन्त्री हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इन समस्याओं का निदान करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस मन्त्रालय की डिमांड्स का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती डी० के० भण्डारी (सिक्किम) : सभापति महोदय, संचार मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चल रहे वाद-विवाद ने मुझे उत्तर-पूर्व भारत के राज्यों विशेष तौर पर इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र सिक्किम की कुछ समस्याओं पर प्रकाश डालने का अवसर प्रदान किया है। देश के अन्य भागों के मुकाबले सिक्किम राज्य में संचार सुविधाओं की भारी कमी है।

टेलीफोन सुविधाओं के मामले को ही लें, तो राज्य की राजधानी गंगटोक का एकमात्र टेलीफोन केन्द्र कार्यभार से दबा हुआ है तथा वहां एक टेलीफोन कनैक्शन प्राप्त करना बहुत कठिन है। जो लोग वर्षों से टेलीफोन कनैक्शन प्राप्त करने वालों की प्रतीक्षा प्रतीक्षा सूची में हैं उनको टेलीफोन कनैक्शन दिए जाने के लिए वर्तमान टेलीफोन केन्द्र का विस्तार करने की योजना के बारे में मैंने नहीं सुना है। गंगटोक में भी एस० टी० डी० सुविधा है। शायद सभी राज्यों की राजधानी में यह सुविधा उपलब्ध है। परन्तु गंगटोक के सम्बन्ध में इसका कार्यकरण बहुत ही अनियमित है बल्कि न के बराबर है। कभी कभी दिल्ली अथवा कलकत्ता सम्पर्क करने में घण्टों लग जाते हैं। यदि किसी को लाइन मिल जाए तो वह स्वयं को भाग्यशाली समझता है। अन्यथा अधिकतर लाइन डांवाडोल रहती हैं। लगता है पूरी लाइन में ही खराबी है। कभी-कभी जब कोई व्यक्ति किसी नम्बर को एस० टी० डी० सम्पर्क न मिलने पर थक जाता है तो वह लाइटनिंग काल मिलाने का प्रयत्न करता है। गंगटोक में यह लाइटनिंग काल

मुश्किल से ही मिलती है। दिल्ली के जो लोग गंगटोक के लिए काल बुक करते हैं उनमें से भी कुछ को ऐसा ही कटु अनुभव है। वह काल लाइटनिंग काल से दब जाती है तथा इसके मिलने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती।

खराब टेलीफोन सेवा से परेशान होने वालों में पी० टी० आई०, यू० एन० आई० हिन्दुस्तान समाचार जैसी समाचार एजेंसियां भी शामिल हैं। यहां की टेलीफोन लाइन इतनी खराब रहती है कि गंगटोक से प्राप्त हुए समाचार का मुश्किल से ही कोई अर्थ निकाला जा सकता है। इस स्थिति को शीघ्रतिशीघ्र सुधारे जाने की आवश्यकता है तथा मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे इस पर ध्यान दें तथा इसे सुधारने का उपाय करें।

महोदय, जिस समय अन्य राज्यों के माननीय सदस्य गांवों और पंचायतों को टेलीफोन से जोड़ने की बात कर रहे हैं, उस समय सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक शहर मात्र जिला मुख्यालयों से, और वह भी शिरोपरि टेलीफोन तारों के माध्यम से ही जुड़ा हुआ है। सिक्किम एक पहाड़ी क्षेत्र है तथा बरसात के दिनों में वहां बार-बार भूस्खलन होते रहते हैं। तेज हवा के कारण तथा कभी-कभी वर्षा और भूस्खलन के कारण टेलीफोन लाइन ठीक से काम नहीं करतीं है। अतः टेलीफोन द्वारा जिला मुख्यालयों से सम्पर्क बनाए रखना हमेशा कठिन होता है। इसलिए राज्य सरकार को जिला मुख्यालयों को सन्देश भेजने के लिए मजबूर होकर लगभग पूरी तरह से ही पुलिस वायरलैस पर निर्भर रहना पड़ता है इसी प्रकार जिला मुख्यालय को भी अपना सन्देश सरकार को भेजने के लिए पुलिस वायरलैस पर निर्भर रहना पड़ता है। तार सेवा की स्थिति भी इससे बेहतर नहीं है। अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगी कि वे राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालयों से माइक्रोवेव लिंक के माध्यम से जोड़े जाने पर विचार करें। इस प्रकार का माइक्रोवेव लिंक प्रकृति के उपद्रवों से बाधित नहीं होगा तथा सबसे बढ़कर इससे सिक्किम में, जो कि एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य है, त्वरित और विश्वसनीय सेवा की व्यवस्था हो जाएगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह बहुत ही आवश्यक है कि सिक्किम में संचार तन्त्र को सुदृढ़ बनाया जाए तथा मुझे विश्वास है कि इस मसले पर मन्त्री महोदय मुझसे पूरी तरह सहमत होंगे।

सिक्किम में डाक सेवा की भी शोचनीय स्थिति है। गंगटोक में आज पोस्ट किया गया पत्र गोहाटी अथवा शिलांग पहुंचने में लगभग एक सप्ताह का समय लेगा। इसे दिल्ली पहुंचने में भी चार पांच दिन से कम समय नहीं लगता। परन्तु डाक वितरण करने में इतनी अधिक देरी क्यों की जाती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि सिक्किम के एअर टर्मिनस बागडोगरा को उत्तर-पूर्वी राज्यों कलकत्ता और दिल्ली से जोड़ने के लिए दैनिक विमान सेवा उपलब्ध है। यह विमान सेवा आसानी से इस डाक को ले जा सकती है। वर्तमान छटाई व्यवस्था और वितरण व्यवस्था में सुधार लाकर राज्य के अन्दर डाक का त्वरित वितरण किया जा सकता है।

ये कुछ ऐसी गम्भीर समस्याएं हैं जिनकी ओर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। जैसाकि सदन को ज्ञात है, सिक्किम राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में केवल दस वर्ष पहले ही शामिल हुआ है और इसलिए हमने केवल दो पंचवर्षीय योजनाओं को ही कार्यान्वित होते हुए देखा

[श्रीमती डी० के० भण्डारी]

है जबकि अन्य राज्यों ने सभी 6 पंचवर्षीय योजनाओं को देखा है। अब हम सातवीं पंचवर्षीय योजना के द्वार पर हैं। अन्य राज्य संचार क्षेत्र के विकास के साथ-साथ विकास के प्रत्येक क्षेत्र में सिक्किम से स्पष्ट रूप से बहुत आगे हैं। हमारी हर सम्भव तरीके से मदद किए जाने की आवश्यकता है ताकि हम यथाशीघ्र बाकी देश के साथ आ सकें। संचार जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के सम्बन्ध में, सामरिक महत्त्व का सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते सिक्किम राज्य में संचार तंत्र का विस्तार करने पर सभी दृष्टिकोणों से विचार किए जाने की आवश्यकता है और वह भी केवल सिक्किम के हित में नहीं बल्कि सम्पूर्ण देश के हित में।

अत: मैं सिक्किम और इस क्षेत्र के अन्य सीमावर्ती इलाकों में संचार सुविधा की आवश्यकताओं का एक बृहद सर्वेक्षण कराए जाने के लिए अपने माननीय मन्त्री महोदय से विनम्र अनुरोध करूंगी। मैं इस आशा के साथ अपना स्थान ग्रहण करती हूं कि वे सिक्किम में बेहतर संचार सुविधाओं के लिए किए गए मेरे निश्छल अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया। हमारे राजस्थान के केन्द्र में मिनिस्टर हैं और राजस्थान में पोस्ट आफिसों की हालत क्या है यह मैं आपको बताना चाहता हूं।

पोस्ट आफिसों के मामले में हिन्दुस्तान में राजस्थान का 17वां नम्बर है, जबकि केरल का पहला नम्बर है, आंध्र प्रदेश का तीसरा नम्बर है और चौथे नम्बर पर हरियाणा है। हमारे राजस्थान के मन्त्री जी केन्द्र में हैं और हमारी हालत 17वे नम्बर पर है।

मिनिस्टर महोदय ने एक प्रश्न के जवाब में बताया था—

[अनुवाद]

मंत्री महोदय से पूछा गया प्रश्न इस प्रकार था—

"क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय ने राजस्थान में जयपुर और जिला मुख्यालयों के बीच एम० टी० डी० सेवा प्रारम्भ करने का कोई निर्णय लिया है ?"

मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर था—

"जिला मुख्यालयों और सम्बन्धित राज्य की राजधानियों के बीच एस० टी० डी० सुविधा की व्यवस्था करने का प्रस्ताव पांचवीं योजना अवधि के दौरान स्वीकृत हुआ था जिसमें जयपुर को राजस्थान के जिला मुख्यालयों से एस० टी० डी० सेवा द्वारा जोड़ा जाना भी शामिल है।"

[हिन्दी]

पांचवीं पंचवर्षीय योजना पूरी हो गई। और आपने अभी तक हमें सुविधाएं नहीं दी हैं। यह आपका उत्तर है।

[अनुवाद]

सत्ताईस जिला मुख्यालयों में से अजमेर, अलवर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, और जयपुर को राज्य की राजधानी जयपुर से जोड़ दिया गया है तथा धौलपुर, जोधपुर, बीकानेर और श्री गंगानगर को एस० टी० डी० द्वारा जयपुर से जोड़ने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

[हिन्दी]

हमारे पाली जिले के लिए यह सुविधा नहीं दी गई है। आपने कहा था कि पांचवी योजना तक सब जिलों को केबल के द्वारा जयपुर से जोड़ दिया जाएगा। जोधपुर से अहमदाबाद तक तो है लेकिन हमारे पाली जिले में केबल का काम अधूरा पड़ा है। यह काम जल्द ही शुरू किया जाना चाहिए। पांच बजे के बाद आर्डिनरी टेलीग्राम्स नहीं लिए जाते हैं। पहले यह सुविधा थी। उसके बाद जो टेलीग्राम आते हैं, वह डाक के जरिए से डाल दिए जाते हैं। इस बारे में आपको जांच करानी चाहिए। गवर्नमेंट आफिसेज से जब टेलीग्राम जाते हैं तो उनसे एक कापी मांगी जाती है। टेलीग्राम के पैसे लेते हैं और डाक से भेज देते हैं। यह आपकी हालत है। पांच बजे के बाद सारे टेलीग्राम्स की कापीज लेकर डाक के जरिए से भेज देते हैं। आर० एम० एस० की सर्विस में भी ठीक तरह से काम नहीं हो रहा है। सारी डाक सार्टिंग के लिए जोधपुर या पाली जाती है और वहां से आगे भेजी जाती है। इस तरह आर० एम० एस० की सर्विस बन्द करने से जो पत्र दो दिन में मिलते थे, अब पांच दिन में मिलते हैं। हमारे देश में एक पैरेलल पोस्टल सर्विस चल रही जिसको अंगनीया सिस्टम कहते हैं ··· (व्यवधान) इसकी जांच की जानी चाहिए। अस्सी परसेंट टेलीफोन आपरेटर्स ऐसे हैं, जो पालिटिशियन्स की लाईन भी ठीक समय पर नहीं मिलाते है। वह जानते हैं कि पहले किस व्यक्ति की लाईन मिलानी है। बिजनेसमैन और मंत्री जी का टेलीफोन एक मिनट में मिल सकता है दूसरों को कहा जाता है कि "कृपया आप इन्तजार कीजिए" और घंटों तक इन्तजार करना पड़ता है। आपरेटर्स अपना तरीका निकाल लेते हैं। पोस्टमैन तो होली, दीवाली, नया साल, बैसाखी और पता नहीं किस-किस त्यौहार पर घर-घर घूमते हैं और अपनी भेंट इक्ट्ठी करते हैं। अगर उनको भेंट न दी जाए तो चिट्ठियां ही गायब हो जाती है। यह हालत हो गई है। एक तरफ तो आप इन लोगों को इतनी अधिक तनख्वाह दे रहे हैं और दूसरी तरफ ये लोग इस प्रकार का काम करते हैं। ये सब त्यौहार दारू के रूप में मनाए जाते हैं। सर्विसेज तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो रही हैं इसलिए आपको कार्मशियल-वे में चलना पड़ेगा। आपको चाहिए कि आप पोस्ट कार्ड और एनवेलप आदि पर विज्ञापन शुरू कीजिए जिससे आपको करोड़ों रुपए की आमदनी हो सकती है। ··· (व्यवधान) हमारे पाली जिले में चामुडेरी और नाना नाम के आदिवासी इलाके हैं हमारी मांग है कि यहां पर शाखा डाकघर खोला जाए। आदिवासी, पिछड़े, रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों में आप अवश्य डाकघर खोलने की कार्यवाही कीजिए। आपने कई जगहों पर पोस्टमैन वगैरह टैम्पोरेरी रूप में रखे हुए हैं।

[श्री मूलचन्द डागा]

आपके विभाग में कई जगह बिना पढ़े लिखे लोगों को रख लिया जाता है, ऐसे लोगों को रख लिया जाता है जो कि जिला सुपरिन्टेंडेंट को कुछ घूस पहुंचा सकते हों और पढ़े-लिखे मेट्रीकुलेट, नौजवान लड़कों को छोड़ दिया जाता है, जब वे आपको मिलते भी हों। ऐसे लोग काम नहीं जानते और फिर भी उनकी नौकरी बरकरार रहती है, क्योंकि वे लोग अपने अफसरों को भेंट-पूजा चढ़ाते रहते हैं। इससे आपके डिपार्टमेंट पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वे लोग बैठे रहते हैं और चिट्ठियां समय पर नहीं पहुंचाते। जब आपकी सेवाओं का यह हाल है तो आप कृपया मेहरबानी करके गांवों में जो आपको पढ़े-लिखे नौजवान लड़के मिलते हैं, उनको ही नौकरी में रखिए, अनुसूचित जाति के योग्य लड़कों को नौकरी में रखिए, जो पढ़े-लिखे हों। आपको उन्हें भी अवसर देना चाहिए। क्योंकि आपके डिपार्टमेंट में ऐसे-ऐसे एलीमेंट्स काम कर रहे है। मैंने ये सारी बातें संक्षेप में कही हैं और मैं चाहता हूं कि आप आपने डिपार्टमेंट की एफीश्येंसी जानने के लिए स्वयंय अपनी तरफ से चिट्ठियां लिखें, अपनी तरफ से टेलीग्राम भेजें और अपनी तरफ से टेलीफोन करके देखें, तब आपको डिपार्टमेंट की हालात के बारे में सही जानकारी मिल सकती है। जब तक आप सरप्राइज चैक नहीं करेंगे, सरप्राइज चिट्ठियां नहीं लिखेंगे, सरप्राइज तार नहीं भेजेंगे, आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा कि आपके डिपार्टमेंट के लोग कि तरीके से काम करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय, डाक-तार सेवा देश की एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण जनोपयोगी सेवा है। विशेष रूप से डाक सेवा गरीब आदमी की संचार की जरूरतों को पूरा करती हैं।

प्रारम्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि डाक-तार सेवाओं के विषय में हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए। इसको वाणिज्यिक आधार पर नहीं चलाया जाना चाहिए।

सेवा के इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में सरकार द्वारा अपनाए जा रहे कुछ उपायों ने इस सेवा के संबंध में सरकार के दृष्टिकोण के बारे में कुछ गहरे संदेहों को जन्म दिया हैं। सरकार इस विभाग को चालू रखने की लागत को कम करने का प्रयत्न कर रही है हमारी डाक-तार व्यवस्था विश्व में सबसे अधिक कुशल थी परन्तु आज इसके सम्बन्ध में अपनाए जा रहे उपाय देश की डाक सेवा को मृतप्रांय बना रहे हैं। उदाहरण के लिए, लागत कम करने के लिए एक दिन में 'डाक वितरण की संख्या में कमी करना भी एक उपाय के रूप में अपनाया जा रहा है। इसे कुछ इलाकों में पहले से लागू किया जा रहा है और कुछ अन्य इलाकों में जहां इसको लागू किया जाना था वहां मजदूरों द्वारा तीव्र विरोध किए जाने के फलस्वरूप इसे स्थागित कर दिया गया।

हम देश के कोने-कोने पर पोस्ट बाक्स लगे देखते हैं और विभाग गलियों में लगे हुए पोस्ट बाक्सों की संख्या को भी कम करने की बात सोच रहा है। क्यों ? ताकि लागत-व्यय कम किया जा सके।

रेल डाक सेवा को भी बन्द किया जा रहा है गाड़ियों में पहले जो छटाई-कार्य होता था उसे पहले ही बन्द कर दिया गया है। अब सरकार की इस नीति के विरुद्ध रेल डाक सेवा के कर्मचारियों ने 6 जून को हड़ताल करने का नोटिस दिया है। यह सब इस विभाग की लागत को 40% तक काम करने के लिए किया गया है। यह कार्य आई० एम०एफ० और विश्व बैंक द्वारा नियंत्रित विश्व डाक संघ के अनुदेशों पर किया गया है।

यह कमी कार्य कुशलता की कीमत पर की गई है। आखिर डाक सेवा हमारे देश की गरीब जनता की आवश्यकताओं को पूरा करती है। इस उपाय को अपनाने के फलस्वरूप रोजगार के अवसर भी कम हुए हैं आधुनिकीकरण के नाम पर इस क्षेत्र में मशीनीकरण लाया गया है। इस मशीनीकरण की प्रक्रिया के बारे में जो व्यक्त संदेह करता है। उस व्यक्ति की आवाज बन्द कर दी जाती है क्योंकि वह हमारी प्रगति को 21 वीं शदी में पहुंचा रहा है।

इस क्षेत्र का मशीनीकरण करने का अर्थ है डाक एवं तार विभाग में कार्यरत लगभग 3 लाख अतिरिक्त विभागीय कर्मियों को इस सेवा, में नहीं रखा जायेगा, 18,000 आरक्षित प्रशिक्षण पूल के लोगों को इस सेवा में नहीं लिया जायेगा और लगभग एक लाख अनियमित मजदूरों को अनियमित मजदूर ही रखा जाएगा। रोजगार के सभी अवसरों को प्रदान किया गया है; रिक्तियां भरी नहीं जाती है। ये सभी बातें आधुनिकीकरण के नाम पर मूल्य में कटौती करने के लिए की जाती हैं। और सरकार ने विभाग का विभाजन कर दिया है क्यों? ऐसा बहुराष्ट्रों के कहने पर किया गया है। हमारे देश में दूरसंचार विभाग बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का अखाड़ा बनता जा रहा है। मुख्य शहरों में दूरसंचार नेटवर्क का प्रबन्धन एक अलग विभाग को पहले ही सौंपा जा चुका है, और अन्त में, ये सभी चीजें प्राइवेट एजेन्सियों से लेकर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सौंप दी जायेंगी।

आधुनिकीकरण के नाम पर, सरकार इस विभाग के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी की जानकारी मंगाने के लिए उत्सुक है। भारत में प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी कर्मी हैं जो अत्यन्त सक्षम हैं। अगर ऐसा है तो सरकार इस क्षेत्र में विदेशी प्रद्योगिकी मंगाने के लिए क्यों अनावश्यक रूप से उत्सुक है?

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री सुरेश कुरूप : यह नहीं होना चाहिए। हमारी जनता इसको अनुमति नहीं देगी। ये सभी उपाय जो किये गये हैं, श्रमिकों द्वारा पहले ही इन पर नाराजगी व्यक्त की जा चुकी है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस क्षेत्र में श्रमिकों के सहयोग को सुनिश्चित करें, जो कुछ भी उपाय आप करें, जो कुछ भी आधुनिक प्रौद्योगिकी आप अपनाएं आपको श्रमिकों के सहयोग की आवश्यकता होगी।

रेल डाक सेवा के लोगों ने 6 जून से हड़ताल पर आने की सूचना दी है। सरकार रेल डाक सेवा व्यवस्था को समाप्त करने के बारे में गम्भीरता से सोच रही है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि श्रमिकों की समस्याओं को सौहार्दपूर्ण समाप्त करने के लिए श्रमिकों के प्रति-

[श्री सुरेश कुरूप]

निधियों को बुलायें। हमारे राज्य, केरल में आधे दर्जन से ज्यादा व्यक्तियों को नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि वे संगठित श्रमिक हैं। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री जी को उनके कारणों को जानना चाहिए। मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करता हूं कि उनके मामलों की पुनःरीक्षा करें तथा उन्हें नौकरी पर बहाल करें।

टेलीफोन के बारे में मैं कहूंगा कि यह देश का सबसे खराब प्रबन्धन वाला विभाग है। चाहे सरकार का यह दावा हो कि हमारे पास आधुनिक प्रौद्योगिकी है, एस० टी० डी० सुविधायें हैं आदि। सही नम्बर का मिल जाना उपभोक्ता की किस्मत है विशेषकर बड़े शहरों में। निसंदेह एस० टी० डी० सुविधाएं बढ़ी हैं लेकिन इसके साथ-साथ उपभोक्ताओं की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। हमारे राज्य में एस० टी० डी० का अर्थ लगाया है 'सब्सक्राइबर ट्राई एण्ड डाई'; आप पूरे दिन एक नम्बर को घुमाइये परन्तु आपको सफलता नहीं मिलेगी। एस० टी० डी० का यह हाल है।

सरकार को इस विभाग में उचित एवं पर्याप्त स्टाफ का इन्तजाम करना चाहिए, इस विभाग में स्टाफ की कमी है।

एक और बात मैं, इस विभाग के तहत टेलिप्रिन्टर और टेलेक्स सेवाओं के बारे में बताना चाहता हूं। यह सेवा अधिकतर प्रेस संबन्धी व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाई जाती है और मैं व्यक्तिक रूप में जानता हूं कि लोग इन सेवाओं के लिए काफी ज्यादा किराया देते हैं। हमारी राजधानी में जीर्ण-शीर्ण मशीनें भेजी जा रही हैं और इसके लिए वे किराया दे रहे हैं। लगभग एक लाख रुपया किराये के रूप में दिया जा चुका है। जब अगर कोई शिकायत की जाती है तो उत्तर मिलता है कि सरकार के पास पर्याप्त मशीनें नहीं हैं। जहां तक मैं समझता हूं इन मशीनों की पूर्ति 'हिन्दुस्तान मशीन टूल्स' करता है। इन टेलिप्रिन्टर और टेलेक्स सेवाओं के बारे में इस प्रकार का कुप्रबन्ध क्यों है ?

अन्त में मैं आपका ध्यान मुख्य शहरों एवं कुछ महत्त्वपूर्ण नगरों में डाक अनुसंधान केन्द्र हैं। इसको देखकर ऐसा लगता है कि यह संचार विभाग के अन्तर्गत डाक एवं तार विभाग का एक भाग है। परन्तु यह गृह मन्त्रालय के खुफिया विभाग द्वारा चलाया जाता है। और मै समझता हूं कि इस उद्देश्य के लिए धन भी गृह मन्त्रालय द्वारा आबंटित किया जाता है। इन सभी केन्द्रों पर चिट्ठियां एवं पार्सलों को एक व्यवस्थित तरीके से रोक कर सेंसर किया जाता है। सभ्य लोकतन्त्र में यह अच्छी बात नहीं है। ये डाक अनुसंधान केन्द्र बड़े-बड़े शहरों एवं कुछ नगरों में विद्यमान हैं इनका कार्य सिर्फ चिट्ठियों को व्यवस्थित ढंग से सेंसर करना है।

प्रो० एन० जी० रंगा : इसके बावजूद भी शरारत हो सकती है।

श्री सुरेश कुरूप : यह इस देश के कानून के विरुद्ध है और समाप्त करने के पहले मैं एक बार फिर से माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे आधुनिकीकरण प्रक्रिया पर ध्यान दें, रोजगार कम होते जा रहे हैं और यह एक गम्भीर समस्या है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : श्री गिरधारी लाल व्यास।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, टेलीकम्युनिकेशंज मंत्रालय की डिमांड्ज का मैं समर्थन करता हूं। किसी भी देश की तरक्की के लिए टेलीफोन्स की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। हमारे देश में भी निरन्तर इसकी वृद्धि हो रही है, मगर जहां-जहां पुराने टेली-फोन एक्सचेंज लगे हुए हैं, जहां वरसों हो गए, लम्बे अर्से से उनकी तबदीली करने के बारे में पैरवी की जा रही है, खासतौर से मैं अपने क्षेत्र भीलवाड़े की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह बहुत पुराना एक्सचज है और इतनी लाइन्स की वहां आवश्यकता है कि आज भी हजार से ज्यादा लोग एप्लीकेंटें बैठे हैं, लेकिन टेलीफोन एक्सचेंज इतना पुराना है कि कोई बढ़ने की उसकी गुंजाइश नहीं है।

आपने टेलीफोन की नई बिल्डिंग के लिए स्वीकृति भी दे दी है, जमीन भी ले ली गई है, चार-दीवारी बना दी है, लेकिन 2 साल से उसका शिलान्यास का कार्य प्रारम्भ नहीं हो रहा है। मेरा निवे-दन है कि आप जल्द से जल्द उसका शिलान्यास करके उसके काम को शुरू करायें ताकि टेलीफोन की दिक्कत कम-से-कम भीलवाड़ की तो समाप्त हो और लोगों को नई लाइन मिलकर उनकी तकलीफ दूर हो। मुझे आशा है मन्त्री महोदय अपना जवाब देते समय जरूर इस बारे में बतायेंगे।

हमारे क्षेत्र में दो तहसीलें हैं जाजपुर और आसीन। ये दोनों तहसीलें हैडक्वार्टर से सीधी नहीं मिली हैं। वहां 11 तहसीलें हैं जिनमें से 9 तहसीलें सीधे हैडक्वार्टर से मिली हुई हैं, लेकिन ये दोनों ही नहीं मिली हुई हैं। मेरा निवेदन है कि इन दोनों को भी सीधे हैडक्वार्टर से जोड़ने की कृपा करें।

तीसरी प्रार्थना यह है कि गंगापुर को कांकरौली से जोड़ने की बात है। अगर कांकरौली को उदयपुर से जोड़ा जाये तो लोगों की अहमदाबाद और बम्बई से सीधे बात हो सकती है। यह व्यापारिक मंडी है, और लोगों को हरदम बम्बई और अहमदाबाद से बात करने का ताल्लुक पड़ता रहता है लेकिन डायरेक्ट लाइन न होने से वह लोग सीधे बम्बई और अहमदाबाद से बात नहीं कर पाते।

इसलिए ऐसी व्यवस्था करें। ऐसा होने से अहमदाबाद और बम्बई से सीधा सम्पर्क हो जायेगा। इस व्यवस्था को जल्दी से जल्दी करें।

आपने एक बात कही कि ढाई हजार से ऊपर की आबादी के जितने गांव है उसमें पी० सी०ओ० खोलेंगे, लेकिन मेरे जिले में 4-5 जगहों पर पी०सी० ओ० खुले हैं। अभी भी 70-75 स्थान ऐसे हैं, जिसके बारे में मैंने लिखा है, हमारे एम० एल० ए० साहब ने भी समय-समय पर आपके विभाग को लिखा है कि इनमें जल्दी से जल्दी पी० सी० ओ० खोले दें ताकि वहां के लोगों को लाभ हो सके लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस प्रकार की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र भीलवाड़ा है वहां पुराने टेलीफोन एक्सचेंज हैं और वह ज्यादातर खराब रहते हैं, लेकिन उसको सुधारने की कोई व्यवस्था नहीं होती है जिससे हमें बहुत कठिनाई होती है। आपके जितने पुराने एक्सचेंज हैं पता नहीं उनमें कितने पुराने इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं कि वह ठीक करने

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

पर भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाते। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उनको तबदील कराने की व्यवस्था करें जिससे टेलीफोन व्यवस्था ठीक प्रकार से हो सके।

भीलवाड़ा क्षेत्र में बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन वहां पर एस० टी० डी० की व्यवस्था नहीं की है। यह जयपुर और दिल्ली से जोड़ा जाना चाहिए ताकि वहां के लोगों को पूरी सहूलियत मिल सके।

इसी तरीके से बिल्डिंग जो आपकी सारे टेलीफोन एक्सचेंजों की है वह सारी आपने किराये पर ली है। वह सारी बहुत रद्दी स्थानों पर है। उनको भी ठीक स्थानों पर बनाने की व्यवस्था करें।

आपने शाहपुर में पोस्ट आफिस दिया, इसके अलावा आप मांडलगढ़ और गंगापुर इन दो स्थानों पर हैड पोस्ट आफिस खोल दें तो बड़ी कृपा होगी और काफी सहूलियत लोगों को मिल सकेगी। इस कार्य को जल्दी से जल्दी कर दें तो अच्छा रहेगा।

बहुत से हमारे पोस्ट आफिस तहसील हैड क्वार्टर में हैं, लेकिन वहां आपकी बिल्डिंगें नहीं बन पायी हैं जैसे बनेरा और गुलाबपुरा में पोस्ट आफिस की बिल्डिंग नहीं है और न ही टेलीफोन एक्सचेंजों की ही बिल्डिंगें हैं। इसका प्रावधान भी आप जल्दी से जल्दी कर दें तो अच्छा रहेगा। हमारे 500 जिले हैं। 500 जिलों में 1200 बिल्डिंगें बनाते हैं उसमें से 2-3 बिल्डिंगें हमारे पास आनी चाहिए। अगर इसकी आप व्यवस्था कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा।

एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट स्टाफ के लिए जो आपने व्यवस्था की है, मैं इसकी सराहना करता हूं। आप इनको मिनिमम वेज नहीं देते हैं केवल 5-7 रुपये ही देते हैं। मिनिमम वेज जो 11 रुपये है वह तो उनको दिलायें। इस बारे में मैं रंगा जी से निवेदन करूंगा कि वह इसकी पैरवी करें जिससे वह गरीब ठीक प्रकार से जीवन-यापन कर सकें। इस व्यवस्था को और माकूल बनाने की जरूरत है।

महोदय, आप जानते हैं कि टेलीफोन में बहुत पुराना स्टाफ है जिन के खिलाफ बहुत शिकायतें हैं। आज 10-15 साल से लोग एक जगह पर बैठे हैं, जो वहां पर बैठकर मनमानी करते हैं। आप कहते हैं कि आपको इनकम नहीं है। आपकी आधी से ज्यादा इनकम वह लोग खा जाते हैं, सारा का सारा उनकी जेब मे चला जाता है। आप ऐसी व्यवस्था करें कि एक साल से ज्यादा कोई आदमी एक स्थान पर न रह सके।

डी० ई० टी० टेलीफोन देते हैं। यह बहुत ज्यादा गड़बड़ी वहां बैठकर करते हैं।

जिस डिपार्टमेंट की सारी दुनिया में तारीफ होती थी कि पोस्ट ऐंड टेलिग्राफ डिपार्टमेन्ट के मुकाबले ईमानदार डिपार्टमेन्ट कोई दूसरा है ही नहीं उसकी आज यह दशा हो गई है। इसलिए इसको सुधारने की बडी आवश्यकता है। हमारे राम निवास मिर्धा जी बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, उम्मीद है कि इस डिपार्टमेन्ट को भी ईमानदार बनाने की कोशिश करेंगे ताकि सारे देश का भला हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री डी० एन० रेड्डी (कड़प्पा) : माननीय सभापति महोदय, राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिये विश्वसनीय, कुशल और आधुनिक संचार प्रणाली निहायत जरूरी है। संचार विभाग का दूरसंचार एवं डाक सेवा का विभाजन स्वागत योग्य है।

इस प्रणाली में किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाभकारी होना चाहिये। सर्वप्रथम दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्र में आम व्यक्ति को फायदा होना चाहिये। राष्ट्रपिता ने कहा है कि भारत गांवों में बसता है।

इस समय औसत एक डाकखाना 21.87 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 4,734 लोगों की सेवा करता है। यह एकदम अपर्याप्त है। डाक न सिर्फ व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है परन्तु यह राष्ट्रों को भी जोड़ता है। प्रत्येक 2,000 की आबादी पर एक डाकखाना होना चाहिए जिसका अर्थ है दूर-दराज के पहाड़ी क्षेत्रों और पिछड़े इलाकों को दृष्टिगत रखते हुए डाकखानों की संख्या दुगुनी होनी चाहिये।

फिर भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि डाक-विभाग राष्ट्र के प्रति अपना कर्त्तव्य निभा रहा है। टेलीग्राफिक प्रणाली को आधुनिक बनाया जाना चाहिये और एक ऐसी प्रणाली निकालनी चाहिये जिसके द्वारा आम व्यक्ति को टेलीग्राम कम से कम समय में मिल जाये।

स्मारक टिकटों के बारे में भी मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। टिकट संकलन राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न पहलुओं, को दर्शाता है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय विषयों के साथ-साथ राष्ट्रीय विषयों का भी समावेश होता है। लगभग 38 डाक टिकटें विभिन्न घटनाओं और हस्तियों का विभिन्न तरीकों से विवेकपूर्ण सम्मिश्रण करके अभी तक जारी की गई हैं। इसमें नवीनतम हमारी राष्ट्रीय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी पर डाक टिकट है। मुझे खेद है कि भक्त पोयाना, आन्ध्र प्रदेश में अमर कृतियों के रचयिता भागवथम् तथा महान स्वतंत्रता सेनानी श्री अल्लूरी सेयारामा राजू के सम्मान में टिकट जारी करने का लम्बे समय से पड़े प्रस्ताव पर अभी तक कुछ नहीं किया गया है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर शीघ्रता से विचार करेगी। आन्ध्र के ही एक ओर महान सुपुत्र प्रो० रंगा भी यहां विद्यमान हैं, वे भी मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि वर्तमान रक्षा मंत्री महोदय ने भी एक बार इन तेलुगु देशम के दो महान सुपुत्रों के स्मारक डाक टिकट जारी करने के लिये अनुरोध किया था।

वर्तमान प्रचलित दूरसंचार व्यवस्था अत्यधिक असंतोषजनक है। टेलीफोन अधिकारियों की कथनी और करनी में व्यापक अन्तर होने की वजह से टेलीफोन उपभोक्ताओं को लगातार परेशानी हो रही है। उचित देखभाल के द्वारा कम खराब होने वाले तथा खामियों को दूर करने वाली विश्वसनीय सेवा की हम आशा रखते हैं। कुछ एक्सचेंजों में नवीन आधुनिकतम उपकरण लगाने की आवश्यकता है। उपभोक्ता काफी हद तक लाचार हैं। वह दूसरी तरफ के व्यक्ति को न तो देखता है और न ही सुनता है, न ही आपरेटर इस तरफ देखता और न ही दूसरी तरफ। जिस तरह से उपभोक्ता से व्यवहार किया जाता है वह वास्तव में दयनीय है। इसलिये मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें कि इस बारे में कुछ किया जाये। बहुधा, दूसरी तरफ आपरेटर उपस्थित नहीं होता है और हमें एक ही दिन में कई

[श्री डी० एन० रेड्डी]

बार गलत नम्बर मिलते हैं। इससे उपभोक्ता को सचमुच में परेशानी होती है।

मेरा सुझाव है कि विभाग विभिन्न एक्सचेंजों में रजिस्टर रखें जिसमें उपभोक्ताओं द्वारा बताई गई, चाहे वे स्वयं आकर बतायें अथवा टेलीफोन से, सभी शिकायतों को दर्ज किया जाना चाहिये, तथा तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए। अगर जरूरत हो तो विभाग स्थानीय कॉलो तथा एस० टी० डी० का हिसाब रखने के लिये उचित फीस लेकर उपभोक्ताओं के घर पर चैक-मीटर लगायें। जैसा कि विदेशों में तथा कुछ हमारे राज्यों में प्रचलित है, एस० टी० डी० की संख्या शहरों में बढ़ायी जानी चाहिये। 20,000 की आबादी वाले किसी भी नगर में एस० टी० डी० सुविधा होनी चाहिए तथा टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या में भी वृद्धि की जानी चाहिए। आजकल, किसी भी व्यक्ति को, टेलीफोन लेने के लिए चार से पांच वर्ष तक इन्तजार करना पड़ता है। इस विभाग को ऐसा इन्तजाम करना चाहिये कि टेलीफोन के लिए प्रार्थी को 6 महीनों के अन्दर टेलीफोन मिल जाये।

बेहतर एवं तुरन्त सेवा प्रदान करने के लिए सम्पूर्ण टेलीफोन प्रणाली का पुनर्गठन करने की जरूरत है।

मैं मंत्री महोदय को कुछ दिन पूर्व हुए अपने अनुभव से अवगत कराना चाहूंगा। जब मुझे क्वार्टर मिला तो संसदीय कार्यालय ने मुझसे पूछा कि आप टेलीफोन कब लगवाना चाहते हैं। मैंने उसे लगाने की तारीख एवं समय बता दिया। 24 घंटे बाद एक व्यक्ति ने आकर तारें डाल दी और फिर 24 घंटे पश्चात टेलीफोन भी लगा दिया गया, परन्तु अभी तक मुझे कनेक्शन नहीं मिला है। अभी तक उन्होंने न ही मुझे कनेक्शन दिया है और न ही नम्बर ही। यह दिल्ली की हालत है और वह भी संसद सदस्य की। संसद द्वारा दिये गये क्वार्टर में मैं पिछले एक हफ्ते से इन्तजार कर रहा हूं। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि अन्य जगहों के लोगों की क्या स्थिति होगी। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे मेरा उद्धार करें और कोशिश करें कि मुझे जल्द से जल्द टेलीफोन कनेक्शन दिया जाये। अगर दिल्ली की भी यही हालत है तो ग्रामीण क्षेत्रों की दशा क्या होगी ? बहुत से माननीय सदस्यों ने बताया कि टेलीफोन प्रणाली एकदम बेकार है। टेलीफोन विभाग के प्रति सहानुभूति प्रकट करने की जरूरत नहीं है बल्कि उन्हें चेतावनी दी जानी चाहिये तथा सम्पूर्ण प्रणाली को पुनर्गठित एवं आधुनिक बनाया जाना चाहिये।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय अपना वक्तव्य कब देंगे।

सभापति महोदय : महोदय कृपया इन्तजार करिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या हमसे इस तरह का व्यवहार उचित है। गृह मन्त्री महोदय के वक्तव्य के लिए हमें कितनी देर और इन्तजार करना पड़ेगा ?

सभापति महोदय : उन्होंने मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमें काफी पहले बताया गया था कि वे वक्तव्य देंगे।

श्री एच० एम० पटेल (साबरकंठा) : आकाशवाणी से हमें पता चला है कि वे 4 बजे वक्तव्य देंगे।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय ने यहां पर सूचना दी है कि वह पांच बजे वक्तव्य देंगे।

श्री एच० एम० पटेल : आकाशवाणी ने चार बजे का वक्त बताया है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उन्होंने कहा है कि वह दोपहर पश्चात् वक्तव्य देंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमारी शिकायत है कि कितनी देर तक हमें इस स्थिति में रहना होगा ?

श्री एच०एम० पटेल : माननीय सभापति महोदय, आकाशवाणी पर घोषणा की गई थी कि मन्त्री महोदय 4 बजे वक्तव्य देंगे।

सभापति महोदय : परन्तु आकाशवाणी की खबर जरूरी नहीं कि सच ही हो।

प्रो० एन० जी० रंगा : फिलहाल आप यहां छह बजे तक तो बैठे ही हैं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : सरकार को कहने दीजिए कि आकाशवाणी का समाचार सही नहीं है। यह झूठी खबरें देता है।

सभापति महोदय : मैं मन्त्री महोदय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार काम करूंगा।

श्री नारायण चौबे : आकाशवाणी भारत सरकार के नियन्त्रणाधीन विभाग है और आप कहते हैं कि समाचार सही नहीं है।

सभापति महोदय : जरूरी नहीं कि यह सही हो।

4.00 म० प०

***श्री टी०बी० चन्द्रशेखरप्पा** (शिमोगा): माननीय सभापति महोदय, संचार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए मुझे खुशी है। मांगों पर बोलते समय मैं कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दे मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस मन्त्रालय को स्वतन्त्र मंत्रालय बना दिया गया है और इस बात के लिये मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

इस मन्त्रालय के कई कार्यक्रम हैं विशेष रूप में दूरसंचार के क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। छठी पंचवर्षीय योजना के अधीन दूरसंचार के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए

*मूल कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

[श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा]

काफी प्रयास किये गये हैं। इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, बंगलौर ने इस विकास कार्य में काफी योगदान किया है।

दूरसंचार तथा अन्य संबंधित विषयों के आधुनिकीकरण की जांच करने के लिए विभिन्न समितियां गठित की गई हैं। सरीन समिति ने अल्पावधि तथा दीर्घावधि के विकास कार्यक्रमों का सुझाव दिया है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह सरीन समिति द्वारा दिये गये सुझावों को क्रियान्वित करें।

दूर संचार के क्षेत्र में तीव्र प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए इन्सैट I-बी तथा माइक्रोवेव सुविधाओं का पूरा-पूरा उपयोग करना आवश्यक है।

इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, बंगलौर में हजारों दक्ष एवं कुशल तकनीशियन हैं। यहां पर नवीनतम प्रौद्योगिकी उपयोग में लाई जा रही है तथा संचार प्रणाली के विकास में काफी सुधार हुआ है। बंगलौर में वर्तमान आई० टी० आई० काम्प्लैक्स के निकट एक डिजीटल इलैक्ट्रोनिक स्विचिंग उपकरणों के उत्पादन के लिए एक काम्प्लैक्स स्थापित करने का प्रस्ताव था। विशेषज्ञों ने इसकी मंजूरी दे दी है और अधिकतर सभी व्यवस्थाएं की जा चुकी थीं। परन्तु डीजिटल इलैक्ट्रानिक स्विचिंग उपकरण बनाने वाले इस काम्प्लैस को उत्तर प्रदेश के गोंडा में लगा दिया गया।

सन् 1983 में इस संबंध में कर्नाटक के सभी संसद सदस्यों का एक प्रतिनिधिमण्डल हमारी भूतपूर्व प्रधान मन्त्री स्वर्गीया श्रीमती इन्दिरा गांधी से मिला था उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि डीजिटल इलैक्ट्रानिक स्विचिंग उपकरणों की दूसरी इकाई बंगलौर में लगाई जायेगी। इसलिए मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह हमारी भूतपूर्व प्रधान मन्त्री जी के आश्वासन को पूरा करें। गोंडा में तथाकथित इकाई बुनियादी सुविधाओं के अभाव आशानुकूल स्तर पर कार्य नहीं कर रही है। कर्नाटक सरकार ने दूसरी इकाई लगाने के लिये भूमि आवंटित कर दी है। इसके लिए बुनयादी सुविधाएं जैसे पानी, बिजली आदि प्रदान करने का भी वायदा किया गया है। परन्तु अब न सिर्फ संसद सदस्यों के मन में अपितु कर्नाट के लोगों को भी संदेह है कि दूसरी इकाई भी उत्तर प्रदेश में ही लगाई जायेगी। कर्नाटक के लोग इस काम्प्लेक्स की स्थापना किये जाने का उत्सुकता से इन्तजार कर रहे हैं।

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज बंगलौर में काफी मात्रा में दक्ष श्रमिक हैं जिनकी सेवाएं नये काम्प्लैक्स में ली जा सकती हैं। इससे कुछ हद तक बेरोजगारी की समस्या भी समाप्त होगी। अत: मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस काम्प्लैक्स को किसी और स्थान पर न लगायें, परन्तु इसे बंगलौर में ही स्थापित किया जाये। मैं सम्मानीय सदन में इस संबंध में मन्त्री महोदय का स्पष्ट कथन चाहता हूं।

अब मैं डाक एवं तार विभाग के बारे में अपने विचार व्यक्त करूंगा। इस विभाग की कार्य-क्षमता कम हो गई है।

जन संचार का एक मात्र यही साधन है जो उन ग्रामीणों को एक दूसरे के सम्पर्क मे लाता है जो देश के दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं। मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि गांवों की जनता को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने के लिए सम्पूर्ण प्रशासन को कारगर बनाया जाय।

मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि सभी तालुकों और जिला मुख्यालयों को निकटतम मूल संचार केन्द्रों से जोड़ा जाय जिससे उन्हें एस० टी० डी० की सुविधा प्राप्त हो सके। सातवीं योजना अवधि के दौरान उस बात को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। महोदय, बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदय, हमारा राष्ट्र एक उन्नत राष्ट्र है। यह समझा जाता जाता है कि हम लोग सदा अग्रणी रहे हैं। किन्तु डाक और तार के मामले में हम पीछे लौट रहे हैं। निष्ठावान मन्त्री के होते हुए भी डाक-तार विभाग पिछड़ रहा है। हमारे देश के सरकारी क्षेत्र में यह सबसे बड़ा संगठन है और यह उत्तर से दक्षिण तक तथा पूरब से पश्चिम तक पूरे देश में फैला हुआ है।

संसद सदस्य बनने के बाद मैंने चाहा कि मैं इस बात का अध्ययन करूं कि डाक वितरण में इतनी अधिक देरी क्यों होती है। दुर्भाग्यवश मुझे सिवाय इसके कोई उत्तर नहीं मिला कि पत्रों में आमतौर से देरी होती ही है...महोदय, छुट्टी में मैं अधिकतर बंगलौर जाता हूं। मैं इस आशय का पत्र लिखता हूं कि मैं अमुक दिन में आ रहा हूं। किन्तु बंगलौर पहुंचने पर वे पत्र स्वयं मुझे ही प्राप्त होते हैं। पत्रों को बंगलौर से दिल्ली पहुंचने में चार दिन लगते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि त्वरित डाक सेवा के अन्तर्गत डाले गए पत्र बंगलौर में उसके दूसरे दिन ही शाम को वितरित हो जाते थे। अब दिन लगते हैं। मुझे यह नहीं समझ में आता कि इसका क्या कारण है जबकि डाक-तार विभाग का यह कहना है कि प्रौद्योगिकी और विज्ञान के आधार पर वे बहुत अधिक प्रगति कर चुके हैं।

स्थानीय डाक वितरण के मामले में भी मुझे कड़वा अनुभव है। मुझे आशा है कि हर एक का अनुभव ऐसा ही होगा। दिल्ली अथवा बंगलौर में स्थानीय पतों पर डाले गए पत्रों को भी मिलने में कम से कम 2 दिन लगते हैं। क्या यही कार्य-कुशलता है ? मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हमारी स्थिति क्या है। मेरा अनुमान है कि वास्तविकता यह है कि हमारे मन्त्री महोदय ने हाल ही में इस विभाग का कार्य भार संभाला है सम्भवतः वे मुझे नहीं जानते हैं मैं उनसे और उनकी कार्य कुशलता से भली भांति परिचित हूं। वह निश्चित रूप से इस मामले पर ध्यान देंगे और इसे ठीक कर देंगे। आपकी अनुमति से मैं 5 मिनट और लेना चाहता हूं।

सभापति महोदय : किसी भी सदस्य के प्रति कोई भेद-भाव नहीं है।

श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर : जहां तक डाक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, एक या एक से कुछ अधिक शतक के बाद भी हम डाक कर्मचारी को आसानी से पहचान सकते थे। वे वर्दी पहनते थे और बिल्ले लगाते थे। अब डाक-तार कर्मचारियों को किस प्रकार पहचाना जा सकता है ? अब अनेक महिला कर्मचारी हैं। वे वर्दी नहीं पहनती हैं। उनके बिल्ले भी नहीं लगे होते। मुझे नहीं पता कि श्रमिक अथवा कर्मचारी नेता उसका विरोध कर रहे हैं अथवा नहीं। किन्तु यह नितांत आवश्यक है कि उन्हें वर्दी दी जाए। उन्हें बिल्ले लगाने चाहिए। आप उन्हें वर्दी भत्ता दीजिए। आप उन्हें तीन-

[श्री बी० एस० कृष्णा अय्यर]

या चार जोड़ी वर्दी दीजिए महिलाओं को भी वर्दी दी जानी चाहिए क्योंकि आजकल अनेक महिलाओं की भर्ती चपरासी या डाकिए के पद पर होती है।

डाक विभाग के बारे में मेरे मित्र श्री सुरेश ने कुछ कहा था। इस विभाग में विभागोत्तर एजेन्ट भी हैं। श्रमिक नेताओं को इसके बारे में अच्छी तरह से पता है। मुझे उनके पत्र प्राप्त होते रहे हैं। अनेक सदस्यों को भी पत्र मिले होंगे। उनमें से हजारों व्यक्तियों को कुल मिलाकर 200/ रुपये महीने वेतन मिलता है। उनसे पांच घंटे काम करने की आशा की जाती है। किन्तु वास्तविकता यह है कि वहां के पोस्ट मास्टर द्वारा निर्देशित उन्हें सभी काम करने होते हैं। वे डाक छंटाई, डाक वितरण का सभी काम करते हैं और यहां तक की पोस्ट मास्टर के घर का काम भी उन्हें करना पड़ता है। वे स्थायी कर्मचारी नहीं हैं। पोस्ट मास्टर किसी भी समय उनकी सेवा समाप्त कर उन्हें घर बिठा सकता है। उन्हें इस सेवा में 15 या 20 वर्ष हो चुके हैं। उनके बारे में विचार करना बहुत आवश्यक है। यह अत्यधिक खेद की बात है कि 40 या 45 की आयु हो जाने के बावजूद और शादी शुदा और बच्चों वाले होते हुए भी, वे स्थायी नहीं हैं।

इन कर्मचारियों के लिए आप क्या करेंगे ? या तो आप उन्हें स्थायी कीजिए अन्यथा ऐसे कर्मचारी बिल्कुल भी भर्ती न कीजिए। वे लोग 20 और 25 वष से विभागेतर कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। यदि आप उन्हें नहीं चाहते है तो उन्हें आरम्भ में ही निकाल दें। किन्तु 20 या 25 वर्ष के बाद यदि उन्हें निकाल दिया जाता है तो वे कहां जायेंगे ? उन्हें अपना विवाह करना होता है अपना परिवार बसाना होता है। बिना काम के वे अपने परिवार का पालन पोषण किस प्रकार कर सकेंगे ? उनकी सेवा स्थाई की जानी चाहिए और उन्हें अच्छा वेतन दिया जाना चाहिए।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : आप उन्हें निकाल नही सकते है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। विभागेतर कर्मचारियों के बिना अनेक गांवों में डाक सेवा कार्य नहीं हो सकते।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : आप उन्हें स्थाई कर दें। आप उन्हें अच्छा वेतन दें। हम नहीं चाहते कि आप उन्हें निकाल दें। उनके कहने का यही अर्थ है। आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। आप उन्हें अच्छा वेतन दें। आप उन्हें केवल 100 या 200 रुपया महीना देते हैं। इतने थोड़े रुपये पर कौन काम करेगा ? वे लगभग पूरे दिन काम करते हैं।

श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर : डाक घरों के बारे में सरकार से और मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस बात पर ध्यान देने की कृपा करें कि हर गांव में एक डाक घर होना चाहिए। वहां तार घर भी होना चाहिए। सातवीं योजना का यही लक्ष्य होना चाहिए।

टेलीफोन के बारे में हमसे से अनेक को इसका कटु अनुभव है। अनेक बार गलत कनेक्शन मिल जाते हैं और अनेक बार किसी महिला की आवाज आती है और विशेषकर महिलायें आमतौर से हमें गलत समझ लेती हैं। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि गलत कनेक्शन न मिलें।

इसके अलावा टेलीफोन के बिल गलत आते हैं। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस

मामले पर ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि अधिक राशि के बिल न भेजे जाएं।

'सहायता' सुविधा का क्या लाभ है जब 'सहायता' सुविधा प्राप्त ही नहीं हो जाती। जब कोई विशेष नम्बर का कनेक्शन नहीं मिलता है तब 'सहायता सेवा की सहायता लेनी पड़ती है किन्तु 'सहायता' सेवा का नम्बर पाना भी कठिन काम है उनसे सहायता दिए जाने की आशा की जाती है। उनसे शायद ही कोई सहायता मिलती है।

'पूछ-ताछ' मिलाने के लिए भी आप नम्बर डायल करते रहिए, आपको कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए कई मिनट तक प्रतीक्षा करनी होगी। एक दशक पहले ऐसी बात नहीं थी। सेवा में बहुत गिरावट आई है टेलीफोन सेवा की कार्य कुशलता सुधारने की आवश्यकता है यह इलैक्ट्रोनिक युग है। इसके बारे में कुछ न कुछ किया जाना चाहिए।

टेलीफोन आवंटन के सम्बन्ध में, भारतीय तार अधिनियम में ही टेलीफोन सलाहकार समितियां गठित करने का प्रावधान है। मैं स्वयं बंगलौर में टेलीफोन सलाहकार समिति का सदस्य था। गत तीन वर्ष से कोई सलाहकार समिति नहीं है यह काम अब टेलीफोन विभाग के अधिकारियों के रहमों-करम पर होता है। कर्नाटक में मंत्री तक विशिष्ट वर्ग में नहीं माने जाते हैं टेलीफोन्स के महा-प्रबंधक का कहना है कि इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। मैं स्वयं एक मंत्री था और यह मेरा अपना अनुभव है। महा प्रबंधक का कहना था। मैं मंत्रियों को विशिष्ट वर्ग नहीं दे सकता।" वह जिसे चाहे टेलीफोन दे सकता है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय उसकी जांच कराएं। इस बारे में उन्हें अवश्य ही कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव का पत्र प्राप्त हुआ होगा। यदि मंत्री को विशिष्ट वर्ग नहीं मिल सकता है तो फिर किसको मिलेगा? आप विशिष्ट वर्ग को स्पष्ट करें। यह बहुत आवश्यक है। आप इसकी व्याख्या करें आप यह भी सुनिश्चित करें कि जहां आवश्यक हो वहां टेलीफोन सलाहकार समितियां गठित की जाएं।

जहां तक एस० टी० डी० का प्रश्न है, हर जिले में एस० टी० डी० की सुविधा होनी चाहिए।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकारी क्षेत्र में एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण संगठन है, वह है इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज जो बंगलौर में स्थित है। यह सभी दूर-संचार संगठनों का उद्गम स्थल है। इसकी प्रबन्ध व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज में हमेशा छंटनी का भय बना रहता है क्योंकि अब एक्सचेंज निर्माण कार्य बन्द हो गया है जिसका निर्माण वे पहले करते थे। मेरा अत्यधिक अनुरोध है कि सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि डिजीटल इलैक्ट्रोनिक स्विच गीयर प्रणाली का कारखाना बंगलौर में स्थापित किया जाए। पिछली बार हमें धोखा दिया गया था। इस बार फिर हमें धोखा न दिया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम श्रेष्ठ खिरहर (सीतामढ़ी) : सभापति महोदय, मैं सरकार के संचार मंत्रालय की

[श्री राम श्रेष्ठ खिरहर]

मांगों का समर्थन करता करता हूं। यह बात सही है कि पिछले वर्षों में संचार के क्षेत्र में देश में बहुत-सा तकनीकी विकास हुआ है और देश की संचार व्यवस्था काफी उन्नतशील रूप में काम कर रही है।

लेकिन इस क्षेत्र में जितना विकास हुआ उसका लाभ देश के सभी क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाया है। इसके विकास के लाभ से देहाती क्षेत्र वंचित हैं। खासतौर से मैं बिहार के देहाती तथा उत्तरी क्षेत्रों और अपने सीतामढ़ी जिले का जिक्र करना चाहूंगा। ढाई हजार की पापुलेशन पर एक डाक घर की बात की जाती है। आज भी हमारे यहां छह-सात मील पर डाक घर मिलते हैं। किसी भी डाकघर में टेलीफोन की सुविधा नहीं है। मेरी यह राय है कि जब तक यह सुविधा नहीं दी जाएगी तब तक इसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो सकता है। मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि हर देहाती क्षेत्र में जहां भी डाक घर खोले जा रहे हैं, उनमें टेलीफोन की सुविधा अवश्य होनी चाहिए। मेरे सीतामढ़ी जिले के विभिन्न डवलपमेंट ब्लाक हैं। उनमें भी इस तरह की टेलीफोन सुविधा प्राप्त नहीं हुई है जिससे काफी कठिनाई होती है। देहाती क्षेत्रों के डाकघरों में जितने भी पोस्टमैन कार्य करते हैं, उनका न तो कोई स्केल है और न ही उनकी सर्विस रेगुलर है। इसके अभाव में उनमें काम करने का उत्साह नहीं रहता है। मैं चाहता हूं कि उनकी सर्विस रेगुलर की जाए और स्केल भी फिक्स किया जाए। हमारे सीतामढ़ी जिले में माइक्रोवेव अभी तक नहीं लग पाया है। पिछले दो सालों से इस मंत्रालय की ओर से वहां पर मशीन जाती है लेकिन उसका इंस्टालेशन नहीं हो पाता है। हमें यह पता लगा है कि जमीन की कमी है। कहां से क्या होगा, इसकी छानबीन होनी चाहिए। यह कार्य अविलम्ब होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : महोदय, वास्तव में मैं उन सदस्यों का कृतज्ञ हूं जिन्होंने संचार मंत्रालय पर इस वाद-विवाद में भाग लिया है। उन्होंने इसमें बहुत अधिक रुचि ली और ऐसे अनेक सुझाव दिये कि इस सेवा में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। इस बात को मैं तत्काल स्वीकार करता हूं कि हम जो सेवा उन्हें प्रदान करना चाहते थे, वह प्रदान नहीं कर सके हैं।

इसके पीछे लम्बा इतिहास है कि हमारी विशेषकर दूर-संचार सेवायें हमारी आशा के अनुरूप क्यों नहीं हो पाई हैं। अपनी पिछली योजनाओं में इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई थी जिसके परिणामस्वरूप हर योजना के बाद प्रतीक्षा सूची मे व्यक्तियों की संख्या बढ़ती गई और अन्ततोगत्वा पूरे देश में समग्र रूप से धीरे-धीरे यह महसूस किया जा रहा है कि दूर-संचार सेवा वास्तव में राष्ट्रीय महत्त्व और विकास का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है और यह भी महसूस किया जा रहा है कि यह केवल विशिष्ठ वर्ग के लोगों की वस्तु नहीं है जो शहरी क्षेत्र के कुछ वर्ग के लोगों की सेवा तक ही सीमित है।

उदाहरण के तौर पर, यह बताने के लिए कि अतीत में क्या घटना घटी थी, मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आरम्भ हुई थी। उस समय टेलीफोन की प्रतीक्षा सूची में 29,101 व्यक्ति थे।

दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61) की समाप्ति पर प्रतीक्षा सूची में यह संख्या बढ़कर 1,89,405 हो गई थी।

तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर यह संख्या बढ़कर 3,49,226 हो गई थी।

आज छठी योजना की समाप्ति पर प्रतीक्षा सूची की संख्या बढ़कर 8.6 लाख हो गई है।

इस सेवा में बहुत अधिक सुधार लाने के लिए हमें बहुत अधिक प्रयत्न करना होगा तथा बहुत अधिक धन व्यय करना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए छठी योजना में आवंटित की गई 2,700 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में हमने सातवीं योजना में 12,000 करोड़ रुपये की राशि का नियतन करने का प्रस्ताव किया है। इतने पर भी प्रतीक्षा सूची समाप्त नहीं हो पाएगी। इसे पूरा करने में बहुत अधिक समय लगेगा क्योंकि यह बहुत पुरानी हो गई है।

टेलीफोनों के प्रचालन में सबसे अधिक कठिनाई इस बात की है कि टेलीफोन कम हैं और उनसे अधिक संख्या में काल की जाती है, एक ही टेलीफोन को बहुत सारे व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं। अन्य देशों की अपेक्षा भारत में टेलीफोन उपयोग करने वालों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड में एक टेलीफोन पर दिन-भर में केवल दो काल की जाती हैं। जापान में दोनों ओर के काल प्राप्त करने तथा भेजने पर प्रति टेलीफोन प्रतिदिन केवल 16 मिनट इस्तेमाल किया जाता है। अन्य देशों की यह स्थिति है जिनका उदाहरण कभी-कभी दिया जाता है और यह पूछा जाता है कि जब उनका तंत्र इतना कार्यकुशल है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता ? अधिकांश परेशानियां इस प्रकार की है कि काल नहीं मिल पाते हैं, पूछताछ उत्तर नहीं देता है। इसका कारण यह है कि हमारा तंत्र हर समय व्यस्त रहता है और जब किसी का काल नहीं मिल पाता है तो वह डायल घुमाता रहता है; जैसाकि एक माननीय सदस्य ने बताया अंगुली सचमुच दुःख जाती है। विशेषकर उन्होंने कलकत्ता के बारे में बताया था। यही सब होता है और चूंकि यह सब चलता रहता है, इसीलिए यही सबसे अधिक परेशानी की बात है। अतः आधुनिकतम उपकरण, स्वीचिंग उपकरण, एक्सचेंज लगाने तथा अन्य कार्यों के लिए योजना आयोग द्वारा जो राशि नियत की गई है, उस राशि से हम इस योजना में गम्भीरतापूर्वक कार्य करने की चेष्टा करेंगे जिससे हमारा तंत्र आधुनिक बना सके।

हमारी सातवीं योजना की दूसरी रूपरेखा दूर-संचार को ग्रामीण क्षेत्र में ले जाने की है, जो अब तक उपेक्षित रहा है। इसलिए हम आधुनिकतम तकनीक अपनाना चाहते हैं और उन्हें ऐसे स्थान पर नहीं लगाना चाहते जहां हमारी मशीन पुरानी मशीनों की तरह ठप्प पड़ी रहे। एक दो उदाहरण के तौर पर, कुछ पहाड़ी दुर्गम स्थानों में, जहां खुले तार लगाना और उनका रख-रखाव करना कठिन है, वहां हम सूक्ष्म तरंग लिंक और उपग्रह लगाना चाहते हैं जिससे दूरस्थ स्थानों तक पहुंचा जा सके।

दूसरी बात—जिसका उल्लेख प्रो० पराशर कर चुके हैं—बहु-उद्देश्यीय रेडियो प्रणाली से सम्बन्धित है जिसे हम अपनाना चाहते हैं। इससे हर गांव में कुछ टेलाफोन लगाकर हम गांव के ग्रुप को सुविधा प्रदान कर सकते हैं। वास्तव में, हमारा विचार खुले या भूमिगत केबल लगाने का काम समाप्त करने का है जिससे हम भरोसेमन्द सेवा प्रदान कर सकें।

[श्री राम निवास मिर्धा]

हमारी सातवीं परियोजना की एक और रूपरेखा यह है कि दूर-संचार प्रचालन के प्रत्येक क्षेत्र में हम लोग आधुनिकतम प्रौद्योगिकी प्रयोग में लाएं। जैसाकि बताया जा चुका है हम लोग डिजीटल स्विच प्रणाली लागू कर चुके हैं, जो आधुनिकतम प्रौद्योगिकी है।

हमने इसकी जांच की है, हमने इसकी स्थापना आरम्भ कर दी है। जैसाकि कहा गया है हमने गोण्डा में इसका उत्पादन आरम्भ कर दिया है। आई० टी० आई० में हम इस समय जो उत्पादित कर रहे हैं उसके अतिरिक्त भावी विस्तार हेतु हम इस प्रणाली को अपनाना चाहते हैं।

एक अन्य बात यह है। चूंकि संभवत: हम हमेशा विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात करने के लिए मजबूर न हों इसलिए हम एक ऐसी प्रणाली विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं जो पूर्णतया हमारी अपनी होगी। हमने विशेष व्यवस्था की है, हमने एक संगठन जिसे 'कोट्री (coutri) फार डेवलप्मेंट आफ टेलीमेटिक्स' कहते हैं आरम्भ किया है और इस कोट्री को यह आदेश दिया गया है; हमने उसे तीन वर्ष और 35 करोड़ रुपए की राशि दी है क्योंकि गणना इतनी ही राशि की गई थी। हमने उनसे एक ऐसी प्रणाली विकसित करने के लिए कहा है जो पूर्णतया स्वदेशी हो जिसमें कतिपय बाह्य क्षेत्र आयातित प्रौद्योगिकी से पूरे किए जाएंगे। और उन्हें एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिए जो दूर-संचार के विस्तार के लिए एक मानक प्रणाली हो। तब तक हमने फ्रांस की इस डिजिटल प्रणाली को अपना लिया है और 500,000 लाइनों की क्षमता वाली एक फैक्ट्री गोण्डा में कार्य कर रही है।

जहां तक दूसरी फैक्ट्री का सम्बन्ध है जिसके बारे में माननीय सदस्य श्री चन्द्र शेखरप्पा बहुत रुचि ले रहे थे, वह अभी विचाराधीन है। बंगलौर में इसी प्रकार की एक और फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव था। इसे उत्तर प्रदेश या अन्य किसी स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रश्न ही नहीं है। हमें आशा है कि इस दूसरी फैक्ट्री के बारे में शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। इसे कहीं और स्थानांतरित करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है और हमें अब भी विश्वास है कि इस फैक्ट्री की स्थापना के लिए बंगलौर अच्छा स्थान होगा। वहां पर भारतीय टेलीफोन उद्योग पहले से है, मेरे विचार में यह देश में आरम्भ किया जाने वाला एक अग्रणी सरकारी उपक्रम है···

प्रो० एन० जी० रंगा : यह लाभ में चल रहा है।

श्री रामनिवास मिर्धा : हां, यह लाभ में चल रहा है। यह श्रमिकों के सहयोग से कुशलता से कार्य कर रहा है। अत्यन्त कुशल और उत्साही व्यक्ति वहां काम करते हैं। निस्सन्देह, वहां पर बुनियादी सुविधाएं होने के कारण दूसरी फैक्ट्री के लिए बंगलौर एक उपयुक्त स्थान है। जब दूसरी फैक्ट्री का प्रश्न आएगा हम इस ओर काफी ध्यान देंगे···

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : अभी सन्देह क्यों है ?

श्री रामनिवास मिर्धा : क्योंकि हमने अभी निर्णय नहीं लिया है कि दूसरी फैक्ट्री लगानी है या नहीं···(व्यवधान) फिर भी यह आपको मिलेगी।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : पहली फैक्ट्री के समय भी यही हुआ था। यह आशा बंधायी गई थी।

श्री रामनिवास मिर्धा : मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसे उत्तर प्रदेश या अन्य किसी स्थान पर लगाने का इरादा नहीं है··· (व्यवधान)

मैंने इस सम्बन्ध में वह कह दिया है जो कहना चाहिए था। मैंने वहां के श्रमिकों की सराहना की है, बंगलौर की बुनियादी सुविधाओं की सराहना की है। मैं एक ऐसा मामला बनाने का प्रयास कर रहा हूं जिससे मैं इन्कार करने का प्रयास नहीं करूंगा। हम उसी ढंग से बात कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त महोदय, हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि वहां जो उपकरण तैयार हों वे हमारे अपने भावी विकास में इस्तेमाल किये जा सकें। इस लाइन के बहुत से आदिवासी भारतीय विशेषज्ञों ने न केवल इसमें रुचि दिखाई है बल्कि वास्तव में वे इस प्रणाली के विकास में सहयोग के लिए तैयार हैं। हम इस प्रयास को बहुत अधिक महत्त्व देते हैं और हम एक ऐसी प्रणाली विकसित कर सकेंगे जो पूर्णतया हमारी अपनी होगी जिस पर हम गर्व कर सकेंगे। डिजीटल के बारे में मैंने सभा में कुछ दिन पहले एक प्रश्न का उत्तर दिया था और कहा था हम 'आप्टीकल फाइबर' प्रेषण को अपनाने जा रहे हैं जो विश्व की नवीनतम प्रौद्योगिकी है। यह बाल की तरह एक तार होती है। यह शीशे की बनती है और प्रकाश आवेग उस शीशे के प्रकाश पर आवेग से चलता है। उनका प्रेषण अत्यन्त तेज गति से होता है। इसकी क्षमता सामान्य केबलों पर होने वाली गति से बहुत अधिक है। हम इसका अपने देश में उत्पादन करने के साथ-साथ इसे अपने भावी विकास के एक अंग के रूप में अपनाना चाहते हैं।

मैं भाषण के दौरान वे इस्तेमाल भी बताना चाहता हूं जो हमने उपग्रह संचार में किए। हमारे पास इन्सेट-बी है जिस पर इस वर्ष के अन्त तक 4000 चैनल होंगे। एक अन्य उपग्रह सी अन्तरिक्ष में भेजा जाने वाला है। हमें उससे भी कुछ फालतू क्षमता प्राप्त होगी। हम दूरस्थ क्षेत्रों जैसा कि पूर्वोत्तर अण्डमान और उन सभी महानगरों में जहां ये चीजें आवश्यक हैं पहुंचने के लिए उपग्रह संचार का पूर्ण प्रयोग करना चाहते हैं।

टेलेक्स सेवा और टेलेक्स मशीनों के बारे में, जिनका रख-रखाव अच्छे ढंग से नहीं किया जाता बहुत कुछ कहा गया है। मैं स्वीकार करता हूं कि जहां तक टेलेक्स के विकास का सम्बन्ध है, हम वास्तव में बहुत पिछड़े हुए हैं। यह शब्द स्वीकार्य है। क्योंकि हम पुराने नमूने की मशीनों का निर्माण कर रहे हैं, वे मशीनों से चलती हैं, उनके पुर्जे भी निर्माण करने वाली फैक्ट्रियों में भी उपलब्ध नहीं हैं। हमने सातवीं योजना में न केवल टेलेक्स, टेलीप्रिन्टर्स के लिए बल्कि सभी संचार सेवाओं के लिए एक बहुत बढ़िया एकीकृत आधुनिक नेट वर्क बनाने का फैसला कर लिया है।

4.30 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उदाहरण के लिए समाचार पत्र उपग्रह के माध्यम से अनुकृति द्वारा मुद्रित किए जाते हैं। यहां बैठे-बैठे आप अपने आवेग को उपग्रह के पास भेजिए जो उसे अन्य स्थानों पर विकीर्ण कर देगा और

[श्री राम निवास मिर्धा]

समाचार पत्र मुद्रित हो जाएगा। इस सारी नवीनतम प्रौद्योगिकी की ओर, जो दूरसंचार विकास का अवाक पक्ष है, गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया जाएगा और हम चाहते हैं कि सातवीं योजना के अन्त तक उच्च किस्म के टेलेक्स देश में सब जगह मांग पर उपलब्ध हों। वे अब दिल्ली और कुछ अन्य स्थानों में उपलब्ध हैं। हम इस प्रकार का जाल बिछा देना चाहते हैं ताकि बैंकों, प्रेस और कम्प्यूटर टर्मिनल की आवश्यकता पूरी की जा सके।

महोदय, बिलों की शिकायतों, टेलीफोनों के खराब होने और अन्य अनेक बातों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। ये शिकायतें वास्तविक हैं। जैसा कि मैंने आरम्भ में स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि मुख्य कारण यह है कि हमारे उपकरण अपर्याप्त, और पुराने हैं तथा सभी प्रकार के उपकरण एक साथ काम कर रहे हैं जिससे समन्वय करना कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए कनाट प्लेस में एक एक्सचेंज को बन्द कर दिया गया। उस समय यह पचास वर्ष पुराना था। एक नया एक्सचेंज आरम्भ किया गया है। यदि विरासत में हमें ऐसे उपकरण मिले हैं तो प्रणाली हमारी आशा के अनुरूप कुशलता से काम नहीं कर सकती। इसीलिए ये खराबियां और शिकायतें होती हैं।

महोदय, बढ़े हुए बिल आना एक अन्य बात है। बढ़े हुए बिल आने तथा अन्य शिकायतों पर ध्यान देने के लिए हम अपनी शिकायत प्रक्रिया में सुधार कर रहे हैं। हमारे प्रधान मन्त्री जी इसमें बहुत दिलचस्पी रखते हैं कि सार्वजनिक सेवाएं लोगों की इच्छाओं और मांगों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्हें उन लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए जिन्हें सेवा प्रदान करनी है। वह जो कुछ करना चाहते हैं, उससे अनुमान लगाकर हम अपनी वर्तमान शिकायत प्रक्रिया में सुधार करने तथा एक ऐसी प्रणाली विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे जन सम्पर्क जैसा दृष्टिकोण अपनाया जाएगा जिसमें लोग आमने-सामने बैठकर अपनी बात कह सकेंगे। यह भी कहा गया था कि इसे आरम्भ किया जाए। यह पहले से ही किया जा रहा है और हमारे अधिकारी इसका पालन कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि कितनी बार टेलीफोन मिल जाते हैं और कितने प्रतिशत नहीं मिलते क्योंकि मेरे विचार में एक प्रतिशत असफलता भी इतनी अधिक है कि हम श्रेय नहीं ले सकते······

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : हम निरपवाद रूप से एक प्रतिशत में आते हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय संसद सदस्यों के लिए मैं संसद सचिवालयकी सलाह से एक ऐसी प्रणाली विकसित करने का प्रयास कर रहा हूं जिससे बहुत सुविधा हो जाएगी। बड़ी बात तो यह है कि हमारे टेलीफोनों पर एस० टी० डी० है। हम जब इसका इस्तेमाल करते हैं या अन्य हमारी तरफ से इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम नहीं जानते कि कितनी देर बात हुई या कितना बिल आ गया होगा। परन्तु बिना एस० टी० डी० वाले टेलीफोनों की भी शिकायतें हैं। हम एक ऐसी प्रणाली विकसित कर रहे हैं जिसमें अगर शिकायत है और बिल बिलकुल असंगत है जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में हुआ है, तब हम उप-भोक्ताओं को एक राशि जमा कराने के लिए कहेंगे जो कि उसका आधा हो सकता है या उससे कम हो सकता है और शेष राशि के बारे में जांच की जाएगी। जहां तक टेलीफोन काटने का संबन्ध है, हम बिना पूर्व सूचना के टेलीफोन न काटने का प्रयास करेंगे। हम यह सुनिश्चित करना

चाहेंगे कि प्रत्येक उपभोक्ता के साथ, जिसकी सेवा के लिए हम वचनबद्ध है, उचित ढंग से व्यवहार किया जाए।

एक अन्य बात जो सामने आती है वह है हमारे एक्सचेंजों में बड़ी संख्या में अनुपस्थिति। एक्सचेंजों में 30-40 प्रतिशत अनुपस्थिति रहती है और यह वर्षों से चल रही है। हम प्रोत्साहन देने की एक ऐसी प्रणाली बनाने का विचार कर रहे हैं जिसके अन्तर्गत वे अल्प अवकाश न लें या अवकाश के बदले पैसा ले लें। 30-40 प्रतिशत अनुपस्थिति से हम कैसी सेवा की आशा कर सकते हैं? यद्यपि हम तदर्थ व्यवस्था करते हैं परन्तु प्रशिक्षित व्यक्तियों को तो नहीं छोड़ा जा सकता। इस प्रकार हम प्रोत्साहन देने की एक ऐसी प्रणाली बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसके अन्तर्गत स्टाफ को प्रोत्साहित किया जा सके, उनसे काम लिया जा सके, वे नियमित रूप से कार्यालय में आएं और अनुपस्थित न रहें। इस बारे में हमने मजदूर संघों से चर्चा की है और हम आपका भी सहयोग चाहते हैं। जैसा कि इस सभा के सदस्यों ने कहा है, मैंने मजदूर संघों के अपने मित्रों पर हमेशा यह जोर डाला है कि यदि हमारी सेवा की छवि यह रहेगी तो हम वास्तव में स्वयं को प्रोत्साहित नहीं कर सकेंगे और उनकी मांगों के लिए समर्थन प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

इसके साथ-साथ मशीनीकरण के बारे में और अन्य बातों के बारे में हमने हमेशा मजदूर संघों के प्रतिनिधियों से बात की है और भविष्य में भी आधुनिकीकरण के किसी भी कार्यक्रम को लागू करते समय और कम्प्यूटरीकरण के समय हम उनसे बात करेंगे। परन्तु यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि डाक अथवा तार के काम की भारी मात्रा को देखते हुए मशीनीकरण जिसमें कम्प्युटरीकरण भी आता है, अत्यन्त आवश्यक है। कभी-कभी विशेषरूप से बड़े शहरों में स्थिति नियन्त्रण से बाहर हो जाती है और उसे व्यक्तियों द्वारा कुशलता पूर्वक नहीं संभाला जा सकता। इस प्रकार हम पर पहले ही दबाव पड़ रहा है और मशीनीकरण या कम्प्यूटरीकरण धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है परन्तु मैं निश्चय ही सभा को पुनः यह आश्वासन दे सकता हूं। उन क्षेत्रों में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति की छंटनी करने का कोई प्रश्न नहीं है। उनसे सलाह न करने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम उन्हें विश्वास में लेना चाहते हैं। प्रबन्धकों और हमारे साथ काम करने वाले व्यक्तियों अथवा उनके प्रतिनिधियों का उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम दोनों परस्पर सहयोग करें और उपभोक्ताओं को एक ऐसी सेवा उपलब्ध कराएं जिसका हमें एक राष्ट्र और एक संगठन के नाते श्रेय मिले।

कार्यचालन के आधुनिकीकरण के विचार से हमने यह जांच करने के लिए कि क्या बम्बई और दिल्ली की टेलीफोन प्रणाली को एक निगम में परिवर्तित करके वर्तमान कार्यचालन में सुधार लाया जा सकता है, एक समिति गठित की है।

एक माननीय सदस्य : कलकत्ता के बारे में स्थिति क्या है?

श्री रामनिवास मिर्धा : हमने एक समिति की स्थापना की है। यदि हमारा अनुभव अच्छा रहा तो निस्सन्देह कलकत्ता को भी सम्मिलित किया जायेगा। महोदय, अब कलकत्ता के सम्बन्ध में मैं यह कह सकता हूं कि हम कलकत्ता में सेवा में सुधार लाने के लिए अत्यन्त उत्सुक हैं। कुछ सप्ताह पहले मैं स्वयं वहां गया था। मैं इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज में गया था। हमने 25 वर्ष से अधिक पुरानी सभी

[श्री रामनिवास मिर्धा]

लाइनों को चरणबद्ध तरीके से बदलने का निर्णय लिया है। हम उत्सुक हैं। कलकत्ता में हमारे समक्ष समस्याएं हैं। उदाहरण के लिए गलियां तंग हैं। विशेषरूप से मानसून में केबल खराब हो जाते हैं।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी (हावड़ा) : एक्सचेंज बहुत खराब हैं।

श्रीमती फूलरेणु गुहा (कन्टई) : मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह सूचित करना चाहती हूं कि पिछले सप्ताह के अन्त में मैं कलकत्ता में थी। मैंने कई लोगों को टेलीफोन करने का प्रयास किया। परन्तु मुझे 46 के अतिरिक्त कोई एक्सचेंज नहीं मिला। मुझे जो टेलीफोन सम्पर्क चाहिएं थे उन्हें मिलने में मुझे बहुत समय लगा।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया कि वहां कुछ सुधार हुआ है।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : कलकत्ता में स्थिति बहुत खराब है। आप कोई टेलीफोन नहीं मिला सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : वहां सुधार हुआ है। वह पहले ही आश्वासन दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वह उसमें सुधार करने जा रहे हैं।

श्री रामनिवास मिर्धा : मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रणाली क्यों खराब है। मैं सभी कारण नहीं बताऊंगा। केबलों और तारों की बड़ी मात्रा में चोरी हो रही है। हमने इसकी रोकथाम के लिए राज्य सरकार से विशेष दस्ता गठित करने के लिए कहा है जैसा कि कुछ राज्यों ने किया है। वे कहते हैं वे नहीं कर सकते। यह करदाताओं का धन है और यदि यह उनका काम नहीं है हमें विस्तार में नहीं जाना चाहिए। इसमें अनेक कठिनाइयां हैं। गलियां तंग हैं नगर निगम और पानी बिजली आदि अनेक प्राधिकरणों तथा टेलीफोन वालों के बीच समन्वय नहीं है। वे अन्धाधुन्ध सड़कों की कटाई करते हैं। परन्तु हम अब न केवल कलकत्ता में बल्कि अन्य स्थानों पर भी समन्वय समितियां बना रहे हैं ताकि यह समस्या कम की जा सके। परन्तु कलकत्ता में सेवा में सुधार लाने का काम जल्दी ही किया जाएगा और यह कैसे लाया जाएगा इस बारे में हमने पहले ही योजनाएं आरम्भ कर दी हैं। सौभाग्य-वश, कलकत्ता से बहुत से स्थानों को जोड़ने वाली ट्रक सेवाएं जो उपग्रह और माइक्रोवेव से जुड़ी हुई है, आजकल बेहतर ढंग से काम कर रही हैं। हम इनमें सुधार लाने के लिए पुन: कदम उठा रहे हैं।

सातवीं योजना में एक काम उपग्रह, वायरलैस और सभी उपलब्ध नवीनतम तकनीकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना भी है। हम इस ओर अग्रसर होना चाहते हैं क्योंकि दूर-संचार कोई विलास की वस्तु नहीं है बल्कि विकास कार्यक्रमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह अब धीरे-धीरे महसूस किया जा रहा है। और अब सभा तथा सदस्यों के साथ-साथ से जिन्होंने इस क्षेत्र में पर्याप्त आवंटन की वकालत की है, मैं आशा करता हूं कि योजना आयोग अनुकूल कार्यवाही करेगा और हम इस दिशा में कुछ कर सकेंगे। स्वीकृत की गई कतिपय परियोजनाओं के सम्बन्ध में समस्या यह है कि उनके लिए भवन तो तैयार हो गये हैं किन्तु इन परियोजनाओं को अभी चालू नहीं किया गया है।

कतिपय राज्य ऐसे हैं जहां समस्या यह है कि अनेक परियोजनाएं तो आरम्भ कर दी गई थीं किन्तु वास्तव में आई० टी० आई० मदों की पूर्ति नहीं कर सका। अतः मैं कतिपय महत्त्वपूर्ण मदों का आयात कर स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करूंगा। मैं निश्चित ही यह सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा कि ये परियोजनाएं ठीक ढंग से कार्य करें।

श्रीमती भंडारी ने सिक्किम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं। वास्तव में यह बात सही है, मैं कुछ दिनों पहले गंगटोक में था, वहां पर टेलेक्स सेवा तथा डाक और टलीफोन सेवाएं वास्तव में सन्तोषजनक ढंग से नहीं चल रही हैं और हम इस दिशा में हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। जहां तक टेलीफोन सेवा का सम्बन्ध है, गंगटोक में 800 लाइनों का एक्सचेंज स्थापित है। 1984-85 में 100 लाइनें और दे दी गई थीं। अब वहां 900 लाइनों की क्षमता है। हम चालू वर्ष के दौरान कम से कम 200 लाइनें और बढ़ा देना चाहते हैं और इस प्रकार इस सम्बन्ध में कुछ राहत मिलेगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए हमारा एक व्यापक कार्यक्रम है इस कार्यक्रम के लिए हम उपग्रह के माध्यम से सेवा उपलब्ध करेंगे जिसे हम एकीकृत डिजीटल नेटवर्क कहते हैं। हमने इसके लिए 10 क्षेत्र चुने हैं और उनमें से 7 क्षेत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र में हैं। हमने इस क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है ताकि संचार साधनों में सुधार हो और इस प्रकार के राष्ट्रीय मुख्य धारा में मिल जाए। मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि सिक्कम तथा सभी सम्बद्ध क्षेत्रों का पूरा ध्यान रखा जायेगा और जो भी उसके लिए कर सकेंगे, हम करने का प्रयास करेंगे।

एक माननीय सदस्य : एक ही स्थान पर लोगों को लम्बे अरसे तक क्यों रखा जाता है ?

श्री रामनिवास मिर्धा : हमने चक्रीय अन्तरण प्रणाली लागू की है। 4 से 6 वर्ष रहने के बाद मैं उनका अन्तरण करने का प्रयास करूंगा ताकि निहित स्वार्थ लाभ उठाने का प्रयास न करें। महोदय, सोवियत संघ के साथ सहयोग के स्वरूप के बारे में यहां कुछ कहा गया है। इस सम्बन्ध में एक उदाहरण भारत-सोवियत संघ ट्रोपोस्कैट्र लिंक का है जो हम स्थापित कर चुके हैं। मैं पूर्वी यूरोप के देशों, विशेष रूप से हंगरी से इलैक्ट्रोनिक दूर-संचार उपकरण प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं और सम्बद्ध देशों का सहयोग भी प्राप्त करूंगा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : भीलवाड़ा के बारे में भी बताइये।

श्री रामनिवास मिर्धा : भीलवाड़ा को भूल ही नहीं सकते हैं।

[अनुवाद]

हम 2000 लाइन क्रास बार एक्सचेंज के लिए भवन तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं और यह कुछ ही वर्षों में कार्य करना आरम्भ कर देगा। इस वर्ष अलवर में एक 3000 लाइन का आधान-युक्त एक्सचेंज लगाया जाएगा। हमें आशा है कि इस वर्ष पाली में भी यह आरम्भ हो जाएगा।

अनेक माननीय सदस्यों ने डाक सेवा के सम्बन्ध में अत्यधिक रुचि दिखाई है अब मैं उनके द्वारा इस सम्बन्ध में उठाये गये कतिपय अन्य मुद्दों को लेता हूं। हमारी डाक सेवा में विश्व में सर्वाधिक

[श्री रामनिवास मिर्धा]

बड़ी सेवा है सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र इसके अन्तर्गत आता है। हमारे यहां अनेक डाक घर हैं और जिस प्रकार की डाक सेवा हमारे देश में है उस प्रकार की डाक सेवा अन्य देशों में नहीं है। वास्तव में हमारी बहुत बढ़िया डाक सेवा है। हम यह सुगमता से कह सकते हैं कि हमारा सर्वाधिक बड़ा डाक प्रशासन हमारे देश में 1,44,000 डाक घर हैं और हमने 6 लाख लोगों का नियोजन कर रखा है। इसमें से आधे लोग अर्थात् तीन लाख इ० डी० पी० एजेण्ट हैं और शेष तीन लाख नियमित कर्मचारी हैं। हम प्रतिवर्ष 1200 करोड़ डाक वस्तुओं को हैंडल करते हैं तथा यह राजसहायता प्राप्त सेवा है क्योंकि हमारे विचार से इसमें लोक सेवा का पत्र भी रहता है। इस सेवा में हमें 1984-85 में 82 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था और इस वर्ष यह घाटा 187 करोड़ रुपये हो जाने की सम्भावना है। अनेक मदों पर भारी मात्रा में राजसहायता दी जाती है जैसे पोस्टकार्ड 15 पैसे का बिकता है किन्तु एक पोस्टकार्ड को बनाने, हैंडल करने तथा वितरित करने में 59 पैसे लागत आती है आगे इसी प्रकार दूसरी डाक वस्तुओं के बारे में भी ऐसी ही स्थिति है। पोस्टकार्डों के लिए 40-45 करोड़ रुपये की राजसहायता दी जाती है, पत्र कार्डों पर 28.63 करोड़ रुपये, तथा पंजीकृत समाचार पत्रों पर 14.99 करोड़ रुपये पंजीकृत वस्तुओं पर 40.74 करोड़ रुपये तथा मनीआर्डरों पर 25.59 करोड़ रुपये की राजसहायता दी जाती है। हमारी दर बहुत ही उचित है यद्यपि काफी समय से यह दरें बढ़ाई नहीं गई हैं। हमारी नीति इस सार्वजनिक सेवा के पक्ष में जारी रखने की है और जो हम इस पर खर्च करते हैं, उसे वसूल नहीं करना चाहते हैं।

यहां पर पुन: स्वत: चालित पद्धति का प्रश्न आता है क्योंकि बम्बई तथा अन्य शहरों में इतनी अधिक मात्रा में डाक आती है कि उसे देखकर ही उसकी विपुलता का विश्वास आता है। इसके सब ओर ढेर लगे रहते हैं और इसे मनुष्य के हाथों द्वारा हैंडल करना असम्भव होता जा रहा है। अत: हमने जांच-पड़ताल की है और अपने तकनीकी परामर्शदाताओं से, जो हमारे विभाग की ही एक शाखा में हैं, से कहा है कि वे इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट दें कि डाक छांटने का कार्य आरम्भ में बम्बई तथा अन्य शहरों में कैसे यन्त्रीकृत किया जाए।

डाक सेवा का एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू बचत बैंक है जिसका अनेक माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है। यह पद्धति अद्भुत है जो देश के प्रत्येक कोने में फैली हुई है। देश भर में 657 लाख अर्थात 6 करोड़ 57 लाख बचत बैंक खाते हैं और लघु-बचत की धनराशि 14,000 करोड़ रुपये से भी अधिक है। हम दिल्ली तथा अन्य बड़े शहरों में भी धीरे-धीरे क्लियरिंग सुविधाओं जैसे सामान्य बैंकिंग चेनल भी स्थापित कर रहे हैं। हमने ऐसे चेनल बनाए हैं तथा हमारे चैकों को भी अन्य बैंक चैकों की तरह माना जाता है और उन पर भुगतान दिया जाता है। अत: इसके लिए विशेष प्रकार के चैकों की आवश्यकता होती है क्योंकि क्लियरिंग सुविधाओं का संचालन यंत्रीकृत रूप से होता है और वे उसमें कम्प्यूटरों तथा अन्य उपकरणों का उपयोग करना चाहते हैं। अत: हमें विशेष प्रकार के चैक, चुम्बकीय अथवा अन्य प्रकार के चैक बनाने पड़ेंगे ताकि हम इस सुविधा का लाभ उठा सकें। हम बचत खाता पुस्तिकाओं के मुद्रण तथा अन्य सेवाओं में सुधार करने के हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं ताकि बचत बैंक सेवा को एक नया रूप दिया जा सके क्योंकि इसके अत्यधिक यन्त्रीकरण की आवश्यकता है।

प्रसंगवश, श्री चौबे जी ने बहु-मंजिली इमारतों का उल्लेख किया है कि पोस्टमैन को इन इमारतों में भी डाक बांटनी पड़ती है। यह बड़ी गम्भीर समस्या है। हम इन बहु-मंजिली इमारतों के मालिकों से यह कहते हैं कि लेटर बाक्स भूमितल पर लगाएं, जहां डाक का सुगमता से वितरण हो सकता है। किन्तु हम देखते हैं कि वे सहयोग नहीं कर रहे हैं अतः डाक बांटना कठिन हो रहा है। हम बहु-मंजिली इमारतों के भूमितल पर अनेक मालिकों द्वारा लेटर बाक्स लगाना अनिवार्य करने के लिए कानून में संशोधन करने के लिए तैयार हैं। यह बहुत ही गम्भीर समस्या है और हम निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ अवश्य करेंगे।

अब मैं रेल-डाक सेवा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। रेलों में डाक की छटनी इसलिए बन्द करनी पड़ी क्योंकि उनकी गति तेज होती जा रही है और रेलों में उपलब्ध समय कम होता है और इन तीव्र गति वाली रेलों में डाक छांटने के लिए स्थान भी नहीं होता है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : यह तो एक बहाना है।

श्री रामनिवास मिर्धा : यह बड़ा सच्चा बहाना है। सुरेश जी ने कहा है कि हम रेलगाड़ियों के स्थान पर बसों का प्रयोग करना चाहते हैं। यह बात सही नहीं है पिछले वर्ष हमने रेल विभाग से 16 रेल डाक डिब्बों का आदेश दिया था। इस बार हम 15 और डिब्बे खरीद रहे हैं। अतः डाक रेलगाड़ियों में ही ले जाई जाएगी क्योंकि उनकी गति अधिक तेज होती जा रही है। हम रेलवे को डाक लाने-लेजाने के लिए काफी पैसा देते हैं।

किन्तु रेल डाक सेवा पद्धति लागू की गई है क्योंकि रेलगाड़ियों में डाक की छटनी करना असम्भव होता जा रहा है। अतः इस पद्धति को विकल्प के रूप में लागू किया गया है। कुछ कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो गई है किन्तु छटनी का प्रश्न ही नहीं उठता। हमने उनकी पोस्टिंग बाहर भी नहीं की। हमें इस बात का ध्यान है अतः हम उन्हें उनके कार्य के स्थान से हटाना नहीं चाहते, उनको तो बिल्कुल नहीं हटाना चाहते जो उन स्टेशनों पर वर्षों से काम कर रहे हैं। यदि अत्यन्त आवश्यक न हुआ तो हम उनको वहां से नहीं हटायेंगे।

श्री नारायण चौबे : क्या वे 36 घण्टे अथवा 48 घण्टे कार्य कर रहे हैं?

श्री रामनिवास मिर्धा : मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि काम करने के घण्टे वही हैं। इस पद्धति के संचालन के बारे में कतिपय मूल्यांकन किया गया है। दो-एक मूल्यांकन किये गये हैं और हम अनुभव के आधार पर परिवर्तन ला रहे हैं। किन्तु आमतौर पर यह कहना सही नहीं है कि इससे विलम्ब होता है। बल्कि इससे तो डाक शीघ्र पहुंचती है। हम इस पद्धति में और भी सुधार करना चाहते हैं ताकि हम अच्छी डाक सेवा उपलब्ध करा सकें।

श्री रामसिंह यादव : एक कठिनाई यह है कि मान लीजिए डाक अलवर में सभी गाड़ियों से उतारी जाती है। यदि आज इतवार है और कल सोमवार है। सोमवार तक डाक छटनी का काम पूरा नहीं होगा।

श्री रामनिवास मिर्धा : अनेक स्थानों पर पूरा रात्रि के डाक स्टेशन हैं। कुछ दिन पहले मैंने

[श्री रामनिवास मिर्धा]

कृष्णगंज में पूरी रात्रि के डाक स्टेशनों के बारे में पूछताछ की थी। अजमेर में रात्रि भर डाक छटनी की व्यवस्था है। सारी रात सभी स्टेशनों से डाक आती रहती है। उनकी सुबह छटनी की जाती है अथवा जब भी गाड़ी उपलब्ध होती है। डाक की छटनी की जाती है। अतः यह प्रश्न हमारे सामने पुन: आया है कि डाक में विलम्ब नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा न होता तो हमने यह न किया होता।

अब पदों पर प्रतिबन्धों की बात को लीजिए। मैं माननीय सदस्यों के इन विचारों से सहमत हूं कि जहां तक परिचालनगत गतिविधियों का सम्बन्ध है, पदों पर प्रतिबन्ध ढीले किये जाने चाहिए क्योंकि यह सामान्य, प्रशासनिक पद नहीं हैं जिन पर हम बचत कर सकते हैं। हम पदों पर लगे प्रतिबन्ध के कारण पिछले वर्ष डाकघरों सम्बन्धी अपने योजना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके हैं। हममें कुछ डाकघर खोले थे, चूंकि पदों को भरने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था अतः ऐसा करना सम्भव नहीं हो सका। और माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिया है उसके आधार पर मैं वित्त मन्त्री महोदय से पुन: सम्पर्क करूंगा। हम पहले ही उनसे सम्पर्क कर चुके हैं और हम उनसे कहेंगे कि इस सम्बन्ध में विकास सम्बन्धी हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए या तो हमें छूट दी जाए या कुछ किया जाये। हम इसके बारे में सचेत हैं और हम ऐसा करेंगे।

जहां तक इ० डी० कर्मचारियों का सम्बन्ध है जिनके बारे में माननीय सदस्यों ने कहा है, जब हम यह कहते हैं कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती तो इस बारे में कुछ गलत धारणा बनी हुई है। असली बात यह है कि वे पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। जहां ज्यादा कार्य नहीं होता, और विभिन्न आर्थिक कारणों से पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं लगाया जा सकता यह पद्धति वहां लागू की गई है। अतः आमतौर पर उसे पांच घण्टे के अधिक कार्य नहीं करना पड़ता। और अधिकांशत: वे पांच घण्टे से कम कार्य करता है। अतः उसकी और उसकी मजदूरी की तुलना अन्यों से नहीं की जा सकती। एक प्रकार से उसकी मजदूरी मजदूरी नहीं होती। हम समय-समय पर उसके भत्तों में वृद्धि कर देते हैं। अब इस समय भी एक समिति इस प्रश्न का अध्ययन कर रही है। श्री सकूर को यह कार्य सौंपा गया है कि वे उनकी मजदूरी आदि का मूल्यांकन कर उनके लिए कुछ करें।

हम कतिपय प्रोत्साहन भी लागू करना चाहते हैं। माननीय सदस्यों ने कतिपय शिकायतें की हैं कि वे कार्य नही कर रहे और इस प्रकार राजस्व में वृद्धि नहीं हो रही है क्योंकि उन्हें आशंका है कि उन्हें उस स्थान से हटाकर एक स्थायी पोस्टमास्टर की नियुक्ति की जायेगी। अतः हम प्रोत्साहन योजना लागू करना चाहते हैं ताकि उनकी आय बढ़े क्योंकि कुछ स्थानों में पिछले 15 वर्षों से दैनिक राजस्व अथवा राशि में वृद्धि नहीं हुई है जिसका अर्थ यह है कि वे अपना कार्य गम्भीरता से नहीं करते और उन्होंने डाक सेवा को बढ़ाने के लिए परिश्रम नहीं किया। हम चाहते थे कि... ... (व्यवधान)

श्री बी० के० गढवी (बनासकांठा) : उन्हें 10 मिनट का कार्य करने हेतु 30 किलोमीटर चलना पड़ता है। शायद आपके आंकड़े सही नहीं हैं।

श्री रामनिवास मिर्धा : मैं यह स्पष्ट कह रहा हूं कि उन्हें पांच घण्टे से अधिक कार्य नहीं

करना पड़ता।

श्री सुरेश कुरूप : उनसे पांच घण्टे से अधिक समय तक कार्य करने की आशा की जाती किन्तु वे कहते हैं।

श्री रामनिवास मिर्धा : यदि वे कार्य करते हैं और उनके पास पांच घण्टे से अधिक का कार्य होता है तो इसका स्तर बढ़ाने के अन्य मानक हैं (व्यवधान) हम उनकी परिलब्धियां बढ़ाते रहे हैं। प्रो० रंगा को भी यह जानकर खुशी होगी। अब भी हमने उनकी परिलब्धियों में वृद्धि करने के लिए एक समिति बनाई है। हम इसके प्रति जागरूक हैं। वे हमारी व्यवस्था का बड़ा महत्वपूर्ण अंग हैं। उनकी अपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि हमारी ग्रामीण सेवा को वे बड़ी कुशलता से चला रहे हैं और हम उन्हें प्रोत्साहन आदि देकर इस सेवा को मजबूत बनाना चाहते हैं।

स्मृति डाक टिकट तथा स्वतन्त्रता सेनानी डाक टिकट शृंखला का स्वागत किया गया है अत: हम इसे अगले वर्ष भी जारी रखेंगे। जहां तक इसमें अन्य स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए स्मृति डाक टिकट शृंखला शामिल करने के बारे में दिये गये सुझावों का सम्बन्ध है, हमने मानक निर्धारित कर रखे हैं और हमारी एक सलाहकार समिति है जो इन प्रश्नों पर विचार करती है और इसके अतिरिक्त भी, हमने इस सम्बन्ध में अनेक सुझावों को स्वीकार करने का प्रयास किया है। अत: माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, हमें उन पर पुन: विचार करना होगा।

श्री नारायण चौबे : गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा चलाई जा रही समानान्तर डाक व्यवस्था के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री रामनिवास मिर्धा : समानान्तर डाक सेवा जैसी कोई चीज नहीं है। इस प्रकार की सेवा चलाना गैर-कानूनी होता है। हमने कुछ लोगों को पकड़ा है। हम उनके विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं और हम इस बारे में सख्ती करेंगे। समानान्तर सेवा चलाने का प्रश्न ही नहीं है। हम अपनी सेवा को एकमात्र सेवा बने रहना देना चाहते हैं।

श्री सुरेश कुरूप : डाक अनुसन्धान केन्द्रों का क्या हुआ ?

श्री रामनिवास मिर्धा : डाक अनुसन्धान केन्द्र इसके लिए नहीं है। (व्यवधान) चाहे इसे सेंसर किया जाता है या नहीं, यह हमारी विधि पद्धति का एक अंग है जिस पर यहां चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में कानूनी उपबन्ध है जिन्हें लागू किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता; वह बिल्कुल एक भिन्न मामला है। जहां तक अनुसन्धान केन्द्र का सम्बन्ध है, इसके लिए यह कहना कि इसका गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा रहा है, सही नहीं है। हमारे अनुसन्धान केन्द्र जहां कहीं भी स्थापित है, वास्तव में अनुसन्धान कार्य कर रहे हैं। किसी ने इस बात का उल्लेख किया है कि हम स्वयं पत्र क्यों नहीं लिखते। हम ऐसा करते हैं, लगभग सभी मार्गों पर हमने ऐसी पद्धति लागू की है कि हम अपने ही पत्र कतिपय गन्तव्य स्टेशनों पर भेजते हैं ताकि यह देखा जा सके कि उन पत्रों को वहां पहुंचने में कितना समय लगता है। उन्हें वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा ? आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, यह हमारा अनुसंधान केन्द्र है।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : क्या इसका संचालन गृह मंत्रालय में जांच ब्यूरों के सदस्य करते हैं ?

प्रो० एन० जी० रंगा : क्यों नहीं ? हमारे देश में सी० आई० ए० का बहुत सा काम है।

श्री नारायण चौबे : ऐसा क्यों है ?

श्री बी० के० गढवी : ऐसा कैसे हो सकता है ?

श्री रामनिवास मिर्धा : श्री पाणिग्रही ने उड़ीसा की कई समस्याओं के बारे में कहा। कम से कम स्टाफ क्वार्टरों के बारे में उड़ीसा की स्थिति इतनी खराब नहीं है। समूचे भारत का औसत 6% है उड़ीसा में यह 13% है। जहां तक कालोनियों का सम्बन्ध है, वहां वास्तव में समस्या है और उन्होंने मुझे इस बारे में बताया तथा मैंने इसकी जांच की। उन्हें प्रतिदिन 50,000 गैलन पानी दिया जा रहा है।

श्री नारायण चौबे : उड़ीसा सरकार को पानी नहीं मिल रहा है।

श्री रामनिवास मिर्धा : उसकी व्यवस्था पहले से ही खराब है। उड़ीसा में भी हम यह देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि सब काम ठीक से हो।

श्री नारायण चौबे : संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री राम निवास मिर्धा : संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की बैठकें हो रही हैं। पिछले दो वर्षों से इसकी बैठकें नहीं हुई है। मैंने पद संभालने के बाद सबसे पहले इस पर ध्यान दिया कि इसकी बैठक होनी चाहिए। लेकिन चूंकि विभाग दो भागों मे बंट गया था, इसलिए उनकी यह विदाई बैठक हुई थी। लेकिन उनकी बैठक एक बार हुई और अब संघ इस बात पर विचार कर रहे हैं कि संयुक्त परामर्शदात्री समिति एक ही रहने दी जाए अथवा दो बनाई जाएं। क्या महासंघ एक ही रहे अथवा ये विभागानुसार अलग होना चाहते हैं। वे इस बारे में भी विचार कर रहे हैं तथा हम उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। जिसके अनुसार हम अपनी संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र को पुनः बनायेंगे। माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातों का जिक्र किया है, मैं सबका उत्तर नहीं दे पाऊंगा किंतु मैं उन सबको यह आश्वासन देता हूं कि उन्होंने जो भी सुझाव दिए हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा और उस पर कार्यवाही की जाएगी। और अंत में मैं पुनः माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी सभी समस्याओं, जिनमें अधिक बिल ही समस्या, जिसका उन्होंने जिक्र किया है, पर ध्यान दिया जाएगा। हम इन सब बातों से निपटने के लिए अपनी व्यवस्था में सुधार करेंगें हम अपनी टेलिफोन सलाहकार समिति को, जिसे कि हम चाहते हैं कि यह वास्तव में जनता के हित में उपभोक्ताओं की एक प्रतिनिधिक संस्था हो, सुदृढ़ बनाना चाहते हैं और हमें आशा है कि हम सभा के सदस्यों के सहयोग से डाक-तार विभाग का स्तर ऊंचा उठा पायेंगे जिससे हमारे देश का हित होगा।

5.00 म० प्र०

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों से सम्बन्धित सभी कटौती प्रस्ताव एक साथ सभा में मतदान हेतु रखूंगा बशर्ते कोई माननीय सदस्य अपना कटौती प्रस्ताव पृथक से न रखना चाहता हो।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संचार मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाये गये मांग शीर्षकों से सम्बन्धित संचार मन्त्रालय की मांग संख्या 14 से 17 के सम्बन्ध में 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनाधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं गृह मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह वक्तव्य दें।

————

अहमदाबाद के दंगों के संबंध में वक्तव्य

5.02 म० प०

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय, सदन को इस बात की जानकारी है कि फरवरी 1985 के मध्य से अहमदाबाद और गुजरात के भागों में विधि व व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। मैंने 21 मार्च को इस सदन में एक वक्तव्य दिया था। अभी हाल में 18 अप्रैल को मैंने एक दूसरा वक्तव्य दिया था। और सदन को व्याप्त स्थिति के बारे में सूचित किया था। मैंने यह उम्मीद भी जाहिर की थी कि सभी वर्ग सामान्य स्थिति बहाल करने में मदद करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि अहमदाबाद और राज्य में अन्यत्र शांति भंग न हो। यह दुर्भाग्य की बात है निश्चित समग्र उपाय करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बावजूद स्थिति ने 22 अप्रैल को गम्भीर रूप धारण कर लिया।

साम्प्रदायिक गड़बड़ी, जो 17/18 की रात्रि को हुई थी, 18 अप्रैल की सुबह नियंत्रण में कर ली गई। मुख्य मंत्री और उनके सहयोगियों ने विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों, विपक्षी दलों के नेताओं तथा अन्य राजनैतिक नेताओं, शिक्षाविदों इत्यादि सहित समाज के विभिन्न वर्गों से विचार विमर्श किया। आंदोलन समाप्त करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा 19 अप्रैल को एक अपील जारी की गई। दुर्भाग्यवश कुछ राजनैतिक नेता, हालांकि उनकी पार्टी सामान्य अपील करने में शरीक थी, ऐसी गतिविधियों में ग्रस्त रहे, जिससे आन्दोलन जोर पकड़ गया। पुलिस के विरूद्ध व्यापक आरोप लगाए गए।

इस बीच उच्च न्यायालय में दायर की गई कुछ याचिकाओं की विषय वस्तु को सत्यनिष्ठा

[श्री एस० बी० चव्हाण]

मालूम करने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय ने 20 अप्रैल को दो निदेश जारी किए। प्रथम, याचिकाओं में और समाचार पत्रों के समाचारों तथा इलाके के व्यक्तियों के बयानों में जो घटनाएं बताई गई हैं उनकी विवेकशील जांच करने के लिए दो सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति में दो सदस्य, नामतः श्री पी० पी० राठौर, सचिव, राज्य सरकार का राजस्व विभाग, और श्री जे०एन० भट्ट, गुजरात उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार हैं। समिति से अधिक से अधिक 25 अप्रैल, 1985 तक सील कवर में उच्च न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। द्वितीय, उच्च न्यायालय ने अपने संयुक्त रजिस्ट्रार, जिसको अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वारा सहायता की जा रहीं है, को उस सम्पत्ति के फोटोग्राफ लेने का प्रबन्ध करने के निदेश दिये, जिसके नष्ट किये जाने के आरोप हैं। याचिककर्ताओं से उन स्थानों की एक सूची देने के लिए कहा गया जिनके ऐसे याचिकाकर्ता फोटोग्राफ खिंचवाना चाहते हैं।

उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए दो निदेशों का पालन करने में राज्य सरकार को सभी सुविधाएं देने का निदेश दिया गया।

5. इससे पहले 20 अप्रैल, 1985 को खाड़िया क्षेत्र में 1000 व्यक्तियों की एक कृत संकल्प भीड़ ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवानों पर पत्थर फेंके। पुलिस के जवानों द्वारा भीड़ को अपने स्थानों पर वापस जाने और कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन न करने का अनुरोध करने के बावजूद भीड़ इस जिद पर खड़ी रही कि पुलिस उनके क्षेत्र में उपस्थित न रहे। इसके साथ-साथ उसी दिन अर्थात् 20 अप्रैल को खाड़िया-रायपुर क्षेत्र के कुछ व्यक्ति महिलाओं के विरुद्ध अनुचित बल प्रयोग करने और उनके घरों में घुसने से पुलिस को रोकने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय में गए। यह सूचित किया गया है कि इन घटनाओं से लोग उनके क्षेत्र से पूरी तरह पुलिस हटाये जाने की बात पर जोर देने के लिए प्रोत्साहित हुए। इससे पुलिस कर्मियों का मनोबल गिर गया और वे अशांत हो गए तथा उन्होंने एक जगह एकत्र होना शुरू कर दिया। जैसे ही इसका पता लगा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पुलिस को वापस अपने ड्यूटी स्थलों पर जाने का अनुरोध किया। लगभग सभी पुलिस कर्मी तुरन्त वापस चले गये। फिर भी एहतियाती उपाय के रूप में पुलिस आयुक्त ने खाड़िया और रायपुर क्षेत्र में सेना तैनात करने का निर्णय किया जिसके बाद अधिकांश पुलिस कर्मियों को उस क्षेत्र से हटा लिया गया।

मैं अत्यन्त खेद के साथ सदन को यह सूचना देता हूं कि 22 अप्रैल, 1985 को उच्च न्यायालय के निदेशों का पालन करते समय एक गंभीर घटना घटी। एक फोटोग्राफर, याचिकाकर्ता और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ उच्च न्यायालय के अपर रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार के एक दल ने कथित क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के फोटोग्राफ लेने के लिए अहमदाबाद शहर के रायपुर और खाड़िया क्षेत्रों का दौरा किया। लगभग 11.00 बजे क्षेत्र में विरोधी भीड़ एकत्र हो गई। जब दल रायपुर गेट पर पहुंचा दल के पीछे आ रही भीड़ ने एक हैड कांस्टेबल और एक होम गार्ड पर घातक हथियारों से हमला किया। जख्मी होने के कारण हैड कांस्टेबल की तुरन्त मृत्यु हो गई। होम गार्ड भी गंभीर रूप से घायल हुआ।

प्रेस में प्रतिकूल रिपोर्टिंग के प्रभाव से हैड कांस्टेबल की मृत्यु तथा रायपुर और खाड़िया क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों के प्रवेश को रोकने के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के पहले के निर्णय से पुलिस बल की भावनाओं पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा जिसका पहले ही मनोबल गिर चुका था। इस

पृष्ठभूमि से अब यह प्रतीत होगा कि उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गये दल के दौरे के समय जिस कांस्टेबल पर कायराना हमला किया गया था और उसे मार दिया गया था, के परिणामस्वरूप पुलिस की भावनाएं भड़क उठी। दिवंगत हैड कांस्टेबल के शव को दाहसंस्कार के लिए ले जा रहे व्यक्तियों में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल हुए। शव को ले जाते व्यक्ति जैसे-जैसे आगे बढ़ते गए पुलिसकर्मी अशांत होने लगे और दुर्भाग्यवश उनमें से कुछ आगजनी, सड़क के वाहनों सहित निजी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने लगे। गुजरात समाचार प्रेस और इण्डियन एक्सप्रैस, जनसत्ता प्रेस के परिसरों को आग लगा दी। इसके अतिरिक्त शहर के अधिकांश निशस्त्र पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटियों को छोड़ गए और यहां तक की गतवर पुलिस वायरलैस संचार प्रणाली भंग हो गयी।

जैसे ही हैड कांस्टेबल के मरने की खबर मुख्य मंत्री को दी गयी उन्होंने मृत्यु की निन्दा की और मृतक के परिवार को एक लाख रुपये राहत के रूप में देने की घोषणा की। उन्होंने पुलिसकर्मियों से अपनी-अपनी ड्यूटियों पर जाने की अपील की। साथ-साथ गृह मंत्री और पुलिस महानिदेशक ने भी पुलिसकर्मियों से अपील की। पुलिस महानिदेशक तथा अहमदाबाद शहर के पुलिस आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी एक के बाद दूसरे थानों में गए और पुलिस कर्मियों से अपनी ड्यूटी पर जाने का आग्रह किया। इन सभी समझौताकारी प्रयासों के कारण पुलिसकर्मी 22 अप्रैल को 19.00 बजे अपनी-अपनी ड्यूटियों पर लौट आये।

पुलिस के ड्यूटी पर से हटने के बाद राज्य सरकार ने सैनिक कुमुक को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया और उसे शहर के दंगे से प्रभावित क्षेत्रों में भेजा। शीघ्र ही सेना ने हिंसा से अत्यधिक प्रभावित सभी क्षेत्रों में स्थिति सम्भाल ली। सेना को नागरिक प्राधिकारियों की सहायता के लिए बुलाया गया था और कुछ न्यूज एजेन्सियों द्वारा दी गई यह खबर की अहमदाबाद शहर को पूरी तरह सेना को सौंप दिया गया है, बिल्कुल गलत थी।

यह सूचित किया गया है कि उच्च न्यायालय ने अपने निदेशों का पालन 25 अप्रैल तक स्थगित कर दिया है और दिनांक 26 अप्रैल को मामलों की पुनः समीक्षा की जायेगी। कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों में कुछ पुलिस अधिकारियों के आवागमन के बारे में निदेशों को बताया जाता है, 29 अप्रैल तक स्थगित/रोक दिया गया है।

जैसा कि मैंने पहले कहा है और सदन की भावनाएं हमारे रही हैं कि सभी तरह की हिंसा की अवश्य निन्दा की जानी चाहिए। समाज के सभी वर्गों और सभी राजनैतिक दलों को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि जिससे केवल अहमदाबाद में ही नहीं अपितु पूरे गुजरात राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने में मदद मिले। इस संबंध में आमतौर पर राज्य सरकार के प्रयत्नों की अनुकूल प्रतिक्रिया हुई है। हालांकि यह खेद की बात है कि कुछ व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों में ग्रस्त रहे हैं जिससे वातावरण दूषित हो गया। हालांकि प्रैस ने बड़ा सहयोग दिया है लेकिन कुछ समाचार पत्रों में घटनाओं को अत्यन्त बढ़ा चढ़ाकर और तोड़ मरोड़कर प्रकाशित किया। यह सभी उच्च न्यायालय के निदेशों के कार्यान्वयन के दौरान कायराना हरकत के साथ-साथ हुआ। इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हुई और पुलिसकर्मियों ने ऐसा व्यवहार किया जो कर्मियों की एक वर्दीधारी सेवा के लिए अनुचित था।

मुझे विश्वास है कि सदन भीड़ की कार्रवाई की निन्दा करने में मेरा साथ देगा, जिसके

[श्री एस० बी० चव्हाण]

परिणामस्वरूप एक हैड-कांस्टेबल की मृत्यु हो गयी और एक होम गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। हिंसा से छुटकारा पाने और कानून और व्यवस्था की स्थिति को बहाल करने में सभी व्यक्तियों द्वारा पूरे मन से और अनुकूल प्रयत्न किए जाने चाहिए। मैं सदन के सभी वर्गों तथा प्रेस से इस कार्य में सहयोग देने तथा अहमदाबाद और गुजरात के अन्य भागों में सामान्य स्थिति बहाल करने में मदद देने की पुनः अपील करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 6···आरंभ करेंगे।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, सुबह 11 और 12 बजे···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब बैठ जाइये। मैं आप सबकी बात सुनूंगा। मैं नहीं चाहता कि अन्य सदस्य खड़े हों। यदि कोई सदस्य कुछ कहना चाहता है तो उसे खड़े होकर कहने दीजिए। यदि सभी सदस्य इस तरह खड़े होते हैं,तो मैं किसी की बात नहीं सुन पाऊंगा और कुछ भी रिकार्ड में सम्मिलित किए जाने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पहले कृपया आप सब बैठ जाइये। इस मामले में मैं दृढ़ हूं पहले आप सब बैठ जाइए। मैं आप सबको बुलाऊंगा लेकिन इस तरह नहीं। प्रो० दंडवते, आप क्या कहना चाहते हैं?

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, सुबह···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी बुलाऊंगा, मैं दोनों पक्षों के सदस्यों को बुलाऊंगा।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, सुबह जब हमने मांग की कि गृह मन्त्री जी वक्तव्य दें, तब मैंने यह सुझाव भी दिया था कि जिस समय अध्यक्ष महोदय ने यह घोषणा की कि गृह मन्त्री जी वक्तव्य देंगें, हमने यह स्वीकार किया कि यह काम पहले ही कार्य सूची में था और हमने नियम 194 तथा 193 के अन्तर्गत यह नोटिस दिया था कि वास्तव में हमने गृह मन्त्री के वक्तव्य पर विचार कर इस पर आगे चर्चा करते हैं। यदि आप रिकार्ड देखें तो उससे यह पता चलता है कि सुबह अध्यक्ष महोदय ने उसे अस्वीकार नहीं किया और कहा "मैं चर्चा को रोक नहीं रहा हूं किंतु मैं मन्त्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिये जाने के बाद ही निर्णय लूंगा।" नियमानुसार जब मन्त्री महोदय सभा में वक्तव्य देते हैं तो वक्तव्य देने से पूर्व उन्हें उसकी एक प्रति अध्यक्ष महोदय को देनी होती है अध्यक्ष जी इसका अनुमोदन करते हैं तथा फिर मन्त्री जी को वक्तव्य देने की अनुमति दी जाती है। अतः उनके पास वक्तव्य की एक प्रति पहले ही से है। इस बीच स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने बात समझ ली होगी। मैं एक पूर्वोदाहरण उद्धृत करना चाहता हूं। 21 फरवरी, 1982 को जब नेली में नरसंहार हुआ, सुबह 11 बजे मैंने प्रश्न काल समाप्त और निलंबित किए जाने की मांग की। समूची सभा इस बात से सहमत थी कि हमें प्रश्न काल का निलंबन कर दिया जाना चाहिए। चूंकि अध्यक्ष महोदय ने सुबह कहा था कि वह वक्तव्य पर चर्चा किए जाने के प्रश्न पर विचार करेंगें, मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने क्या निर्णय लिया है? यह मामला बहुत गंभीर है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने केवल इतना ही कहा था कि वह विचार करेंगें।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मन्त्री जी की तरह यह मत कहिए कि मामला विचाराधीन है। पिछले सैकड़ों वर्षों से इसी तरह का उत्तर दिया जाता रहा है। उपाध्यक्ष महोदय को मन्त्री जी की भाषा में उत्तर नहीं देना चाहिए··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब बैठ जाइए। मैं उन्हें उत्तर दूंगा

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं उत्तर देना चाहता हूं। जब तक आप सब नहीं बैठ जाते, मैं किसी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय कृपया प्रो० तिवारी के निर्देशानुसार न चलिए, आप रिकार्ड देखिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वह वक्तव्य देखकर निर्णय लेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने वक्तव्य देख लिया है··· (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय द्वारा वक्तव्य देखे बिना गृह मन्त्री वक्तव्य दे ही नहीं सकते। यही प्रक्रिया का नियम है।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने वक्तव्य दिया है। यदि आप आगे और चर्चा कराना चाहते हैं, तो कृपया नोटिस दीजिए। मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : हम पहले ही नोटिस दे चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप वक्तव्य के आधार पर नोटिस दीजिए··· (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : आपको नियमों की जानकारी नहीं है। जब यह घोषणा की जाती है कि वक्तव्य दिया जाने वाला है तो कार्य सूची में इसे शामिल किया जाता है। उसी क्षण से, नोटिस दिया गया माना जाता है। मैंने सुबह ही नोटिस दे दिया था और मैंने अध्यक्ष महोदय को भी बता दिया था मैंने नोटिस दे दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय: मन्त्री महोदय ने अब वक्तव्य दे दिया है। आप कृपया नोटिस दीजिए।

प्रो० मधु दंडवते : मैं पहले ही नोटिस दे चुका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नया नोटिस दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कार्य सूची में इसका उल्लेख नहीं है, तो मैं अभी इसकी अनुमति नहीं दे सकता। यदि आप इस पर और चर्चा कराना चाहते हैं तो कृपया नोटिस दीजिए, मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : मैं सुबह ही इस प्रश्न को स्पष्ट कर चुका हूं और अध्यक्ष महोदय ने इसे स्वीकार कर लिया है··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप नया नोटिस दीजिए। मैं इस पर विचार करूंगा। उन्होंने अभी ही वक्तव्य दिया है। आप अब और नोटिस दीजिए।

प्रो० मधु दंडवते : मेरा नोटिस पहले ही स्वीकार किया जा चुका है। मुझे सचिवालय द्वारा पहले ही बताया जा चुका है कि नोटिस स्वीकार कर लिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में अध्यक्ष महोदय से बात करूंगा। हां, प्रो० तिवारी, आप क्या कहना चाहते हैं ?

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, मुझे केवल एक ही प्रश्न पूछना है। मामला बिल्कुल स्पष्ट है। प्रो० दंडवते और अन्य सदस्यों ने अपना दृष्टिकोण अध्यक्ष महोदय को बताया है। अध्यक्ष महोदय ने उनकी बात सुनने के बाद अपना विनिर्णय दिया कि गृह मन्त्री जो वक्तव्य देंगें और उसके बाद वह इस मामले पर विचार करेंगें और नियमानुसार, गुण दोष के आधार पर वह अपना विनिर्णय, देगें कि क्या वाद विवाद आवश्यक है और मैं समझता हूं यह अध्यक्ष महोदय पर निर्भर है कि वह अपना विनिर्णय बदले दें। वे इस समय चर्चा कराने पर जोर नहीं डाल सकते। अध्यक्ष महोदय ने कभी चर्चा कराने का वचन नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने विनिर्णय दे दिया है। श्री मान तिवारी, कृपया बैठ जाइये। मैं पहले ही इस बारे म बता चुका हूं। मैं चाहता हूं कि सदस्य अपनी बात संक्षेप में कहें। समय व्यर्थ मत कीजिए।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (हावड़ा) : इस सभा की एक प्रथा है। मैं पूर्वोदाहरण उद्धृत नहीं कर रहा हूं कि सभा में किसी राज्य के कानून और व्यवस्था संबंधी मामलों पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जाती। हम इस प्रथा को देखते आ रहे हैं। गुजरात के संदर्भ में, विपक्ष ने मांग की है ·

उपाध्यक्ष महोदय: आपका बयान काफी है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : आपको मेरी बात सुननी होगी। आप मुझे इस तरह चुप नहीं करा सकते। मैं सभा का सदस्य हूं और मुझे बोलने का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री प्रिय,रंजन दास मुंशी : आप मुझे चुप नहीं करा सकते,यदि गुजरात की कानून और व्यवस्था पर इस तरह चर्चा की जानी है, तो गृह मंत्री त्रिपुरा क्यों नहीं जाते ? हमारी यह मांग है। मुझे इस तरह मांग करने का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : आप मुझे चुप नहीं करा सकते। मंत्री महोदय को त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल का दौरा करना ही होगा। यदि मंत्री महोदय इस तरह वक्तव्य देते हैं तो वह इसे भी टाल नहीं सकते। यदि आप इसकी अनुमति देते हैं तो उन्हें वहां जाना ही होगा। यदि विपक्ष

गुजरात पर चर्चा की मांग करता है तो हम भी त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के बारे में मांग कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठ जाइए।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मुझे इस तरह मांग करने का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमान तिवारी। मैं आपकी बहुत सुन चुका हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी बुलाऊंगा कृपया बैठ जाइए।

प्रो० के० के० तिवारी : त्रिपुरा में उग्रवादियों ने हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की हत्या की है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाऊंगा। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : उग्रवादी सीमा पर देश की अखंडता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। मंत्री महोदय वहां जाकर वक्तव्य क्यों नहीं देते ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक रूप से कठिनाई पैदा कर रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप बैठ जाइए। आपने जो भी विचार व्यक्त किए हैं, मैंने सुने हैं। अब मैं निर्णय लूंगा। आप मुझे इस तरह बाध्य नहीं कर सकते।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह राज्य का मामला है। मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है। यह पर्याप्त नहीं है। उस घटना के बारे में पूरी चर्चा कराई जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कहा है कि मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या आप हमारा नोटिस स्वीकार कर रहे हैं या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले आपने टिप्पणी की थी कि यह कार्य सूची में नहीं है। मुझे यह समझ नहीं आता कि अध्यक्ष महोदय ने यह घोषणा की मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे तब कार्य सूची संशोधित मानी जाती है। इसलिए आप ऐसा तर्क नहीं दे सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि मन्त्री महोदय के वक्तव्य के बाद वह इसके महत्व के आधार पर विचार करेंगे। बस यही उन्होंने कहा था। उन्होंने वह स्थिति कभी स्वीकार नहीं की।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : उन्होंने कहा था कि चर्चा की अनुमति दे दी जाएगी। आप इससे इंकार कैसे कर सकते हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : हम गुजरात की कानून तथा व्यवस्था की स्थिति पर आम चर्चा नहीं कर रहे, हम उन प्रमुख तथ्यों पर चर्चा कर रहे हैं जिसके कारण अल्प संख्यकों तथा कमजोर वर्गों के लोगों पर बुरा असर पड़ा है तथा उस बिगड़ी हुई स्थिति के बारे में चर्चा करना चाहते हैं जिसके कारण सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार को सेना भेजने पर मजबूर होना पड़ा। हम उस स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं जो पूर्ण रूप से सभा के अधिकाराधीन है। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा समाचार पत्रों को अधिकार देने का भी प्रश्न है। वक्तव्य को पढ़कर मुझे धक्का लगा कि इसमें इसकी निन्दा का एक भी शब्द नहीं है कि प्रेस को आग लगा दी गई है। जबकि उन्होंने उस भीड़ की उस कार्रवाई की बहुत निन्दा की है जिसके परिणामस्वरूप एक हवलदार की मृत्यु हो गई—इसी प्रकार प्रेस को आग लगाने की निन्दा पर भी एक शब्द भी नहीं बोला। इसीलिए इस मामले पर चर्चा करने का सभा को पूरा अधिकार है। इसीलिए मैंने कहा है कि ये कहकर कि यह कार्य सूची में नहीं हैं, आप हमारा अधिकार नही छीन सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री के वक्तव्य पर हम अब नहीं चर्चा कर सकते। आप जैसा भी महसूस करते हैं; हम देख लेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : जब राज्य में पुलिस ही अपराधी बन चुकी है तो मुख्य मंत्री को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : नहीं, आप वह नहीं कह सकते············

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया सभी बैठ जाइए।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : श्री दंडवते की टिप्पणी कार्यवृत में शामिल न की जाए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बड़ा दुःख है, मैं बार-बार सभी सदस्यों को कह रहा हूं कि वे बैठ जाएं तथा यदि वे बोलना चाहते हैं तो अपना हाथ उठा दें। जब मैं इस प्रकार से आग्रह करता रहता हूं तो कोई इसका पालन नहीं करता। इन हालात में मैं दूसरों को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। मैं

कार्य के अगले मद पर जा रहा हूं। बस मैं यही कुछ कर सकता हूं। मुझे अति दुःख है कि आप इसका बहुत अधिक फायदा उठा रहे हैं। कोई भी उसका पालन नहीं कर रहा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक बार फिर आग्रह कर रहा हूं। माननीय सदस्यो, यदि आप गुजरात के इस मामले पर चर्चा करने को उत्सुक हैं, यदि आप इसे उठाना चाहते हैं, आप सूचना दीजिए, मैं इस पर विचार करूंगा। इस पर आगे चर्चा नहीं होगी। आप सूचित कीजिए। बस, बात समाप्त हो गई।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे उसका नोटिस दें। मैं इसको देख लूंगा।

(व्यवधान)

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव पार्वतीपुरम : हमने गुजरात में उत्पन्न विशेष स्थिति के बारे में सूचित कर दिया है। गृह मंत्री के वक्तव्य देने से पहले जो स्थिति थी वह वैसी की वैसी ही है क्योंकि इसमें गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य द्वारा कोई नई चीज नहीं जोड़ी है।

उपाध्यक्ष महोदय : उस पर अब वाद-विवाद नहीं किया जा सकता। आप सूचित कीजिए मैं अनुमति दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : वहां गुजरात में संविधानिक मशीनरी बिल्कुल अस्तव्यस्त हो गई है, सरकार वहां असफल हो गई है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं आप में से किसी को भी नहीं सुन सकता।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : सभा इस मामले पर चर्चा इसलिए कर रही है क्योंकि गुजरात में सांविधानिक मशीनरी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। श्री रेड्डी, आप कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्री के वक्तव्य के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि...

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको गृह मन्त्री महोदय के वक्तव्य पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दे

सकता। इस पर आगे आप कुछ भी कहना चाहेंगे, मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा। कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे सकता। आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री बी० के० गढवी (बनासकांठा) : महोदय मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि सभी विपक्षी दलों, चाहें वह बी० जे० पी० है या जनता है, के अपील करने के बावजूद भी...**

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नही किया जायेगा। हम मद संख्या 6 पर आते हैं।

(व्यवधान)**

5.24 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86* —जारी)

रक्षा मन्त्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब रक्षा मन्त्रालय की मांग संख्या 18 से 23 पर चर्चा करेगी तथा मतदान करेगी जिसके लिए 6 घण्टे का समय दिया गया है।

श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव ने रक्षा मन्त्रालय की अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव सभा पटल पर रखे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या वह सदन में उपस्थित हैं और अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के इच्छुक हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम जानना चाहते हैं कि क्या आप इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने की अनुमति दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री अय्यापु रेड्डी से आग्रह करूंगा कि वह चर्चा शुरू करें।

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई रक्षा मन्त्रालय सम्बन्धी मांग संख्या 18 से 23 के सम्बन्ध में 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों का पूरा करने के लिए आवश्यक राशि को पूरा करने के लिए स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत रक्षा मन्त्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86

मांग संख्या	मांग का नाम	25 मार्च, 1985 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
	रक्षा मन्त्रालय				
18.	रक्षा मन्त्रालय	79,48,33,000	26,91,87,000	3,97,41,66,000	1,34,59,35,000
19.	रक्षा पशने	84,74,79,000	—	4,23,73,96,000	—
20.	रक्षा सेवाएं-थल सेना	7,97,84,70,000	—	39,89,23,55,000	—
21.	रक्षा सेवाएं-नौ सेना	1,00,32,50,000	—	5,01,62,50,000	—
22.	रक्षा सेवाएं-वायु सेना	2,88,32,23,000	—	14,41,61,17,000	—
23.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	—	1,54,25,33,000	—	7,71,26,67,000

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हम चर्चा करना चाहते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या आप इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने की अनुमति दे रहें हैं? महोदय, हम आश्वासन चाहते हैं......

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इसे लिखित रूप में दीजिए, मैं इस पर विचार करूंगा तथा आपको बता दूंगा। बस इतना ही मैं कह सकता हूं श्री अय्यापु रेड्डी भाषण शुरू रखिए।

(व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है...

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, अब हमने अगले मद पर चर्चा शुरू कर दी है। मैं अनुमति नहीं दूंगा। आगे कोई चर्चा नहीं होगी। मैं अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे पहले ही कर चुके हैं। बस बात समाप्त हुई।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। हम अगले मद पर पहुंच चुके हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : हम जोरदार प्रोटेस्ट करते हैं तथा बाहर जाते हैं।

(व्यवधान)

तत्पश्चात श्री सी० माधव रेड्डी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अय्यापु रेड्डी—यहां नहीं हैं। श्री अजय मुशरान रक्षा मन्त्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा शुरू करेंगे।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं रक्षा सेवा के उन लोगों को श्रद्धांजली अर्पित करना चाहूंगा जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान देश की एकता तथा अखण्डता के लिए अपना जीवन बलिदान किया। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वर्ष हमें बड़ी बुरी स्थिति से गुजरना पड़ा है तथा रक्षा सेनाओं की सर्वोत्तम परम्पराओं को निभाते हुए असंख्य लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। उन्होंने देश को केवल विभाजित होने से ही नहीं बचाया है बल्कि जाति-पाति, रंग भेद, पंथ तथा धर्म का ख्याल न रखते हुए, उन्होंने धर्म को उग्रवादियों के चंगुल से छुड़ाया है। इस सम्मानीय सदन के कार्यवाही वृतान्त में यह सम्मिलित किया जाना चाहिए कि हमारा देश एक संस्था है, जो, हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों ने तथा उन लोगों ने जिन्होंने इस देश को बनाया, जो आज भी है अर्थात वह देश जिस पर हम सभी को गर्व है, जो भी सिद्धांत बनाए हैं, उनका आदर करती है।

सर्वप्रथम, मैं सेना बलों की युद्ध नीतिक आवश्यकताओं की जानकारी रखने तथा सेना बलों को हर तरह से बिल्कुल चुस्त रखने तथा उनका मनोबल बनाए रखने के लिए, माननीय रक्षा मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। हाल ही में हमने प्रमुख युद्ध टैंक, अर्जुन की स्वदेशी उप्पादन की उपलब्धि के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ा है। मुझे आशा है, तथा मैं चाहता हूं, कि निकट भविष्य में, लाइट फाइ-टर एयरक्राफ्ट जो पाइप लाइन में है तथा जहां तक इसके उत्पादन का सम्बन्ध है, भी बन जाएगा। आत्म निर्भरता तथा सम्पूर्ण स्वदेशीकरण की ओर इस धीमी परन्तु निश्चित प्रगति के भरोसे से बढ़ का और अधिक उत्तेजना की बात क्या हो सकती है। मुझे आशा है कि आने वाले समय में एक अवस्था ऐसी आएगी कि जहां रक्षा आवश्यकताओं का सम्बन्ध है हमें चीजों के आयात करने की आदत से छुट-कारा मिल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, महोदय, हमारे अल्प संसोधनों को मद्दे नजर रखते हुए हमें बहुत अधिक कीमत देनी पड़ती है, तथा अति अधिक लागत देनी पड़ती है जिसे अदा करने की हालत में हम नहीं हैं।

वर्ष 1984-85 की अपेक्षा वर्ष 1985-86 के रक्षा बजट में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का स्वागत है। विपक्षी दल के बैंचों पर बैठे लोग कहना चाहेंगे कि यह वृद्धि उचित नहीं है। कुछ इस सीमा तक भी कह सकते हैं कि हम ऐसे उपकरण खरीद रहे हैं जिनकी कोई खास आवश्यकता नहीं है, जिसका कोई लाभ नहीं है, जो उचित नहीं है तथा भारत सरकार विभिन्न खर्चों तथा खरीद का ठीक तरह से नियन्त्रण नहीं रख रही है।

मेरा निवेदन है कि यदि हम देश की सीमाओं को देखें तो हमारे चारों ओर ऐसे सैटलिट या ऐसे देश हैं जिन्हें विश्व की महाशक्तियों ने अपने स्वार्थ के कारण हमारे चारों ओर तैनात किया हुआ है। उनका खतरा केवल भूमि पर ही नहीं बल्कि आकाश में भी बढ़ रहा है तथा हाल ही में समुद्र में भी बढ़ रहा है। इसीलिए हमारे लिए यह बहुत अनिवार्य है कि हम आधुनिक अस्त्र-शस्त्र, एयर क्राफ्ट युद्धपोत खरीदें तथा मैं इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित कराना चाहूंगा कि, यदि आवश्यकता पड़े तो यहां तक की विकासात्मक योजनाओं की कटौती पर भी पुनः विचार किया जा सकता है क्योंकि देश का आजादी, अखण्डता तथा प्रभुसत्ता से अधिक बड़ी चीज कोई नहीं है हर समय हम अपने देश के विकास के बारे में सोचते हैं परन्तु यह तब तक सम्भव नहीं है जब तक हम शक्ति का उच्च स्तर नहीं बनाएं रखेंगे, सुरक्षा का तत्व नहीं बनाए रखेंगे, लोगों की भलाई का तत्व नहीं बनाए रखेंगे तथा देशकी प्रभुसत्ता को नहीं बनाए रखगे। इसीलिए मैं अनुरोध करता हूं तथा आशा करता हूं कि देश की प्रभु-सत्ता को हमेशा प्रथम स्थान दिया जाता रहेगा।

अब, यद्यपि रक्षा मन्त्रालय की उपलब्धियां बहुत ही प्रशंसनीय हैं, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। जैसा कि हम जानते हैं, सन् 1958 के बाद रक्षा बलों के आकार में 3 गुणा वृद्धि हुई है। परन्तु हमारा मूल ढांचा वैसे का वैसा ही है। रणनीति की इस दुनिया में, आने वाले समय में सामग्री प्रबन्ध तथा सैन्य तन्त्र प्रणाली एक बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भविष्य में होने वाले युद्ध बहुत ही उग्रता से लड़े जाएंगे तथा तैयारी के लिए समय बहुत कम मिल पाएगा। हमें सेना बलों की तैनाती के लिए उतना समय बिल्कुल नहीं मिलेगा। जिस प्रकार आजकल हमें करने की आदत पड़ चुकी है। दूसरे महायुद्ध में, महत्त्वपूर्ण रक्षा क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए लम्बी पंक्तियां होती थी

[श्री अजय मुशरान]

तथा संचार की लम्बी की पक्तियां होती थी जिसके कारण हमें मरम्मत के उपाय तथा इसी प्रकार की अन्य चीजें करने की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए हमें अपनी प्रणाली को आधुनिक बनाने की अति आवश्यकता है।

मैं सुझाव देना चाहूंगा कि अब समय आ गया है कि अमरीकी, ब्रिटिश तथा विश्व की अन्य आधुनिक सेनाओं की तरह हमारे यहां भी तीनों सेनाओं की एक एकीकृत कमान हो। चूंकि भविष्य के युद्ध बिल्कुल उग्र होंगे तथा उसके शुरू होने की सूचना मिलेगी ही नहीं, तीनों सेवाओ को एक साथ मिलकर युद्ध में भाग लेना होगा। इसीलिए तीनों सेवाओं की एक एकीकृत कमान होना आवश्यक है। वर्तमान में हमारे यहां स्टाफ समिति के अध्यक्ष ढीले तथा औपचारिक है वे उतने आधुनिक नहीं हैं जितने की माननीय रक्षा मन्त्री उन्हें रखना चाहेंगे।

ऐसा कहा जाता है कि भविष्य के युद्ध अघात योग्य क्षेत्रों में कमान पंक्ति को तोड़ने के लिए लड़े जाएंगे। ये युद्ध उन क्षेत्रों में लड़े जाएंगे जहां से हमला करने का प्रयास किया जा रहा है, जहां से युद्ध शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है तथा ये युद्ध उन संचार पंक्तियों को तोड़ने के लिए लड़े जाएंगे जहां से इन प्रयासों को लड़ने वाले लोगों तक पहुंचाया जाता है। यदि ऐसा ही है तो हमें सैन्य तन्त्र प्रणाली को बहुत विस्तृत आधार पर बनाना होगा। मैं इस सीमा तक भी कह देता हूं कि हम एकीकृत सैन्य तन्त्र कमान बनाना चाहते हैं।

जिस तरह थल सेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष तथा वायु सेनाध्यक्ष हैं उसी तरह यहां एक सम्भारिकी अध्यक्ष होना चाहिए। कुछ सेनाओं में उक्त पद किफायत तथा कार्यकुशलता की दृष्टि से बहुत सफल सिद्ध हो चुका है तथा सफलता प्राप्त कर रहा है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं 1985-86 के बजट में कुल बजट का लगभग 35% स्टोर तथा उपकरणों के लिए निर्धारित किया गया है। अगर ऐसा है तो यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि 15,000 करोड़ रुपये या 16,000 करोड़ रुपए की निर्धारित रकम को इस प्रकार व्यय किया जाये जिससे कि रक्षा सेनाओं की जरूरतें समय पर तथा सही मात्रा में पूरी हों तथा पात्र व्यक्तियों की जरूरतें पूरी हो। दुर्भाग्य से, 1985-86 के बजट में आधुनिकीकरण के लिए बहुत कम राशि रखी गई है। आधुनिकीकरण के लिए कुछ राशि तथा अनुदान निर्धारित की गई है और वह राशि भी रेल के डिब्बों, विभिन्न रक्षा स्टोरों को लाने-ले जाने के परिवहन के विशेष साधनों के लिए है। आधुनिकीकरण से मेरा यह तात्पर्य नहीं है। आधुनिकीकरण से मेरा तात्पर्य सम्भारिकी कमान, वस्तु उत्पादन उसका नियन्त्रण निगरानी तथा उन्हें रक्षा सेवाओं को सप्लाई करने की प्रणाली का आधुनिकीकरण।

अमरीकी सेना में सेना सामग्री कमान है। जैसा मैंने कहा है भारत में सम्भारिकी कमान या सम्भारिकी अध्यक्ष होना चाहिए। अमरीकी सेना में इस सेना सामग्री कमान में आयुध निर्माणी, पूर्ति तथा निपटान, परिचालन, महानिदेशक, निरीक्षण महानिदेशक तथा तकनीकी विकास महानिदेशक हैं। ये सभी एक ही अध्यक्ष के अन्तर्गत है।

इस समय हम उसी व्यवस्था का पालन कर रहे हैं जिसका हम ब्रिटिश शासन के दौरान पालन किया करते थे। इस व्यवस्था में कुछ सहज कमियां हैं तथा अन्यों की भांति माननीय रक्षा मन्त्री को भी इन कमियों की जानकरि होगी क्योंकि रक्षा मन्त्रालय सम्भारिकी जरूरतों के सभी स्तरों को नियंत्रित करता है लेकिन जब निगरानी, शीघ्रता तथा प्राप्त करने की बारी आती है तो वह काम विभिन्न सेवाओं पर छोड़ दिया जाता है। समस्त रक्षा सेनाओं को लगभग 12-13 लाख मदों की जरूरत होती है। कुछ ऐसी मदें हैं जो अप्रचलित हो गई है तथा रक्षा सेनाओं को उनकी जरूरत नहीं है। तीनों सेनाओं में आन्तरिक तथा बाह्य सम्बन्ध नहीं हैं। अगर उत्पादन तथा पूर्ति के समस्त कार्य को एक शीर्ष के अन्तर्गत रख दिया जाए तो इससे उत्पादन में राहत मिलेगी। इससे उत्पादकों, निगरानी करने वालों तथा रक्षा सेनाओं के मध्य अच्छा तालमेल स्थापित हो जाएगा। फिलहाल रक्षा मन्त्रालय इस सारे कार्य एक दशक मात्र है जिसके कारण आम उपभोक्ता मदें रक्षा सेनाओं के लिए उपलब्ध नहीं होती जबकि बाजार में वे सरलता से उपलब्ध होती हैं। बाद में अधिक कीमत अदा करके उनकी स्थानीय खरीद की जाती है। इससे आसानी से बचा जा सकता है यदि हमारा संयुक्त सम्भारिकी दृष्टिकोण हो।

इस समय आयुध निर्माणी महानिदेशक के अन्तर्गत 40 आयुध निर्माणीयां हैं। इस प्रतिष्ठान में कुछ कमियां हैं। इन आयुध निर्माणियों का डिजाइन लगभग 200 वर्ष पूर्व की स्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। कलकत्ता में, सभी आयुध निर्माणियां, आयुध निर्माणी महानिदेशक के अन्तर्गत हैं। इन निर्माणियों की उत्पादन क्षमता उनमें औद्योगिक अनुशासन तथा शांति ने उत्पादन में प्रमुख नकारात्मक भूमिका निभाई है। मुझे पूरी जानकारी है कि उत्पादन की कुछ अप्रयुक्त क्षमता की जानकारी नहीं दी जा रही है। उनकी वास्तविक उत्पादन क्षमता किसी विशेष साल में उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन में परस्पर अनुपात नहीं है।

माननीय रक्षा मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे इस मुद्दे की जांच करें ताकि इन आयुध निर्माणियों की उत्पादन क्षमता तथा उत्पादन को बढ़ाया जा सके।

जहां तक औद्योगिक शांति तथा अनुशासन का सम्बन्ध है, सभी जानते हैं कि नींव नीचे से ऊपर को रखी जाती है लेकिन अनुशासन की भावना ऊपर से नीचे की ओर आती है। उदाहरण प्रस्तुत करके ही अनुशासन तथा औद्योगिक शांति बनाई रखी जा सकती है। इसके लिए दो मापदंड नहीं होने चाहिए। ऐसा न हो कि जो कर्मचारी प्रबन्धकों की अच्छी नजरों में हो उनके लिए एक तरह का और जो अच्छी नजरों में न हो उनके लिए दूसरी तरह का मापदंड आदर्श निर्धारित हो। मैं तो रक्षा मन्त्री जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि आयुध निर्माणियों में कार्य अध्ययन किया जाए तथा आयुध निर्माणी महानिदेशक के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक आयुध निर्माणी का विशेषीकृत व्यक्तियों द्वारा कार्य-अध्ययन किया जाए। तभी जाना जा सकेगा कि उत्पादन में कमी कहां है।

अब मैं भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में जो हमारे अत्यन्त निकट हैं चर्चा करूंगा। हम सभी जानते हैं कि इस समय भारत में लगभग चार लाख भूतपूर्व सैनिक ऐसे हैं जिनके लिए रोजगार की व्यवस्था करनी है। इसके अलावा हर साल 60,000 रक्षा कार्मिक सेवा-निवृत्त होते हैं और भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी में आ जाते हैं।

[श्री अजय मुशरान]

मुझे बहुत खुशी है तथा मैं माननीय तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री श्री के० पी० सिंह देव को बधाई देता हूं जिन्होंने 4 मई, 1984 को एक उत्तर दिया था :

> "सभी राज्यों में अभी तक जनगणना न किए जाने के कारण देश में भूतपूर्व सैनिकों की कुल सही संख्या उपलब्ध नहीं है। लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार अनुमान है कि देश में लगभग 40 लाख भूतपूर्व सैनिक हैं। भूतपूर्व जवानों तथा भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों की सही संख्या के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं है। बहरहाल अनुमान है कि सैनिक अधिकारियों तथा जवानों की संख्या लगभग क्रमशः 70,000 तथा 39,30,000 है।"

यह सूचना बाद में चंडीगढ़ से प्रकाशित होने वाले एक समाचार पत्र "ट्रिब्यून" में 4 मई को प्रकाशित हुई थी और मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं :—

"समिति को कहा गया है कि···"

हम सभी जानते हैं कि भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एक उच्च स्तरीय समिति है जिसके अध्यक्ष श्री के० पी० सिंह देव हैं।

> "समिति से कहा गया है कि वह अपनी अन्तिम रिपोर्ट इस साल सितम्बर तक सरकार को प्रस्तुत कर दे। श्री सिंह देव स्वयं नहीं जानते कि 35 लाख भूतपूर्व सैनिकों में से कितनों को पुनर्वास की जरूरत है। इसी से पता चलता है कि अधिकारियों का रवैया इस सम्बन्ध में कितना उपेक्षापूर्ण है। मन्त्री महोदय केवल यही कह सकते हैं कि प्रति वर्ष सेवा-निवृत्त होने वाले लगभग 55,000 रक्षा कार्मिकों में से अधिकांश को राज्य सहायता की जरूरत होती है। इस मामले में केवल संघ सरकार ही दोषी नहीं है बल्कि अधिकतर राज्य भी दोषी है क्योंकि वे भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के संबंध में केन्द्रीय मार्ग निर्देशों की उपेक्षा करते हैं।"

यही बात मैं बताना चाहता हूं, अगर केन्द्र सरकार के निर्देशों का राज्य सरकारें पालन नहीं करती तो इसमें दोष किसका है ? दोष क्या भूतपूर्व सैनिकों का है अथवा राज्य सरकारों का ? क्या थोड़ा विचार-विमर्श करके, थोड़ा सहमत कराके राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा जारी निर्देशों को कार्यान्वित कराने के लिए राजी नहीं किया जा सकता ? इन भूतपूर्व सैनिकों को कहीं भी, चाहे केन्द्र सरकार राज्य सरकार के अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में खपाया जाए। अगर वस्तुतः उन्हें खपा लिया गया होता तो यह समस्या बहुत समय पहले ही हल हो गई होती। 1984 में यह प्रश्न पूछा गया था यह समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था उसके बाद ही इस सम्बन्ध में कुछ कार्रवाई शुरू की गई है।

एक और प्रश्न है जिसका उत्तर 20 मार्च, 1984 के अंत में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या लगभग 39.47 लाख थी। मैं माननीय मन्त्री को बधाई देता हूं—उनके द्वारा दिए उत्तर को मैं उद्धृत कर रहा हूं :

> "1.1.1961 से 31.12.81 के दौरान रोजगार कार्यालय द्वारा पुनर्नियोजित भूतपूर्व सैनिकों की संख्या लगभग 2.7 लाख है।"

अर्थात् 20 सालों में आप केवल 2.7 लाख भूतपूर्व सैनिकों को खपा सके। इस तरह तो शेष भूतपूर्व सैनिकों को खपाने में 40 साल लग जाएंगे।

प्रो० एन० जी रंगा (गुंटूर) : इस दौरान तो बहुत से स्वर्गवासी हो जाएंगे।

श्री अजय मुशरान : इसके बाद, भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण तथा उन्हें विभिन्न नौकरियों में खपाने के सम्बन्ध में 18 जनवरी, 1985 को एक उत्तर दिया गया। मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं।

> "इन ठोस प्रयासों के फलस्वरूप छः महीनों; जनवरी से जून 1984 के दौरान 18,898 भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया गया (कुछ क्षेत्रों से सूचना प्राप्त नहीं हुई अन्यथा वास्तविक आंकड़े कहीं अधिक होते) पिछले सालों (1981 : 16,639, 1982 : 17439 तथा 1983 : 29,629) की उपलब्धियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि 1984 में पर्याप्त सुधार हुआ है।"

इस दिशा में जो कुछ किया जा रहा है उसके लिए माननीय मन्त्री बधाई के पात्र हैं। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि यदि इस सदन का प्रत्येक सदस्य एक बच्चे को सेना में भरती कराए तो मेरे विचार से भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए यही उपाय, किसी अन्य उपाय की तुलना में अधिक बेहतर रहेगा।

राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न गतिविधियों के कारण हो सकता है कि भूतपूर्व सैनिकों की समस्या की ओर ध्यान न जाये। लेकिन यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि एक रंगरूट अथवा एक कैडट 15-18 साल की उम्र के दौरान सेना में भरती होता है और लगभग 25-30 साल सेवा करने के बाद "अधिकारी" के रैंक पर से सेवानिवृत्त होने पर उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष होती है और "जवान" के रैंक से सेवा निवृत्त होने पर लगभग 35-40 वर्ष होती है। उसने इतना अनुशासित जीवन जीया होता है — माफ करें — कि सिविल जीवन में लौटने के बाद वह उस अव्यवस्थित वातावरण में अपने को खपा नहीं पाता। इसी मोड़ पर भूतपूर्व सैनिक को सुरक्षा की जरूरत होती है और इसी समय आप अनुशासित, समर्पित, ईमानदार, राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत सैनिक से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। उसे किसी भी रोजगार में लगाया जा सकता है। एक व्यक्ति है जिसने हायर सैकेन्डरी पास की हुई है। उसने भारतीय सैन्य अकादमी में शिक्षा प्राप्त की, सेना में सेवा की और मेजर जनरल के रैंक पर से सेवानिवृत हुआ।

सेवा निवृत्ति के समय भी वह मैट्रीकुलेट ही था। रोजगार प्राप्त करने के लिये वह योग्यता के कालम में केवल निष्ठा, एकता तथा कड़ी मेहनत आदि योग्यताएं भर सकता है। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि इनसे उसे कोई फायदा नहीं होगा। अतः मेरा सुझाव है कि एक समन्वित राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया जाए। यह काम केवल रक्षा मन्त्रालय को ही नहीं करना जो कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य कर रही है। भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए संतोषजनक कार्य न हो पाने

[श्री अजय मुशरान]

कारण ही सेना के लिए अच्छे अफसर तथा जवान नहीं मिल रहे हैं। ऐसे भी मामले हैं जब बहुत से पाठ्यक्रम केवल इसलिए रद्द पड़े क्योंकि अफसर या जवान बनने के लिए भारी संख्या में युवक आगे नहीं आ रहे हैं। युवा वर्ग देखता है कि उसके पिता, चाचा या भतीजे को सेवानिवृत्त होने के बाद मारा मारा फिरना पड़ा। इसी समय भूतपूर्व सैनिकों को सुरक्षा की जरूरत होती है। विभिन्न सेनाएं ऐसी हैं जो भूतपूर्व सैनिकों का बहुत सम्मान करती हैं। उनकी अलग-अलग नीतियां हैं। मुझे विश्वास है कि जो रास्ता कुछ देशों ने अपनाया है और जो हम अपना रहे हैं उसे न केवल रक्षा मन्त्रालय द्वारा जो कि आयुध निर्माणियों में बहुत अधिक संख्या में लोगों को खपा सकता है बल्कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और वाणिज्य, उद्योग तथा कृषि आदि विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा उन्हें अपने यहां खपा कर इस दिशा में थोड़ा और प्रोत्साहन देकर और बेहतर काम किया जा सकता है देश में कहीं भी प्रति वर्ष 60,000 की संख्या में इतने अनुशासित कार्मिक नहीं मिलेंगे।

अन्त में मैं ऐसे कुछ स्थानों के बारे में सुझाव दूंगा जहां भूतपूर्व सैनिकों को उपयोगी रूप से खपाया जा सकता है। इस समय हमारे पास बहुत बढ़िया सेना है और हमें उस पर गर्व है, रक्षा सेनाओं ने प्रमाणित कर दिया है कि निम्न स्तर के शस्त्रों, उपकरणों तथा परिस्थितियों के बावजूद उसने दुश्मनों को सदैव और हर बार शिकस्त दी है।

महत्व तोपका नहीं बल्कि तोप चलाने वाले का होता है।

महोदय, मैं भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास हेतु उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित सुझाव देता हूं इन पर न केवल रक्षा मन्त्री बल्कि वे सभी मन्त्री विचार कर सकते हैं जो इस प्रशंसनीय काम में योगदान कर सकते हों। (1) उन्हें बैंकों में और अन्य सरकारी वित्तीय एजेंसियों में सुरक्षा गार्डों के रूप में नियुक्त किया सकता है (2) सीमेंट, इस्पात, वस्त्र, खाद्य पदार्थों, पेट्रोल, तेल लुब्रीकेन्ट्स, खाना पकाने की गैस, उर्वरक और कीटनाशी और अन्य ऐसी वस्तुओं की प्राधिकारी व्यापारी के रूप में उन्हें नियुक्त करने के लिए एक उचित प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता है, (3) भूतपूर्व सैनिकों को स्वनियोजन योजना के अन्तर्गत लारियों, ट्रकों, आटो रिक्शां और टैम्पों आदि जैसे वाहनों का स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत उत्पादक लागत पर आबंटन। यहां तक कि डिस्पोजल सर्विस वाहन भी भूतपूर्व सैनिकों को रियायती दरों पर स्व-रोजगार के लिए उपलब्ध कराए जाएं। (4) सरकारी फालतू भूमि का भूतपूर्व सैनिकों को वन लगाने और सरकारी खेती के लिए आबंटन (5) छावनियों में भूतपूर्व सैनिकों को मकान बनाने के लिए प्लाटों का आबंटन। इससे स्थानीय लोगों द्वारा छावनी की भूमि पर जबरदस्ती और अनधिकार कब्जा भी रुक जाएगा। इस पहलू पर विचार किया गया था परन्तु इस पर पुनः विचार किए जाने की आवश्यकता है, (6) भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण; (7) रक्षा लेखा अधिकारी द्वारा जवानों की पेंशन होने के तीन महीनों के अन्दर और अधिकारियों के मामले में छः महीने के अन्दर सभी दावों और पेंशन लाभों का निपटारा; (8) निःशुल्क कानूनी सहायता (9) उदार ब्याज दरों पर ऋण, (10) मैसर्स प्रागाटूल्स लिमिटेड द्वारा पेंशन प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों को पुनः

रोजगार में लगाने पर वेतन निर्धारण करने के मामले में सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता, उनके द्वारा एल० टी० सी० भी दिया जाना चाहिए। (11) पत्नी और पति के लिए दो वर्ष में एक बार संबंधित रेजीमेंट कार्प्स सेंटर या उतनी ही दूरी के बराबर किसी भी स्थान तक मुफ्त रेल यात्रा।

उपाध्यक्ष महोदय, निर्धारित समय से अधिक समय देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत विश्व में एक महान शक्ति के रूप उदय हो रहा है और सबकी आंखें इस देश पर लगी हैं। इसलिए कुछ शक्तियां इस देश में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास कर रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने कई अवसरों पर देखा है कि किस प्रकार कुछ शक्तियों की आंखें इस देश पर टिकी हुई हैं, हमें उसी के प्रकाश में अपनी रक्षा नीति को एक नया रूप देना होगा और उसका पुनर्निर्धारण करना होगा।

वे नहीं चाहते कि हमारी मातृभूमि इतनी मजबूत, शक्तिशाली और एक हो। उनकी निगाहें हमारी मातृभूमि पर टिकी हैं। उन्होंने हमसे हमारी माता इन्दिरा छीन ली है और अब उनकी निगाहें भूमि पर हैं। उन्होंने देखा कि जब तक हमारी माता मौजूद थी तब तक इस देश की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। इसलिए उनका पहला निशाना हमारी माता थी और दुर्भाग्यवश वे हमसे हमारी मां छीनने में सफल हो गए। अब भूमि की रक्षा हेतु हमें नई रक्षा नीति बनानी होगी।

जहां तक काश्मीर और गोवा का संबंध है, जहां से मैं आया हूं, इन दोनों स्थानों पर जो हमारे देश के अंग हैं, बाह्य शक्तियों द्वारा यह प्रयास किया गया कि ये भारत में न मिलने पाएं। वे उन्हें इस देश से पृथक रखना चाहते थे। परन्तु उनकी चालें सफल नहीं हुई। अन्ततः काश्मीर और गोवा भारत के अभिन्न अंग बन गए।

जैसा कि मेरे विद्वान मित्रों द्वारा यहां कहा गया है कि सर्वप्रथम सैनिकों के हितों को देखना होगा। जब तक उनके हौंसले बुलन्द नहीं होंगे हमारी सेना मजबूत नहीं होगी चाहे वह थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना हो। क्योंकि महत्व हमेशा तोप चलाने वालों का होता है। वे जब सेवानिवृत्त होने लगते हैं उनकी समस्याएं आरम्भ हो जाती हैं। उन्हें देखना होता है कि वे अपने बच्चों को कपड़े, भोजन आदि कैसे उपलब्ध कराएंगे। उनके दिमाग में ये बातें आती हैं। दुर्भाग्यवश उनकी सेवानिवृत्ति के अन्तिम कुछ वर्षों में उन्हें यह आशंका रहती है कि उनकी सेवा पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। जहां तक सैनिकों का संबंध है यह समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रतिवर्ष लगभग 60,000 सैनिक सेवानिवृत्त होते हैं। आज चार लाख से अधिक सैनिकों को रोजगार नहीं मिला है। सेवा-निवृत्त होने वाले सैनिकों में से कठिनाई से लगभग एक चौथाई को रोजगार मिलता है। यह स्थिति है। मैं यहां यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सेवा निवृत्ति के बाद कुछ अधिकारी गैर सरकारी फर्मों में नौकरी करने लगते हैं। मुझे पता चला है कि कुछ वर्षों के लिए प्रतिबन्ध चल रहा है। और इसे पांच वर्षों के लिये और बढ़ाया जाना है। परन्तु रक्षा कार्मिकों को उचित स्थानों पर नौकरी देनी होगी।

[श्री शान्ताराम नायक]

जहां तक आधुनिकीकरण का संबंध है, मैं जानता हूं कि हमारे रक्षा मंत्री इसको भली भांति समझते हैं। हमें बार-बार यह नहीं कहना चाहिए कि आधुनिकीकरण होना चाहिए। परन्तु मैं यह कहता हूं। सुरक्षा का आधुनिकीकरण इस सीमा तक होना चाहिए कि यदि हम पर परमाणु युद्ध की स्थिति भी आ जाये तो उस अवस्था में हमारे पास परमाणु युद्ध का मुकाबला करने के लिए टैंक और अन्य हथियार होने चाहियें। हमें यहां तक कल्पना करनी होगी कि परमाणु युद्ध होगा और हमें उसका सामना करना पड़ेगा। इन परिस्थितियों में हमें यह देखना होगा कि क्या इसका सामना करने के लिए हमारे पास हथियार आदि हैं।

कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं यहां उठाना चाहता हूं। आज हम देखते हैं कि अहमदाबाद और अन्य स्थानों पर कुछ घटनाएं हो रही हैं। हमने कई भागों में देखा है कि हमारी सेना को आन्तरिक कानून और व्यवस्था की समस्या से भी निबटना पड़ा है। हमें इसमें कमी लानी होगी और सेना के समान एक बल का गठन करना होगा। सीमा पर लड़ने वालों को कानून और व्यवस्था की स्थिति सम्भालने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। आपके पास सेना के समान एक बल होना चाहिए। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। सेना के समान एक बल का सृजन करना होगा। क्योंकि दंगा ग्रस्त क्षेत्रों में हम देखते हैं लोग सेना पर पथराव कर रहे हैं, मिसाइलें फैंक रहे हैं। सेना ही तो सीमाओं पर लड़ती हैं। शरारती तत्वों को उनपर मिसाइलें या पत्थर नहीं फैंकने चाहिए। इसलिए सेना को ऐसे स्थानों पर नहीं भेजना चाहिए। यहां तक कि जब आवश्यकता हो सेना के समकक्ष एक बल, जिसका नाम 'सेना' नहीं होना चाहिए, खड़ा किया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि माननीय रक्षा मंत्री इस महत्वपूर्ण बात पर विचार करें।

प्रो० एन० जी० रंगा : इसको छानबीन करनी होगी।

श्री शान्ताराम नायक : जहां तक संचार का संबंध है, इलैक्ट्रोनिक वस्तुओं की भरमार है। जहां तक संचार का संबंध है इलैक्ट्रोनिक वस्तुओं और इलैक्ट्रोनिक मशीनों का इस्तेमाल करना होगा। रक्षा के मामले में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि इलैक्ट्रोनिक प्रणाली का इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ ही यह एक संवेदनशील क्षेत्र है और हमें यह देखना होगा कि कोई गुप्त प्रलेख चोरी न हो जाए और रक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रलेख हमारे हाथों से बाहर न चला जाए जिससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचे।

6.00 म० प०

सिविल और अन्य मामलों में अतीत की मिसालों को देखते हुए हमें इसका कड़ाई से पालन करना होगा।

अन्त में मैं एक महत्वपूर्ण निवेदन करना चाहता हूं। विभिन्न वर्गों द्वारा जाति, क्षेत्र आदि के आधार पर रेजीमेंट आदि बनाने की मांग की जा रही है जैसा कि आन्ध्र रेजीमेंट, हरिजन रेजीमेंट। महोदय, मैं आपसे अपील करता हूं कि ऐसी रेजीमेंट बनाने पर किसी भी हालत में विचार न किया जाए। इसके विपरीत यदि संभव हो तो जाति और क्षेत्र के आधार पर बनाई गई रेजीमेंट खत्म की जाएं।

6.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 24 अप्रैल, 1985/4 वैशाख, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग, डी० 108 न्यू सीलमपुर दिल्ली-53